खण्ड–483, अंक–3
मंगलवार, 30 माघ, शक संवत् 1934
(19 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य...	1-6
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना ...	7
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ...	7-31
नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट भाषण के समय सदन त्याग करने के बावजूद कटौती रखने का औचित्य विषयक व्यवस्था का प्रश्न	31-32
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	32-33
जनपद गाजीपुर की विधान सभा सैदपुर में विभिन्न जनसुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33-34
जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	34
मथुरा से गोवर्धन जाने वाले निर्माणाधीन जर्जर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बी0ओ0वी0 तकनीक के माध्यम से शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	34-35
जनपद बाराबंकी जिला पंचायत सेवा नियमावली के प्राविधानों को उपेक्षित करते हुए नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद बुलन्दशहर में स्थित गोपाल जी डेरी में हो रहे प्रदूषण की जांच कराये जाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की कतिपय नहरों में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
बरेली कालेज रोड स्थित 'पुराना रोडवेज' बस स्टेशन को शहर के बीच से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
प्रदेश के सरकारी क्रय केन्द्र में फैली अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भंवरकी के पास सेजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37-38

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम सोहरैना से मदनपुर तक 11000 लाइन पर 9 कि0मी0 की विद्युत आपूर्ति केवल दो फेज के द्वारा होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद आगरा स्थित आंवलखेड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद महोबा में फैली विद्युत अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	39
कानपुर नगर के कतिपय मार्गों का निर्माण जल निकासी सहित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां में रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 की प्रति की मांग	40
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	40-116
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	116-117
नत्थी	118-246

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-350

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
42. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
43. आशीष यादव, श्री — बदायूं
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45. इकबाल, श्री — बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
47. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर

53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
59. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
63. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
64. काली चरन सुमन, श्री आगरा
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
74. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
75. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
81. गोमती यादव, श्री लखनऊ
82. गोरख पासवान, श्री बलिया
83. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
84. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
85. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
86. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
88. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जगपाल, श्री सहारनपुर
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
94. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
95. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
104. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
105. दलजीत सिंह, श्री बांदा
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
108. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
109. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
110. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
111. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
112. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
113. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज, श्री बाराबंकी

118. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
120. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
121. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
124. नारद राय, श्री बलिया
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
127. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
128. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
129. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
130. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
131. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
132. पीतमराम, श्री पीलीभीत
133. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
134. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
137. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
141. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
142. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
143. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
144. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
145. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
146. फेरन लाल, श्री ललितपुर
147. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बब्बन सिंह सोलंकी, श्री चन्दौली
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
164. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
165. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
166. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
167. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
168. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
169. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
171. मनीष रावत, श्री सीतापुर
172. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
176. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
177. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
178. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
179. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
180. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
181. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
182. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
183. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
185. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
186. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद

187. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
188. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
189. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
190. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
191. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
192. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
196. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
197. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
202. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
204. यासर शाह, श्री बहराइच
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
207. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
208. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
209. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
211. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
212. रणजीत सुमन, श्री एटा
213. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
214. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
215. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
216. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
217. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
218. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
220. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
221. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
222. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
223. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
224. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
225. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
226. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
227. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
228. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
229. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
230. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
231. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
232. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
233. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
234. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
235. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
236. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
237. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
238. राम करन आर्य, श्री बस्ती
239. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
240. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
241. राम गोविन्द, श्री बलिया
242. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
243. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
244. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
245. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
246. राम मगन, श्री बाराबंकी
247. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
248. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
249. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
250. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
251. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद

252. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
253. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
254. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
255. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
256. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
257. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
258. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
259. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
260. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
262. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
263. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
264. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
265. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
266. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
267. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
268. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
269. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
270. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
271. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
272. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
273. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
274. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
275. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
276. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
277. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
278. विजय सिंह, श्री रामपुर
279. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
280. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
281. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
282. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
283. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
284. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
285. वीरपाल राठी, श्री बागपत
286. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
287. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
288. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
289. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
290. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
291. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
292. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
293. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
294. शाकिर अली, श्री देवरिया
295. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
296. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
298. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
299. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
300. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
301. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
302. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
303. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
304. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
305. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
307. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
308. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
309. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
310. संजय कपूर, श्री रामपुर
311. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
312. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
313. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
314. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
315. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर

317. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
318. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
319. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
320. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
321. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
322. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
323. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
324. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
325. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
326. सियाराम सागर, डा0 बरेली
327. सीमा, श्रीमती जौनपुर
328. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
329. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
330. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
331. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
332. सुधाकर, श्री मऊ
333. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
334. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
335. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
336. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
337. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
338. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
339. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
340. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
341. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
342. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
343. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
344. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
345. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
346. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
347. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
348. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
349. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
350. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कलयाण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

कुछ क्षणों बात वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है।

''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ एवं बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर एवं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद एवं कासगंज, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली एवं पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई एवं उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर एवं फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य लेंगे और ''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करेंगे।

[11.01 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

(मद संख्या-1 पर माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव का नाम पुकारे जाने पर सत्तापक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

*मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2013-2014 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण प्रारम्भ करने पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलने पर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसकी तुलना में यह बजट बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी बैठ जाइये। अब हो गया।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण खड़े होकर शोर करने लगे। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी प्रत्युत्तर में शोर करने लगे)

(घोर व्यवधान)

मौर्या जी, यह गलत परम्परा है। यह गलत परम्परा मत डालिये। यह परम्परा कभी नहीं रही है कि बजट के बीच में इस तरह से हो। आप बैठिये, बैठिये, बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह बजट [x x x] का पुलिन्दा है। मैं और मेरा दल इस बजट का विरोध करते हुए सदन का बहिर्गमन करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन करके चले गये)

श्री अखिलेश यादव-

हमने वर्ष 2012-2013 के बजट भाषण में वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश जो विगत 5 वर्षों में अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पीछे छूट गया है, को पुनः विकास के पथ पर समाजवादी सोच के साथ तीव्र गति से आगे ले जाना है।

वर्ष 2012-2013 का बजट पारित होने के बाद से हमें बमुश्किल 7-8 माह मिले हैं किन्तु मुझे आज आपको यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इतनी अल्प अवधि में हमने प्रदेश की जनता से किये गये वायदे पूरे किये हैं जिससे हमारी सरकार पर लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ है। वर्ष 2013-2014 में हमारा लक्ष्य इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के सुदूरगामी अंचलों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने का है। इस संकल्प के साथ मैं आज वर्ष 2013-2014 का बजट माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, पिछले वर्ष 01 जून को हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि प्रदेश को विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाना है। हमारी प्राथमिकताओं में नौजवान साथी, अल्पसंख्यक, किसान, विद्यार्थी, रिक्शा चालक, बालिकायें विशेष रूप से शामिल हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रणेता डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने लाखों बदनसीब और उपेक्षित साइकिल रिक्शा चालकों की समस्या को लोक सभा में सबसे पहले उठाया था। रिक्शा चालकों की समस्या के माध्यम से लोहिया जी ने वास्तव में उन लाखों बेरोजगारों की समस्या को उभारा था जो अपना पेट पालने के लिये शहरों में चले आते हैं। इनकी व्यथा को वाणी देते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग शहरों में चले आते हैं और शहरों में न इनका कोई रिश्तेदार होता है और न रहने का कोई ठिकाना। देर रात तक रिक्शा चलाना पड़ता है। रिक्शा चालकों की इस पीड़ा को समझते हुए हमारी सरकार द्वारा शहर के रिक्शा चालकों को मोटरचालित रिक्शे निःशुल्क दिये जाने का निर्णय लिया गया था और इसके क्रम में दिनांक 09 फरवरी, 2013 को रिक्शा चालकों को मोटर चालित रिक्शों का ट्रायल तौर पर वितरण प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2013-2014 के बजट का विशिष्ट पहलू यह है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिये पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी है। जहां राजस्व व्यय में वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है वहीं पूंजीगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुए वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जबकि नॉन प्लान पक्ष में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है।

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश विकास के एक नये मार्ग पर अग्रसर है। विकास को ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारा जा रहा है। एक ऐसी जमीन पर जो प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग-समुदाय और आखिरी आदमी की खुशहाली से जुड़ी है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश के विकास के व्यापक एजेण्डे को विभागवार और योजनावार कार्य बिन्दुओं में विभाजित कर प्रगति का सतत् अनुश्रवण किये जाने की प्रभावी व्यवस्था की गई है। जिसके सकारात्मक परिणाम हुए हैं।

मान्यवर, वर्ष 2013-2014 के बजट के बारे में चर्चा करने से पहले मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष हमारी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सरकार द्वारा लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा रखना चाहूंगा।

- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत एक विश्वसनीय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की नितान्त आवश्यकता है। देश की राजधानी तथा कई राज्यों की राजधानियों में मेट्रो रेल बन गई है या बन रही है। अब समय आ गया है कि लखनऊ के लोगों को भी यह सुविधा बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध कराई जाय। मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए अपार खुशी है कि हमारी सरकार के द्वारा लखनऊ में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हेतु मैट्रो रेल योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा से जहां एक ओर लखनऊ नगरवासियों को दिन-प्रतिदिन की यातायात की समस्या से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी ओर लखनऊ की देख के ही नहीं अपितु विश्व के विकसित शहरों में गिनती होगी।
- गत पेराई सत्र 2011-2012 में गन्ना किसानों को लगभग 18,200 करोड़ रुपये की धनराशि का गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान किया गया। सरकार द्वारा बढ़ाये गये गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 3,000 करोड़ रुपये अधिक होगा।
- सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है।
- न्यून सकल नामांकन दर वाले 41 जनपदों में से शेष 36 जनपदों में नये मॉडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इन 36 जनपदों में से 05 जनपद अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद हैं।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013-2014 में उक्त में से 2,100 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपये से कम हो और जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में न होने के कारण इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें 2 कमरों का अच्छा आवास देने के लिये राज्य सरकार द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में प्रति आवास के निर्माण हेतु एक लाख रुपये का अनुदान तथा सोलर लाइट हेतु पन्द्रह हजार रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस योजना हेतु 520 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आगरा से लखनऊ तक एक नये 8 लेन एक्सप्रेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी सहभागिता से कराया जायेगा। इस परियोजना की कन्सेप्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जिसके आधार पर ब्रॉड एलाइनमेन्ट निर्धारित हो चुका है। ''प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट'' का चयन किया जा चुका है जिसके द्वारा परियोजना की ''फीजिबिलिटी स्टडी'' तैयार की जा रही है।
- दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली-अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ-करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सभी मार्ग 04 लेन मार्ग होंगे।
- शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग, गोरखपुर-महराजगंज मार्ग, बलरामपुर-गोण्डा-जरवल मार्ग, अलीगढ़-मथुरा मार्ग, एटा-शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग को सार्वजनिक-निजी सहभागिता से 04 लेन किये जाने का कार्य वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ किया जायेगा।
- 259 पुलों का निर्माण जिनकी लागत लगभग 4,500 करोड़ है, प्रगति पर है। इन सेतुओं में से गंगा नदी पर 12 सेतु (वाराणसी में 02, मिर्जापुर में 02, गाजीपुर में 02, फर्रुखाबाद में 01, प्रतापगढ़ में 01, बुलन्दशहर में 01, कासगंज में 01, उन्नाव में 01 तथा मेरठ में 01) बनाये जायेंगे। यमुना नदी पर 13 सेतु (आगरा में 01, बांदा में 03, फिरोजाबाद में 01, चित्रकूट में 01, जालौन में 02, मथुरा में 02, हमीरपुर में 01 और इटावा में 02) बनाये जायेंगे।
- जनपद रामपुर में दो फ्लाईओवर का निर्माण कराया जायेगा जिनमें से एक की लागत लगभग 19 करोड़ रुपये तथा दूसरे की लागत लगभग 160 करोड़ रुपये है।
- कानपुर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य, जिसकी लागत लगभग 45 करोड रुपये है, कराया जायेगा।
- जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में गोमती नदी पर एक सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। गोरखपुर में गोरखपुर-नौतनवा रेल सेक्शन के अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 51 करोड़ रुपये है।
- लखनऊ में लोरेटो कान्वेन्ट चौराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा जिसकी लागत लगभग 40 करोड़ रुपये है। लखनऊ में ही आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपये है।
- प्रदेश के जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर तथा मुरादाबाद से सम्भल मार्गों को 04 लेन का किया जायेगा।

- गाजियाबाद शहर में यातायात के दबाव को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद शहर में ''नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना'' क्रियान्वित की जायेगी, जिसकी लम्बाई लगभग 20 किलोमीटर होगी।
- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी। इस कार्य के लिये 15 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी। इस कार्य के लिये 15 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा दो नये विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक विश्वविद्यालय इलाहाबाद में तथा दूसरा विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में स्थापित किया जायेगा।
- अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों के तीमारदारों के लिये ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके फलस्वरूप उन्हें अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने इस समस्या के निराकरण हेतु यह निर्णय लिया है कि सामुदायिक केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जाय। इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु नई तकनीक ''थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजॉल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम'' को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक ही प्लेटफार्म पर प्रत्येक प्रकार के नक्शों को इन्टीग्रेट किया जायेगा तथा सेटेलाइट डेटा को शामिल किया जायेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश में विकास कार्यों की मॉनीटरिंग तथा प्लानिंग करने में सुविधा होगी और धनराशि का सही तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सकेगा।
- महिलाओं के साथ की जाने वाली बदसलूकी को रोकने के लिये वीमेन पावर लाइन 1090 सेवा प्रारम्भ की गई है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस सेवा की सफलता से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिये कृत संकल्प है।
- सामान्य-जन को आवश्यकता के समय तत्काल मदद पहुंचाने के लिये हमारी सरकार के द्वारा पुलिस के लिये जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पॉन्स सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में यह कन्ट्रोल रूम लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में स्थापित किये जायेंगे। इन नगरों में ट्रैफिक

एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी स्थापित किये जा रहे हैं।

- हमारी सरकार के द्वारा आशीर्वाद-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना शुरू की गई है। वर्ष 2012-2013 में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2013-2014 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।
- हमारी सरकार के द्वारा इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा के अन्तर्गत समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की एम्बुलेंसों को संचालित करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 988 एम्बुलेन्स संचालित की जा रही हैं जो अपने आप में पूरे देश में एक कीर्तिमान है। दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक इस योजना के अन्तर्गत 1.91 लाख से ज्यादा प्रदेश वासियों को लाभ प्राप्त हो चुका है, जिनमें 01 लाख से भी ज्यादा महिला लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें प्रसूति सम्बन्धी चिकित्सा सेवा उलपब्ध कराई गई है।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा इन्हें प्रबन्धन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिये लखनऊ में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की जायेगी।
- बेसिक शिक्षण संस्थाओं के पेंशनरों की पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से पहली बार 01 जनवरी, 2013 से पूर्ण प्रारम्भ कराया गया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिससे बेसिक शिक्षा के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को बिना किसी असुविधा/विलम्ब के पेंशन का भुगतान उनके खाते में किया जा रहा है।
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशनरों की पेंशन का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा सीधे उनके खाते में किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

आगरा समिट

मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 27 जनवरी से 29 जनवरी, 2013 तक आगरा में ''ग्लोबल पार्टनरशिप समिट, 2013'' आयोजित की गई जिसमें 1,300 से अधिक निवेशकों, उद्यमियों, विदेशी राजदूतों एवं कार्पोरेट जगत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।

इस सम्मेलन में हमारी सरकार द्वारा बनाई गई नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, सौर ऊर्जा नीति, चीनी उद्योग को-जेनरेशन एवं आसवानी प्रोत्साहन नीति तथा पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए कॉमर्शियल लेयर्स एवं ब्रॉयलर्स पैरेन्ट फार्म खोले जाने सम्बन्धी नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया।

इन सभी नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करना है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित होगा जिससे जहां एक ओर हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

- वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये (2,21,201.19 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2012-2013 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संशोधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।

- वर्ष 2013-2014 के बजट में सात हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रुपये (7,787.80 करोड़ रुपये) की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

- अवस्थापना सुविधाओं, यथा-सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये छब्बीस हजार छः सौ इकतालिस करोड़ रुपये (26,641 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2012-2013 से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।

- त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिये 1,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सत्रह हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपये (17,174 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

- शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये बत्तीस हजार आठ सौ छियासी करोड़ रुपये (32,886 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु दस हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रुपये (10,645 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक है।

- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये बीस हजार दो सौ बानवे करोड़ बानवे लाख रुपये (20,292.92 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2013-2014 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

मान्यवर, विभागवार बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं, बजट में सम्मिलित कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा।

किसानों के लिये योजनायें

- गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गई है।
- किसानों के ऋण की माफी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2013-2014 में इस योजना के लिये 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे लगभग 08 लाख किसान ऋणमुक्त होंगे।
- हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रयोजन के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- हमने ग्रामीण किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की वायदा किया था। मैं अत्यन्त हर्ष के साथ इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा 4 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- पूर्वांचल के 27 जनपदों की 2,000 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को किसानों को समय से आवश्यकतानुसार उर्वरक/बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस धनराशि से समितियों द्वारा 1.46 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 46,000 कुन्तल उन्नत बीज का व्यवसाय किया गया है जिससे 7.23 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा लगभग 7.38 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक तथा 2 लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया गया है। इस कार्य हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दस हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गांवों की भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।

- हमारी सरकार के विशेष प्रयासों से ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिये तीन हजार एक सौ सात करोड़ रुपये (3,107 करोड़ रुपये) के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं।
- स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना को अधिक परिणामपरक बनाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

- नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 130 करोड़ रुपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 110 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''नया सवेरा नगर विकास योजना'' के क्रियान्वयन के लिये, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु 900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की व्यवस्था से छः सौ उनसठ करोड़ रुपये (659 करोड़ रुपये) अधिक है।
- पी0पी0सी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 195 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरीय सड़क सुधार की हर नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिये 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 1,683 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1,250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु ''हमारी बेटी उसका कल योजना'' के अन्तर्गत 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना की जायेगी जिसमें कक्षा-6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस हब में आवश्यकता के अनुसार आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण संस्थान आदि की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार

सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग सेवा तथा अन्य सेवाओं के लिये कोचिंग केन्द्रों की स्थापना भी इस हब में की जायेगी। इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये 34 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स के दूर किये जाने के लिये 492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकलांग जन के भरण-पोषण हेतु पेंशन दिये जाने के लिये 317 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी गरीबों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- रिक्शाचालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रुपये अधिक है।
- शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना ''आसरा'' के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लाभार्थी लिये जायेंगे। इस योजना के लिये 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रुपये अधिक है।
- प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग टाईल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की ''राजीव आवास योजना'' हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिलाओं के लिये

- भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने के लिये 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अधिवक्ताओं के लिये

- अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उच्च विकास दर प्राप्त करने की राह में विश्व व्यापी मन्दी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। विकास की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए सार्थक प्रयास द्वारा उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिये सरकार कटिबद्ध है। इस अवधि में 8.5 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है। इसके लिये मूल ढांचागत सुविधाओं के विकास को वरीयता प्रदान की गई है। ऊर्जा एवं सड़कों के त्वरित विकास हेतु कदम उठाये गये हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि की विकास दर 4.9 प्रतिशत रखी गई है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आय में वृद्धि के लिये कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा। किसानों को समय पर खाद एवं बीज मुहैया कराने के साथ ही सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और अपेक्षित विनियोजन जुटाये जाने हेतु निवेश नीति, 2012 बनाई गई है। इस नीति में क्षेत्रीय असन्तुलन को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं।

नेपाल सीमा में लगे प्रदेश के 7 जनपदों के सीमावर्ती विकास खण्डों के समग्र विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

नक्सल प्रभावित तीन जनपदों यथा-मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूंगा।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित है। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अपराधों के पंजीकरण पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है।

हमारी सरकार कानून का राज कायम करने के लिये प्रतिबद्ध है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना पर बल दिया जायेगा और इसके लिये धन की कमी नहीं होने दी जायेगी।

प्रदेश में साइबर अपराधों के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये दो साइबर इकाइयों की स्थापना आगरा एवं लखनऊ में की गई है।

कृषि

वर्ष 2013-2014 में 55.81 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 11.68 लाख कुन्तल एवं रबी के अन्तर्गत 44.13 लाख कुन्तल बीज वितरित किये जाने प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2013-2014 में 108.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 52.50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अन्तर्गत 55.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-2014 में 44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण तथा उनसठ हजार करोड़ रुपये (59,000 करोड़ रुपये) का कृषि ऋण कृषकों को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 771 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट में 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्रों की निर्माण योजना में गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर में 162 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

वर्ष 2013-2014 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो हजार आठ सौ तीस (2,830) हेक्टेयर में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में विभिन्न मसालों यथा हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया के उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का विस्तार कराया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को वर्ष 2013-2014 में चार हजार सात सौ अस्सी (4,780) हेक्टेयर में चलाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये पांच हजार सत्तासी करोड़ रुपये (5,087 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु 1.50 करोड़ रुपये की दर से कुल 756 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड से होने वाली क्षति को रोकने के लिये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्रय करने तथा निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिये प्रावधान किये जा रहे हैं।

दुग्ध विकास

अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के प्रदेश के सबसे बड़े डेरी प्लान्ट की स्थापना कराई जायेगी।

पशुधन

- जनपद आजमगढ़ में एक नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
- प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेण्ट फार्म खोले जाने की नीति को क्रियान्वित किया जायेगा जिससे कुक्कुट उद्योग का प्रदेश में तेजी से विकास हो सके।

मत्स्य

मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु 1.30 लाख समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय के आवास विहीन मछुआ परिवारों को रुपये 50,000 प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान कराई जायेगी।

परती भूमि विकास

ऊसर सुधार परियोजना के तृतीय चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट में 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में उपचार हेतु निर्धारित लक्ष्य 20,000 हेक्टेयर के सापेक्ष इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे (21,793) हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन/वर्गीकरण 359 ग्रामों में किया गया है।

बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु चयनित 2,000 हेक्टेयर के सापेक्ष 15 अदद जल सेमेट क्षेत्रों में दो हजार छः सौ चौवन (2,654) हेक्टेयर का चयन किया गया है।

गन्ना एवं चीनी उद्योग

गन्ना किसानों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं में विस्तार हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 63 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में गन्ना क्रय एवं चीनी विक्रय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के उद्देश्य से ई-टेण्डर एवं ऑन लाइन चीनी विक्रय प्रक्रिया लागू की जायेगी। घटतौली की शिकायत समाप्त करने हेतु सहकारी चीनी मिलों पर इलेक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापित किये जायेंगे।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिये ग्यारह हजार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपये (11.732 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक है।

सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन कर आगामी तीन से पांच वर्षों में उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा लाभ की स्थिति में लाने के लिये एक व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना योजना अनुमोदित की गई है जिसके लिये वर्ष 2013-2014 के बजट में 1,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यों के लिये एक हजार सत्तर करोड़ रुपये (1,070 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावाट है। इसमें 1,500 मेगावाट की वृद्धि का का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में 4,850 मेगावाट उत्पादन क्षमता की परियोजनायें

निर्माणाधीन हैं, जिनसे प्रदेश को 4,580 मेगावॉट विद्युत प्राप्त होगी। संयुक्त क्षेत्र में 3,300 मेगावाट उत्पादन क्षमता की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनसे प्रदेश को 2,191 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी।

नये विद्युत सयंत्रों से विद्युत की निकासी हेतु नये ट्रान्समिशन केन्द्रों तथा ट्रान्समिशन लाइनों की स्थापना कराई जायेगी। विभिन्न क्षमताओं वाले 61 ट्रान्समिशन केन्द्रों तथा 1,837 किलोमीटर ट्रान्समिशन लाइनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 33 के0वी0 क्षमता के 338 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है।

अविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत तीन हजार आठ सौ चौवन (3,854) ग्रामों तथा तीस हजार छः सौ सत्तर (30,670) मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिसकी अनुमानित लागत तीन हजार चार सौ तिरपन करोड़ रुपये (3,453 करोड़ रुपये) है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युत फीडर को अलग करने की 1,500 करोड़ रुपये की योजना पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

सड़क एवं यातायात

सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग के बजट में सात हजार आठ सौ अड़तालिस करोड़ रुपये (7,848 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से एक हजार दो सौ चार करोड़ रुपये (1,204 करोड़ रुपये) अधिक है। इससे उक्त कार्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं के कार्यों के लिये एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (1,877 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु एक हजार एक सौ दस करोड़ रुपये (1,110 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था सम्मिलित है।

जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़े जाने हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें

पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों हेतु 291 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिये 109 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

किसानों की मुफ्त एवं बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हजार इकसठ करोड़ रुपये (7,061 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपये (1,817 करोड़ रुपये) अधिक है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 725 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रि-स्ट्रक्चरिंग परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जा रहा है। जिस हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वॉटर बॉडीज के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रि-स्टोरेशन (आर0आर0आर0) सम्बन्धी परियोजना प्रारम्भ की जा रही है जिस हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रारम्भ में यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी एवं ललितपुर में चलाई जायेगी। इस योजना में वॉटर बॉडीज की क्षमता की पुनर्स्थापना और मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराये जाने से भू-जल स्तर में वृद्धि होगी और कृषि की उपज भी बढ़ेगी जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 3,000 नलकूपों एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 8,000 नलकूपों के कार्य प्रगति पर हैं।

लघु सिंचाई

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है। वर्ष 2013-2014 में विभिन्न योजनाओं के लिये 340 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 8.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा।

निःशुल्क बोरिंग हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 875 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु ''राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी'' के कार्यों के लिये 70 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इन कार्यों के अन्तर्गत कानपुर में सीवरेज नेटवर्क, जाजमऊ स्थित एस0टी0पी0 का अपग्रेडेशन टैनरियों के उत्प्रवाह के शोधन एवं रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट के कार्य कराये जायेंगे।

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रदेश के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है।

लखनऊ नगर के समग्र विकास योजना की तर्ज पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना प्रारम्भ की जा रही है जिस हेतु 250 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी

लखनऊ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा आई0टी0 सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु उद्योग

वर्ष 2012-2013 में माह दिसम्बर, 2012 तक अट्ठाइस हजार पांच सौ पैंसठ (28,565) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें दो हजार एक सौ सत्तर करोड़ रुपये (2,170 करोड़ रुपये) का पूंजी निवेश हुआ है तथा 1.79 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक नये रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-2014 में लगभग 2,500 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 60,000 लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

हथकरघा वस्त्रोद्योग

- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुनकरों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें लगभग 17,000 बुनकरों को लाभ दिया जा रहा है। क्लस्टर योजना में जो हथकरघा बुनकर शामिल नहीं हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने हेतु ''ग्रुप एप्रोच योजना'' के द्वारा 8,000 बुनकरों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये अब तक इस योजनान्तर्गत 1.78 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये हैं।

बेसिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु इक्कीस हजार पांच सौ बीस करोड़ रुपये (21,520 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 9,770 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो रही है। इसके अतिरिक्त 72,825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2013-2014 में सर्वशिक्षा अभियान के लिये दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ रुपये (2,219 करोड़ रुपये) एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ रुपये (1,769 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2,311 नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा 313 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य गतिमान है। असेवित बस्तियां जो किन्हीं कारणों से छूट गई हैं उनमें वर्ष 2013-2014 में नवीन विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दस हजार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण के साथ-साथ बीस हजार विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु कुल दस हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपये (10,367 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना संचालित है। इस योजना के लिये 98 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिये 200 छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।

- जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर तथा जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत सैरपुर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी।
- बक्शी का तालाब, लखनऊ के ग्राम बेहटा के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी।
- जनपद गाजीपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज परिसर में लड़कियों की शिक्षा हेतु सर सैय्यद अहमद खां के नाम पर एक अतिरिक्त राजकीय पुस्तकालय की स्थापना तथा प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार कराया जायेगा। राज्य के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने की योजना क्रियान्वित की जायेगी।

सहशिक्षा/महिला/संकाय की दृष्टि से असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रत्येक मण्डल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज विहीन आगरा मण्डल के जनपद मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जायेगी जिसका कार्य प्रारम्भ करने के लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में पी0पी0पी0 मॉडल पर एक इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में डिग्री स्तर के 2 तकनीकी विश्वविद्यालयों का संविलियन कर पूर्ववत् उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किये जाने तथा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रुड़की की भांति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पांच सौ पन्चानवे करोड़ रुपये (595 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में प्रदेश में 21 नये राजकीय आई0टी0आई0 खोले जायेंगे। जिस हेतु 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान में संचालित राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु 53 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के लिये दो हजार चार सौ बीस करोड़ रुपये (2,420 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।

मेडिकल कालेज गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसका कार्य प्रारम्भ करने के लिये 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही, एम0आर0आई0 की स्थापना के लिये 08 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा। इस कार्य को प्रारम्भ किये जाने हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मेडिकल कालेज कानपुर में न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना के लिये 02 करोड़ रुपये तथा मेडिकल कालेज मेरठ में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन की स्थापना के लिये 08 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों में आई0सी0यू0 की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 25 करोड की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये आठ हजार दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये (8,225 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में 100 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में उपकेन्द्रों के भवन के निर्माण के लिये 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद अलीगढ़ के 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय में क्षमता विस्तार करते हुए इसे 300 शैय्यायुक्त बनाया जायेगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2013-2014 के बजट में दो हजार सात सौ बानवे करोड़ रुपये (2,792 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति मद में एक हजार चार सौ छप्पन करोड़ रुपये (1,456 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु सात सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (777 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से 100 करोड़ रुपये अधिक है।

मान्यता प्राप्त मदरसा/मकतब में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु एक हजार छः सौ पांच करोड़ रुपये (1,605 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट से एक सौ सत्रह करोड़ रुपये (117 करोड़ रुपये) अधिक है।

पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजनान्तर्गत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से 60 करोड़ रुपये अधिक है।

विकलांग कल्याण

विकलांग पेंशन हेतु 317 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनपद औरैया की हीरानगर, कन्नौज की छिबरामऊ एवं इलाहाबाद की मेजा तहसील में सामान्य बच्चों सहित दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये कक्षा-6 से 12 तक की शिक्षा हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। इस कार्य को प्रारम्भ किये जाने हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये दो हजार सात सौ बारह करोड़ रुपये (2,712 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2013-2014 में इस योजना से लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ''स्टेट न्यूट्रीशियन मिशन'' का गठन किया जायेगा।

सबला योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बालकों के उत्थान के लिये 72 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है।

शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में इधर-उधर भटकते हुए, कूड़ा बीनने वाले तथा आश्रयहीन जरूरतमंद बालकों के लिये स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 25 संवासियों की क्षमता वाले आश्रयगृह संचालित हैं।

खेल एवं युवा कल्याण

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये 177 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

झांसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया जायेगा, इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण कराया जायेगा, आगरा में एयरोस्पोर्ट्स प्रारम्भ कराये जायेंगे, अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की स्थापना करायी जायेगी।

- ओलम्पिक पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्पर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये दिये जायेंगे।

- खेल एवं खेल से सम्बन्धित क्रिया-कलापों को बढ़ावा दिये जाने के लिये अनुदान देने की एक नई योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व

कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु 144 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्माणाधीन नवीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट में 476 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 339 करोड़ की व्यवस्था तथा पुराने आवासीय एवं अनावासीय भवनों के मरम्मत हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 113 तहसीलों पर वाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फण्ड के लिये 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन

सरकार ने प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्षाकालीन वृक्षारोपण के साथ ही प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी स्थपित करने का निर्णय लिया है जिसके लिये 11 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पौधशाला प्रबन्ध परियोजना में 8 से 12 फुट ऊंचाई के पौधों को तैयार किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन्य जीवों के प्रति जन संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से सरकार ने लखनऊ व कानपुर स्थित चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है।

पर्यावरण

उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इण्डस्ट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है। नदियों एवं प्रमुख झीलों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदूषणकारी स्रोतों की पहचान हेतु रिमोट सेन्सिंग आधारित अध्ययन कराये जा रहे हैं।

उद्यमियों के उपयोगार्थ टैनरी इण्डस्ट्री स्पेसिफिक डाक्यूमेन्ट तथा फ्लाई ऐश यूटीलाइजेशन संबंधी डाक्यूमेन्ट आई0आई0टी0, कानपुर के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सभी छोटे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट (ई0टी0पी0) की स्थापना अनिवार्य की गई है।

पर्यटन

आगरा में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा के ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण का कार्य कराया जायेगा जिसके लिये 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मथुरा-वृन्दावन-गोवर्धन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए उसका व्यापक सौन्दर्यीकरण कर इन क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायेगा। चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा।

- प्रदेश में पर्यटन एवं शिल्प कलाओं के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा जिसके लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कतरनिया घाट में भी पर्यटन विकास का कार्य कराया जायेगा।

कुशीनगर बुद्ध परिनिर्वाण स्थल में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संस्कृति

प्रदेश में संगीत, साहित्य, क्रीड़ा, ललित कलाएं तथा अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले ख्याति प्राप्त महानुभावों और उत्कृष्ट कलाकारों, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो, को 11 लाख रुपये नकद धनराशि, अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप ''यश भारती सम्मान'' के रूप में दिया जायेगा।

- राजापुर, चित्रकूट में तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना की जायेगी।
- आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- विख्यात समाजसेवी चिंतक जनेश्वर मिश्र की स्मृति में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय की स्थापना इलाहाबाद में की जायेगी।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्रगति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्रीकर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है।

वाणिज्य कर

वर्ष 2013-2014 में वाणिज्य कर से तैंतालिस हजार नौ सौ छत्तीस करोड़ रुपये (43,936 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012-2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

स्टाम्प शुल्क

वर्ष 2013-2014 में स्टाम्प शुल्क से दस हजार पांच सौ पचपन करोड़ रुपये (10,555 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012-2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी

वर्ष 2013-2014 में आबकारी शुल्क से बारह हजार चौरासी करोड़ रुपये (12,084 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2012-2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।)

मोटर वाहन एवं यात्रीकर

वर्ष 2013-2014 में मोटर वाहन एवं यात्रीकर से तीन हजार सात सौ तेरह करोड़ रुपये (3,713 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2012-2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

- वर्ष 2013-2014 में दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उन्नीस करोड़ बयासी लाख रुपये (2,15,919.82 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में एक लाख सतहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ इक्कीस लाख रुपये (1,77,748.21 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा अड़तालीस हजार एक सौ इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख रुपये (38,171.61 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2013-2014 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख चालीस हजार छः सौ इक्यावन करोड़ रुपये (1,40,651 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश अड़सठ हजार चार सौ अट्ठावन करोड़ रुपये (68,458 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- वर्ष 2013-2014 में कुल व्यय दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड उन्नीस लाख रुपये (2,21,201.19 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ बानवे करोड़ बीस लाख रुपये (1,67,892.20 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरपन हजार तीन सौ आठ करोड़ निन्यानवे लाख रुपये (53,308.99 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।

- वर्ष 2013-2014 के बजट में सड़सठ हजार सोलह करोड़ तिरपन लाख रुपये (67,016.53 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2013-2014 में नौ हजार आठ सौ छप्पन करोड़ एक लाख रुपये (9,856.01 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में तेईस हजार नौ सौ तेरह करोड़ उन्तीस लाख रुपये (23,913. 29 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2013-2014 में घाटा पांच हजार दो सौ इक्यासी करोड़ सैंतीस लाख रुपये (5,281.37 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2013-2014 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये तीन हजार पांस सौ पचास करोड़ रुपये (3,550 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2013-2014 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम एक हजार सात सौ इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख रुपये (1,731.37 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2013-2014 में प्रारम्भिक शेष दो हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ नब्बे लाख रुपये (2,957.90 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष एक हजार दो सौ छब्बीस करोड़ तिरपन लाख रुपये (1,226.53 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री आनन्द मिश्र और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकर, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसान, युवा वर्ग, बेरोजगार, बालिकायें एवं महिलायें, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोग भी जीवन

और भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकें और एक नई ऊर्जा के साथ स्वयं तथा समाज की उन्नति के लिये कृत संकल्प होकर विकास के एक नये युग का सृजन कर सकें। मैं प्रदेश के हर वर्ग/समुदाय का आह्वान करता हूं कि आइये हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करें।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2013-2014 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं, कुछ ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत लम्बा भाषण था। काफी विस्तार से था लेकिन एक जानकारी मुझे दे दीजिए पेज नम्बर पांच पर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आपने लक्ष्य रखा है 2,100 गांवों का लेकिन पैसा कहां है ? क्योंकि पहले जो आपने लक्ष्य रखा था उसमें 720 करोड़ का प्राविधान आपने किया था पिछले वर्ष। इस साल एक पैसे का नहीं गांव की संख्या भी बढ़ा दी आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कह लें लेकिन यह बात आपको कहने के लिए बजट भाषण में पूरा अवसर मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

अगर कोई बात सामने आ जाए तो उसमें बुराई नहीं है। पेज नम्बर पांच का हमने बता दिया कि एक पैसे का प्राविधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपने अपनी बात कह ली।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तो खड़ा नहीं होना चाहता था। आपने ही खड़ा किया।

[12.1 बजे] नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट भाषण के समय सदन त्याग करने के बावजूद कटौती रखने का औचित्य विषयक व्यवस्था का प्रश्न

*श्री इकबाल महमूद-

अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने वाक आउट किया तो क्या इनको बजट के ऊपर कटौती का प्रस्ताव लाने का हक है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो मौर्य जी भाषण करेंगे आप क्यों चिन्तित हैं ? यह कोई व्यवस्था नहीं है। वह होशियार हैं वहीं बैठकर सुन रहे होंगे। बस यहां नहीं रहे।

[12.00 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-2-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर की विधान सभा सैदपुर में विभिन्न जनसुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सी0टी0स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा से गोवर्धन जाने वाले निर्माणाधीन जर्जर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बी0ओ0वी0 तकनीक के माध्यम से शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सुचना श्री राम मगन रावत की जनपद बाराबंकी जिला पंचायत सेवा नियमावली के प्राविधानों को उपेक्षित करते हुए नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर में स्थित गोपाल जी डेरी से हो रहे प्रदूषण की जांच कराये जाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की कतिपय नहरों में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की बरेली कालेज रोड स्थित पुराना रोडवेज बस स्टेशन को शहर के बीच से हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश के सरकारी क्रय केन्द्रों में फैली अनियमितताओं के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भंवरकी के पास सेजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम-सोहरैना से मदनपुर तक 11000 लाइन पर 9 कि0मी0 की विद्युत आपूर्ति केवल दो फेज के द्वारा होने के सम्बन्ध में है।

(श्री राम चन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

तेरहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा स्थित आंवलखेड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की जनपद महोबा में फैली विद्युत अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर नगर के कतिपय मार्गों का निर्माण, जल निकासी सहित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री राम चन्द्र यादव उपस्थित नहीं हैं अतः उनकी जगह श्री बाला प्रसाद अवस्थी की सूचना को लिया जाता है।

जनपद गाजीपुर की विधान सभा सैदपुर में विभिन्न जनसुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, सादर निवेदन के साथ आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने विधान सभा 374 सैदपुर जनपद गाजीपुर के लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में पानी का सतह दिनो दिन नीचे होता चला जा रहा है। जिससे खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल की सिंचाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की परेशानियो को दृष्टिगत रखते हुए नदी में अगर बन्धा बनवा दिया जाये तो पानी का सतह भी बना रहेगा और किसान अपने फसलों की सिंचाई भी कर सकेगा।

1-विकास खण्ड देवकली में पहाड़पुर ग्राम सभा के सामने (गांगी नदी)

2-विकास खण्ड सैदपुर में अमुआर ग्राम सभा के सामने (गांगी नदी)

3-विकास खण्ड सैदपुर में कोटसा ग्राम सभा के सामने (एकौझी नदी)

मान्यवर, मेरे विधान सभा में सैदपुर नगर पंचायत (टाऊन) का फीडर अलग किया जाये जिससे नगर पंचायत के लोग अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकें।

मान्यवर, मेरे विधान सभा का सबसे गंभीर प्रश्न है कि गाजीपुर से सैदपुर के बीच कोई जनप्रतिनिधि व अधिकारी को रुकने के लिए अतिथि गृह नहीं है। एक अतिथि गृह पहाड़पुर चौराहा पर निर्माण कराया जाये जिससे आने-जाने वाले जनप्रतिनिधि व अधिकारी को ठहरने का स्थान मिल सके।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में एक सरकारी शीतगृह (कोल्ड स्टोर) सैदपुर जो 12 वर्ष से बन्द पड़ा है इसे तत्काल चालू कराया जाय जिससे किसानों का फायदा हो तथा विधान सभा का विकास हो सके।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम सुन्दर नगर (पैना खुर्द) से दौलतपुर, काजीपुर सम्पर्क मार्ग से ग्रामवासियों को कच्ची सड़क की वजह से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। कच्ची सड़क होने की वजह से बरसात में कई जगह पर गहरा जल भराव हो जाता है जिस कारण राहगीर उसमें गिर कर चोट खा चुके हैं।

अतः इस कष्ट के निस्तारण हेतु ग्राम की उत्तर दिशा में श्रीपाल के बाग से पश्चिम दिशा को अवतार सिंह, ध्यान सिंह, बलवीर सिंह के झाले से होते हुए दौलतपुर पुलिया से मुख्य मार्ग तक एक पक्की सड़क बनना जनहित में आवश्यक है। साथ ही रौजा से रामापुर, वरकतपुर का मार्ग जो कच्चा है, 1.00 किमी0 लेपन स्तर तक बनना भी आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों मार्ग जो कच्चे हैं को लेपन स्तर तक बनवाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद एन0एच0-2 के किनारे बसा हुआ एक औद्योगिक जिला है जिसमें कि लाखों की संख्या में नागरिक मेहनतकश गरीब मजदूर कार्य करते हैं।

प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने एवं तीव्र औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु यातायात की अत्यन्त सघन गतिविधियों के होने के कारण जनपद में दुर्घटनाओं एवं एक्सीडेंट के मामले पूरे प्रदेश भर के सापेक्ष काफी अधिक होते हैं। जिला अस्पताल में गम्भीर रूप से घायलों को जांच के लिए सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 के अभाव में आगरा के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसमें कि अधिकांश पीड़ित रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

यदि कुछ भाग्यशाली बच भी जाते हैं तो वे प्राइवेट नर्सिंग होमों के शिकंजे में फंस कर सारी जिंदगी के लिए कर्जदार हो जाते हैं।

महोदय, लोकहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए जिला अस्पताल फिरोजाबाद में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की स्थापना की मांग करता हूं।]

मथुरा से गोवर्धन जाने वाले निर्माणाधीन जर्जर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बी0ओ0वी0 तकनीक के माध्यम से शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को गोवर्धन मथुरा-वृन्दावन के विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें मथुरा से गोवर्धन जाने वाले सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित हुआ था किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक इन सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। मथुरा से गोवर्धन जाने वाला मुख्य मार्ग अब तक अधूरा है। यह सड़क नेशनल हाईवे-2 से जाती है। मथुरा से गोवर्धन जाने वाले इस मार्ग के दोनों तरफ नाले नहीं हैं तथा लगभग 30 कालोनियां इस पर बसी हैं। सड़क के दोनों तरफ कुछ प्राइवेट सर्विस स्टेशन हैं जिनका जल निकास सड़क पर ही है,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इससे 2.00 कि0मी0 की एकदम खराब है, उसमें कई जगह गड्ढ़े हो गये हैं। इसके दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित है इससे केवल श्रद्धालु ही नहीं गोवर्धन रास्ते से जाने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। मा0 मुख्य मंत्री जी की उक्त बैठक में यह तय हुआ था कि इस सड़क को 04 लेन की सड़क बी0ओ0वी0 तकनीक से बनायी जायेगी। इसे प्राथमिकता के आधार पर दोनों तरफ 02.00 कि0मी0 लम्बाई की सड़क को ऊंचा करके तथा शेष 18 कि0मी0 सड़क के बी0एम0एस0डी0बी0सी0 तकनीक से निर्मित किया जायेगा, किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः मथुरा से गोवर्धन जाने वाली लम्बाई 02.00 कि0मी0 की खराब सड़क नाले सहित व शेष 18.00 कि0मी0 सड़क 04 लेन को, प्राथमिकता के आधार पर बी0ओ0वी0 तकनीक से तत्काल कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को आवश्यक निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी जिला पंचायत सेवा नियमावली के प्राविधानों को उपेक्षित करते हुए नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन-

[मान्यवर, कृपया निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कृपा करे।

1-यह कि क्या जिला पंचायत बाराबंकी में लिपिक वर्गीय ज्येष्ठता सूची का निर्धारण दिनांक 24-08-2012 को किया गया है ? यदि हां तो क्या उक्त सूची जिला पंचायत सेवा नियमावली की धारा 14 में दिये गये प्राविधानों एवं इसके उपबन्धों का पालन करते हुए ही तैयार की गयी है ? तथा इस ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2 पर अंकित कर्मचारी के कनिष्ठतम होते हुए भी जिस नियम लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2006 के प्रस्तर-19 के स्पष्टीकरण-3 (क) का सहारा लेकर उसे वरिष्ठ माना गया है तो क्या वह नियम जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू है अथवा नहीं ?

2-यह कि क्या जिला पंचायत बाराबंकी में दिनांक 27-08-2012 को जिस ज्येठता सूची के आधार पर अत्यन्त कनिष्ठ कर्मचारी की अनुभागीय मुख्य लिपिक पद पर पदोन्नति की गयी है, वह जिला पंचायत सेवा नियमावली के प्राविधानों को पूरा करते हुए ही की गयी है और यदि यह पदोन्नति नियम विरुद्ध है। तो क्या उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की महती कृपा करें।]

जनपद बुलन्दशहर में स्थित गोपाल जी डेरी से हो रहे प्रदूषण की जांच कराये जाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद-बुलन्दशहर में गढ़, स्याना से लेकर नरौरा तक के गंगा क्षेत्र में जलीय जीव डालफिन पायी जाती है। इनकी संख्या प्रदूषित पानी से एकदम कम होती जा रही है तथा पर्यावरण संकट बना हुआ है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम नहीं उठाये जाने से खतरा उत्पन्न हो गया है। विधान सभा क्षेत्र-स्याना में ही अवस्थित गोपाल जी डेरी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसका प्रदूषित कचरा एवं पानी गंगा नदी में सीधे मिलाया जा रहा है। इस प्रदूषित पानी से जहां गंगा नदी के पानी में रह रहे जीवों के लिए खतरा है वहीं पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लोग गंगा का जल पीते हैं, दैनिक प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इस प्रदूषित पानी से उन्हें चर्मरोग, कैंसर आदि की बीमारियां पकड़ रही हैं। इससे जहां गंगा प्रदूषित हो रही है वहीं ग्राउण्ड वाटर भी दूषित हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उक्त डेरी से निकलने वाले कचरे की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर शासन इसकी जांच कराये तथा गोपाल जी डेरी-स्याना द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाकर दोषी को दण्डित किया जाय। राष्ट्रीय जलीय जीव डालफिन को बचाने के लिए शासन इस पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की कतिपय नहरों में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत नहर पर पुलिया न होने के कारण आवागमन बाधित है। क्षेत्रीय लोगों को 2-3 कि0मी0 की दूरी तय करके जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाईयों को सामना करता पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है। जो पुलिया इस प्रकार है।

1-ग्राम नगला बसुआ आगरा नहर रजबा मलपुरा वाली नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य,

2-ग्राम ठाकुरदास की घड़ी आगरा नहर रजबा रोहता वाली नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुलियाओं का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

बरेली कालेज रोड स्थित 'पुराना रोडवेज' बस-स्टेशन को शहर के बीच से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर, बरेली कालेज रोड स्थित 'पुराना रोडवेज बस स्टेशन' बरेलीवासियों के लिए लम्बे समय से समस्या का करण बना हुआ है। शहर के बीच में होने के कारण सरकारी बसों के आवागमन से प्रायः यातायात बाधित रहता है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। 'पुराना रोडवेज बस स्टेशन' को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग जागरूक नागरिकों द्वारा पिछले कई वर्षो से उठाई जा रही है।

वर्तमान में जहां उक्त बस स्टेशन स्थित है, उसकी परिधि में ऐतिहासिक 'बरेली कालेज' सहित बालक-बालिकाओं के लगभग 7-8 विद्यालय हैं और प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार छात्र-छात्राओं का आवागमन भी उसी मार्ग से होता है। बस स्टेशन के पास लगने वाले भारी जाम के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चलते आम-जनता तो परेशान होती ही है, परिवहन निगम की बसें भी घण्टों जाम में फंसी रहती हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के कारण वातावरण विषाक्त रहता है। इन परिस्थितियों में उक्त बस स्टेशन को हटाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। सुविधा की दृष्टि से पुराना रोडवेज बस स्टेशन को शाहजहांपुर रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप में उपलब्ध पर्याप्त स्थान में स्थानान्तरित किया जा सकता है, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक भी रहेगी। रिक्त कराये गये स्थान पर आवासीय कालोनी, शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण या अन्य कार्य कराये जा सकते हैं।

अतः व्यापक लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के सरकारी क्रय केन्द्र में फैली अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि समर्थन मूल्य पर कृषकों का उत्पादन करने वाली समस्त शाखाओं की उदासीनता के परिणामस्वरूप विगत 2012 में रबी की फसल का गेहूं आढ़तियों से क्रय करवाया गया। बाजार मूल्य गेहूं के समर्थन मूल्य से अधिक हो जाने पर किसी भी आढ़ती ने गेहूं सरकारी गोदामों में जमा नहीं किया और सरकार से कमीशन भी प्राप्त कर लिया। पुनः खरीफ की फसल में धान क्रय किए जाने से पहले तो क्रय शाखाओं ने अपने-अपने क्रय केन्द्र स्थापित करने से विलम्ब किया और तत्पश्चात धान में नमी बताकर कृषकों का धान क्रय नहीं किया। परिणामतः कृषकों को अपना धान औने-पौने मूल्य पर बिचौलियों को बेचना पड़ा। खरीद क्रय लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी क्रय शाखाओं ने आढ़तियों एवं धान मिल स्वामियों का धान कृषकों का दर्शाकर क्रय किया फिर भी लक्ष्य से आधा धान भी क्रय नहीं किया जा सका। वह धान भी नमी एवं गुणवत्ता विहीन क्रय किया गया। धान मिल स्वामियों को धान क्रय करके दिया जाना तो दर्शाया गया परन्तु यथार्थ में धान क्रय करके नहीं दिया अपितु स्वयं आढ़तियों एवं मिल स्वामियों ने औने-पौने मूल्य पर कृषकों से धान क्रय किया और कृषकों का क्रीत धान दर्शाकर क्रय शाखाओं से भुगतान प्राप्त कर लिया और धान मिल स्वामियों ने अब तक कस्टम चावल भी गोदामों में जमा नहीं किया है। इस सब घोटालों में जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की योजना एवं संस्कृति है। इनके कार्यालय का कोई भी कर्मचारी एवं स्वयं अधिकारी भी अनुपस्थित रहते हैं और घोटाले को योजनाबद्ध करने में लिप्त रहते हैं। इसलिए कृषकों को उनके उत्पादन का समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सम्बन्धित घोटाले का भण्डाफोड़ कर कड़ी से कड़ी कार्यवाहियां की जायें।

अतः नियम-56 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने कृपा की जाय।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भंवरकी के पास सेजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मा0, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम-भंवरकी के पास सेजनी नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को होने वाली परेशानी की

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को ब्लाक, तहसील व जनपद मुख्यालय पर जाने में आये दिन बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के दिनों में इस क्षेत्र के लगभग पचासों गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इस नदी पर पुल बनाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। इस नदी पर पुल बनाने के लिये अक्सर जनता द्वारा धरने व प्रदर्शन होते रहते हैं। इस नदी पर पुल न बनने के कारण बरसात में अक्सर नदी पार करने में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस पुल के न बनने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम-सोहरौना से मदनपुर तक 11000 लाइन पर 9 कि0मी0 की विद्युत आपूर्ति केवल दो फेज के द्वारा होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दूबे-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर अन्तर्गत 329 विधान सभा खड्डा के ग्राम सोहरौना से ग्राम मदनपुर तक 9 कि0मी0 की विद्युत आपूर्ति मात्र दो फेज तार से हो रही है। जिसके कारण उक्त क्षेत्र के आधा दर्जन गांव जैसे-सिसवां गोपाल, सारंग छपरा, सोहरौना, मदनपुर के सैकड़ों उपभोक्ताओं को लो बोल्टेज की दिक्कत उठाना पड़ता है एवं आये दिन लोकल खराबी होते रहते हैं। दो फेज के जगह तीन फेज वाले उक्त 9 कि0मी0 तार के द्वारा 11000 लाइन की विद्युत आपूर्ति जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा स्थित आंवलखेड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय, विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के विकास खण्ड खदौली में आंवलखेड़ा गांव युग ऋषि गायत्री प्रवर्तक श्री राम शर्मा जी की जन्म स्थली के साथ तपोभूमि भी है। श्री माता गायत्री के लाखों करोड़ों भक्त एवं साधक विश्व के अनेकों देशों में फैले हुए हैं। आज आंवलखेड़ा का गायत्री शक्ति पीठ एक पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है किन्तु समुचित सुविधायें न होने के कारण दूर देशों से आने वाले भक्त/पर्यटकों के मन में एक टीस घर कर जाती है। गायत्री शक्ति पीठ आगरा-जलेसर रोड पर स्थापित है, यदि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महोबा में फैली विद्युत अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महोबा में विद्युत व्यवस्था काफी खराब है। मात्र 10 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है श्रीनगर क्षेत्र का बड़ा ट्रांसफार्मर फुक जाने से लगभग 60 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बन्द है क्षेत्र के अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब हैं जो नये ट्रांसफार्मर आते हैं बेहद घटिया हैं लगते ही पुनः खराब हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर उपभोक्ताओं से बिजली कर्मी एवं ठेकेदार अवैध धन की उगाही करते हैं। क्षेत्र से बिजली के ढीले तारों से अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं हाईटेंशन लाइनें आवासीय क्षेत्र से हटाये जाने की अनेक बार मांग हो चुकी हैं, क्षेत्र के अधिकांश दलित बाहुल्य ग्रामीण बस्तियों में छोटे मजरों, डेरों में विद्युतीकरण नहीं है मान्यवर, काशीराम आवासों की बिजली काट दी गयी हैं गरीब लोगों को बिजली के भारी भरकम बिल थमा दिये गये। बिल ठीक करवाने के नाम पर क्षेत्र में अवैध वसूली की शिकायतें हैं। विधान सभा क्षेत्र का दौरा करने पर मुझे स्वयं ऐसी अनेक शिकायतें मिली क्षेत्र की बदहाल भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी नाराजगी है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर के कतिपय मार्गो का निर्माण जल निकासी सहित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय, कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में न्यू आजादनगर, देहली सुजानपुर, सतबरी रोड, कोयला नगर, मंगला बिहार प्रथम, मंगला बिहार द्वितीय, गदियाना, पी0ए0सी0 लाइन, भवानी नगर, के0डी0ए0 कालोनी, सी0ओ0डी0 कालोनी, गिरजा नगर, टटिया झड़ाका, भगवन्तनगर टटिया, कर्मचारी नगर, रामपुर, न्योरा गांव के मार्ग कच्चे होने के कारण जल भराव भी अत्याधिक होता है जिसके कारण इस क्षेत्र के नागरिकों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। इन क्षेत्रों के निवासियों को मार्ग कच्चा होने एवं जल भराव के कारण बड़े-बड़े गड़ढे से होकर गुजरना पड़ता है, लोग गड़ढों में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। जनहित में उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों के मार्गो का निर्माण जल निकासी सहित कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां में रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां के अन्तर्गत ग्राम पिपरोला कुंवरपुर के छोछा में रपटा पुल न होने के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण किसानों को गन्ना खेत से निकालने में काफी कठिनाई होती है। किसानों को गन्ना फसल को कम पैसे में ही बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिसके कारण किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। क्षेत्रीय जनता एवं किसानों द्वारा वहां पर रपटा पुल बनाये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक रपटा पुल बनाये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त स्थान पर रपटा पुल के निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

[12.04 बजे] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 की प्रति की मांग

श्री हुकुम सिंह-

यह अधिनियम बन गया उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो इसकी कापी तो मिल जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

यह तो घोषणा है। इसकी कापी कहां दी जाती है ?

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है वह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम जल्दी ही इसी सत्र में उसकी कापी सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप कहां से ढूंढ़-ढूंढ़ कर लाकर बैठे रहते हैं। अब मद संख्या-3 में कुछ नहीं, मद संख्या-4 में कुछ नहीं, मद संख्या-5 में कुछ नहीं, मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

[12.05 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(मद संख्या-7 पर माननीय सदस्य श्री राधेश्याम सिंह का नाम पुकारे जाने तथा माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

श्री राधेश्याम सिंह जी उपस्थित नहीं हैं ?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मान्यवर।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इससे हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी ?

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, शिवाकांत ओझा जी धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे, इनको अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप रखिये।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिभाषण हम धन्यवाद प्रस्ताव की शुरूआत करना चाहते हैं। मान्यवर, अभी जनवरी महीने में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस विधान मण्डल में हुआ था। उत्तर शती जयन्ती समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी आये थे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव तो रखा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप एक लाइन पढ़ दें। महाना जी ठीक कह रहे हैं।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 14 फरवरी, 2013 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सम्वेत् दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए जो सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है, उसका मैं पूरी तरह समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जनवरी के प्रथम सप्ताह में यही मण्डप है, यही भवन है, जहां इसके 125 वर्ष पूरा होने पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने भी सम्बोधित किया था उत्तरशती समारोह में। बहुत से लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं उस समय यह संकल्प लिया गया था माननीय राष्ट्रपति के सम्बोधन के बीच में यह बात आई थी कि हम विधान सभा, विधान मण्डल के सदस्य इसकी गरिमा को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे और सदन की कार्यवाही को लोकतांत्रिक प्रणाली से चलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ। मुझे यह कहते हुए कष्ट होता है और सम्भवतः लोकतांत्रिक परम्परा के भीतर जितने भी देश संसदीय लोकतंत्र के हैं वहां पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शायद जितने विपक्ष के लोगों ने जो किया क्या यह उत्तरशती के साथ मजाक नहीं है ? क्या यह महामहिम राष्ट्रपति के सामने लिये गये संकल्प की हम लोग अवहेलना नहीं कर रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र के लिये मर्यादित आचरण है हमारा ? जो हम और आप कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो संकल्प हमारे सामने रखा था हमें उसकी अवहेलना जाने अनजाने जरूर की है। यह हमारी अपनी गरिमा, हमारे अपने विधान मण्डल की संसदीय परम्पराओं के भी विपरीत है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। हमने एक महाकुम्भ का आयोजन किया और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और बधाई देना चाहता हूं कुम्भ का आयोजन करने वाले मंत्री, मोहम्मद आजम खां साहब को, पूरे शासन प्रशासन के लोगों को देना चाहता हूं। (विपक्ष की तरफ से शेम शेम की आवाजें, श्रृद्धांजलि देना चाहिए जो लोग वहां पर मारे गये) श्रृद्धांजलि तो उन लोगों को देनी चाहिए जो केन्द्र श्रृद्धांजली तो उन लोगों को देनी चाहिए जो केन्द्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। जो इस बात को जानते थे कि एक करोड़ नहीं बहुत से ऐसे विकसित राष्ट्र हैं वहां पर तीन करोड़ आबादी नहीं है। आस्ट्रेलिया की आबादी हमसे कम है। तीन करोड़ से अधिक लोग एक सीमित क्षेत्र के भीतर एक बड़े मेले के आयोजन के भीतर आए थे जितनी बहुत से राष्ट्रों की आबादी भी नहीं है। केन्द्र में बैठी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, रेलवे का पूरा इंतजाम नहीं किया, रेलवे की पूरी अव्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने जो इंतजाम किया इसके लिए वह बधाई पात्र हैं।

(शोर)

मैं कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पांच पीढ़ियों से मेरा परिवार माघ मेले में, कुम्भ के आयोजन में, सम्मिलित होता रहा है। हम बगल के जिले के रहने वाले हैं पांच पीढ़ी से हम कुम्भ के मेले में सम्मिलित होते रहे हैं और अब हमारी पीछे की पीढ़ी सम्मिलित हो रही है। मा0 अध्यक्ष जी हमने एक कुम्भ नहीं दो-तीन कुम्भ देखे हैं, अर्धकुम्भ देखे हैं। लेकिन इतना अच्छा, इतना नियंत्रित, इतना अच्छा संयोजन आज तक किसी ने नहीं किया।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

बहुत से लोग मान्यवर, इस बात के चश्मदीद गवाह होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि माघ कुम्भ मेले में एक-एक कुटी के सामने, एक-एक टैन्ट के सामने गैस एजेन्सी के लोग सिलेन्डर लेकर घूमा करते थे कि जिसको जरूरत हो वह सिलेन्डर ले ले, जिसको मिट्टी के तेल की जरूरत हो वह मिट्टी का तेल ले ले। मैं आजम खां को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि इतनी चुस्त-दुरूस्त व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था शायद पहले कभी कुम्भ के इतिहास में नहीं हुई होगी। मान्यवर, कौन दोषी है इसका, जो मर गए, जो शहीद हो गए, मान्यवर, जो कुम्भ के स्थान पर मर जाते हैं वह शहीद होकर ब्रह्मलीन हो जाया करते हैं। जो उस मेले में जाते हैं वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य के लिए जाते हैं, तो वह ब्रह्मलीन हो गए, हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको श्रद्धान्जली भी देते हैं। लेकिन मान्यवर, यह विचार करने का समय है यह राजनीति करने का सवाल नहीं है। सवाल है कि किसने उपेक्षा की, किसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी ? कौन अपनी जिम्मेदारी से मुकरा ? जिम्मेदारी से मुकरने वाला कौन है ? इस पर चर्चा होनी चाहिए ? हमारी सरकार ने जो दुर्घटना घटी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए जो ब्रह्मलीन हो गए उनको सात-सात लाख रुपये और जो लोग घायल हो गए उनको दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की। केन्द्र में बैठी सरकार ने क्या किया ? घटना कहां हुई दुर्घटना कहां हुई ? उसका जिम्मेदार कौन था ? केन्द्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी, रेलवे बोर्ड में बैठे लोग उसके

जिम्मेदार थे ? केन्द्र सरकार को उस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत किया था।....

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

जनहित में हमने और हमारी सरकार ने उसको करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग व्यवधान उत्पन्न न करें।

(मा0 रीता जोशी जी के बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 जोशी जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप खड़े होकर बोलिएगा। आप इतनी सीनियर मेम्बर हैं। आपको अवसर मिलेगा तो पूरा जवाब दीजिएगा।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने माघ मेले का कुम्भ का आयोजन किया। दुर्घटना घटी जरूर, लेकिन पूरी सफलता से पूरी क्षमता से, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी सख्ती के साथ करे, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जहां तीन करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं उसको जिस तरह से चुस्त-दुरुस्त रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरी सरकार ने नहीं किया है।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थप-थपाई)

मान्यवर, हमारी सरकार समग्र विकास की तरफ सचेष्ट है। मा0 महामहिम ने कहा है चाहे वह समग्र विकास ग्राम का हो, चाहे शहर का हो, चाहे छात्र का हो, चाहे किसान का हो, चाहे बेटियों का हो, चतुर्मुखी विकास, गरीब से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, छोटे से लेकर सामान्य व्यक्ति तक अनुसूचित से लेकर बड़े तक, अल्पसंख्यक से लेकर बड़े तक, सारे समाज के तबके को हमारी सरकार ने विकसित करने का मौका दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, यह भी हमारी सरकार ने किया है, जो लोग बीपीएल कार्डधारक नहीं हैं, लेकिन जिनकी 36 हजार रुपये से नीचे आमदनी है, उनको भी पूरी तरह निःशुल्क आवास देने की व्यवस्था की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल सूची में नाम नहीं है, पात्रता सूची में नाम नहीं है, लेकिन गरीब हैं, वह गिड़गिड़ाते हैं कि उनके पास आवास नहीं हैं, रहने का स्थान नहीं है, मान्यवर, हमारी सरकार ने उनके इस दुःख को महसूस किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा कि जो ऐसे लोग हैं, जिनका पात्रता सूची में नाम नहीं है, जिनका नाम बीपीएल सूची में भी नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको आवास देने का काम करेंगे, यह काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया है। जिन बेटियों ने हाई स्कूल पास कर लिया है और गरीबी रेखा से नीचे उनका परिवार है, उनको 30 हजार रुपया आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए दिया जा रहा है, उनके विवाह के लिए दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इण्टरमीडिएट जो बेटियां पास कर लेंगी, जिनके परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल सूची में जिनका नाम है, उनको भी 30 हजार रुपये देने का काम किया जा रहा है। जगह-जगह कन्या विद्या धन की चेकों का वितरण किया जा रहा है। हमारी सरकार की उपलब्धि है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है,

ऐसा दूसरी पार्टियों ने नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया है, हमने डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत एक-एक गांव में 36-36 योजनाओं को शामिल करने का काम किया। दूसरी सरकारों ने समग्र विकास के नाम पर किसी ने डा0 अम्बेडकर के नाम पर, किसी ने और किसी नाम पर योजनाएं चलायी, बसपा सरकार ने डा0 अम्बेडकर के नाम पर जिन गांवों का चयन किया था, वह एक विशेष बिरादरी के लोगों के विकास के लिए था, दूसरे समुदाय के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता था लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास के अन्तर्गत जिन गांवों का चयन किया गया है, वहां किसी जाति, बिरादरी, धर्म के आधार पर विकास की बात नहीं की गयी है बल्कि समूचे राजस्व गांव के समग्र विकास का काम किया जा रहा है। मान्यवर, यह काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

जब आपकी बारी आयेगी तो कह लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, आपको भी अवसर मिलेगा।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, नगरीय विकास के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, उसके समुचित विकास के लिए काम कर रही है। वहां नालियां बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्लम एरिया को ठीक करने करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है, व्यवस्था कर रही है। नगरों को, छोटे टाउन को, महानगरों को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनायी है। इसके पहले की सरकार का बड़े-बड़े लोगों की ओर, जो बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते थे उनकी तरफ ध्यान जाता था लेकिन पहली बार हमारी सरकार है जिसने झोपड़ी में रहने वाले लोगों की तरफ, जिनके पास आवास नहीं हैं, उनकी ओर ध्यान दिया है, उनको आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, आदमी-आदमी को खींचता है, कितना दुःखद रहा है, अब कोई गुलामी की व्यवस्था नहीं है, आजाद भारत में, विकासशील भारत के भीतर एक आदमी, दूसरे आदमी को खींचता है। आदमी-आदमी को खींच करके ले जाता है, यह गुलामी का प्रतीक है, एक आदमी का शोषण हो रहा है। डा0 राममनोहर लोहिया जी, इसका विरोध करते थे क्योंकि उनके मन में दर्द था, उनका कहना था कि एक इन्सान, दूसरे इन्सान को खींचने का काम करता है, यह बन्द होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, नेता जी को, जिन्होंने कहा कि यह खींचने का काम बन्द होना चाहिए लेकिन इसके कारण उनका रोजगार समाप्त नहीं होना चाहिए और बैट्री संचालित सौर ऊर्जा संचालित रिक्शों का इन्तजाम करने का काम किया। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की यह पहली सरकार है जिसने इस तरह का काम करने का कम किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना ही नहीं हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े व्यापक पैमाने पर कम्प्यूटर लाने का काम किया है। बेसिक शिक्षा हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। बेसिक शिक्षा का इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेरी जानकारी में देश के किसी भी प्रदेश या दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। पहले यह होता था कि अध्यापक रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाया करते थे, कोषागार से उनका

भुगतान नहीं हो पाता था। उनके फण्ड नहीं मिल पाते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार जनवरी 2013 से बेसिक शिक्षा के शिक्षक-कर्मचारियों को उनका भुगतान कोषागार से करने की बात की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी दो-दो विश्वविद्यालय जिसमें से एक जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में खोला है दूसरा विश्वविद्यालय हमने प्राइवेट सेक्टर में खोला। इसके अलावा जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो असेवित विद्यालय हैं जो ऐडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें हमने नई टेक्नालॉजी देने के लिए हर एडेड और सरकारी विद्यालयों को 10-10 कम्प्यूटर मुहैया करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिससे हमारे प्रदेश के बच्चे भी आई0टी0 और कम्प्यूटर की शिक्षा लेकर दुनिया की दौड़ में सम्मिलित हो सकते हैं। मान्यवर, हमने चुनाव के दौरान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट के बच्चों को टैबलेट और लैपटाप देने का वायदा किया था। मुझे याद है बहुत सारे लोग वायदा करते हैं। वायदा करके मुकर जाना आजकल की राजनीतिक पार्टियों की नीयत हो गयी है। हमारी सरकार ने पहले वायदा पूरा करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। हम अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। हाईस्कूल पास बेटियों को टैबलेट देने का काम बता दो किस प्रदेश के अन्तर्गत हो रहा है। आज तो केन्द्र में बैठी सरकार भी हमारी नकल करने पर आमादा है। वह भी चाहती है कि हम भी चुनाव के समय में घोषणा कर लें उसको पूरा करें या न करें यह उनकी मर्जी है। मुझे याद है जब स्वर्गीय मोरार जी देसाई एक जमाने में देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे। जनता पार्टी की सरकार में। उनसे लोगों ने पूछा कि आपने जनता पार्टी के निर्माण के समय में यह-यह वायदा किया था। मोरार जी देसाई ने उस समय जवाब दिया था कि चुनाव के समय में किये हुए वायदे पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय में जो वायदा किया था, वायदा करके वायदा पूरा करना हमारी सरकार की नीयत है। वायदा करके तोड़ देना इनकी नीयत हुआ करती थी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी चाहे गन्ना किसान का मामला हो, चाहे धान क्रय केन्द्र का मामला हो। मान्यवर, पिछले पांच वर्षो में यूरिया के लिए त्राहि-त्राहि हुआ करती थी, खादों के लिए लोग लाइन लगाया करते थे, लाठियां चला करती थीं। इस बार पहली बार यूरिया खादें सब उपलब्ध थीं। जो जितना चाहता था ले सकता था। धान के क्रय केन्द्र का इन्तजाम पिछली बार से 20 प्रतिशत ज्यादा किया है। हमारी सरकार तो चाहती थी कि धान का और क्रय हो लेकिन केन्द्र में बैठी सरकार के कारण हमको दिक्कत हुयी। मैं नेताजी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लोक सभा के भीतर किसानों की लड़ाई लड़ी। जिन किसानों ने मेहनत मशक्कत से धान पैदा किया है उनके धान को खरीदा जाना चाहिए। उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए लेकिन बड़ी मुश्किल से 5 प्रतिशत घटाकर केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया। आज भी बहुत सारे किसानों के धान नहीं खरीदे गये उसके लिए हम नहीं बल्कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने खेल के क्षेत्र में भी सराहनीय कदम उठाये हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 20-21 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश, इस प्रदेश के भीतर एक भी इण्टरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम नहीं है हमारे पास। कानपुर में था, लेकिन उसकी क्या स्थिति है ? वहां कोई खेल नहीं हो रहे हैं, आज की तारीख में कोई भी देश वहां पर क्रिकेट का मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। कौन था जिम्मेदार कौन है इसके लिए जिम्मेदार ?

हमारी सरकार पहली बार 170 करोड़ रुपये की जमीन उपलब्ध करा रही है, 400 करोड़ रुपये इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और खेल-कूद की व्यवस्था करने के लिए इन्तजाम कर रही है, यह हमारी सरकार ने किया, इसे पिछली सरकार ने नहीं किया था। मा0 अध्यक्ष जी, इस सबके साथ-साथ नौजवानों को बौद्धिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, लेकिन दिन-प्रति-दिन बदलती हुई दुनिया के साथ में हम अपने आप को नहीं जोड़ पाये, उसके साथ कदम से कदम मिला कर के नहीं चल पाये, तो हमारा ख्याल है, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, इसलिए पहली बार लोकनायक जय प्रकाश नारयण के नाम से हम एक ऐसा केन्द्र खोल रहे हैं जहां नौजवानों को आधुनिक शिक्षा, वाद-विवाद परिवाद, संवाद विभिन्न प्रकार की मुहिम चला कर के इस दुनिया के भीतर आने वाले दिनों में चलेंगे, उनके अनुसार उच्च शिक्षा ग्रहण करने का, उनके अनुसार आचरण ग्रहण करने का काम हम पहली बार करने जा रहे हैं। नौजवानों को नई दिशा देने का काम करने जा रहे हैं, मा0 जय प्रकाश नारायण के नाम से। मा0 अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, विपक्ष में बैठे हुए लोग, जो लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की नर्सरी हुआ करती है, पाठशाला हुआ करती है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के भीतर इन्होंने चुनाव रोक दिये। नौजवानों का, छात्रों को लोकतंत्र को पाठशाला में राजनीतिक की शिक्षा ग्रहण करने से रोक दिया था। हमारी सरकार, आई, हमने वादा किया था, चुनाव के भीतर लिंगदोह कमेटी को लागू कर के सारे विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत बड़े-बड़े महाविद्यालयों के भीतर हम चुनाव करायेंगे, हमने चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी और चुनाव हुए उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला को पुर्नजीवित करने का काम हमने किया है, इसलिए इसका श्रेय हमको, हमारी सरकार को जाता है, बाकी लोगों को नहीं जिन्होंने लोकतंत्र की प्राइमरी पाठशाला की हत्या करने का काम किया। पांच साल क्या हुआ ? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय, किस महाविद्यालय के अन्दर चुनाव हुए, जिसने भी चुनाव कराने की मांग की, लाठी खाई, जूता खाया, जेल की हवायें खाई, लेकिन कहा कि चुनाव नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला हम नहीं चलने देंगे, इन लोगों ने उसे कुचला, दबाया। हम लोगों ने उसे फिर से शुरू किया, उसे फिर से जीवित करने का काम किया। मा0 अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने अन्य क्षेत्रों में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, एक बार की बात है समाजवादी जो एम्बुलेन्स सेवा है, मैं स्वयं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था, एक एक्सीडेण्ट हो गया, एक व्यक्ति घायल हो गया, लोगों ने कहा कि टेलीफोन कर दीजिए, एम्बुलेन्स आ कर के इसे ले जायेगी, मान्यवर मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग को भी, पांच मिनट भी नहीं बीते थे, एम्बुलेन्स सेवा आई और लादकर उनको ले गई, यह पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ। हमने इस काम को किया है, हमने त्वरित स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया है। मान्यवर, सब लोग जानते हैं, हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम एडाप्ट किया है, अभी हाल ही में मैं गया था मध्य प्रदेश में यहां भी लोगों ने कहा कि जो आपकी सरकार ने शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम एडाप्ट किया है, यहां भी लागू होना चाहिए। महिलाओं की इज्जत, महिलाओं को आबरू, महिलाओं का मान-सम्मान रखने का काम पहली बार हमारी सरकार ने इस प्रदेश के भीतर सम्मानपूर्वक शुरू किया है, बाकी लोगों ने इस तरफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष-

शान्ति रहिए, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात कहने का।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने और एक और सवाल है जिसका उल्लेख इस सदन में न किया जाए तो शायद हमारा लोकतंत्र आने वाले दिनों में खतरे में पड़ सकता है। मान्यवर, उसका उल्लेख करना जरूरी है और आज मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूं। मैं अपने नेता जी को बधाई देता हूं। इस देश के भीतर नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, इसके हम सब समर्थक हैं, कोई विरोधी नहीं लेकिन प्रमोशन में आरक्षण कब तक चलेगा, यह सवाल था कि नहीं था। वेलफेयर स्टेट, मान्यवर, हमारा वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी सरकार है। सब को न्याय देने का आश्वासन लोकतंत्र के भीतर किया जाता है, सब को बराबरी की समानता देने का अधिकार लोकतंत्र के भीतर और संविधान में हमको अर्जित है। बताइए आप मुझे, कल सब ये लोग बैठे थे, आरक्षण के मुद्दे केवल हमारे नेता, हमारा दल जिसने कहा कि नौकरी में आरक्षण जरूर दो लेकिन प्रमोशन के भीतर नहीं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों को जिन्होंने एक साथ नौकरी में प्रवेश किया था। आरक्षण से आये, बिना आरक्षण के आये, बराबरी के हक पर आये, बराबरी के दर्जे पर खड़े हो गये। योग्यता और क्षमता के हो गए। योग्यता भी ज्यादा, क्षमता भी ज्यादा हो सकती है मान्यवर, लेकिन इसलिए मैं प्रमोशन नहीं पा सकता, इसलिए मैं उच्च पदस्थ नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस जाति, उस बिरादरी विशेष के भीतर नहीं आ पाता। ये कौन सा न्याय है, कौन सी गुणवत्ता स्थापित कर रहे हो। मान्यवर, याद हो आपको कि एरिस्टॉटिल ने कहा था, अरस्तू ने कहा था इस बात को जमाने के भीतर अपनी पॉलिटिक्स पुस्तक के भीतर कि ये डेमोक्रेसी है, अगर इसमें गुणवत्ता समाप्त कर दी जायेगी तो यह माओक्रेसी में बदल जायेगी। क्या आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी माआक्रेसी में बदल जाये। क्या आप चाहते हो कि लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाये। लोकतंत्र जिस दिन भीड़तंत्र में बदल जायेगा, याद रखना मेरे मित्रों, मेरे सम्मानित साथियों जिस दिन लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जायेगा, उस दिन लोक कल्याणकारी राज्य और संसदीय परम्परायें समाप्त हो जायेंगी, लोकतंत्र नहीं रह जायेगा। इसलिये योग्यता और क्षमता की कीमत की जानी चाहिये और इतना ही नहीं, एक अच्छे वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिये, मैं किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी पक्ष की बात नहीं करता। अगर आप एक अच्छा वेलफेयर स्टेट चलाना चाहते हो, सरकार चलाना चाहते हो, सक्षम प्रशासन देना चाहते हो, योग्यता और क्षमता को आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे मा0 अध्यक्ष महोदय, मेडिकल में बहुत सारे मित्र ऐसे आ जाते हैं। पी0एम0टी0 तक तो ठीक है, हायर मेडिकल एजूकेशन के भीतर भी रिजर्वेशन के भीतर आ गये और इनके बहुत सारे नेता लोग जो बैठे हैं, अपना ऑपरेशन उनसे नहीं कराना चाहते हैं। जापान में ऑपरेशन कराना चाहते हैं, जर्मनी में ऑपरेशन कराना चाहते हैं। आपका जब अपने पर पड़ता है तो आप बगले झांक करके लंदन चले जाते हो, जर्मनी चले जाते हो, जापान चले जाते हो, अमेरिका चले जाते हो अपनी दवा कराने के लिये। अरे, झोपड़ी में रहने वाला इंसान, गरीबी में रहने वाला इंसान, बेघर इंसान, किसी तरह से मेहनत-मजदूरी करके जिन्दा रहने वाला इंसान जो अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य के लिये आता है तो

आप कह देते हो कि चले जाओ, उसके भीतर चले जाओ। ये कौन सा न्याय है, कौन सा सम्मान है। अगर सचमुच न्याय चाहते हो, सचमुच चाहते हो सम्मान, सचमुच चाहते हो कि योग्यता के आधार पर लोकतंत्र जिन्दा रहे, ये लोकतंत्र फ्यूडोक्रेसी न बन जाये, भीड़तंत्र न बन जाये, यह लोकतंत्र, लोकतंत्र रहे तो उसके लिये आवश्यक है कि जो सचमुच पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाओ लेकिन एक सीमा पर जाकर योग्यता और क्षमता नहीं रह पायेगी, इसलिये इसको जिन्दा रखना है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं।

(मा0 सदस्य श्री विवेक सिंह जी द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहें, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप बैठिये।

श्री विवेक सिंह-

अभी हमारा भी नम्बर है।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मा0 विवेक सिंह जी, मैं तो चुनौती देता हूं, बड़ी शालीनता और शिष्टता के साथ। डा0 राम मनोहर लोहिया, पण्डित दीन दयाल जी, आचार्य कृपलानी, जय प्रकाश नारायण, ये ऐसी महान विभूतियां इस देश के भीतर पैदा हुयी थीं जो सबके सब लोकतंत्र को रक्षा के लिये, गरीबों के उत्थान के लिये काम करते थे। काम पर बहस करो न आ करके, व्यक्तिगत कड़ुवाहट क्यों पैदा करते हो। विचारधारा की बहस करो न, हम तैयार हैं बहस करने के लिये। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकेला हमारा नेता हमारी पार्टी है। पूरे हिन्दुस्तान के भीतर राज्यसभा, लोकसभा के भीतर, जिसने इस बात को चुनौती देकर यह कहा था कि आरक्षण में प्रमोशन हम नहीं चलने देंगे और मैं बधाई देना चाहता हूं इन लोगों को सुप्रीमकोर्ट में पैरवी करके इन्होंने प्रमोट किया और आज एक बड़े पी0सी0एस0 संवर्ग को आई0ए0एस0 संवर्ग में प्रमोट किया। बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के माध्यम से हमने इसको ठीक किया और हमारा शासन और हमारी व्यवस्था आज अच्छे ढंग से चलने की और पटरी पर आने की तैयारी में है मान्यवर। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमारे यहां अभिभाषण किया है, उस अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात कहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, गंभीरतापूर्वक आप लोग भी विचार करें। इस प्रदेश को हम सब मिलकर चलाना चाहते हैं। हम सब इस प्रदेश के विकास के लिए तत्पर हैं। हम सब इस प्रदेश के सामान्य, गरीब, झोपड़ी में रहने वाले इंसान के उत्थान के लिए तत्पर हैं और अगर हम नहीं कर पाएंगे, तो कही हमारा लोकतंत्र भीड़तंत्र में न बदल जाए, लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने की मर्यादा का हम लोग पालन करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी जल्द ही उत्तरशती रजत जयंती के उपलक्ष्य में, इसके 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो यहां पर संकल्प लिया था, उस संकल्प का हम लोगों को दृढ़तापूर्वक अच्छा लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जरूर पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व वक्ताओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखता हूं। मान्यवर, इस प्रस्ताव में सम्मिलित सरकार की जो योजनाएं हैं, वे योजनाएं अपने आपमें एक समाज को बदलने की इस पिछड़े लोकतंत्र में यह पहला प्रयास है, जिसमें किसी सरकार ने सत्ता को गरीब की तरक्की से जोड़ने का प्रयास किया है। मान्यवर, यह प्रयास हुआ है कि कैसे सत्ता का गरीब की तरक्की का साधन बनाएं और उस प्रयास में जो योजनाएं बनाई गई हैं। वह एक-एक योजना इस समाज को बदलने के लिए एक अनोखा प्रयास दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम शिक्षा के सम्बन्ध में प्रयास से शुरूआत करें तो मान्यवर, जो पहले योजनाएं बना करती थीं किसी भी प्रदेश और देश की प्रगति मे शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और उन शिक्षा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए, उनमें कहीं-न-कहीं, कोई-न-कोई भेदभाव हमेशा सम्मिलित रहा है। मैं यह बात इसलिए कहने पर मजबूर हूं, पहली बार ऐसा प्रयास हुआ कि बेसिक शिक्षा फ्री हुई लेकिन साथ-साथ जो पहले कुछ लोगों को ड्रेस मिलने का काम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार बनी पूरे देश के लिए, जिसने गरीब बच्चों को बिना किसी जातीय भेदभाव के दो ड्रेस देने का इंतजाम करने का प्रयास किया। ड्रेस ही नहीं दी बल्कि बिना भेदभाव के उनको वजीफा मिले और उन सबकी बिना भेदभाव के फीस माफ हो, इसके लिए पहल करने का एक मजबूत प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भ किया। मान्यवर, इस सरकार ने एक अनोखा प्रयास और किया जो देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है बल्कि हिन्दुस्तान की राजनीति करने वाले लोगों का ध्यान इसने मोड़ा है। मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता दुनिया के बहुत से देशों में बंट रहा है और तरक्की पसंद देशों, तरक्की की मिसाल देने वाले देशों के अन्दर भी बेरोजगारी भत्ता बंट रहा है और आज से नहीं बंट रहा है मान्यवर, बल्कि 100 साल पहले से बेरोजगारी भत्ते का प्रबन्ध किया गया, उन सारे अच्छे देशों में, जो प्रगति के देश थे लेकिन हिन्दुस्तान में पहली बार एक ऐसा उदाहरण बना कि हमारी पिछली सरकार बनी। मान्यवर, पिछली सरकार ने हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने ऐलान किया कि हम या तो किसान के बेटे को नौकरी देंगे वरना बेरोजगारी भत्ता देंगे। वह बेरोजगारी भत्ता देने का काम हुआ। मान्यवर, एक मौका ऐसा भी आया जब बेरोजगारी भत्ता छीन लिया गया लेकिन दुबारा एक ऐसा मौका आया जब प्रदेश में सरकार बनी बिना देश की सरकार की मद्द के, अपने संसाधनों से एक बार फिर किसानों के बेरोजगार बेटों को, इस समाज में रहने वाले गरीब तबके से आने वाले लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रबन्ध किया गया। मान्यवर, कन्या विद्या धन योजना, जो आज पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण बनती जा रही है। इसका प्रारम्भ भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। मान्यवर, पिछली बार 20 हजार रुपये मिला करते थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया मा0 अध्यक्ष जी, जब मुख्य मंत्री की कुर्सी पर एक दलित महिला के नाम पर कोई बैठी। मान्यवर, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कन्या विद्या धन योजना चलेगी उस समय परीक्षा चल रही थी और मुलायम सिंह यादव जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सरकार थी, किसानों की बेटियां मन लगाकर पढ़ रहीं थी कि उन्हें कन्या विद्याधन योजना में पैसा मिलेगा। लेकिन उनका रिजल्ट आते-आते सरकार चली गयी और जब इनकी सरकार गठित हुई तो उस सरकार ने आते ही वह कन्या विद्या धन योजना को समाप्त कर दिया। (शर्म-शर्म की आवाजें) उस सरकार ने उन कन्याओं से वह योजना छीनने का काम किया। उन लड़कियों के सपने मर गये। मैं अपने युवा मुख्य मंत्री जी को पुनः बधाई दूंगा कि जैसे ही हमारी पार्टी को सरकार बनाने का पुनः अवसर मिला तो वह कन्या विद्या धन योजना चालू कर दी गयी। हमारी पार्टी के माननीय नेता जी का यह मानना है कि व्यक्ति एक परिवार को चलाता है, परन्तु घर की बेटी एक नारी सदस्य जो होती है, वह एक नहीं दो पीढ़ियों को चलाने का काम करती है और वह उन दो परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आप उसको शिक्षा नहीं देंगें उसकी उपेक्षा करेंगे, तो फिर सर्वसमाज नहीं बन सकता है और समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। मान्यवर, हमारी सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही उस कन्या विद्या धन को न केवल पुनः चालू किया, बल्कि उसकी 20,000/ की धनराशि को बढ़ाकर 30,000/ रुपये करने का भी काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इस योजना के लागू होने से किसानों, मजदूरों, गरीबों की बेटियों में पढ़ने की एक ललक जागी है। मान्यवर, जो अभी विपक्ष के लोग अपना भाषण देंगे वह बताने का काम भी करेंगे कि जब यह योजना ठप की गयी थी तब छात्राओं की संख्या कितनी थी और आज ये योजना जब लागू है तो छात्राओं की संख्या कितनी हो गयी है। उनका वह आंकड़ा देखकर चेहरा शर्म से झुक जायेगा। मान्यवर, आज इस योजना के लागू होने से प्रदेश में शिक्षा का एक माहौल बनने लगा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक योजना और लागू करके पूरे विश्व को अचम्भित कर दिया है और वह योजना है कि हाई स्कूल पास छात्रों को कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए टैबलेट देंगे और इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को लैपटाप देंगे। मान्यवर, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। मान्यवर, हम लोगों के जमाने में डिग्रियों का महत्व होता था, लेकिन आज कम्प्यूटर के जमाने में सारी डिग्रियों की वैल्यू बहुत कम हो गयी है। जीरो हो गयी है। यदि कहीं बाबू की नौकरी निकलती है तो उसमें अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि कम्प्यूटर-टाइपिंग का ज्ञान है ? और यदि एकाउण्टेन्ट का पद है तो पूछा जाता है कि टेली-एकाउण्टिंग का ज्ञान है ? तो यदि अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है तो उसकी सारी एजूकेशन की डिग्रियां जीरो वैल्यू की हो जाती हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने छात्रों को टैबलेट और लैपटाप देने की योजना घोषित की है। मान्यवर, इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, उन गरीब मजदूर किसानों के बच्चों के पास, जो लैपटाप और टैबलेट नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें यह चीजें मिल जायेंगी। मान्यवर, और जब यह गरीब बच्चे कम्प्यूटर का ज्ञान हासिल करके नौकरी के लिए आगे आयेंगे तो फिर वह अन्तर नहीं रह जायेगा कि इस नौकरियों में कोई जागीर का बेटा आगे आयेगा या गरीब किसान का बेटा। मान्यवर, हमारे सामने बैठे हुए साथी हमारी सरकार की योजनाओं का मजाक बना रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जब सरकार कोई अच्छी बात कहती है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और इस तरह का कमेन्ट नहीं करना चाहिए। मान्यवर, पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के आसन पर जो बैठते थे वह कभी किसी की बात नहीं सुनते थे और उसका परिणाम उनके सामने है कि उनकी पार्टी के लोग कहां पर बैठें हैं। अब भी आपको अपने को

बदलना चाहिए दूसरे के कामों की प्रशंसा करेंगे तभी जमाने में जिंदा रहेंगें। मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों को बीमा का लाभ देने का काम किया है। यह काम हमारी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही किया है। मान्यवर, अभी लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की बात कही गयी। मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो अम्बेडकर साहब के नाम पर जो योजना बनी थी उसमें पूरे पांच साल में केवल पांच हजार ग्रामों का ही चयन कर पाये थे, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग छः लाख गांव हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में दस हजार ग्रामों का चयन कर उनको विकसित करने की योजना बनाई है। मान्यवर, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज की बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अनुदान देने की योजना बनाई है ताकि वह बेटियां पढ़-लिख कर आगे आ सकें। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को और अपने सभी माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। एक अनोखी योजना बनाई 30 हजार रुपया हाई स्कूल में, जिससे बेटी आगे पढ़ सके और अपना जीवनयापन कर सके, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान कर सके। मान्यवर, खेल के लिए अभी आपने बजट भाषण देखा, खेल कैसे बढ़े, खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी का प्रदेश और मेडलों में नाम नहीं, आने वाली प्रतिस्पर्धाओं में हमारा कोई हिस्सा नहीं। मान्यवर, चूंकि हमने साधन ही नहीं बनाये। यह पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है किसी नौजवान ने ऐसा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में पहले अच्छे खेल के मैदान तैयार करेंगे और अवसर देंगे अपने खिलाड़ियों को जो देश और दुनिया में अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें और देश के नाम का गौरव बढ़ा सकें, इसके लिए यह प्राविधान किया गया। पढ़ाई हो तो पढ़ाई ठीक कैसे हो 1.5 कि0मी0 पर हाई स्कूल, 7 कि0मी0 में इण्टर कालेज, चिकित्सा स्वास्थ्य, मान्यवर, बड़ी-बड़ी गरीबों की हमदर्दी की बातें कर रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य के नाम पर हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री बने पिछली सरकार में उन्होंने कहा कि हमारा जो चिकित्सा का खर्चा है वह सरकार उठायेगी, मान्यवर, इस बार एक अनोखा काम हो गया कभी गरीब ने सोचा था कि कोई ऐसी सरकार बनेगी कि कोई गरीब गांव में बीमार होगा और 108 नम्बर पर फोन लगायेगा और फ्री में एम्बुलेंस जायेगी। ये मान्यवर, पैसे से एम्बुलेंस का इन्तजाम नहीं कर पाये। यह हिन्दुस्तान की सियासत में पहली बार हुआ कि कोई गरीब बीमार हो और वह एक फोन लगा दे तो फ्री में उस गरीब को मेडिकल तक पहुंचाने का काम हुआ है मान्यवर। इस काम के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों से इनका कोई वास्ता नहीं था। खाद, बीज के लिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। आप सब साक्षी हो पूरा प्रदेश साक्षी है, किसान साक्षी है। मान्यवर, इस सदन में साथियों ने ध्यान आकर्षित कराया था कि मान्यवर, अगर समय पर खाद का भण्डारण नहीं किया गया तो खाद नहीं मिलेगी लेकिन सरकार ने कोई प्राविधान नहीं किया। लेकिन इस सरकार के बनते ही सबसे पहले यह प्राथमिकता थी कि पहले से ही स्टोर कर दिया गया जिला स्तर पर, सोसाइटी स्तर पर और खाद, बीज समय पर मौके पर मिलने का काम हुआ। जिसके कारण जो रिजल्ट आया है, मान्यवर, रिजल्ट आया है कि पूरे 64 साल के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा पैदावार हुई, ऐतिहासिक पैदावार हुई, ऐतिहासिक खरीद हुई मान्यवर, 50.62 लाख मी0टन गेहूं खरीदा गया। मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है। अधिक

पैदावार और अधिक खरीद इस सरकार ने की है जो पिछली सरकार से डेढ़ गुनी ज्यादा है। मान्यवर, यह कोई बात मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं यह रिकार्ड बोल रहा है। इनकी पूरी खरीद 34 लाख मी0 टन थी और इस वर्ष की खरीद है 50.62 लाख मीट्रिक टन। डेढ़ गुना अन्तर है। मान्यवर, किसान की बड़ी मदद सिंचाई से होती है और सिंचाई के लिए बड़ी परेशानी थी। मैं पहले सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया और रिकार्ड 8347 कि0मी0 नहरों की सफाई हुई। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम है। इतनी लम्बी नहरों की सिल्ट सफाई पिछले 15 सालों में लोगों ने मिलकर नहीं की जो इस सरकार ने एक साल के भीतर करने का कदम उठाया है। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण कदम है किसान के लिए सिंचाई पूरी तरह से मुफ्त कर दी गयी, दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त। मान्यवर, किसी तरह से किसान उन्नति कर जाय, किसी तरह से किसान का कर्जा कम हो जाय, किसी तरह से किसान आगे वढ़ जाय इस प्रदेश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। मान्यवर, सिंचाई पूरी तरह से मुफ्त कर दी नहरों से भी और नलकूपों से भी मुफ्त करने का निर्णय ले लिया है। मान्यवर, नलकूप लगाने का काम है पिछली सरकार में इन्होंने 5 साल में कितने नलकूप लगाये हैं यह रिपोर्ट दिखवा लीजिए और एक साल में कितने नलकूप लगाने का प्रबन्ध हुआ है। जिस तरह से किसी तरह से किसान की मदद जाय किसी तरह से खेती करने वाले तरक्की के रास्ते पर चले जायें। इसी तरह से पेंशन का सवाल है मान्यवर, राजलक्ष्मी पेंशन योजना चालू की गयी उसमें 400 रुपये जो अधिकतम है यह 400 रुपये पेंशन किसी प्रदेश में नहीं बंट रही है यह निर्णय लेने का काम इस सरकार ने किया है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं हैं शादी अनुदान के लिए अभी लोग कह रहे थे मान्यवर, उसमें भी कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां विकास के लिए कोई न कोई योजना न बनाई गयी हो। मान्यवर, अभी हमारे साथी और बात कर रहे थे बीमेन पावर लाइन। मान्यवर, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं व्यवस्था कुछ नहीं करते हैं। व्यवस्था कुछ नहीं करते, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आपको परेशान करे, तो आप फोन नं0 डायल करो और उस पर तत्काल कार्यवाही हो, यह एक ऐतिहासिक कदम है। मात्र 15-11-2012 से 27 हजार शिकायतें दर्ज हुयी हैं और उस पर कार्यवाही हुयी है। यह एक अच्छा कदम है और अच्छा प्रयास है। जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन का सवाल हो, लोकतंत्र सेनानियों का सवाल हो, हर क्षेत्र में इस सरकार के द्वारा धनराशि आवंटित की गयी है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप अपना संशोधन प्रस्ताव आज रखेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, संशोधन रख देते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया

जाये। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है। 1-महाकुम्भ इलाहाबाद हादसे के दोषियों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इस समय नेता सदन को सदन में होना चाहिये।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय मौर्य जी ने रखा है, बाकी के प्रस्ताव उसमें जोड़ लिये जायें† और प्रस्ताव को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तो इशारा कर रहा था कि नेता सदन नहीं है और माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये मैं चाह रहा था कि आप प्रस्ताव रख दें, इस बीच वह आ जायेंगे। मौर्य जी, आप प्रस्ताव रख दें और जब वह आ जायें, तब बोलें या आप बोलते रहें, वह आ जायेंगे। जैसा आपकी इच्छा हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं बोल रहा हूं, वह आते रहेंगे।

[2-महाकुम्भ की न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में,

3-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

4-भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

5-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

6-महिलाओं के यौन-शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

7-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, अपहरण-फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

8-ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं पर लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

---

† (शेष संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 118-246 पर।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

12-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

14-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

16-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

17-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

18-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

19-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

20-बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

22-नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

23-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस जमीनी हकीकत में पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,

24-गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने तथा गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

26-किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

27-सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

28-प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

29-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

31-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

33-कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना को पहुंचाने के सम्बन्ध में,

34-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने एवं ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

35-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर आय सीमा 05 लाख रुपये तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

36-किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

37-छात्र यूनियन को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश की वित्तीय कु-व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

39-विधान सभा द्वारा पारित गत बजट को अब तक खर्च न कर पाने के सम्बन्ध में,

40-गरीबों की जमीन व घरों पर हो रहे अवैध कब्जा रोकने के सम्बन्ध में,

41-दंगा रोकने, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

42-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में, तथा

43-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।'']

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरा भी आग्रह यही रहेगा क्योंकि प्रेस कांफ्रेंस है साढ़े 12 बजे से माननीय मुख्य मंत्री जी की। मैनें खुद भी उनसे यही निवेदन किया था कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलें तो वह सदन में रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी तशरीफ ले आयें तब आप बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप बोलेंगे।

(श्री हुकुम सिंह जी द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपसे भी हमारा यही निवेदन है और सभी नेतागण से हमारा यही निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को आ जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, यह परम्परा रही है कि दल के नेता भी जब बोलते हैं तो नेता सदन, सदन में रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तब तक अन्य साथी बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उन्हें आने में कितना समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब यह तो मैं नहीं बता सकता।

श्री हुकुम सिंह-

या तो मान्यवर, ऐसा करें कि जब तक मुख्य मंत्री जी आ जायें, तब तक यह बोलें। ठीक है आप बोलिये।

*श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, सबसे ज्यादा एतराज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को होता था, जब हम लोग वहां होते थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं इन्होंने हमारी बात खुद ही कह दी। इसलिये हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जब मैं वहां होता था तब आप हमारी आवाज भी नहीं निकलने देते थे, आपने गला घोंट दिया था, हमारे शरीर पर बुलडोजर चलाये थे आपने, क्या करेंगे आप, केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, आपने तो लोकतंत्र की लाश को सड़ा दिया था लेकिन हमारे अन्दर यह राजनैतिक और लोकतांत्रिक शराफत मौजूद है और जो कुछ हमने कहा, वह नेकनीयती से कहा और इसलिये नहीं कहा कि हम आप जैसी व्यवस्था कायम करें। हमारी बिल्कुल नेकनीयती थी कि माननीय नेता सदन आ जायें, तब आप बोलें। बिल्कुल हमारी नेकनीयती थी, अगर आपको उस नेकनीयती की कद्र नहीं है तो हम अपने अल्फ़ाज वापस लेते हैं और निवेदन करते हैं माननीय अध्यक्ष जी से कि जिस तरह आप सदन को चलाना चाहें, चलायें और माननीय नेता विरोधी दल जैसा चाहें, उस तरह चलायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं है क्योंकि वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं और उन्हें पूरा ज्ञान है और इसीलिये उन्होनें अपनी तरफ से जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उसका उल्लेख किया और उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ चूंकि जैसा कि अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रेस कांफ्रेंस में हैं, वह अभी आ रहे हैं तब तक मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं और चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं तब तक वह संज्ञान लेते रहेंगे। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जिस दिन प्रस्तुत हो रहा था उस दिन भी हमने उसका प्रतिकार किया था क्योंकि वह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था ही नहीं। महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पुस्तिका, पेज 91 के दूसरे पैराग्राफ में महामहिम राज्यपाल जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है, इसमें उन्होंने कहा कि ''माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है।'' तो मान्यवर, यह भाषण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार का था और इसीलिए हमने उस दिन भी इसे सरकारी दस्तावेज कहा था और आज भी मैं इस सरकारी दस्तावेज कहा ही कह रहा हूं। वाकई में यदि महामहिम राज्यपाल जी का यह अभिभाषण होता तो शायद हम भी इसका स्वागत करते, हम भी धन्यवाद देते। अभी धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया माननीय सदस्य श्री शिवाकान्त ओझा जी ने और समर्थन किया श्री दीप नारायण सिंह जी ने लेकिन मान्यवर, मैं देख रहा था जैसे ही माननीय शिवाकान्त ओझा जी धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए वैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी सदन से बाहर चले गये तो मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं और उनका जाना इस बात का पर्याप्त सबूत है इसलिए मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता। मान्यवर, रही बात हमारे माननीय दोनों विद्वान साथियों ने महाहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो सरकारी दस्तावेज है, उसकी पुष्टि में अपनी बातें भी रखीं, उन्हें रखना भी चाहिए, चूंकि जब सरकारी दस्तावेज है तो उनकी तो रखना भी चाहिए और धन्यवाद देना भी चाहिए। लेकिन मान्यवर, बड़े पैमाने पर संशोधन प्रस्ताव पास किये गये हैं पेज 1 से लेकर 95 तक, यानि बहुत बड़ा उसमें अभाव है, इतने बड़े पैमाने पर आये हुए संशोधन प्रस्ताव इस बात को इंगित करते हैं कि यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत ही आधा अधूरा है, इसमें प्रदेश के हितों का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही साथ उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सरकार ने जो भी कुछ लिख करके दे दिया उसको पढ़ करके उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का केवल निर्वहन किया है। इसलिए मान्यवर, इस धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में और धन्यवाद प्रस्तुत करते वक्त माननीय ओझा जी के भाषण में महाकुम्भ की बात उठी। पहले ही पेज पर उसका उल्लेख है। मान्यवर, महाकुम्भ हादसा बहुत ही दुःखद है। साथ ही साथ यह छिट्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि हादसा हुआ किसके कारण, प्रदेश की सरकार दोषी है या केन्द्र की सरकार दोषी है बल्कि इस गम्भीर हादसे पर दुःख व्यक्त करने के साथ-साथ आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कमी कहां रह गई ? चूक कहां रह गई ? किसे चूक के कारण 39-39 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी ? महाकुम्भ जैसे महान् पर्व पर हादसे में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों ने एक अभिशप्त वातावरण तैयार किया, यह हादसा एक अभिशाप बन करके आया। मान्यवर, हम उस महाकुम्भ पर हुए हादसे पर खेद व्यक्त करने के बजाए, अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाए, आत्मावलोकन करने के बजाए यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न घटे, इसको करने के बजाए हम लीपपोती करके वाहवाही लूटने के चक्कर में हैं। हम समझते हैं कि यह प्रदेश की जनता के साथ ही नहीं देश की जनता के साथ धोखा है। महाकुम्भ में भाग लेने वाले केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के लोग थे। हम यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तीन करोड़ से ज्यादा भीड़ आनी है। कुम्भ मेला प्रभारी के रूप में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, जब-जब कभी भाषण दिया इस हाउस के अन्दर वह हमेशा इस बात को कहते रहे कि अपार भीड़ आ रही है, तीन करोड़ की भीड़ वह खुद कहते थे। इसका मतलब यह भीड़ अप्रत्याशित भी नहीं है, यह सरकार के संज्ञान में था, सरकार के भरोसे पर था, सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही थी कि तीन करोड़ या उससे ज्यादा लोग आयेंगे। तो ऐसी हालात में व्यवस्था चाक चौबन्द रखनी थी। प्रदेश और केन्द्र सरकार को आपस में मिलजुल करके ऐसे कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए जिससे हादसा होता। हादसा किसके कारण हुआ ? बिना इस पर

विचार किये, हादसा जो भी हुआ वह दुःखद है और साथ ही साथ हम सभी, उससे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के साथी क्षुब्ध हैं, दुःखी हैं। साथ ही साथ उन सारे हादसे में मृतक परिवारों को हम अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं और इस दुःख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम यहां पर यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि बात विकास की चली, डा0 लोहिया ग्राम्य विकास योजना, यह कोई नई योजना नहीं है। आपने डा0 अम्बेड़कर ग्राम्य विकास योजना का नाम केवल परिवार्तित कर दिया है। हम वह कह सकते हैं कि आप नकलची नम्बर-एक है और नकल करने में आपका कोई सानी नहीं है। लेबिल बदल दिया, नाम बदल दिया, योजना हमारी आपने चुरा लिया, और वाहवाही लूटते के चक्कर में आज बड़े-बड़े भाषण हो रहे हैं। भाई दीप नारायण सिंह जी इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जहां डा0 लोहिया के ग्राम्य विकास योजना का जिक्र है वहां पर 5 वर्ष में 10 हजार गांवों के चयन करने का लक्ष्य है। मान्यवर दीप नारायण सिंह जी अभी नौजवान साथी हैं, छात्रनेता भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी कोर-कसर कर गये। अगर आप पिछला महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ते तो उसमें एक साल में 2249 यानी पांच साल में औसत पड़ता है 11,245। इसलिए आज आबादी बढ़ी, बजट का प्रारूप बहुत लम्बा-चौड़ा हो गया, पहले दो लाख करोड़ से ज्यादा था इस बार सवा दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। तो लोहिया ग्राम्य विकास योजना में संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह 11,245 से घट करके 10,000 पर आ गये, वह भी वाहवाही लूट रहे हैं। मुझे खुशी होती जब आप इस बढ़े बजट को ध्यान में रखते हुए, विकास की मांग को ध्यान में रखते हुए यह 10,000 के बजाए 15,000 हो जाता अर्थात हम 11,245 की संख्या पार कर जाते तो हम भी धन्यवाद प्रस्ताव में आपके साथ खड़े हो जाते। यह हमारे सत्तापक्ष के लोग उतावले बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी हमारे ओझा जी थे उत्तरशती का हमें आदर्श बता रहे थे ओझा जी जब इधर थे तो उनकी भूमिका क्या होती थी ओझा जी खुद देख लें आज इत्तेफाक से आप सत्तापक्ष में बैठे हैं तो आज आपको दूसरा आदर्श नजर आ रहा है जब आप इधर बैठते थे तो आपका आदर्श कुछ और हुआ करता था इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बड़े पैमाने पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कमियां हैं वह इस सदन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष मैं ले जाना चाहता हूं आज दुहाई दी गई है इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में शुरूआत में ही कि 'भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्परा सहिष्णुता और भाईचारा को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं' अच्छी बात है इसका व्यवहारिक स्वागत होना चाहिए। लेकिन मात्र 11 महीने की सरकार में एक दर्जन बड़े दंगे जिससे हिन्दू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा है, हिन्दू मुस्लिम भाईचारा तार-तार हुआ है, बड़े पैमाने पर दंगे हुए है और इन दंगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर मुसलमान और हिन्दू दोनों की दुकानें और घर जलाए गए हैं। ड़ेढ़ दर्जन लोग मौत के घाट उतारे गए हैं। आज जातीय वैम्नस्यता बढ़ी हैं जातीय मारपीट की घटनाएं बड़ी हैं। यही भाईचारा बढ़ेगा। दंगा कराकर भाईचारा बनेगा। हिन्दू मुस्लिम कत्लेआम कराकर भाईचारा बनेगा। हिन्दू मुसलमानों के घरों को और दुकानों को जलाकर भाईचारा बनेगा। इसलिए कथनी और करनी में एका होनी चाहिए अगर कथनी कुछ है और करनी कुछ है दोनों में अन्तर है तो ऐसे कथन का कोई मतलब नहीं होता। देश में पैदा होने वाले जितने भी महापुरुष रहे हैं जितने भी सन्त, गुरू महापुरुष रहे है। यहां तक कि डाक्टर अम्बेडकर चाहें रहे हों या

डाक्टर लोहिया रहे हों सभी लोगों ने समता मूलक समाज बनाने का सपना संजोया था ऐसा समाज जिसमें जात-पांत ऊंच-नीच छुआ-छूत और भेदभाव न हो भाईचारा हो हर इन्सान दूसरे इंसान के दुःख और मुसीबत में सहभागी हो हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात हो आज जब दंगे होते हैं जब हिन्दू मुस्लिम फसाद होते हैं लड़ाइयां होती है तो ऐसे महापुरुषों के विचारों का कत्लेआम होता है। इसलिए हमें खुशी होगी जब वसुदैव कुटुम्बकम का हमारा संस्कार रहा है हम अपने राष्ट्रीय गौरव और परम्परा को निभाने के लिए आगे बढ़ते जब हम उन आदर्शो को जमीन पर उतारते। कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ इसमें भेद को खत्म करना होगा और कथनी करनी में एकरूपता लानी होगी। बेरोजगारी भत्ता क्यों बेरोजगार नौजवानों को काम क्यों नहीं ? रोजगार क्यों नहीं ? नौकरी रोटी कपड़ा मकान क्यों नहीं ? क्या बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से हम उन्हें लाचार बनाकर रखना चाहते हैं ? क्या बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से हम नौजवानों को पंगु बनाकर रखना चाहते हैं ?

(अनेक सदस्यों द्वारा शोरगुल करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, रोजगारी भत्ता भी अंधा बांटे रेवड़ी अपन-अपन का देय। कोई मानक नहीं और सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण जो सूची पकड़ा देते हैं डी0एम0 और सी0डी0ओ0 को उसके आधार पर बेरोजगारी भत्ता का आवंटन किया जातर है। मैं यह बात इसलिये ला रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। उनके संज्ञान में होना चाहिए कि जो कमियां हैं उन पर नियंत्रण करें अन्यथा घोर अनर्थ हो जायेगा। भले ही नीयत कितनी भी साफ क्यों न हो, अगर उसका कार्यान्वयन गलत होगा, मानक के विपरीत होगा तो अर्थ से अनर्थ हो जायेगा। आज आपको बहुत ज्यादा बहुमत है इस बात के लिये वहां बैठकर बहुत घमण्ड नहीं करना चाहिए। यह सत्ता तो आती और जाती है। आप भी कई बार इधर आ चुके हैं हम भी कई बार इधर से उधर जा चुके हैं। मान्यवर, आज बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं। आज रोजगार देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार थी तो हमने लाखों-लाख तादात में रोजगार दिये। एक लाख सफाई कर्मियों की भर्ती की गई। 35 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। सभी विभागों में पिछले 20 सालों से भर्तियों पर रोक लगी हुई थी। हमने उस रोक को हटाकर भर्ती के दरवाजे खोले। सभी विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरियां दीं। (व्यवधान) साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चर्चा अभी 3 दिन चलेगी। आप लोग अपनी अपनी बात रख लेना। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज बेरोजगार नौजवानों की जमात बढ़ती जा रही है। हमें उनके सेवायोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने एक परम्परा चालू की थी, कई लाख की तादात में हमने लोगों को रोजगार दिया था और आज रोजगार से वंचित करके रोजगार भत्ता देने के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि यह नकल करने में माहिर हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाएं सब हमारी हैं। नाम बदल दिया, लेबिल बदल दिया। लेकिन लगा दिया डा0 लोहिया जी का और सावित्री बाई फूले शिक्षा मद्द योजना, लेबिल लगा

दिया कन्या विद्या धन का। अन्तर केवल इतना किया कि धन थोड़ा बढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ लैपटाप, टेबलेट (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) हमने सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के माध्यम से सभी समाज की गरीब लड़कियों को बिना कोई भेद-भाव किये चाहे हिन्दु समाज की लड़कियां रही हों चाहे मुस्लिम समाज की लड़कियां रही हों, चाहे सवर्ण समाज की रही हो, चाहे पिछड़े समाज की रही हों चाहे दलित समाज की रही हों जो भी गरीब बच्चियां हैं, सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना में कोई भेद भाव नहीं किया गया। जो भी बी0पी0एल0 कार्ड धारक थे उनको वह सारी सुविधा मुहैया कराई गईं।

श्री वसीम अहमद-

आपके समय में किस तरह से दी गई थी यह सबको पता है।

श्री अध्यक्ष-

वसीम साहब आप बैठिये। आपको मौका मिलेगा तब बोलियेगा। यह क्या तरीका है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, बीच-बीच में बोलने दीजिये। हमको एक मिनट का रेस्ट मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी आवाज इतनी तेज है कि शरीर पर भार भी पड़ता है कि नहीं।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि आज ग्यारह महीने बीत गये। इस बजट वर्ष के 2012-13 के बीतने में मात्र एक महीना बाकी रह गया है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, नौजवानों को गुमराह करने में यह बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप, टैबलेट के नाम पर नौजवानों को ठग लिया, मैजोरिटी भी बना ली, लेकिन एक साल के 11 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक लैपटॉप, टैबलेट नहीं मिले हैं। अभी प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, कि आप लोगों को लालच में रखेंगे 2014 तक, लोकसभा के चुनाव तक, (हंसी) इसलिए आप सबको अंधेरे में रखेंगे। लैपटॉप और कम्प्यूटर का झुनझुना बजाते रहेंगे। साथ ही साथ न दिखाई पड़ेगा लैपटॉप, न दिखाई पड़ेगा कम्प्यूटर और न दिखाई पड़ेगा टैबलेट, झुनझुना बजता रहेगा, लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरह से आपका बैतरणी पार करने का जो आपका सपना है तो वह वैतरणी पार होने वाली नहीं है।

(शोर)

मान्यवर, कृषि और किसान पर हम ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे कृषि विभाग के दोनों मंत्री जी आपस में नूराकुश्ती लड़ रहे हैं। (शोर)

जब आपस में ही एक विभाग के मंत्री, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि 60 करोड़ के बीज का घोटाला हो गया तो विपक्ष को इस पर कुछ नहीं कहना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि

मा0 कृषि मंत्री जी पुराने नेता हैं कई बार सदन में विभिन्न रूपों में रहे हैं सदस्य के रूप में रहे हैं सत्ता में भी रहे हैं विपक्ष में भी रहे हैं। उन्होंने बीज मंगाया भी, लेकिन बीज अभी तक पहुंचा नहीं है। यह चिन्ता की बात है उनके विभागीय मंत्री ने कहा है, हम कहते तो कहते कि विपक्ष की आदत है। अब इसको सरकार को देखना है, समझना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में एक अच्छा प्रदेश, एक उत्तम प्रदेश बनाने की कल्पना की विकास और प्रदेश को बढ़ाने की बात कही, आज उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा हे इसीलिए मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि खाद बीज पर्याप्त हो। आम जनता तक अगर उसकी आपूर्ति सही ढंग से नहीं होती है। व्यवस्थित ढंग से नहीं होती है तो लाख स्टाफ होने के बावजूद भी वह हमारी कमी को इंगित करती है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का किसान मारा-मारा फिरता रहा, दर-दर भटकता रहा खाद, बीज, पानी के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैं मान्यवर, इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में नहीं रह सकता हूं।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस जिले में खाद कम है, बीज कम है, दवा कम है, क्या नेता विरोधी दल बतायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में कई बार क्रय केन्द्रों पर चर्चा हुई गेहूं के क्रय केन्द्रों पर, गन्ना के क्रय केन्द्रों पर, धान के केन्द्रों पर। यहां तक कि तमाम अनियमितता भ्रष्टाचार का संज्ञान आने के बाद मा0 मुख्य मंत्री और इनके तमाम मंत्रीगण ने तमाम क्रय केन्द्रों पर छापा मारे, इसके बावजूद न घटतौली रुकी, न भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, धान के केन्द्र तो टांय-टांय फिस हो गये। आज किसान मारा-मारा फिर रहा है, धान खरीदा गया होगा, लेकिन बिचौलिए का, दलाल का, किसान उससे वंचित रहा और किसानों के हितों की अनदेखी की गयी। एक किसान का बेटा मुख्य मंत्री हो, लेकिन किसान के हितों की अनदेखी की जाए और सत्ता में बैठे लोग अपनी छाती पीटें, हम समझते हैं कि इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरी चीज नहीं हो सकती अैर मान्यवर, यह गन्ना किसानों की बात करते हैं, गन्ना किसानों के क्षेत्र के हमारे तमाम विधायकगण, चाहे वह सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, वह दिल पर हाथ रखकर देखें, वह अपने क्षेत्र में जाते होंगे, क्षेत्र का किसान शिकायत करता होगा, घटतौली की। मान्यवर, जिसके पास गन्ने का एक पेड़ नहीं, उसे गन्ने के सट्टे दिए जा रहे हैं, मान्यवर, मेरे पास इसका लिखित चिट्ठा है, मैंने यही पर आपके माध्यम से सूचना भेजी थी, सरकार ने उसकी आख्या मंगाई है और आख्या में भी उसकी पुष्टि हुई है, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो हम उनको अलग से भिजवा देंगे। मान्यवर, जिस तरीके से किसानों के हितों की हकतलफी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी उपज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिचौलिए और दलाल भारी पड़ रहे हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में गन्ना के केन्द्रों पर, धान के केन्द्रों पर और गेहूं के केन्द्रों पर समय-समय पर हो रही अनियमितताओं पर विराम लगाने का कोई सुझाव नहीं है और माननीय अध्यक्ष जी, केवल इसी एक वर्ष में सरकार बनने से लेकर अब तक चार हजार करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया हो गया है, केवल एक वर्ष में। हम कहना चाहते हैं,

किसानों की बिना पर सरकार आयी, नौजवानों की बिना पर सरकार आई, वह बहकावे से आई, झुनझुना दिखा कर आयी, कैसे आई, लेकिन जब सरकार आई है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के हितों की अनदेखी न की जाए और साथ ही साथ मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पुस्तिका है, पेज 4-5 पर तमाम योजनाएं गिनाई गई हैं-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, यह सारी की सारी योजनाएं तो केन्द्र सरकार की हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनको गिना दिया, इसलिए मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे के ढोल ताशे पर बाजा बजाना अच्छी बात नहीं है। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना चाहिए और दूसरी की योजना को अपनी योजना बता करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बाज आना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में ऐसे तमाम बिन्दु हैं, हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को सम्मानित किया है, हम सभी उनका आदर करते हैं, उत्तरशती में हम सभी लोगों ने उनका सम्मान भी किया, पूरी बात दिल खोलकर सुना भी लेकिन मान्यवर, यह तो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण का मजाक बन गया, भानमती का पिटारा बन गया, कहीं की बात कहीं जोड़ करके अपनी बात कह दी, इस अभिभाषण पुस्तिका में। मान्यवर, आज कुछ योजनाएं जो इस सरकार ने चलाने की कोशिश की है, भले ही नकल करके चलाने की कोशिश की हो, योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन योजनाओं को चलाने की नीयत साफ हो। मान्यवर, किसी चीज को अच्छी बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है-नेता, नीति और नीयत। नीति कितनी भी अच्छी हो और नेता भी कितना ही भोला-भाला क्यों न हो लेकिन यदि नेता की नीयत ठीक नहीं है तो सब गुड़ माटी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, यह क्या है ? योजना तो अच्छी है, क्योंकि योजना तो हमारी चुराई हुई है, हमारी ही योजना को चुरा लिया तो योजना तो अच्छी होगी ही होगी। हम उसको बुरा नहीं कह सकतें महामाया आवास योजना को लोहिया ग्रामीण आवास योजना हो गयी। इसमें नया कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि योजना तो अच्छी है नेता भी अच्छे हैं लेकिन नीयत अच्छी नहीं है और जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बच कर रहिए नौजवान की नीयत खराब हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

खतरा तो आपको होगा बगल में आप बैठे हैं। (हंसी)। तो मान्यवर, हमारी योजना थी मान्यवर, श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना यहां हो गया नया सवेरा नगर विकास योजना।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम और हमारे साथी माननीय मौर्या जी से जानना चाहते हैं कि यह जितना चीखते हैं उतना ही इनका कंठ सुरीला कैसे होता है इसका यह रहस्य बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यहां तो अकेले बचा हुआ है नहीं तो नकल करके इसको भी उठा ले जायेंगे। (हंसी)। मान्यवर, हमारी योजना थी मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तो उसको

इन्होंने कर दिया सबके लिए आवास योजना। हमारी योजना थी डा0 अम्बेडकर ग्रीन पार्क इको गार्डन, गोमती नगर की योजना इसको बना दिया इन्होंने श्री जनेश्वर मिश्र पार्क योजना। तो इन्होंने नया क्या किया, सब चुरा लिया। इसलिए मैंने कहा नकलची नम्बर एक। हमारी सारी योजनाओं का नकल की केवल नाम का लेबल बदल दिया। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम उसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कोई न कोई मानक तो होने चाहिए। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका पूरी पढ़ी है। एक-एक पेज की एक-एक लाइन पढ़ी है। इसमें प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा जो भी है इसमें जो इन्होंने बखान किया है नया कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार की उपलब्धियों को हुबहू लाकर इस अभिभाषण में जोड़ दिया है। उपलब्धियां हमारी वाहवाही यह लेंगे, कैसे चलेगा। मान्यवर, कांशीराम जी राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना को नाम दे दिया श्री जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना। इसलिए आज विद्युत आपूर्ति का इसमें दिया है कि गांव तहसील में हम 10 घण्टा देंगे। पेज 46 में दिया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 18 घण्टे देंगे, शहरी क्षेत्र में 17 से 22 घण्टे देंगे। लेकिन हकीकत क्या है। हो सकता है मा0 मुख्य मंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी के संज्ञान में न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4-5 घण्टे ज्यादा से ज्यादा 6 घण्टे बिजली आती है। जिला मुख्यालयों पर 10-15 घण्टे से ज्यादा नहीं। हमारी सरकार में महानगरों में एक मिनट भी बिजली कटौती नहीं होती थी आज 5-6 घण्टे बिजली कटौती हो रही है। आज इस तरह से बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गयी है। हाईस्कूल, इण्टर की बोर्ड की परीक्षा प्रारम्भ होने जा रही है बिजली आंख मिचोली कर रही है। पढ़ने का जो वक्त सुबह और शाम का होता है, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के मिलाकर लगभग 60 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और 60 लाख बच्चे जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके पढ़ने के लिए शाम की बिजली गायब सुबह की भी बिजली गायब। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी बिजली आपके पास है उसका ऐसा शेड्यूल हो कि उसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। हमारे जो छात्र-छात्रायें परीक्षा देने जा रहे हैं भले आप उनको तीन घण्टे बिजली दें लेकिन उनके पढ़ने के समय बिजली देंगे तो उसकी उपयोगिता होगी। उसकी ऐसी समयसूची होनी चाहिए कि जब गांव का किसान ट्यूबवेल चलाये तो उसको भी दिन में एक-आध-दो घण्टे बिजली मिल जाये। सुबह-शाम जब बच्चे पढ़ने के लिए बिजली चाहें तो उनको पढ़ने के लिए बिजली मिल जाये और जब तक मा0 मुख्य मंत्री जी खुद इसको तय नहीं करेंगे केवल अधिकारियों के बूते पर छोड़ देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। अब रही बात बिजली आपूर्ति की यह बदहाली है और मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक योजना चलाई, महारानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना, योजना तो अच्छी है, हमने तो बता ही दिया, क्योकि योजना तो हमारी हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के रूप में हम चला रहे थे। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना मेरी थी, उसकी तो अभी नकल नहीं कर पाये, हो सकता है आगे कर लें, खत्म कर दिया, चलिये और रही बात जहां तक अल्पसंख्यक समाज की बेटियों की शादी अनुदान का दस हजार रुपया, तो यह तो हमारी भी सरकार में था कौन नई बात है, उतना ही है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए और कब्रिस्तान बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था हमारी सरकार में ही कर दी गई थी।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्य इसके विरोध में एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब समय आयेगा तो आप भी अपनी बात रख लीजिएगा, आप सरकार में हैं शासनादेश मंगवा लीजिएगा, देख लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया शान्त रहें, नेता विरोधी दल तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह उसी प्रकार से नहीं समझते, जैसे कभी-कभी कुछ लोग बात नहीं समझ पाते हैं। एक बार की बात है, यह हमारे साथी जैसे हम लोग अगर एक विद्यालय में होते तो शायद साथ ही साथ पढ़े होते। एक हमारा साथी विद्यार्थी जीवन का था तो जैसे लोग यशोदानन्दन, रघुनन्दन कहते हैं, तो एक मेरा साथी था मैंने उसे बैशाखनन्दन कहा, वह बहुत खुश हुआ, तो दो-तीन लोग और थे, उसमें से एक आदमी समझ गया कि बैशाखनन्दन क्या होता है, वह हंसा, तो उससे पूछा कि भाई तुम हंसे क्यों, मौर्या जी ने हमको बैशाखनन्दन कहा, इतनी अच्छी बात कहीं और तुम हंस रहे हो, तो उसने उसको अकेले में बताया कि बैशाखनन्दन माने गधा होता है। वह तो खुश इस बात के लिए था कि जैसे यशोदानन्दन, रघुनन्दन होते हैं वैसे ही बैशाखनन्दन होता होगा। तो ये सत्ता मद में हैं, इनको बैशाखनन्दन की तरह सब हरा-भरा ही नजर आता है, यह अच्छी बात भी नहीं समझ पायेंगे, मान्यवर, आप तो इशारा कर देते हैं, लेकिन वह इशारा भी नहीं समझने वाले। मान्यवर, मैंने इसीलिए कहा, हमारी बेटी उसका कल और कन्या विद्याधन में जिस तरीके से अधिकारियों ने इसे मजाक का विषय बना दिया, बिजनौर, रामपुर, आगरा और कानपुर में जिस तरीके से बेलगाम होकर के यह कहें कि काले कपड़ों में कोई नहीं आयेगा। अल्पसंख्यक समाज में बुरका पहनने का रिवाज है और वह ज्यादातर काले रंग में ही होता है। काला कपड़ा कह कर के, एक मजाक सा उड़ाया गया और मान्यवर, हमारी बेटी उसका कल, मकसद था जिसका हम उसे सम्मान देने जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई-लिखाई की यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक जिले में नहीं, तीन-तीन, चार-चार जिलों में इस प्रकार की बात आई। आखिर संसदीय कार्य मंत्री जी जिसके बगल में बैठते हों, उसके बावजूद भी वहां इस प्रकार की चूक हो जाय और शायद हमारी सरकार में इस प्रकार की एक भी घटना हो गई होती तो संसदीय कार्य मंत्री जी ऊपर-नीचे सब एक कर देते, विधान सभा नहीं चलने देते, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आप चुप बैठे हुए हैं। मान्यवर, इसीलिए कि आज कहीं न कहीं कार्यान्वयन में गलतियां हैं, नीति में खामियां हैं और साथ ही साथ कई जिलों में जिस तरीके से अल्पसंख्यक छात्राओं पर लाठी भांजी गई, वह इस बात को इंगित करता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की चलाई गई योजनाओं का किस तरीके से उपहास उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा हैं और जहां तक रही बात मान्यवर, तो हमारी भी सरकार थी। हम भी उस तरफ बैठे थे। हमने भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिये काम किये थे। हमारी ही सरकार में ये पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे ही सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन हुआ था। हमारी ही सरकार में मुस्लिम समाज की तमाम पिछड़ी जातियां जिनको पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया गया था, उनको शामिल करके जाति प्रमाण-पत्र और आरक्षण का लाभ देने की शुरुआत की गयी थी। हमारी ही

सरकार में यूनानी निदेशालय का गठन किया गया था। हमारी ही सरकार में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। हमारी ही सरकार में इंजीनियरिंग, सी0पी0एम0टी0, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की तैयारी के लिये निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गयी थी और मदरसों को अनुदानित किया गया था। उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी इसलिये हम केवल गाल नहीं बजाते। हम केवल सस्ती लोकप्रियता के लिये हवा-हवाई बात नहीं करते।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा उत्पन्न किये गये शोर के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमने उसको असली जामा दिया। हमने उसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। हमने उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया।

(मा0 श्री राम करन आर्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम करन जी, जब आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा। यह अच्छी बात नहीं है। आप जिस तरह से हर बार खड़े होकर के टोंकते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, हम एक बार नहीं, चार बार हमारी भी सरकार रही है। हम भी चार बार सरकार में थे। हमारी चारों बार की सरकार में एक भी हिन्दू मुस्लिम दंगा-फसाद नहीं हुआ। अगर कहीं किसी ने करने की जुर्रत की तो हमने तत्काल बिना समय गवाये, 24 घण्टे के अन्दर उसको नियंत्रित किया और एक भी हादसा नहीं होने दिया। ये जो हमारी अल्पसंख्यक समाज के प्रति उपलब्धियां रहीं, उसे मैंने आपके सामने रखने का काम किया। मान्यवर, इत्तेफाक से मा0 मुख्य मंत्री जी, जिस वर्ग और समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग इत्तेफाक से उसी वर्ग का मैं भी हूं।

श्री अध्यक्ष-

और बहुत दिन साथ भी रहे हैं।

(सदन में हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके पिता जी के साथ रहा हूं लोकदल में। आप उस समय छात्र थे तो आपके साथ तो नहीं रहा।

(एक मा0 सदस्य द्वारा ''ट्रेनिंग में रहे थे'' कहने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हां, हां, ट्रेनिंग, कुछ भी कह लीजिये। उसमें कोई दो राय नहीं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 54 फीसदी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्गों की है। प्रदेश के तमाम पिछड़े गरीब लोग सोच रहे थे कि नौजवान मुख्य मंत्री है, पिछड़े वर्ग का है, पढ़ा-लिखा भी है, अच्छा काम करेगा। हमारी ही सरकार ने पिछड़े वर्गों की क्रीमीलेयर की सीमा पहले एक लाख से तीन किया फिर तीन लाख से पांच लाख किया। मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में हैं या नहीं इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिये

क्रीमीलेयर आय सीमा जो पांच लाख रुपये थी, उसको पिछली कैबिनेट में घटाकर दो लाख रुपये कर दिया गया। मान्यवर, 5 जनवरी, 2013 की कैबिनेट में पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित क्रीमीलेयर आय सीमा 5 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया। जो घोर पिछड़ा विरोधी निर्णय है और साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका में उन पिछड़े वर्गों की क्रीमीलेयर की आय सीमा 5 लाख रुपये किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यही नहीं मान्यवर, लोहिया के रास्ते पर चल करके जहां समाजवाद की बात करनी चाहिये थी, सामने बैठे हमारे साथी आज सामन्तवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। यही कारण है कि जब पिछड़ों के हक की बात आती है तो पिछड़ों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। दलितों के आरक्षण की बात आती है तो दलितों के आरक्षण के विरोध में खड़े हो जाते हैं और रही बात प्रोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की अभी शिवाकान्त ओझा जी कह रहे थे ये आपने भीख नहीं दी है। ये संवैधानिक अधिकार है और साथ-ही-साथ हजारों साल से जिस समाज को जाति के नाम पर धन, धरती और शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया हो, लूटा गया हो। जर, जोरू और जमीन सब पर कब्जा कर लिया गया हो, जिसको समाज में बेहद पिछाड़ने के लिए पाप किया गया हो अगर आज उसकी भरपाई के लिए उनकी प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है तो कोई एहसान नहीं किया जाता है। अगर हमारे सम्मानित ओझा जी, बाल्मिकी समाज में पैदा होते, [xxx] समाज में पैदा होते, [xxx] समाज में पैदा होते, [xxx] या धानुक समाज में पैदा होते, तब इनको जाति पीड़ा का अहसास होता। इनको जाति पीड़ा का अहसास क्या होगा, ''जिनके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।'' ऐसे लोग ऐसे गरीबों की आवाज को नहीं समझ सकते, ऐसे लोग गरीबों की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं और महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण में इस पीड़ा के निवारण के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मान्यवर, हम इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, अपने तमाम संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से जबकि हमारी सरकार भी थी, सुश्री बहन मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, वह पिछड़ा वर्ग की नहीं थी, दलित समाज की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की सुश्री मायावती जी ने। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय का गठन किया सुश्री मायापवती जी ने। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया सुश्री मायावती जी ने, सरकारी छात्रावासों में और आवासों में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी सरकार ने की। 50 उप जातियों/वर्गों को 21 मुख्य जातियों में जोड़कर इनको भी आरक्षण के लाभ की परिधि में लाने का काम किया। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर हमारे कार्यकाल में जो उनको सम्मान दिया गया, उनको पत्थर-पत्थर कह करके हंसी-मजाक उड़ाने का काम सामने बैठे लोगों ने किया। इनकों नहीं मालूम कि संत कबीर के नाम पर भी सम्मान दिया गया, संत रविदास के नाम पर भी सम्मान दिया गया, डा0 अम्बेडकर के नाम पर भी सम्मान दिया गया, अन्य महापुरुषों के नाम पर भी सम्मान दिया गया। हमें अच्छी बात लगती जब हमारी सरकार में किसी महापुरुष के नाम पर एक सम्मान दिया गया, वर्तमान सरकार 5 सम्मान देती हम उसका स्वागत करते, लेकिन खुदर-बुदर कर, लीपा-पोती कर, कहीं नाम बदल कर और कहीं नाम हटा कर, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो तिकड़म इस सरकार ने किया है, उसको देखते हुए

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विरोध स्वपरूप आज हम अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ-ही-साथ इस बजट पुस्तिका में तमाम चर्चाएं हैं। कौन अधिकारी हटाया जाएगा और कौन नहीं हटाया जायेगा, इसका भी कोई मानक नहीं है। अधिकारियों का तबादला बच्चों की मिट्टी का घरौंदा बन गया। अगर इसे खोल दिया जाए तो पछताईगे इसलिए यहां मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मान्यवर, ये कहते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा। यहां कानून की कोई बात करेगा तो उसको हटाया जाएगा। अभी गोण्डा में एक चेयरमैन, मंत्री का दर्जा प्राप्त पशु तस्करी में लिप्त पाए गए, वहां के पुलिस अधीक्षक ने कानूनी कार्यवाही की, तो पशु तस्करी में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करनी तो दूर, जिसने कानून की बात की, कानूनराज की बात उसके खिलाफ कार्यवाही हो गई। उसको हटा दिया गया। इनके जितने भी विभाग हैं, किसी भी विभाग में मान्यवर, एक चौथाई भी पैसा खर्च नहीं हुआ केवल एक विभाग था, जब एक दिन इनका चार्ट मैं देख रहा था, और सभी चैनलों में भी आ रहा था कि केवल एक विभाग था बिजली विभाग, जिसमें 60 फीसदी लगभग खर्च दिखाया गया जिस विभाग में सबसे ज्यादा बजट खर्च हुआ, उसके प्रमुख सचिव को हटा दिया। उल्टा होना चाहिए था, जो काम नहीं कर रहा है हटाया उसे जाना चाहिए लेकिन इनके आंकड़े में जो सबसे ज्यादा काम किया है, उसे हटा दिया गया है। मान्यवर, जो कानून की बात कहें उसको आपने हटा दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं ? क्या आप उत्तर प्रदेश को गुण्डा, माफिया का राज्य देना चाहते हैं, उनके हाथों में सत्ता देना चाहते हैं और कानून की बात कहने वालों की बातों को दबा देना चाहते हैं। मान्यवर, आपने एक अच्छी योजना चलाई हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित हैं। आपने ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एक कॉल सेन्टर बनाया है, एक वोमेन हेल्प लाइन बनाई है। सत्ता-पक्ष के लोग कहते हैं यह तो विपक्ष का धर्म हैं सरकार की बुराई करना। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि यह आपकी बजट पुस्तिका ही बताती है कि मात्र ढाई महीने में सत्ताईस हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मान्यवर, महिलायें अपनी इज्जत और आबरू को ध्यान में रखते हुए एक तो शिकायतें नहीं करती हैं तब यह हाल है। मान्यवर, इस काल सेण्टर पर वोमेन-हेल्प लाइन सेण्टर पर सत्ताईस हजार शिकायतें आ गयी हैं। मान्यवर, हमारी सरकार में कानून का राज्य कायम था, कानून की हनक चलती थी और गुण्डा, माफिया, अपराधी सब जेलों में बन्द थे।

*बाल विकास एवं पुष्टाहर व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

आपके तमाम लोग जेलों में बन्द हैं आपके समय के मंत्री भी जेलों में बन्द हैं और जो बच गये हैं वह भी जेलों में जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी सरकार में हमारे मुख्य मंत्री जी के समय में किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं थी। मंत्री ने भी यदि कानून से खिलवाड़ किया है तो वह जेल गये हैं। हमारी सरकार के समय विधायक, सांसद भी जेल गये हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की छूट किसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को नहीं दी गयी थी। उन्हें भी अपराधी समझकर जेलों में भेजने का काम हमारी मुख्य मंत्री जी ने किया था। यह था कानून का राज्य।

*बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह योगेश भइया)-

तभी आपके मंत्री लगातार जेलों में जा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमारे समय में कानून की हनक थी। अपराधियों को जेलों में भेजने का काम किया गया और जो लोग बच गये वह चूंहों के बिल में घुस गये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप सत्ता पक्ष में हैं आप हमारी बात पर गौर करेंगें कि आप पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रचण्ड बहुमत के साथ आप सत्ता में आये है यदि गुण्डे, माफिया और अपराधियों को छूट देंगें तो आप वैसे ही चलते बनेंगे जैसे पहले भी कई बार यहां से चलते बने हैं। आप कानून का राज्य कायम करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के द्वारा मेंजों की थपथपाहट)

श्री वसीम अहमद-

इसके माने आपके राज में भी कानून का शासन नहीं था इसलिए आप लोग चले गये और वहां बैठ गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज की स्थापना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में अन्याय करने वालों को अपराधियों को आपको जेल में भेजना चाहिए और भयमुक्त समाज का वातावरण बनाना चाहिए और जन-जन को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है अराजकता पर अंकुश लग सके। इसका कहीं पर भी जिक्र राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। इसलिए मान्यवर, आप अराजकता पर अंकुश लगायें आप देखें कि मात्र ग्यारह माह के समय में ही एक दर्जन हिन्दू-मुस्लिम दंगे बड़े पैमाने पर हुए हैं, जो इस बात को इंगित करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। जब 11 माह में यह हाल है तो आगे क्या होगा, सावधान हो जाये इन सब चीजों के निवारण के लिए इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और साथ ही साथ अभी हमारे दोनों साथी श्री शिवाकान्त ओझा जी और श्री दीप नारायण सिंह जी, हम समझते हैं कि अगर यह विधिवत महामहिम का अभिभाषण पढ़े होते तो यह भी हमारी कतार में खड़े होकर बोलने के लिए हमारा साथ देते लेकिन चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, अम्बिका चौधरी ने डपट दिया तो

वह धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गये। चूंकि धन्यवाद देने के लिए जिसको प्रस्तावित किया था वह यहां से नदारत हो गया क्योंकि वह जानता था कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण [xxx] है, केवल यह सरकारी दस्तावेज है और हमारी बेइज्जती होगी इसलिए वह आने से यहां अपने को बचा ले गये। इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम जी का अभिभाषण धोखा है, छलावा है, सरकारी दस्तावेज है, उत्तर प्रदेश के जनता की अनदेखी की गयी है और साथ ही साथ इसमें तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गयी हैं जिससे कि हम समझते हैं कि सरकार एक मजबूत रास्ते पर नहीं बढ़ पा रही है। मजबूत रास्ते पर ले जाने के लिए इसमें कोई इशारा नहीं किया गया, कोई बात नहीं रखी गयी, कोई सुझाव नहीं रखा गया इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और उस पर बल भी देता हूं धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

[xxx] शब्द असंसदीय है इसलिए इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

नेता विरोधी दल का भाषण हो गया अब दलीय नेताओं का हैं चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं इसलिए मैं चाहता था कि दलीय नेता पहले बोल लें तब फिर पक्ष और विपक्ष दोनो तरफ के माननीय सदस्यगण बोलें जिससे कि आपकी बात माननीय नेता सदन को चली जाय। इसलिए दलीय नेताओं के लिए 15 मिनट और माननीय सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

(माननीय हुकुम सिंह जी के बोलने के लिए खड़े होने के मध्य समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

यह कौन सा तरीका है, आप बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य आप बैठ जायें, आपको बोलने का मौका मिलेगा लेकिन यह तरीका नहीं है। आप बैठिये। कभी बोलते तो हैं नहीं बस मौका पा गये। यह क्या तरीका है, आप अपनी बात खड़े होकर कहियेगा जब आपका अवसर आये।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने अवसर दिया लेकिन मेरा आग्रह है कि 15 मिनट के बजाय अगर 20 मिनट हो जाये तो टोकिये मत।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन 20 के बाद आगे न बढ़े यह ध्यान रहे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल का ऐसा अभिभाषण जो पढ़ा नहीं गया लेकिन कार्यवाही का हिस्सा बना उसी के ऊपर मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से जो संक्षिप्त भाषण नेता प्रतिपक्ष का हुआ, वह बहुत गौर से सुना। उनके बोलने के बाद में फिर कुछ रह नहीं जाता है बोलने के लिए। मैं तो केवल अपना दायित्व निभा रहा हूं मान्यवर, बोल करके। क्योंकि विषय सारगर्भित था, सारी बातें उन्होंने रखी। मान्यवर, यह पहला नहीं दूसरा अभिाषण सरकार का है। पहले

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अभिभाषण में उम्मीद करते थे कि कार्यक्रम बतायेंगे, बताया गया, क्या-क्या करेंगे वह बताया गया। अच्छा होता इस अभिभाषण में यह भी हो जाता कि जो पहले कार्यक्रम की योजना बताई गयी थी उस पर अमल कितनी हो पाया, कितनी प्राप्ति हो पाई। संक्षेप में 3-4 विषय में देता हूं सबसे पहले तो कानून-व्यवस्था अपराध। खुद नेता सदन इस बात का एहसास करें कि क्या इस देश का नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करता है। मान्यवर, सभी लोग आते हैं अपने-अपने क्षेत्रों से आते हैं। आज असुरक्षा का भाव व्याप्त है हर वर्ग में। चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो और विशेष रूप से महिलाओं में। क्यों ऐसा है और क्या उसका निदान हो सकता है। मान्यवर, जो हमारी कानूनी मशीनरी है, वह मशीनरी कहीं न कहीं कुंठित हो चुकी है, उनकी यह प्राथमिकता नहीं रही कानून व्यवस्था को कायम करने की। मान्यवर, जिले में पुलिस अधीक्षक हो या जिलाधिकारी हो, यह केवल व्यक्ति नहीं, मान्यवर, दोनों की दोनों बड़ी महत्वपूर्ण संस्थायें हैं और अगर यह संस्थायें कमजोर होंगी तो इनके अधीनस्थ कर्मचारी भी अपने दायित्व को नहीं निभा पायेंगे। क्या आज हम यह जिम्मेदारी के साथ में कह सकते हैं कि कोई पुलिस अधीक्षक अपनी मर्जी से थानों में तैनाती कर सकता है। अगर कर सकता है तो जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की है कि कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त हुयी। बार-बार यहां से आदेश गये कि एस0पी0 नप जायेगा, जिलाधिकारी नप जायेगा, डी0आई0जी0 नप जायेगा, सवाल नपने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एकाउन्टिबिलटी आपने तय की है और उसके लिये आपने अधिकार दिया है कि नहीं दिया। एक इस प्रदेश के साथ में विशेष रूप से अन्याय हुआ और वह काफी दिन से हो रहा है परिस्थिति कुछ भी हो और जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन वह स्थिति है। यह जातिवाद का मामला मान्यवर, अधिकारियो में भी जड़ पकड़ चुका है और बहुत मजबूती के साथ पकड़ चुका है। जिनकी सरकार आती है उस वर्ग विशेष को न जाने किस कारण से यह एहसास हो जाता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो हम चाहेंगे वह हो जायेगा। सिपाही को यह एहसास हो जाता है, दरोगा को यह एकसास हो जाता है कि हमें अब कोई नहीं हटा सकता। यह एहसास खत्म होना चाहिये। हम इतनी शक्ति दे कि जिसकी हम जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं कि वह जिम्मेदार है हमारे प्रति, तो जातिवाद हमारे बीच में नहीं आयेगा। मैं यह नहीं कहता कि किसी मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने यह कहा होगा लेकिन स्वतः यह भावना विकसित होती जा रही है बहुत दिनों से यह काम चल रहा है। मुझे याद है मान्यवर, जब हम पढ़ते थे, मेरठ में एक डी0आई0जी0 थे, प्रकाश सिंह उनका नाम था, बड़े महत्वपूर्ण डी0आई0जी0 रहे, फिर वह डी0जी0पी0 भी हुये, एक दरोगा ने उस वक्त डी0आई0जी0 को वहां से हटवा दिया।

श्री इकबाल महमूद (बैठे हुये)-

बी0जे0पी0 सरकार थी।

श्री हुकुम सिंह-

अब सुन लो, कब की बात है न यह आपको पता। बीजेपी तब तक थी भी नहीं तब की बात मैं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं कि बीजेपी थी। मान्यवर, तब से यह बात चर्चा का विषय बनी थी और पूरे देश में आम चर्चा बनी थी, मीडिया में बनी थी कि अनुशासन कैसे रहेगा। जब यह अपवाद था, अब वह अपवाद बढ़-बढ़कर नियम हो गया। कोई सिपाही है वर्ग विशेष का, नहीं मानता, आम जनता को पता है कि यह नहीं मानेगा, आप समीक्षा कर लें थानों की बैठक करके। मैं इस बात को

विश्वास लेकर चलूं, आपके मन में ऐसी बात है नहीं और मैं यह मानकर चल रहा हूं लेकिन एक बार फिर भी समीक्षा तो कर लें। पूछ तो लें, कि आखिर किसको चार्ज किस आधार पर मिला है। क्या उस पुलिस अधीक्षक का नियंत्रण है, आपका जिलाधिकारी कितना मजबूत है। मान्यवर, अगर यह संस्थायें मजबूत नहीं होंगी, निष्पक्ष नहीं होंगी तो कानून व्यवस्था कभी सुधरने वाली नहीं है। हमारे अपने जिले में एक जिलाधिकारी की तैनाती हुयी। क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से इस सदन में बैठ रहे हैं, यह संस्था इतनी ऊंची थी कि थोड़ा बहुत कभी चार्ज लग जाता था लेकिन अगर आज यह सुनने को मिले कि लाइसेंस देने पर भी पैसा लिया जाता है तो फिर संस्था कहां रह गयी और संस्था का वजूद कहां रह गया। मान्यवर, मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं, शिकायत आई, ए0डी0एम0 और डी0एम0 दोनों की जोड़ी बनी, एक रकम निर्धारित हुयी, दोनों हिस्सा बांटते थे, सरकार आपकी नहीं थी, आने वाली थी, जबकि मैं बात कह रहा हूं।

मान्यवर, सरकार बदली और उसी बीच में जब आप चुनाव में थे और हम भी चुनाव में थे, दोनों ने मिलकर के सरकारी सम्पत्ति को आचार संहिता लगने के बावजूद भी बेच दिया मैंने शिकायत की, राजस्व मंत्री यहां बैठे हुए हैं, 6 महीने से मेरी शिकायत का पता नहीं है कहां घूम रही है वह। सारे फैक्ट, फीगर मैंने आपको दिये थे विश्वास दिलाया था कि एक महीने में जांच रिपोर्ट आ जायेगी, मुझे नहीं पता कि वह इस समय कहां है। लेकिन हां आपने इतनी कृपा की कि छोटा सा जिला था शामली, इनके आते ही उसे कई गुना बड़ा कर दिया गया। मान्यवर, दोनों टीम चली गई, वह अपने साथ ए0डी0एम0 को भी ले गये और जहां पर होंगे उस जिले का कल्याण कर रहे होंगे। मान्यवर, मैं किसी की आलोचना न करके केवल इतना चाह रहा हूं कि आप समीक्षा कर लें। अपने मन में इस बात को बिठायें और चिन्हित करें इन लोगों को कि जिले के लायक कौन है और कौन नहीं है, जो जिले के लायक नहीं है उसे जिले में मत भेजें यही तो पहले सरकार चलाने का एक तरीका होता था। अगर इन लोगों की इंटीग्रिटी समाप्त हो गई, इन लोगों की दक्षता समाप्त हो गई फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें कितने भी एलान कर लें कानून-व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। मान्यवर, आज दुधारू पशु की रक्षा करना अपने से भी मुश्किल हो गया है, आज किसान आकर शिकायत करते हैं कि सारी रात जागना पड़ता है और जो लोग छोटे-छोटे ट्रक ले करके चलते हैं, काफिला उनके साथ रहता है। हमारे यहां गन्ने की फसल ज्यादा होती है पहले किसान भैसाबोगी को छोड़ करके गन्ना छीलने चले जाते थे आज यह हालत है कि अगर छोड़ करके चले गये तो बोगी रहेगी भैंसा नहीं मिलेगा। क्योंकि मान्यवर, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि 10 मिनट में साफ, स्लाटर हाउस बने हुए हैं। मान्यवर, ऐसी-ऐसी भैंसे जो 15 किलो तक दूध देती हैं, उन पर उनकी दयादृष्टि नहीं है, 50-50 हजार की, 1-1 लाख रुपए की भैंस चोरी कर ली जाती है तो मान्यवर, उस किसान के पास क्या रह गया। मैं आज उनकी पीड़ा आपके सामने रख रहा हूं, आदमी की सुरक्षा की बात तो अपनी जगह है ही, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो अपनी जगह है ही लेकिन मान्यवर, क्यों इसे नहीं रोका जा रहा है एक इशारा तो मैंने किया। सुरक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह सबसे नीचे की कड़ी है और वह कड़ी है कांस्टेबिल सिपाही की, चोर को वही भाग करके पकड़ता है, डकैत को भी वही पकड़ता है बाकी तो निर्देश देते हैं लेकिन आज वह सिपाही दो काम कर रहा है एक तो जहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है और जहां पर समाप्त होता है

रात भर बेचारा चौराहे पर खड़ा रहता है। रात भर पहरा दे रहा है, पाला पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है लेकिन वह रातभर चौराहे से नहीं हट रहा है तो फिर वह दिन में कैसे काम कर पायेगा। मान्यवर, मैं दिल्ली से एक विवाह समारोह से लौट रहा था क्योंकि यह सड़क तो शिवपाल जी की कृपा से इतनी ठीक नहीं है कि मैं बागपत, बड़ौत से होता हुआ अपने घर पहुंच जाता इसलिए मुझे हरियाणा से आना पड़ा और मैंने रात के एक बजे यमुना के पुल पर यह देखा कि पुल से लेकर हमारे कैराना नगर तक ढाई किलोमीटर ट्रक की लाइन लगी हुई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई कि क्या हो गया। उतरकर मैंने देखा कि पांच आदमी भाग रहे हैं वसूलने के लिए, वह उससे वसूल रहा है वह उससे छीन रहा है और जब तक वसूली न हो एक भी ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। मान्यवर, यह वह समय था जब पार्लियामेंट में एफ0डी0आई0 पर गम्भीर चर्चा हो रही थी। मैंने एफ0डी0आई0 का वह नजारा देखा, अरे एफ0डी0आई0 जब होगी तब होगी, सामान्य नागरिक का क्या हो रहा है, सामान्य जीवन का क्या हो रहा है, हम लोग किस देश और समाज में रह रहे है। आज स्थिति यह है कि यह बेचारे ट्रक ड्राइवर कहां से आये होंगे, कोई बिहार से आया होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, उसे दो-दो घण्टे लूटा जा रहा है। वहां ढाई किलोमीटर सी0ओ0 का दफ्तर, 10 किलोमीटर पर एस0पी0 का दफ्तर और रोजाना का यह काम है किसी एक दिन का काम नहीं है। मान्यवर, कभी गाड़ी लीजिए और रात में जाकर देखिये कि क्या हालत हो गई है। मेरे पास एक फोटो भी है दो-तीन दिन पुराना मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। लखनऊ के बीच में ड्राइवर पड़ा हुआ है, तीन सिपाही आते हैं और पैसे की मांग करते है, वह कम देना चाहता है इसीलिए उसे बीच सड़क पर मारा जाता है, भीड़ खड़ी हो जाती है, वह पड़ा हुआ है बीच सड़क पर ट्रक एक तरफ खड़ा हुआ है, सिपाही मोटरसाइकिल ले करके भाग जाते हैं जब भीड़ इकट्ठी होती है। तो मान्यवर, जहां यह हालत होगी वहां सुधार कैसे होगा, मान्यवर नहीं सुधरेगा। मैंने पहले भी सुझाव दिया आज भी मेरा यह सुझाव है मैंने अपनी सरकार में भी कोशिश की लेकन मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के सुझाव पर कुछ गौर कम किया जाता है। हम यह सोचें कि हमारा सिपाही मनोबल क्यों गिराये बैठा है उसने ड्यूटी छोड़ करके यह गलत काम क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। उसकी ट्रेनिंग पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी सर्विस कण्डीशन पर हमने नहीं ध्यान नहीं दिया, वह 24 घण्टे काम नहीं कर सकता। उसको हमने अर्दली बनाकर रख दिया है, सिपाही वाली उसकी पोजीशन छोड़ी ही नहीं। अगर आप सोचें, विचार करें तो यह दरोगाओं की सीधी भर्ती खत्म होनी चाहिए, चार साल सिपाही रहे उसके बाद प्रमोशन हो। आज मान्यवर, किसी सिपाही की शिक्षा बी0ए0 से कम नहीं है। चार साल कांस्टेबिली करें, उसके मन में एक उत्साह होगा कि मुझे दारोगा बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। कभी-कभी उसके दो फीते, तीन फीते लग जाते हैं इसलिए उसका मनोबल है ही नहीं। आज फौज में क्यों अनुशासन है ? इसलिए अनुशासन है कि वहां उसके लिए खुला दरवाजा है आगे बढ़ने का, वह कमीशण्ड आफिसर भी बन सकता है। यहां नहीं बन सकता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बारे में आप गौर से विचार करें। मैंने और देशों की व्यवस्था को समझा है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सीधी भर्ती होती ही नहीं है, हर आदमी को कुछ समय के लिए कांस्टेबिल होना पड़ता है। वहां पर कानून-व्यवस्था कण्ट्रोल में है। हमें भी इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, बार-बार आदेश हर सरकार ने दिये कि हर आदमी की रिपोर्ट दर्ज होगी।

मैं गारण्टी के साथ कह रहा हूं कि कोई करा करके देख ले, अपनी औकात का पता लग जायेगा थाने में जा करके। किसी कीमत पर भी दर्ज नहीं होगी या तो बहुत बड़ी सिफारिश होगी या फिर पैसा होगा। यह बातें समाप्त होनी चाहिए। दूसरा पक्ष सुशासन का यह है कि आपने महामहिम के अभिभाषण में चर्चा की है तहसील दिवस की कि वहां पर खतौनी की नकल मिल जायेगी, वहां पर हमको जाति प्रमाण-पत्र भी मिल जायेगा। आज हमारा लेखपाल इतना व्यस्त हो गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारी का इतना भार हो गया है कि कम से कम 70 प्रतिशत लेखपालों ने अपनी एवजी में दूसरा आदमी रख लिया है और सुबह से शाम तक वही आदमी कागज तैयार करता है, वही वसूली करता है। शाम को जा करके उनको हिसाब दे देता है। सुधार कैसे हो जायेगा, क्यों नहीं आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया। तहसील दिवस में ये अधिकारी बैठ करके इन बातों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं ? एक टेबिल डालकर हम बैठ जांय और यह सोचें कि तहसील दिवस में हमने पुरा काम कर लिया, सम्भव नहीं है। क्यों नहीं जिलाधिकारी या ए0डी0एम0 या एस0डी0एम0 इस बात की समीक्षा करते कि किस हफ्ते में दाखिल खारिज के कितने प्रकरण आये, निस्तारण कितनों का हुआ ? सरकार के आदेश हैं कि इस समयावधि के तहत अमलदरामद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तब हो जानी चाहिए। क्यों नहीं करते, तहसील दिवस का मतलब क्या रह गया ? खाली दरख्वास्त ले ली और उस पर तहसील दिवस की मुहर लगा दी। मान्यवर, यह टोटली डिफरेण्ट हो गया।

दूसरे, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहता हूं शिक्षा पर। क्या आज यह दुःख की बात नहीं है मान्यवर कि विश्व के 200 अच्छे विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थानों में हमारे देश की एक भी संस्था नहीं है। यह तो हमारे देश की हालत हुई और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में हमारे प्रदेश की एक भी संस्था नहीं है। यह हमारे प्रदेश की हालत हुई। मान्यवर, बजट प्राविधान में नहीं, आप एक बार जा करके देखें, किसी भी डिग्री कालेज में जा करके देखें, क्या वहां पर शिक्षक हैं ? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपवाद छोड़ करके, कुछ स्थानों को छोड़ करके, जहां 15 या 20 लेक्चरर होने चाहिए, वहां पर दो-दो, तीन-तीन लेक्चरर हैं। कहीं-कहीं तो केवल प्रिन्सिपल ही घूम रहा है और वहां पर 1200-1400 बच्चे हैं, कैसे हो जायेगी शिक्षा वहां पर। तो सिवाय इसके कि नकल करने के लिए मजबूर हो वह और नकल करने के बाद कैसे नागरिक बनेंगे इसका अनुमान आप लगा लीजिए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए। मान्यवर, मेरी लगन है कि मैं जा करके देख लूं। मैं एक डिग्री कालेज में गया, गवर्नमेण्ट का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज, साढ़े बारह बजे मैं वहां पहुंचा। चार अध्यापक धूप में बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह मूंगफली खाने का टाइम है ? कहने लगे कि कोई बच्चा ही नहीं आता। दो बच्चे घूम रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग आते क्यों नहीं हो तो कहने लगे कि कोई पढ़ाता ही नहीं है। यह स्थिति क्यों हैं ? मैं एक की बात नहीं कह रहा हूं। यह लगभग हर महाविद्यालय की स्थिति हो गयी है जब वहां पढ़ाई नहीं होगी तो फायदा क्या होगा उन संस्थाओं का। हम केवल यह कह दें कि इतने विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, इतने महाविद्यालय स्थापित करेंगें वह पर्याप्त नहीं है। जो हों, वह फंक्शनल हों और दूसरी बात जो निजी क्षेत्र से आये हैं, जो व्यवसायिक बन करके आये हैं, हमें डिग्री देने के लिए। हमें डिग्री लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, उन बच्चों को क्या-क्या करना पड़ता है, उन बच्चों के मां-बाप को क्या-क्या करना पड़ता है और पढ़ाई के नाम पर जीरो है। आज हमारे प्रदेश की जितनी संस्थायें हैं उनका सर्टीफिकेट लेकर

अगर कहीं इण्टरव्यू के लिए जाएं तो इण्टरव्यू लेने वाले यहीं पूछते हैं कि कहां से आए हो फलां जनपद से आए हैं पढ़े कहां हो वहां पढ़े हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है इण्टरव्यू हो गया जाय। यह चिन्ता का विषय हमारा होना चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में हम बेसिक स्कूल जो ग्रामीण अंचलों में हैं हम कुछ भी प्राविधान कर दें लेकिन कभी जाकर देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई होती है कि नहीं आज स्थिति यह हो गयी कि जो स्वाभिमानी आदमी है गांव का थोड़ी बहुत भी उसकी आमदनी है वह अपने बच्चों को वहां डालना पसन्द नहीं करता है। जो छोटे-छोटे प्राइवेट स्कूल बने हैं उनमें भेज देगा वहां नहीं भेजता कारण क्या उसके भीतर एक हीनभाव पैदा होता कि शायद मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा आज किताब लेकर नहीं जाता है हम फ्री किताब उसको देते हैं वह एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में कटोरी लेकर जाता है। चला गया वहां खाना सर्व हो गया और वह वापस आ गया यह हमारी नींव है हमारे फाउंडेशन है आगे आने वाले देश की फाउंडेशन हम तैयार कर रहे हैं उस फाउंडेशन के ऊपर हमने कितनी बड़ी चोट की है हमें इसका अंदाजा है। आज हमारे माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है। आज सेंटर लगवाए जाते हैं बड़ी-बड़ी बोली बोलकर और उनमें एडमीशन के लिए बोली इसलिए बोली जाती है कि नकल कहां हो सकेगी। प्रसिद्ध हो गए कई लोग लखपति और करोड़पति हो गए बच्चों का जीवन बरबाद कर रहे है नकल कराकर पास कर रहे हैं। क्या करेंगे वह जाकर आगे जाकर वह कोई काम कर पाएंगे। यह जो अपराध है उस अपराध में और कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी सर्टीफिकेट हो गए लेकिन योग्यता है नहीं किसी काम करने के लायक हैं नहीं इस पर विचार करना चाहिए। मैं मान्यवर, थोड़ा चिकित्सा के बारे में आना चाहता हूं हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हुए हैं और कभी मैं इन्हें तकलीफ भी देता हूं जब मैं जाकर देखता हूं कि 12 बजे अस्पताल में ताला लगा हुआ है मैं इन्हीं को सीधा फोन करता हूं कि ताला लगा है 12 बजे हैं मरीज का कोई नाम नहीं है। यह आश्वासन भी देते हैं मन से यह करना भी चाहते हैं यह मुझे पता है लेकिन हो तो नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा डाक्टर साहबान जाते हैं अटैचमेंट ड्यूटी जिले पर करेंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी वहीं पर है गांव में रहने का सवाल नहीं है। जो अस्पताल आज ग्रामीण अंचलों में हैं आपने पी0एच0सी0 भी बनाई हैं स्वास्थ्य केन्द्र भी बनाए हैं अपवाद छोड़ दीजिए एक दो जगह अच्छा होगा मंत्री जी जाकर देखिए न जंगले हैं न खिड़की हैं दवाई का तो नाम नहीं है आपने बहुत बड़ा उल्लेख किया कि इतने दिन की दवाई की उतने दिन फ्री दवाई की दवाई तो बाद की बात है पहले वहां डाक्टर तो पहुंच जाय कई अस्पताल ऐसे हैं जहां सफाई कर्मचारी इंचार्ज है वही देख रहा है मान्यवर, एक अस्पताल उच्चीकृत पी0ए0सी0 एक आदमी नब्ज देख रहा है मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि तुम डाक्टर तो हो नहीं उसने कहा कि मैं डाक्टर कहां हूं मैं तो सफाई कर्मचारी हूं। मैंने तभी इनको फोन किया कि इसमें सात डाक्टर होने चाहिए थे एक भी नहीं है और जो नब्ज दिखा रहा है उसको तो पता नहीं वह गरीब आदमी है वह सोच रहा है कि यह डाक्टर ही होगा वह उसको बैठा दिखा रहा है क्या होगा। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा लेकिन जो विरासत में आपको मिला है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं मैं यह नहीं कहता कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन 11 महीने का समय बहुत हो रहा है बजट भी आपके पास है आप सुधारिए और आप उतने पैर फैलाएं जितने को संभाल सकते हों अस्पतालों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है उनमें सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है हमारे मंत्री जी बैठे हैं पशु चिकित्सालय वहां पर चिकित्सालय लिखा हुआ है पशुओं की हालत तो मैंने बता ही दी क्यों आएंगे वहां पशु जब

वहां कोई है ही नहीं इसलिए पहले हम यह सुनिश्चित करें कि जितने हमारे अस्पताल हैं उनमें आदमी है कि नहीं फिर आगे बढ़े तब कुछ होगा। मान्यवर, थोड़ी समाज कल्याण के बारे में कह दूं क्योंकि समाज कल्याण सीधा-सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। हम उस वर्ग की सेवा करना चाहते हैं जो वर्ग सुविधाओं से वंचित है। हम उस वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं जिसके पास कुछ है नहीं हम सब जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं क्या यह सही नहीं है कि जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं। कम से कम मैं तो देखता हूं गरीब औरत 70 साल की 75 साल की मुंह में दांत नहीं आकर खड़ी हो जायेगी कि भैय्या पेंशन। हम कहां से गुजारा करें। हमारे यहां कोई करने वाला नहीं। हमने पूछा पति तुम्हारे तो कहा कि पति की तो मौत हो गई बहुत दिन पहले। इतनी गरीब औरत बी0पी0एल0 का फार्म भरा, न जाने क्या हुआ होगा। समीक्षा करने का किसी को अधिकार नहीं, संख्या बढ़ाने का किसी को अधिकार नहीं। हम सब उस व्यवस्था के गुलाम होकर रह गये। संख्या बढ़ाने का किसी को अधिकार नहीं, समीक्षा करने का किसी को अधिकार नहीं। हम उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, सदन बैठा है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। हम एक लाचारी का शिकार होकर रह गये हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं मान्यवर। क्या करें उसके लिये। कभी-कभी अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं इनका जनप्रतिनिधि हूं। यह मुझसे उम्मीद लेकर के आई हैं क्या करूं इनके लिये। मान्यवर, कोई गांव नहीं बचा और खास करके छोटे कस्बे। मेरा कस्बा कैराना मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। बहुत गरीब लोग रहते हैं वहां पर। अभी आपने एक योजना की बात कही कि वहां पर आवास बनाये जायेंगे ढाई लाख रुपये की लागत के। बरामदा मिलेगा, बाथरूम मिलेगा। मैंने पूछा एक आदमी से मेरी गाड़ी में पीछे बैठा था, कि तुम्हारे पास रहने को है। कहा कि जी एक कमरा किराये पर ले रखा है, मजदूरी करता हूं। उस कमरे में 7 आदमी रहते हैं। बाथरूम नहीं है। मैंने सोचा क्या आजादी है। आजादी के 60-65 साल बाद भी हम उसको क्या दें रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिये। मान्यवर, यह बिन्दु आपको छोटे लग सकते हैं लेकिन इन बिन्दुओं पर विचार करें। आपके पास में क्षमता बहुत है, साधन बहुत हैं, उन साधनों का सदुपयोग होना बाकी है। अगर उन साधनों का सदुपयोग हो जाय, उन अधिकारियों पर नियंत्रण हो जाय तो उसमें सुधार हो सकता है। मैं जो समाज कल्याण के बारे में बात कह रहा हूं एक समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर की जांच हुई और जहां एक अधिकारी की जांच में मान्यवर, अब तक सवा दो सौ करोड़ का घपला पाया गया और जब वह घपला पकड़ में आया उस अधिकारी पर फायरिंग हुई और बाल बाल वह बचा। जो आदमी घपला करने वाला था वह जेल गया और करीब एक साल के बाद में जमानत हुई उसकी और मैं इस बात में प्रशंसा करता हूं आपकी कि आपमें वास्तव में दम है, आपने उसको टिकट देकर इलेक्शन लड़ा दिया। (मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। बहुत समय हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

जब भी आप कहेंगें मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपने बीस मिनट कहा था और उससे ज्यादा हो गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं केवल संक्षेप में मान्यवर, एक दो विभाग के बारे में बात करूं फिर खत्म करता हूं। मान्यवर, यह विद्युत विभाग है। मैं नहीं जानता कि कहां 24 घंटे बिजली है और कहां 24 मिनट। मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। यह आपका विवेक है कि जहां आपको बिजली देनी है देंगें। बहुत बड़ा प्रदेश है और केन्द्र सरकार की भी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई मजरा कोई गांव बिना विद्युतीकरण के न रहे। लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस पर विचार कर लेना। मान्यवर, बैठे हुए हैं विद्युत मंत्री जी पुराने वाले इन्होनें मुजफ्फरनगर में छापा मारा। खुद गये छापा मारने और अखबार में निकला कि 100 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी। हमें लगा कि चलो अच्छा हुआ। न तो उसके बदले में पैसा आया न उन पर कोई फर्क पड़ा। फर्क किस पर पड़ा ? जो किसान मजबूर हो करके अपने ट्यूबवैल को चला रहा था। कनेक्शन बन्द हैं, तार डाल लिया, छापा लगा, पुलिस में रिपोर्ट हुई और जब वह गया अपना कम्पाउन्ड कराने के लिये। मेरे पास में आया अपनी जान बचाने के लिये कि मेरी तो रिपोर्ट हो गई। मैंने एक्सिएन से कहा कि इसका कम्पाउन्ड कर दें तो एक्सिएन का जवाब सुनिये कि साहब एक लाख से कम में तो कम्पाउन्ड नहीं होता। एक लाख का माल तो उसके सारे घर का भी नहीं और वो सरकारी आदेश है। मैं आपसे आग्रह यह कर रहा हूं कि जहां ऐसे केसेज हैं। छोटी चक्की पर चोरी पकड़ी गई। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जहां ऐसे केस हैं कि छोटी चक्की चल गई, चोरी पकड़ी गई, कहीं बल्व जल गया, पंखा चल गया और चोरी पकड़ी गई जो इस तरह के छोटे-छोटे केस हैं, यह किसने दकियानूसी आदेश किए कि एक लाख से कम पर कम्पाउण्ड नहीं हो पाएगा, एक लाख से कम पर न तो कम्पाउन्ड होगा न कुछ और होगा उसका उत्पीड़न होता रहेगा इस पर विचार करना चाहिए और बिजली अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि जो उचित हो उस पर कम्पाउन्ड कर लें 100 करोड़ वाला मामला नहीं निपटा मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं मेरे अपने नगर में....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, मेरे नगर में छापा पड़ा अखबार में आया कि चालीस करोड़ की चोरी पकड़ी गई। 40 करोड़ की चोरी के बाद में, उसमें मुकदमा किया हुआ है। पूरा फोर्स लगा है बिजली विभाग का, उस वकील पर दवाव बनाने के लिए, कि केस खत्म करा दो, आज की तारीख की बात कह रहा हूं। जब मेरी जानकारी में बात आई तो मैंने अधिकारियों से बात की कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, कि अपने आप ही चोरी पकड़ते हो और अपना ही मुकदमा वापस करने का दबाव बनाते हो तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें ऊपर से दबाव है। ऊपर पता नहीं किसका दबाव है, वह भी पता लग जाए। आज मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं जहां इस प्रकार की घटना घट जाए और राजनीतिक दबाव हो, प्रशासनिक दबाव हो तो वह नहीं होना चाहिए। वरना वह अधिकारी उन गरीबों को सतायेंगे जिनके पास कुछ है नहीं मान्यवर, कहने के लिए तो बहुत है लेकिन मुझे पता है कि आप कहने नहीं देंगे। काश यह उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी कोई रहा होता जो खाली

है, मैं आपसे आग्रह करता हूं मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी जो मैंने कहा है उस पर विचार करें और उस पर अमल करायें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भा0ज0पा0 ने रखे उसके साथ हम अपने कांग्रेस के संशोधन के प्रस्ताव को सम्बद्ध करते हुए, कांग्रेस के सभी सदस्यों को संशोधनों को जोड़ते हुए इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं विरोध करता हूं कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने 11 महीने पहले शपथ ली थी। बहुत उम्मीदें थीं, और उम्मीदें हैं परन्तु मैं समझता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी के मुख्य मंत्री का पद लेने के बाद एक आशा का संचार हुआ पूरे प्रदेश में कि एक विजन के मुख्य मंत्री आए हैं, पढ़े-लिखे मुख्य मंत्री जी आए हैं, विदेश से भी शिक्षा ग्रहण की है। परन्तु मैं समझता हूं कि उनकी बिजन, उनकी सोच, उनकी कार्यप्रणाली का ध्वस्तीकरण तब हो गया जब आम आदमी तक कोई चीज नहीं पहुंची आज स्थिति यह है कि आप जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है ग्रास रूट पर, चाहे यह सरकार रही हो चाहें आपकी सरकार रही हो, और नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा कि उनकी तमाम योजनाओं का नाम इस सरकार ने बदल कर रख दिया और बदलने के बाद उन्हीं के गीत गाए जा रहे हैं आप लोहिया जी का सम्मान कर रहे हैं इन्होंने अपने यहां के महान पुरूषों का सम्मान किया और इस चक्कर में पिस रही है प्रदेश की जनता। आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जहां आज महाकुंभ की बात आई, शिवाकान्त ओझा जी ने पता नहीं क्यों वह केन्द्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। महाकुंभ इतना बड़ा पर्व था कि इस सरकार और हमारी सरकार ने मिलकर, आस्था का प्रतीक महाकुंभ की व्यवस्था करी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए लेकिन उन मुद्दों को देखना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। मा0 शिवाकान्त ओझा जी आरोप लगा रहे थे मेरी समझ में नहीं आया भारतीय जनता पार्टी में एक लम्बे समय तक दीन दयाल उपाध्याय जी का गुणगान करने वाले कुछ ही महीने में लोहिया जी का गुणगान करने वाले कैसे हो गए। आज स्थिति यह है कि 800 करोड़ रुपये की ग्रान्ट केन्द्र सरकार ने दी है। आज समय यह है कि उन बातों पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने जांच के आदेश बैठाए, रिटायर्ड जज को जांच के लिए बैठाया। उसकी रिपोर्ट तो आने दीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है तब आरोप लगाइए। अगर भीड़ का मैनेजमेंट सही होता। तो शहादत न होती अगर स्टेशन पर इतनी क्राउड को अन्दर नहीं आने दिया जाता तो घटना नहीं घटती और मेले के मामले में इसको गम्भीरता से देखा जाना चाहिए था। मान्यवर, यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयाग में महाकुम्भ हो रहा था तो जिम्मेदारी तो प्रदेश की होती है। उसमें सहयोग केन्द्र सरकार दे रही थी, उसके साथ कोआर्डिनेशन करना चाहिए था। यह तो आप ही बताते कि कितनी जनता आयेगी, कितने श्रद्धालु आयेंगे, कितना क्राउड मैनेजमेण्ट करना है, कितनी एडिशनल फोर्स की आवश्यकता है ? माननीय ओझा जी, आपने धन्यवाद दिया, दीप नारायण जी ने आपको धन्यवाद दिया और स्थिति यह है कि आपको सोच-समझ कर इस तरह की बात करनी चाहिए थी। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने औद्योगीकरण के बारे में सोचा, आगरा में समिट

किया देश-विदेश के उद्योगपतियों को बुलाकर, एक अच्छी सोच बनी। लेकिन इन्डस्ट्री लगाने के लिए आपको बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा, आपको दो पालिसीज बनानी पड़ेंगी, एक एक्जिस्टिंग इन्डस्ट्रियल स्टेट के लिए, आज तमाम जो रूग्ण पड़ी हुई इन्डस्ट्रियल इकाइयां हैं, जहां वन-टाइम सेटलमेंट के लिए तमाम औद्योगिक घराने तरस रहे हैं, ओटीएस के लिए एक सिस्टम होता है। आप निवेशकों को यहां आने के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन निवेशक तब आयेंगे, जब औद्योगिकरण का माहौल होगा, जब प्रदेश में कानून-व्यवस्था अच्छी होगी। जब उद्यमी को यह महसूस होगा कि हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी, हमें पूरी बिजली मिलेगी, लेकिन जहां 10-10 घण्टे, 15-15 घण्टे कटौती हो रही है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि यहां बड़े निवेशक अपना निवेश करेंगे ? इसके लिए आपको स्टेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कानून-व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जो इण्टरनेट है, अखबार है और जो सारी चीजें हैं, जो प्रदेश का एक माहौल देती है कि इतने लोग मरे, इतनी डकैती हुई, इतने बलात्कार हुए। मान्यवर, हालत इतनी खराब है, कानून-व्यवस्था का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। जब आप पहली बार यहां आये थे, आपने वायदा किया था कि मैं एक दृढ़ कानून-व्यवस्था दूंगा लेकिन उस मामले में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी हमारे बड़े भाई माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था कि आप ग्रास रूट पर जाइये, नीचे तबके को मजबूत करिए, दरोगाराज को खत्म करिए। यहां आपकी सुविधा के लिए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी हैं लेकिन नीचे स्तर पर थानों में क्या हो रहा है ? थानों में पहले इनके लोग हावी रहते थे, अब आपके लोग हावी रहते हैं। आप इस बात को भी देखिए, आपके नेता जी ने शिकंजा कसने की बात कही हैं, परन्तु ग्रास रूट पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, वही बन्दरबांट हो रहा है जो पूर्ववर्ती सरकारों में होता रहा है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा, ऊर्जा क्षेत्र के लिए आप एक रणनीति बनायें, आज एग्जिस्टिंग इकाइयों की क्या हालत है। आप नए निवेशकों को बुलाइये, आप शार्ट टर्म और लांग टर्म स्टेटेजी बनाइये। आज स्थिति यह है न बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली मिल रही है, न किसानों को बिजली मिल रही है और न शहरों को निर्धारित घण्टे बिजली मिल रही है, आगरा का जो ताज ट्रिपेजियम जोन का इलाका है, मथुरा है आदि के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि वहां पर बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां भी 15-15 घण्टे बिजली की कटौती की जाती है। मुख्य मंत्री जी, आपको इस तरह के कन्ट्रोल विंग बनाने पड़ेंगे, आपको सक्षम स्तर के अधिकारियो से अपने पंचम तल को मजबूत करना होगा जो आपको रिपोर्टिंग करें। यह सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो गन्ना क्रय केन्द्र हैं, धान क्रय केन्द्र हैं, आप देखें, वहां क्या हो रहा है, गन्ना किसानों का 4 हजार करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जैसा कहा, वह ऐसा लग रहा था कि जैसे एडवान्स में ही बजट रख दिया गया हो, उसका ऐसा रिफलेक्शन हो रहा था कि जैसे महामहिम राज्यपाल जी आपकी ही बात कह रहे हों। जिला योजना की जो बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी, जिला योजना का पैसा अभी जिलों को पहुंचा ही नहीं है, कैसे काम होंगे ? पी0डब्ल्यू0डी0 के टेण्डर हो गए, टेण्डर कैन्सिल कर दिय गए क्योंकि अब तक पैसा नहीं आया। समग्र ग्राम और लोहिया ग्राम योजना का पैसा नहीं पहुंचा जनेश्वर मिश्र योजना का पैसा नहीं पहुंचा। आपने जो बजट पिछली बार प्रस्तुत किया। उसका पैसा कहां गया। इन दो महीनों में आप क्या करेंगे। दो महीनो में वहीं कागज की लीपापोती होगी। वहीं ठेकेदार होंगे वही उल्टा-सीधा काम कराकर लीपापोती कर देंगे। मैं चाहूंगा कि

आप बजट की पहले दिन से ही समीक्षा करिये उसे देखिये कि नीचे तक पैसा पहुंचता है या नहीं। आप फुल मेजारिटी में है। पूर्ववर्ती सरकार और आपकी सरकार में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आप नगर विकास की बात करिये। नगर विकास में आपकी सरकार केन्द्र सरकार से पैसा लाने में इच्छुक ही नहीं है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन सात शहरों में चल रहा है। मैंने नगर विकास मंत्री जी की जयपुर अधिवेशन में केन्द्रीय नगर विकास मंत्री से उनकी बात करायी, मा0 मुख्य मंत्री जी आपकी बात कराने की कोशिश की। क्योंकि हम भी उस क्षेत्र से आते है जहां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन का काम हो रहा है। परन्तु आपके यहां से डी0पी0आर0 बनकर ही नहीं जा रही हैं। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन मे इरमा नाम की जो बॉडी गठित की जाती है जो बैरिफाई करती है सारे एक्सपेंडिचर को, वह बॉडी एक साल से नहीं बनी है। कैसे पैसा आएगा। 250 करोड़ रुपये आपको केन्द्र सरकार से लाना है। परन्तु आप लोगों की कोई रुचि नहीं है। केन्द्रीय पैसे पर आप भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह अपनी मुहर लगाकर दिखाना चाहते हैं कि सारा पैसा हमारा पैसा है। मा0 मुख्य मंत्री जी आप इन बातों को समझते हैं कि केन्द्र सरकार का पैसा केन्द्र सरकार का है और प्रदेश सरकार का पैसा प्रदेश सरकार का है। जो केन्द्र सरकार की योजना है अगर आप उसमें केन्द्र सरकार का भी नाम लें तो कुछ घटने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए है। एन0आर0एच0एम0 में जो आपकी तमाम एम्बुलेंस आयी उसमें समाजवादी स्वास्थ्य सेवायें करके एम्बुलेंसेस लांच कर दी। यदि आप उसमें एन0आर0एच0एम0 या केन्द्र सरकार का जिक्र कर देते तो हम कोई विरोध करने नहीं आ रहे थे। आप जब लॉचिंग कर रहे थे तो आप हमें भी इन्वाइट कर सकते थे। बोलते कि यह ज्वाइंट बेंचर है माथुर साहब आप भी आइये। हमें कभी ऐसा इन्वीटेशन नहीं मिलता। जहां केन्द्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वहां आप भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह संकीर्णता दिखा रहे हैं। जनता सब जानती है कि कौन किसका पैसा हैं तो उस पर मुहर लगाने से काम चलने वाला नहीं है कि आप मुहर लगाते रहें और हम लोग देखते रहे। अभी हमारे नेता ने मीटिंग ली तो उसमें सबकी आपत्ति थी कि देश में जहां पर भी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर केन्द्रीय योजनओं पर किस तरह से प्रदेश सरकारें अपनी मुहर लगा रही हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन में आपकी डी0पी0आर0 जानी अगर आपने डी0पी0आर0 भेज दी तो केन्द्र सरकार से आपको पैसा मिल जाएगा। आपको अपने प्लानिंग विभाग में कुछ ऐसा करना होगा कि वह एडवांस में डी0पी0आर0 बनायें और उसका पैसा लेकर आयें। आपके ऊर्जा विभाग में एकस्टेंडेड ए0पी0डी0आर0पी0 में पैसे के लिए डी0पी0आर0 भर रखी है। पर उन्हें कोई मानीटर करने वाला नहीं है। वह पैसा कैसे आएगा जब तक आप मानीटर नहीं करेंगे। उसके लिए मानीटरिंग सेल बनानी होगी। मान्यवर, जहां तक पी0डब्ल्यू0डी0 का सवाल है। मैं समझता हूं कि माननीय शिवपाल जी, जब पूर्व में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तो तमाम सड़कें बनी थीं तमाम सड़कें गड्ढामुक्त हुयी थीं। उसके बाद तो पता नहीं अब क्या हो गया है। अब कुछ काम नहीं हो रहे हैं। आज इनके डंडे का दम भी कमजोर पड़ गया है। आदरणीय शिवपाल जी डंडा चलाइये। जिलों में सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुयी है। आपका पैसा टेण्डर होकर वापस आ रहा है। पता नहीं आपके संज्ञान में है या नहीं। पर्यटन विभाग की एक स्कीम का पैसा राजकीय निर्माण निगम ने बंदरबांट कर दिया। घाट बनाने का काम एक ऐसे

ठेकेदार को दे दिया जिसे घाट बनाने का अनुभव ही नहीं है। राजकीय निर्माण निगम को आपके सिंचाई विभाग को पैसा दें देना चाहिए था। तब यमुना में घाट बन जाते। अब उसने किसी और को ठेका उठा दिया। तो बताइये केन्द्र सरकार के पैसे की धज्जियां उड़ेगी या नहीं। आप पूरे में चर्चा के नाम से मशहूर हैं। अपने डण्डे में दम रखिये और यह तो चलता ही रहता है, परिवार में कौन मुख्य मंत्री बनेगा और कौन मंत्री बनेगा, यह तो आपके घर का मामला है। मान्यवर, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और आपकी विधवा पेंशन, आप देखिये वही हाल है जो हमेशा रहा है। आज आपके जो आय प्रमाण-पत्र हैं, उनको बनाने के लिये तहसीलों में पैसे लिये जा रहे हैं, बुजुर्ग महिलायें वहीं धक्के खा रही हैं। जैसा मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि जब वह क्षेत्र में जाते हैं तो वह कहती हैं बेटा पेंशन बनवा दो, पर लाल फीताशाही इस कदर हावी हैं, हमें उम्मीद थी जब आपकी सरकार आयेगी तो इस लाल फीताशाही पर लगाम लगेगा, पर लगाम नहीं लगी, वही जस का तस है। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन असलियत में महसूस वही करेंगे जो मैं कह रहा हूं आप भी इन्हीं बातों से पीड़ित हैं, आपको अपनी सरकार से डर लगता है, आप अपनी सरकार के विरोध में कैसे बोलेंगे, पर वास्तविकता यह है। इसके अलावा मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का मामला है, नहरों की सफाई नहीं हुई, नदियों में पानी नहीं है, नहरों में टेल तक पानी नहीं जा रहा है। मान्यवर, समग्र विकास की बात मा0 मुख्य मंत्री जी ने की थी, जब सत्ता में यह सरकार आई थी। समग्र विकास कैसे होगा ? समग्र विकास तब होगा जब पूरी 403 विधान सभा क्षेत्रों में उनकी तहसीलों में, उनके ताल्लुकों में, उनके ब्लाकों में बराबर पैसा जायेगा। तभी आप प्रदेश में समग्र विकास कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि जो आपने जिले के प्रभारी मंत्री बनाये हैं वही हैण्डपम्पों की सूची फाइनल करते हैं, वही समग्र विकास की सूची फाइनल करते हैं, वही आपके लोहिया समग्र ग्राम और पं0 जनेश्वर मिश्र योजना को फाइनल करते हैं और वही जिला योजना को फाइनल करते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी हम यह उम्मीद करते थे कि आपके कुर्सी पर बैठते ही खासतौर से आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि आपका विजन है, आपकी सोंच, छोटी संकीर्णता नहीं है कि आपके कुर्सी पर बैठते ही राजनीतिक संकीर्णता खत्म होगी और आप लिबरल होकर काम करेंगे, खुले हाथों से काम करेंगे। आज स्थिति यह है कि हम कोई परिवर्तन नहीं महसूस करते हैं। चाहे बसपा की सरकार थी, चाहे आपकी सरकार हो, आपको देखना होगा, समग्र विकास प्रदेश के लिए समग्र विकास तभी होगा जब 403 विधान सभा क्षेत्रों में बराबर काम होगा तो बात यह है कि आपसे हमें उम्मीदें हैं, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना पुलिन्दा पेश किया 92 पेज का।

श्री अखिलेश यादव-

आपके ही राज्यपाल हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

हम मानते हैं, हमारे ही राज्यपाल हैं, पर पेश तो आपही ने किया, उनको इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। आपने पेश कर दिया और स्थिति यह है कि वह एक रिफ्लेक्शन आपकी सरकार का दिखाता है। हमारा काम यह है कि संशोधन करके आपसे हम बात करें। पर्यटन के मामले में, उत्तर प्रदेश में अपार संभावनायें हैं और मैंने बजट को भी देखा और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को

भी देखा आपने आगरा में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है, परन्तु बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं है, हालांकि यह समय नहीं है जब बजट पर बोलेंगे, तब बतायेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन सुबह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण बाद में हो रहा है, बजट पहले पेश हो गया तो स्थिति यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्रान्सपेरेन्सी रखेंगे, प्रदेश के विकास के लिये परन्तु इन ग्यारह महीनों में कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कुछ ऐसा नहीं लगा, जो मैदान में है, हकीकत में है वह हमने आपसे बयान की। आप किसानों के खाद के केन्द्रों को देखिये, आप बीज के केन्द्रों को देखिये, हमारे मा0 कृषि मंत्री जी बहुत सीनियर हैं, अखबारों में लड़ाईयां रोज छप रही हैं, आप इनका सेटेलमेण्ट कराइये, बीजों की बात हुई, खाद की बात हुई, यह मुद्दे समाप्त होने चाहिए क्योंकि घर की फूट ले डूबती है, इसलिए घर में फूट मत बनाइये तो मैं कहना चाहूंगा कि अफसरों पर लगाम डालिये, आपके यहां की ब्यूरोक्रेसी नीचे तक कोई काम नहीं करते। आप कह कर आ जाइये, इस तरह की एक सोच होनी चाहिए। किसी भी विधायक का फोन आये तो अफसरों को अटैण्ड करना चाहिये। प्रोटोकाल्स खत्म हो गये हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके रहते हुए वे सारे प्रोटोकाल्स होने चाहिए। विपक्ष में बैठे हुए सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र का उचित सम्मान मिले और उनके क्षेत्र में ढंग से काम हो। मान्यवर, मैं मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, जय हिन्द नहीं किया जाता है, यह विधान सभा है, पब्लिक मीटिंग नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, वैसे मेरे पूर्व वक्ता नेता प्रतिपक्ष, मा0 हुकुम सिंह जी, माथुर जी ने बहुत विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ थोड़ी सी चर्चा मैं भी इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसके पेज-45 पर कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिये उल्लेख किया गया है कि किसानों के लिये एक अलग फीडर बनेगा। मेरे ख्याल से दो-चार जिलों का तो मुझे ही पता है, कहीं किसी भी जगह नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष-

अब बनेगा न।

श्री दलवीर सिंह-

लेकिन कोई शुरूआत भी नहीं हुयी है। मान्यवर, शुरूआत तो कराइये, कहीं शुरूआत तो हो 11 महीने हो गये हैं। अरे, 11 महीने हो गये हैं कहीं शुरूआत तो करेंगे। पिछले भाषण में आपका कहना था तो आप शुरूआत तो करेंगे। दूसरी बात बिजली के सम्बन्ध में अभी हुकुम सिंह जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। इतनी एफ0आई0आर0 हो रही है किसानों के खिलाफ, बेमतलब एफ0आई0आर0 हो रही है, दस-दस, बीस-बीस हजार रुपये पर। वह गरीब देश के लिये इस प्रदेश के लिये, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये खाद्यान्न पैदा करता है। मेहनत करता है दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में खाद्यान्न पैदा करता है। आपका जे0ई0 एफ0आई0आर0 कर देता है, शमन शुल्क के रूप अभी उन्होंने कहा कि एक लाख रुपया शमन शुल्क के नाम पर देना पड़ता है,

16 हजार रुपया लाइट एण्ड फैन पर देना पड़ता है। चक्की का अगर कनेक्शन है तो डेढ़ लाख रुपये शमन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। इसे थोड़ा गौर से सुनें आप। मेरा एक सुझाव है, ये ठीक है कि आप दबाव बनाने के लिये, वसूली के लिये यह अभियान चलाते रहें लेकिन जो शमन शुल्क के नाम पर पैसा वसूल होता है। मैं चाहता हूं कि उसे किसान के बिल में शामिल कर लिया जाये तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। किसान के लिये हितकर हो जायेगा। अभी नहरों की बात आयी, मा0 मंत्री जी बैठे हैं, हमारे साथी विधायक अलीगढ़ के अभी बहुत तारीफ कर रहे थे कि टेल तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। टेल तक पानी पहुंचाने का ही तो संकल्प है, भराई का तो नहीं है। उस नहर के टेल पर पानी पहुंचने का लाभ क्या, जब कुलाबों में पानी ससुरा नहीं आ रहा है।

(सदन में जोर की हंसी)

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, जब पानी टेल पर पहुंच रहा है और पानी जब कुलाबों में आ ही नहीं रहा है, कुलाबों में जब पानी आ ही नहीं रहा तो ऐसे टेल फीड से कोई फायदा नहीं। मैं एक और माइनर का उदाहरण देता हूं, जितनी भी सफाई हुयी है, सफाई खूब हुयी, सब रास्ता अवरुद्ध हो गये, लोगों का आना-जाना चलना भारी हो गया, सड़क किनारे मिट्टी के ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। कोई व्यवस्था नहीं हुयी है। एक और माइनर है मेरे जनपद में, 17 किलोमीटर साफ हो गयी लेकिन जहां से पानी छूटना था, वहां एक किलोमीटर साफ नहीं हुयी। इसलिये 17 किलोमीटर की सफाई बेकार। आप इस पर ध्यान दें। सिंचाई के सम्बन्ध में अभी सरकार ने घोषणा की है कि हम किसानों को सिंचाई में शुल्क मुक्त करेंगे। क्या शुल्क मुक्त करेंगे साहब, 7000 नलकूप ही बन्द हैं। जब 7000 नलकूप ही बन्द रहेंगे तो काहे की सुविधा किसानों को मिलेगी। 20 प्रतिशत सिंचाई नलकूपों और नहर से होती है, 80 परसेण्ट सिंचाई का साधन ट्यूबवेल या पम्प सेट से है। जब आपको सिंचाई की सुविधा देनी है तो उनकी बिजली माफ कर दें नलकूपों की, पम्प सेट वालों को कुछ अनुदान दें। ये तो सुविधा होगी, 7000 ट्यूबवेल बन्द हैं और सरकार घोषणा कर रही है कि हम पूरी सिंचाई का शुल्क माफ कर दिया। इसमें थोड़ा आप ध्यान दें। पेज नं0-58 पर प्रदेश में बन्द पड़े हुए दुग्ध संघों के बारे में आया है कि हम इन दुग्ध संघों को पुनर्जीवित करेंगे। मैनपुरी और लखनऊ में नये खोलने की बात तो हो गई है। अलीगढ़ का दुग्ध संघ बहुत पुराना दुग्ध संघ है, बहुत बढ़िया है। जिसकी बहुत अच्छी प्लानिंग भी थी, एक अच्छी डेरी भी थी, उसमें काफी लोग काम करते थे। मेरे ख्याल से सब कर्मचारी रोते-रोते बिचारे घर बैठ गये, किसानों का बकाया इतना पड़ा है। अभी तक उस पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सरकार इस पर व्यवस्था करें, जरा देखें। गन्ना किसानों के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख करूंगा मैं, उसी क्षेत्र से हूं, जहां गन्ना की खेती अच्छी-खासी होती है। पूरे क्षेत्र में दसियों सेन्टरों पर मैंने खुद छापे डाले, मैंने खुद चेक किया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी भारी घटतौली हो रही है, किसानों से और इतनी बड़ी दलाली हो रही है। अब तक के इतिहास में हमारे इतने लम्बे जीवन में कभी इतनी घटतौली और दलाली गन्ने की नहीं हुई है, जितनी इस बार हुई है। आपने गन्ना का मूल्य बढ़ाया अच्छी बात की, लोगों को बहुत अच्छा लगा लेकिन लुटाई से तो बचाओ, लुटाई इतनी जबरदस्त हो रही है। इतने दलाल और कमीशनखोर लग रहे हैं हर मिल पर रु0 210, 220 रुपये प्रति कुन्तल में किसान गन्ना देने के लिए बाध्य हैं और आप कहीं भी जाकर देख लीजिए

खुल्लम-खुल्ला यह हो रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है अभी पूरे आंकड़े मैंने मंगवाए हैं। लगभग 4 हजार करोड़ रुपया के करीब बकाया है आपका वर्तमान पेराई सत्र का। ओवर लोडिंग का भी इसमें जिक्र आया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र को छोड़िए, 2-4 जनपदों में सभी सड़कें बैठ गई हैं। मैंने खुद अपने हाथ से ओवर लोडिंग पकड़ी है। ट्रकों में 65-65 टन की, ओवर लोडिंग थी, ये बैठे हैं, विधायक हमारे तरफ के इन्हें जानकारी है, मैंने पकड़े हैं और चालान भी कराये हैं। कार्यवाही एक दम ढीली रोजमर्रा की तरह वहीं महीनेदारी, वही सब वसूली हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। अलीगढ़ जनपद की सभी सड़कों से, राख ढुलती है, नेशनल हाई-वे बन रहा है, डम्फर चल रहे हैं, हर जगह ओवर लोडिंग हो रही है। जनपद की सभी सड़कें लगभग-लगभग बैठ गई हैं, प्रदेश का भी यही हाल है। मा0 परिवहन मंत्री जी चले गये हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री के सब लैटर बड़े कायदे से सम्बोधित होकर हमें मिलते हैं जैसे आपकी यह बात आ गई है, संदर्भ ले लिया गया है। मेरे ख्याल से 11 महीने होने जा रहे हैं, आज तक तो कोई संदर्भ नहीं लिया जा रहा है। आज तक कोई संदर्भ लिया तो नहीं गया है लेकिन लेटर जरूर आता है। यह जो अभी आपने लोहिया ग्राम तय किये हैं। 2 हजार की आबादी तक आपने रखा है 20 लाख। 2 हजार के ऊपर 5 हजार तक रखा है 30 लाख और उसके ऊपर रखा है 40 लाख सभी प्रदेश में यही बात है। आपके एक अधिकारी आदेश करते हैं मा0 चीफ सेकेट्री आदेश करते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना का आधार बनाया जाए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। यह आपकी मशीनरी की व्यवस्था है, मतलब इतना अंतर आपकी सरकार, आपके अधिकारी बता रहे हैं। यह जो भी आधार बनाया है हमारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, वर्ष 2001 का बनाया है और तब से अब तक आबादी हर जगह की जनसंख्या ड्योढ़ी/दुगुनी हो गई है। आपने लोहिया ग्राम बनाए, बहुत अच्छा किया लेकिन गांव-गांव झगड़ा इतना हो रहा है। इतना कम धन है कि उससे पूर्ति हो ही नहीं रही है। मान्यवर, यह 2011 की आबादी मान रहे हैं, जैसा श्री राज्यपाल के अभिभाषण में है। आपके मुख्य सचिव के आदेश में इसे 2001 की आबादी का बेस माना है तो यह सब विषमतायें हैं इसका आप ध्यान रखें कि एकरूपता रहे। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की एक अच्छी बात अभी हुकुम सिंह जी बता रहे थे कि राजनाथ सिंह जी के समय में किसी सिपाही की, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, हिम्मत नहीं थी कि हाथ दिखा दें। राजनाथ सिंह जी को किसानों की समस्याओं की समझ थी। (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट) आज स्थिति क्या है, जुगाड़ जैसे वाहन थानों में बन्द किये जा रहे हैं। किसानों का बुरा हाल है।

एक सदस्य-

मान्यवर, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एलाइन्स हो गया है।

श्री दलवीर सिंह-

कोई एलाइन्स नहीं है यह बेकार की बातें हैं। मैं कह रहा था कि कोई अच्छा काम करता था तो उसका जिक्र आ जाता है। गोरखपुर से गाजियाबाद तक किसी सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि वह वाहनों को हाथ दिखा सके और रोक सके यह राजनाथ सिंह जी के समय में व्यवस्था थी और भी बहुत सी उन्होंने अच्छी बातें की थीं उनको बताने में समय लगेगा। मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं।

यहां पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, हुकुम सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप माथुर जी, यह सब अच्छे ज्ञाता लोग बैठे हैं, लेकिन मैं फील्ड की बात बता रहा हूं। आपको राजनाथ सिंह जी के अच्छे कामों का संज्ञान लेना चाहिए उनके समय में कभी बुलन्दशहर में, अलीगढ़ में, वाहनों को नहीं पकड़ा गया। मान्यवर, उन जुगाड़ वाहनों का कोई पंजीयन नम्बर नहीं है वे बिचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। आप मुख्य मंत्री जी आदेशित करें कि जुगाड़ वाहनों को नहीं पकड़ा जायेगा। मान्यवर, जब मैं सदन में आया तो चिंतित था, पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी चिन्तित थे। मान्यवर, सरकार ने अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग सेण्टर बनाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो उस ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मान्यवर, जो दूसरे सवर्ण जाति के गरीब लोग हैं, चाहे वह ठाकुर हों, बनिया हों, कायस्थ हों और जो स्वर्ण जाति के लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनके लिए भी कुछ आप ट्रेनिंग सेण्टर खुलवायें। मान्यवर, यह जो आप जातिगत आधार पर तुष्टिकरण की कार्यवाही कर रहे हैं उससे किसी का भला होने वाला नहीं है उल्टे उसका रियक्शन ही हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आज राजनीति में एक तरह से तुष्टिकरण की कार्यवाही चल रही है और यह आदत होती जा रही है। हम चाहते हैं कि सभी को सरकारी सुविधाओं का बराबर लाभ मिले। मान्यवर, हमारे जिले अलीगढ़ के एम0एल0ए0 यहां बैठे हुए हैं। मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति से पूछा कि यह सरकार आई है आपको कुछ लाभ मिला है उसने कहा कि हमें कोई लाभ नहीं मिला।

एक सदस्य-

श्रीमन्, आप भी अलीगढ़ में जब अल्पसंख्यक कन्याओं को अनुदान राशि बांटी जा रही थी तो आप मंच पर स्वयं मौजूद थे।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, वह कुछ लोगों को ही बांटी गयी। लेकिन उसका लाभ सभी वर्गों के बच्चों को मिले तो अच्छा होगा। मान्यवर, आज हमारे यहां अलीगढ़ में पशुओं की कटाई जोरों पर है। पहले वहां सांड, गाय, भैंस, बछड़े सड़कों पर दिख जाते थे लेकिन आज सबकी कटाई हो जाती है। इसको रुकवाने का आप काम करें। इतना प्रदूषण हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा है हमारे नगर विकास मंत्री जी अलीगढ़ को बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनसे भी कहा है कि इस प्रदूषण को रुकवाइये, इन कट्टीघरों को बन्द कराइये। मवेशी की चोरियों पर प्रतिबन्ध लगवाइये। मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बजट पर भी बोलेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

हां बजट पर भी बोलेंगे, खुब बोलेंगे बजट पर। देखिये अभी लोहिया जी के नाम पर, अम्बेडकर जी के नाम पर सब के नाम पर योजनाएं हैं, महापुरुषों के नाम पर योजनाओं का नाम दिया जा रहा है। इस सदन में अभी नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे कि हां मैं भी लोकदल में था। मा0 मुलायम सिंह नेता जी स्वयं लोकदल के अध्यक्ष रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक रहे हैं।

यह जितने लोग बैठे हैं इसमें से 90 प्रतिशत आदमी चौधरी चरण सिंह के विचारधारा से प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उस महान नेता के नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कोई योजना का नाम रखें इसमें आपका बड़प्पन होगा। ठीक है, हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है, हम आपके साथ नहीं है, हम आपके विरोध में हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह जी तो सर्वमान्य थे। उन्होंने दिशा दी वह किसानों के नेता थे, देश के नेता थे। मेरा आपको सुझाव है कि निश्चित रूप से किसी योजना का नाम उनके नाम पर रखें यह आपका बड़प्पन होगा। हमारी आपकी लड़ाई रहेगी। यह कोई खास बात नहीं है। अध्यक्ष जी भी रहे हैं उसमें तो फिर कमी किस बात की है क्यों नहीं कोई योजना का नाम रखते हैं उनके नाम पर। सब मूक और मौन बैठे हैं यह बहुत बड़ा पाप होगा। चौधरी साहब के नाम पर आप जरूर कोई योजना का नाम चलायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सत्ता पक्ष की ओर से कोई बोलना चाहेगा, बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे तिवारी जी, नहीं बोलेंगे।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी माननीय नेता लोकदल ने एक जुगाड़ वाली बात उठाई थी उसके बारे में मैं बड़ी गम्भीरता से एक बात आपको बताना चाहता हूं, अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। आज जब से प्रदेश में यह छोटे रूट बन्द हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यातायात में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा होता कि इस अभिभाषण में इसका जिक्र किया होता जो छोटे रूट हैं उनके लिए सरकार कोई बसों का इंतजाम करती जो हमारे जुगाड़ चालक लोग हैं इनके लिए सरकार कोई ऐसे वाहनों का इंतजाम करे, सरकार कोई ऐसी योजना बनाये, जिससे गरीब लोगों को वहां ले जाया जा सके और वह भी अपना भरण-पोषण कर सके, अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सके। इससे बेरोजगारी की समस्या का खात्मा होगा और आम आदमी को सुविधा मिलेगी। एक हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की लुटाई है तो वह किसान की है। अभिभाषण मैंने पढ़ा, आज बजट भाषण भी सुना। एक दिक्कत बिजली की है। पिछली सरकार में भी मैंने सुना था और इस सरकार में भी सुना है और देखा भी है जब गरीब किसान, ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो उसे लेने के लिए दौड़ता है उसे ट्रांसफार्मर दिया नहीं जाता है पहले कागज पूरा कराने के लिये उससे ब्लैकमेलिंग की जाती है जो नियम है वह सबके लिये बराबर हैं और सबके लिये बराबर होने चाहिए। मेरा इसमें इतना कहना था कि मेरी जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर उपभोक्ता तक उसे ले जाने के लिये उस तक पहुंचाने के लिए बिजली विभाग द्वारा ठेकेदारों को पैसा दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बात को उसमें शामिल किया जाय कि अगर पैसा दिया जाता है तो उसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो योजनाओं में लिया जाता है, उस पर कार्यवाही न हो तो इससे जनता का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नुकसान होगा, इससे प्रदेश पिछड़ेगा और दिक्कतें होंगी। कानून-व्यवस्था की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। हमारे जिलों में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इतनी लुटाई है कि सिपाही चौराहे पर खड़ा होकर लूटता है, बड़े अधिकारी लूटते हैं, इसमें खाली सिपाही की गलती नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब हम एस0एस0पी0 से कहते हैं, अन्य अधिकारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि ऊपर के आदेश हैं। अधिकारी पैसे लेकर पोस्टिंग देते हैं, इसकी जांच होनी चाहिये। जब आप सारे सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो इस चीज को भी सुधारना चाहिये। आम आदमी का भला तब होगा, जब वह बिना किसी झिझक के थाने में जा सकता हो और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हो। आप थाने की बात करते हैं, आज किसी भी दफ्तर में आम आदमी नहीं जा सकता, किसी भी दफ्तर में जाने के लिये जब किसान सोचता है, कोई गरीब आदमी अपनी पेंशन के लिये जाने की सोचता है तो वह सोचता है कि भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, सुविधा शुल्क अलग से देना पड़ेगा।

(इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी युवा हैं और बहुत समझदार हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। एक काम पिछली सरकार में भी हुआ कि जो योजनायें यह बनाते हैं वह सही ढंग से चल नहीं पाती। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है इनकी सरकार का मामला है यह लोग जाने। गन्ना किसानों का आपने दाम बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। वैसे बढ़ना और ज्यादा चाहिये था क्योंकि लागत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जितना भी बढ़ाया उनके लिये धन्यवाद। मैं एक किसान होने के नाते और उस धरती पर पैदा होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि जहां गन्ने की बुवाई होती है, आप उनका पैसा तो दिलवा दो, लड़की की शादी कहां से किसान करेगा, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, वह लूट रहा है, पिट रहा है। उनसे जबरन बिजली के बिलों की वसूली की जाती है, रोज झूठे मुकदमें लगाये जाते हैं। जब किसान का भुगतान हो नहीं रहा तो किसान कहां से देगा। आज किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, चाहे कोई थाना हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो। आपने युवाओं की बात की। बहुत अच्छा लगता है, युवाओं की बात होनी चाहिये। युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, युवाओं को खेल की जरूरत है। आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल की कोई सुविधा नहीं है। हमने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में पुराने खेल जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, बालीबाल है, इनके लिये छोटे स्टेडियम का प्रावधान होना चाहिये। मैंने पूरा अभिभाषण पढ़ा है, एक चीज देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। जिस वजह से कानून-व्यवस्था का बखान हुआ है, वह मेरी पीड़ा है। उसमें कम से कम सुधार अवश्य होना चाहिये। आज प्रदेश में इतना बुरा हाल है कि आम शहरी, आम नागरिक सही ढंग से सांस नहीं ले सकता। उसका बिजली के मामले में शोषण किया जाता है, छोटे व्यापारियों से तरह-तरह से वसूली की जाती है, आप इस चीज को जाकर किसी छोटे कस्बे और शहर में देखें कि किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता है। एक नया ट्रेन्ड जो पिछली सरकार में था और इस सरकार में भी आया है कि कुछ लोग, मैं जानता हूं कि वह सरकार के दल से सम्बन्धित लोग नहीं है, वह जाकर अवैध वसूली करते हैं। जहां खनन का काम होता है, वहां जाकर वह अधिकारियों से भिड़ते हैं, नेताओं से भिड़ते हैं और गोली चलाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। क्या यही कानून-व्यवस्था है, ऐसे सरकार चलेगी। आज आम आदमी का चारों तरफ से शोषण हो रहा है। मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कानून-व्यवस्था की बात कह रहा हूं। हमारे

जनपद में 4 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने खुलेआम हथियारों का दम दिखाकर हथियारों का प्रदर्शन करके खनन के माध्यम से लुटाई करने का काम किया, दादागिरी करने का काम किया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। हमारे यहां जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया, यही कानून-व्यवस्था है, यह चीज पूरे देश की मीडिया में दिखाया गया, क्या ऐसे ही सरकार चलेगी। आप अच्छी कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, गरीबों के सम्मान की बात करते हैं, किसानों के उत्थान की बात करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या ऐसे ही युवा आगे बढ़ेगा। आपने छात्रसंघ चुनाव कराये लेकिन जो छात्रसंघ अध्यक्ष बने, बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां पर उनको छात्रसंघ कार्यालय के लिये कमरा नहीं दिया जा रहा है, आपने चुनाव तो करा दिये लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जा रहा तो इस दिशा में सुधार होना चाहिये जो बच्चियां हमारी छात्रवृत्ति से बच गई है, उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उन्हें छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी के साथ है तो विधवाओं के लिये, वृद्धाओं के लिये है, मुझे पता नहीं कि किस तरह दफ्तरों में काम होता है। विधवाओं को शादी हेतु जो अनुदान मिलते हैं, सभी समाज की मैं बात कर दूं उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है हमारे जनपद में। एक सूची कोई बना देते हैं पता नहीं कहां से सूची बनाते हैं लोग लाइन लगाते हैं फार्म जमा करते हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं एक तो शिक्षा के लिए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पृष्ठ-17 पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का उल्लेख करते हुए बड़ी डीगें हाकीं गई हैं वहीं मैं केवल एक जनपद बहराइच का उदाहरण देना चाहता हूं, यहां लिखित उत्तर मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी का मिला है कि 226 जूनियर हाई स्कूल शिक्षकविहीन हैं और 223 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकविहीन हैं। मान्यवर, यदि विद्यालय शिक्षकविहीन हैं तो फिर उन विद्यालयों के होने का अर्थ क्या है, बिल्डिंगें आपने बड़ी-बड़ी खड़ी करा दी इसके अलावा जो विद्यार्थी आता है उस विद्यार्थी को तो केवल भोजन के लिए देखना है। जहां-जहां अध्यापक हैं वहां वह अपने शिक्षण कार्य को छोड़कर बाकी दुनिया भर के काम देखते हैं। यदि इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं हुआ तो फिर किसी चीज का स्तर ठीक नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक शिक्षा ही सभी का आधार है। दूसरी चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारा जनपद नेपाल बार्डर पर स्थित है और बार्डर पर स्थित होने के नाते जितनी भी तस्करी है, चाहे वह मानव तस्करी हो, चाहे नोट की तस्करी हो, चाहे हथियारों की तस्करी हो, होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मान्यवर, दुनिया भर की जितनी भी तस्करी हो सब कहीं न कहीं प्रशासन और सरकारी संरक्षण में फल-फूल रही है। सुनने में बहुत खराब लगेगा लेकिन मान्यवर निश्चित रूप से बार्डर के जितने भी थाने हैं, हर थाने को जब कोई एस0पी0 किसी को एलाट करता है तो वह उसे अधिकतम मूल्य देता है और वह केवल इस बात के लिए देता है क्योंकि उससे तस्करों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। मान्यवर, यदि तस्करी इस प्रकार से फलती-फूलती रही, बार्डर इस प्रकार से असुरक्षित रहा, मानव तस्करी और नोटों की तस्करी होती रही तो देश और प्रदेश की क्या गति होगी। तीसरी बात मैं गो-हत्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बहराइच जनपद गो-हत्या के मामले में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। दो तीन थाने ऐसे हैं जिनका खेल गो-हत्या के नाम पर ही होता है। दो तीन बाजारें केवल पशु तस्कर लगा रहे हैं। हमारे बगल के जनपद गोण्डा में पशु तस्करी का, गो-हत्या का प्रकरण अभी सरकार के सामने आया है, बहुत कुछ खुलासा हुआ है कि किस प्रकार से किसके संरक्षण में गो-हत्या पनप रही है।

मान्यवर, गोण्डा जनपद का करनैलगंज थाना, बहराइच जनपद का हुजूरपुर थाना और कैसरगंज थाना, इन तीन थानों के बीच में एक क्षेत्र है सरयू नदी का, उस सरयू नदी के क्षेत्र में माफिया लोग पशुओं को चुराकर ले जाते हैं बांधते हैं और काटते हैं। गो-हत्या के लिए वह स्पेशल है, पिछली बार तीन यादवों ने इसका विरोध किया था उन तीनों यादवों को ले जाकर काट-काटकर सड़क पर ऐसे डाल दिया जैसे लौकी और कद्दू काटकर डाला जाता है। इस प्रकार से विरोध करने वाले लोग सड़क पर काट कर डाल दिये गये, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, किसी प्रकार की कोई देख-रेख नहीं है, कहीं विराम नहीं लग रहा है और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों को सारे थानों का संरक्षण प्राप्त है। उनको कहीं न कहीं अच्छे दलाल और माफिया मिले हुए हैं जिनके बल पर यह गो-हत्याएं हो रही हैं। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं चीनी मिलों के बारे में। मान्यवर, दो चीनी मिलें हमारे यहां पर है जो कभी सरकारी थीं लेकिन अब सब गैर सरकारी हो गई हैं। अब वह केवल सत्ता पक्ष के लोगों से डरते हैं। हमारी एक चीनी मिल है जरवल रोड चीनी मिल, इस चीनी मिल पर गन्ना बहराइच जनपद के किसानों का तो नहीं खरीदा जा रहा है लेकिन गोण्डा के हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनका सारा का सारा गन्ना जरूर खरीद लिया जाता है। हमारे यहां के किसानों की तो यह दुर्गति है कि उनको पर्ची नहीं मिल रही है। किसान परेशान हैं, पीड़ित हैं। मैं पर्यावरण के विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, इस समय सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाये जा रहे हैं, झाड़-झंखाड के पेड़ लगाये जा रहे हैं। कभी उनके किनारे पीपल के पेड़ थे। पीपल के पेड़ मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाले, प्राणवायु देने वाले पेड़ होते हैं। उनके कारण पर्यावरण हमेशा-हमेशा दुरुस्त रहता था। आज यह कल्पना ही नहीं की जा रही है कि सड़क के किनारे पीपल और बरगद के पेड़ जो मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं उनको लगाया जाए। यह सोच ही निकाल दी जा रही है। आज झाड़-झंखाड लगाकर उनको पूरा किया जा रहा है। कभी पीपल के पेड़ एक-एक गांवों में सौ-सौ, दो-दो सौ मिलते थे, आज वहां पर एक-दो भी नहीं हैं, पूजा करने के लिए पीपल का पेड़ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां पर्यावरण का विषय आता है, सड़कों के किनारे जहां पेड़ काट दिये गये हैं, पेड़ लगाये जाएं और पीपल के पेड़ लगाये जाएं ताकि प्राणवायु ऑक्सीजन अधिकता से प्रचुर मात्रा में मिल सके। जरवल रोड से लेकर नेपालगंज रोड तक

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सड़क है, आप लखनऊ से चलकर बाराबंकी तो आधे घण्टे में पहुंच जायेंगे लेकिन जरवल रोड से नेपालगंज जाना है तो आपको तीन घण्टा लगेगा। क्योंकि सड़क नहीं है, गड्ढा ही केवल है। कई बार चर्चा की गयी, दसियों बार इसका उल्लेख होता है लेकिन सड़क कभी ठीक नहीं हुई। जरवल रोड से लेकर नेपालगंज रोड तक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सड़क आज तक गड्ढायुक्त हैं, गड्ढा ही गड्ढा है, सड़क नाम की चीज है ही नहीं। इन सारी बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री अली यूसुफ अली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र रामपुर जनपद का चमरव्वा विधान सभा है जो विकास से परे है, विकास नाम की कोई चीज इस विधान सभा के अन्दर नहीं है। मैंने पहले भी इस सदन के अन्दर विधान सभा क्षेत्र चमरव्वा की परेशानियों को रखी थी जिसमें पूरी विधान सभा के अन्दर कोई तहसील नहीं है, पूरी विधान सभा में कोई नगर पंचायत भी नहीं है। दूसरी विधान सभाओं के हेडक्वार्टर पर हमारी विधान सभा के लोगों को अपनी समस्याओं के लिए जाना पड़ता है। बजट में तमाम प्रस्ताव रामपुर जनपद के रखे गये हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि रामपुर और तहसील टाण्डा के बीच में एक लालपुर का पुल है जो कोसी नदी पर है। वह पुल बहुत जर्जर हालत में है और सैकड़ों साल पुराना बना हुआ है जो बन्द हो चुका है, उस पर आवागमन बन्द है। रोज एक-आध घटना घट जाती है। लाखों लोगों का रोज वहां से निकलना होता है लेकिन राजनीतिक भेदभाव की वजह से उस पुल का प्रस्ताव और इस्टीमेट यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगातार उस लालपुर के पुल की अनदेखी की जाती है और लालपुर के पुल का प्रस्ताव इस बजट में भी नहीं रखा गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लालपुर का पुल जो बहुत जरूरी है, लाखों लोगों की परेशानी है, उस पुल को राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पर उसमें जोड़ लिया जाए और उस पुल को जरूर बनवा दिया जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र चमरव्वा के साथ पक्षपात किया जा रहा है। शहर रामपुर के अन्दर चौबीसों घण्टे बिजली आती है। पूरा शहर बिजली से जगमग रहता है जो उसके बराबर से ग्रामीण क्षेत्र हैं जो हमारी विधान सभा क्षेत्र लगता है वहां पर चार-चार दिन तक बिजली नहीं आती है, लोग परेशान है, मोबाइल चार्ज कराने तक के लिए उन्हें दूर-दूर जाकर अपने मोबाइल चार्ज कराने पड़ते हैं। अध्यक्ष जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह पक्षपात न किया जाय और जो यह बजट में तमाम योजनाएं चल रही हैं यह सिर्फ कागजों में चल रही हैं मौके पर इनका कोई नामोनिशान नहीं है अगर इन योजनाओं को खत्म करके अगर सीधा-सीधा जो बेरोजगार है जिनके पास कोई कारोबार नहीं है जिनके पास कोई जरिया नहीं है अगर उन लोगों को जो यह बजट हमारा रखा गया है इस बजट में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको खत्म करके आम आदमी को जो परेशान हैं अगर उसके खाते में सीधा पैसा भिजवा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इन योजनाओं का फायदा जनता को नहीं मिलता है जो अरबों रुपये के यह बजट पास हो रहे हैं यह सिर्फ सरकारी दस्तावेज हैं इनमें से 90 प्रतिशत रुपया गरीब अवाम की जेब तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। तमाम भ्रष्ट अधिकारी तमाम भ्रष्ट मंत्री तमाम मुख्य सचिव इस पैसे को खा जाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मैं ऐसी योजनाओं के लिए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन योजनाओं को खत्म करके जो पैसा हमारी सरकार के पास है उस पैसे का अनुमान लगाने के बाद जो पैसा जिस गरीब के हिस्से में जितना आता है उसको दिया जाय इन योजनाओं को खत्म किया जाय। इस बजट को खत्म किया जाय। अध्यक्ष जी हमारे रामपुर जनपद में आज गन्ने का यह हाल है तमाम फैक्ट्रियों के जो कांटे गांव में लगे हैं उन कांटों पर 90 प्रतिशत अगर गांव का कोई गरीब आदमी डनलप में गन्ना लेकर जाता है तो गन्ना डनलप में 20 कुन्तल आता है 20 कुन्तल गन्ने में 5 कुन्तल गन्ने की बेईमानी होती है। अगर कोई ट्रैक्टर-ट्राली लेकर किसान गन्ना सेन्टर पर तुलवाने जाता है अगर उसकी ट्राली में 50 कुन्तल गन्ना है तो 10 कुन्तल गन्ने की बेईमानी होती है अगर कोई बड़ा किसान 100 कुन्तल गन्ना ट्रैक्टर-ट्राली से लेकर जाता है तो उसके 100 कुन्तल गन्ने में कम से कम 20 कुन्तल गन्ने की बेईमानी सरकार कर रही है और जो कांटों पर तौलमैन हैं वह बेईमानी करके उस क्षेत्र के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को पैसा दे रहे हैं इस सरकार को पैसा पहुंचाया जा रहा है। तमाम गन्ने पर कुन्तल के हिसाब से रुपया तय कर लिया गया है। पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों का बुरा हाल है। किसान त्रस्त हैं गन्ने पर आग लगाने को मजबूर हैं और यह सरकार आंखें बन्द करके देख रही है। यह गाने सुन रहे हैं यह मंत्री लोग फिल्में देख रहे हैं। इन्हें यह पता नहीं है कि किसान की क्या हालत है। मैं अध्यक्ष जी आपसे दरखास्त करूंगा कि खासतौर से रामपुर में हमारे क्षेत्र में त्रिवेणी मिल है त्रिवेणी के तमाम ऐसे कांटे हैं जिन कांटों पर अवैध गन्ना तोला जा रहा है। तमाम फर्जी सट्टे करा लिये गये हैं जो माफियाओं का हजारों की तादात में रोज गन्ना तुलता है और किसानों का गन्ना कम रेट पर खरीद कर किसान को धक्के देकर वहां से भगा दिया जाता है। अध्यक्ष जी आपसे यह दरखास्त है कि इस सब काम पर गौर करने की आपकी जिम्मेदारी है आज उत्तर प्रदेश में [x x x] है हमारे रामपुर जनपद में दो बच्चों की हत्या कर दी गई एक लड़की 6 साल की थी उसका रेप कर दिया गय। महीना होने को जा रहा है उसकी लाश मिली है लेकिन सरकार का कोई मंत्री उसकी खैरियत लेने के लिए नहीं पहुंचा। आपसे दरखास्त है कि एक इमरता गांव में एक नक्से अली का बेटा जो थाना जीतनगर लगता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अली यूसुफ अली-

उसमें एक आठ-दस साल के बच्चे के साथ रेप किया गया और उसको मारकर डाल दिया गया कोई सरकार का मंत्री या सरकार का विधायक हालचाल तक पूछने नहीं गया। मैं अध्यक्ष जी आपसे दरखास्त करूंगा कि यह [x x x] सरकार है।

श्री अधिष्ठाता-

अब श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी अपनी बात रखें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में और संशोधनों के पक्ष में अपने विचार रखने की अनुमति दी है। मैं जब सुबह आई थी

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो मेरा विचार चर्चा में भाग लेने का नहीं था मैंने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मन बनाया था लेकिन दो कारणों से मैं इस सदन में अपने विचार रखना चाहती हूं। प्रथम तो यह कि इस चर्चा में भाग लेना मेरा कर्तव्य है और दूसरा यह कि आज इस चर्चा में एक भी महिला सदस्य ने भाग नहीं लिया तो इसलिये हमारी सोच, हमारे पक्ष में हम क्या सोचते हैं इस अभिभाषण के बारे में उसको इस सदन के समक्ष रखना मेरा कर्तव्य है। मुझे आज बहुत कष्ट हुआ जिस प्रकार की यहां पर चर्चाएं हुईं। पहले पक्षधर पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी ने बड़ी जोरदारी से अभिभाषण का बचाव किया, उसका समर्थन किया और फिर प्रतिपक्ष की जो मुख्य पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष ने जोरदार तरीके से एक घण्टे खड़े होकर उसका विरोध किया। मैं सोच रही थी कि यह हो क्या रहा है ? अंग्रेजी में एक कहावत है **कैटिल कालिंग द पॉट ब्लैक।** यानि कौन किसकी बुराई कर रहा है कौन किसका समर्थन कर रहा है। मेरी सोच यह है कि डेमोक्रेसी, जनतंत्र मजबूत तब ही होता है जब एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी के सामने एक सशक्त विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो और सफल भी वही पार्टी होती है सत्ता में जो विपक्ष को गम्भीरता से लेती है। उसकी बात को विरोध न मानकर जनता के विचारों को रिफ्लेक्शन मानती है प्रतिबिम्ब मानती है। हो सकता है कि कहीं अतिश्योक्तियां हों। लेकिन जो बातें कही जाती हैं वह सब झूठ नहीं होती हैं। इसलिये उसका मखौल उड़ाना, विरोध करना मैं समझती हूं कि यह हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य के लिये उसके विकास के लिये उचित नहीं है। बहुत सारी बातें हुईं, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगी। विपक्ष ने जो बातें कही हैं वह सारी सही हैं। लेकिन मैं कुछ उन बिन्दुओं पर आपका ध्यान लाऊंगी जिन पर चर्चा नहीं हुई। सत्ताधारी पार्टी ने बड़े-बड़े जार्गन जिसे मोटे-मोटे शब्दों में अलंकृत शब्द कहते हैं में अपनी उपलब्धियों को गिनाया और आने वाले साल का सपना दिखाया। लेकिन आप 11 महीनों के समाचार-पत्र उठा लें आपकी उपलब्धियां जो भी हैं, अध्यक्ष जी वह सिर्फ विज्ञापनों के द्वारा ही आ रही है। किसी अखबार का लेख उठा लीजिये किसी मैगजीन की टिप्पणी उठा लीजिये, विशेषज्ञों की चर्चा ले लीजिये आज उत्तर प्रदेश हमारे देश में शासन के स्तर पर कहीं भी खड़ा नहीं है। उसकी गिनती सुशासन के प्रदेशों में नहीं आती और मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूं कि 'ह्यूमैन डेवलपमेन्ट इन्डेक्स' (मानव विकास सूचकांक) में आप किस बिन्दु पर कहां हैं ? इसका उल्लेख करिये आप कि शिक्षा के स्तर पर अपने प्रदेश को कहां लाये हैं। एक ही साल का ब्यौरा दीजिये आप। अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश की तुलना कीजिये। हेल्थ में हम यहां पर खड़े हैं ? गरीबी को मिटाने में हम कहां पर खड़े हैं ? रोजगार को देने में हम कहां पर खड़े हैं ? उसकी कोई चर्चा नहीं। वायदे-वायदे सिर्फ वायदे। एक फिल्म आई थी जिसमें वकील कहता है अदालत से क्या मिला तारीख और सिर्फ तारीख। कहीं उ0 प्र0 का भी वही हश्र न हो। वायदे-वायदे और सिर्फ वायदे। एक साल के वायदे पूरे हुए नहीं और नये साल के वायदों का आपने अम्बार लगा दिया। कितने सपने दिखायेंगे ? एक होता है क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश करना और एक होता है स्पाइन में इन्जेक्शन देती है जिससे एक अंग सो जाता है। आप पूरे प्रदेश को क्लोरोफार्म सुंघाकर ज्यादा देर तक सुला नहीं सकेंगे। आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं। बुन्देलखण्ड की स्टोरी पढ़ लीजिये। दो दिन से टी0वी0 पर बुन्देलखण्ड की स्टोरी आ रही है। आज भी औरतें तीन, चार, पांच किलोमीटर जा रही है और पानी नहीं मिल रहा है। सूखे की भयावह स्थिति हैं। ऑकलन यह है कि इस गर्मी में जानवर तो जानवर इंसान भी मर जायेगा बिना पानी के। इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? आप कहते थे कि

बुन्देलखण्ड के लिये जो पैकेज केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश को दिया उसका 'मिसयूटिलाइजेशन' किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। उस समय तो बड़े-बड़े आन्दोलन किये गये। लेकिन आपने उसको बेहतर कैसे किया ? क्या कर रहे हैं आप जल संरक्षण के लिये ? बुन्देलखण्ड की भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिये ? बैकवर्ड रीजन रिलीफ फण्ड' का जो पैसा है उसका उपयोग कहां हो रहा है ? आप कहते कि इससे पूर्व की सरकारों ने मनरेगा में बहुत 'करेप्शन' किया, भयंकर भ्रष्टाचार था देखिये हमने सुधार कर दिया। सोनभद्र में इनके शासनकाल में प्रतिपक्ष के जो नेता इतना बोल रहे थे। सिर्फ एक जनपद मैं साढ़े चार सौ करोड़ का घोटाला एक ब्लाक में हुआ। मैं पूछना चाहती हूं आप आंकड़े दीजिए कि हमने क्या बेहतर किया। सोनभद्र, मिर्जापुर है जो नक्सल बेल्ट बन रही है इसके सुधार के लिये क्या किया ? उस पर कोई टिप्पणी नहीं, केवल चार लाइन में टाल दिया कि इन क्षेत्रों पर हम बाद में बात करेंगे। आपने नहीं बताया कि आप नक्सलिज्म से कैसे छुटकारा पायेंगे। इस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। आपने हेल्थ की बात की, मुझे घोर आपत्ति है, आप कोई भी नाम रखते लेकिन आपने उसको 'समाजवादी स्वास्थ्य सेवा' कैसे कर दिया। इसमें 90 या शत-प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का है। आप कह देते 'जन स्वास्थ्य एम्बुलेन्स' आप कोई नाम रख देते, आपने कैसे ऐसा नाम रख दिया। उसके बाद उसको जो आपने इन्ट्रोड्यूज किया तो कांग्रेस पार्टी के यू0पी0एस0 के लीडरशिप में जो यू0पी0ए0 सरकार ने ए0एन0एम्स0 की व्यवस्था की थी, जो मिडवाइफ हैं जो नर्सेज हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है। उनके सारे भत्ते बन्द कर दिये गये हैं, उनके इन्सेन्टिब्स बंद हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। यहां पर हजारों ए0एन0एम0 वर्कर इकट्ठा थीं उनके बारे में कुछ नहीं, स्वास्थ्य की सेवायें बड़ी बेहतर कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी का नाम हर एक भाषण में आता है मैं भी मानती हूं। समाजवादी विचारक थे उनके नाम से आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया है। 'राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स', उसका हश्र क्या है मशीनें खड़ी हैं, बिल्डिंग हैं, कमरे हैं, मशीनें जो हैं उनको चलाने वाला कोई आदमी नहीं है। वेन्टीलेटर खड़े हैं लेकिन उसको लगाने वाला आदमी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं के लिए आप कुछ करते, आप महिलाओं को भीख दिये जा रहे हैं। हम शिक्षा दिला रहे हैं, बी0ए0, एम0ए0 पास करने के बाद कितनी महिलाओं को नौकरी मिलेगी मैं आपसे पूछना चाहती हूं। लेकिन अगर स्वयं सहायता समूह की ओर इस सरकार ने ध्यान दिया होता। आपको मालूम है देखिये आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। मैं अगर गलत हूं तो आप खड़े होकर बोलिए। बिहार के बाद स्वयं सहायता समूह में, अगर कोई सबसे पिछड़ा प्रदेश हमारे हिन्दुस्तान में है तो वह उत्तर प्रदेश है। हमारी मुख्य मंत्री महिला रह चुकी हैं। मुझे बहुत नाराजगी है उनसे कुछ नहीं किया उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिये आप भी नहीं कर रहे हैं। साइकिल ले लो, साड़ी ले लो, दो साड़ी कितने दिन चलेंगी, कितने दिन तक ढकेगा, कितने दिन पेट भरेगा, जाकर आंध्र में देखिए, कर्नाटक में देखिये, केरला में देखिये एक आन्दोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश की महिलायें सशक्त हों तो आप स्वयं सहायता समूह को बल दीजिये। जिसकी कोई चर्चा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिए।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आबकारी नीति पर कोई नहीं बोल रहा, खनन की नीति पर कोई नहीं बोल रहा है। सब जानते हैं सबका दिल बोल रहा है जो उस सरकार में होता था वही इस सरकार में हो रहा है। दोनों नीतियां प्रश्नचिन्ह पर हैं। आप कहते कि हमने गुटखा समाप्त कर दिया। आप अप्रैल में समाप्त करेंगे, क्यों भई, जब अन्य प्रदेशों ने समाप्त कर दिया तो आप अप्रैल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रही हूं और मुझे जरूरत भी नहीं है और अन्त में मैं यही कहूंगी कि सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें आप सम्मान से 'नेता जी' कहते हैं, उन्होंने एक नहीं आधा दर्जन बार इस सरकार की कार्य-प्रणाली पर टिप्पणी की है और रामगोपाल जी को मैंने स्वयं सुना है टी0वी0 पर और अखबार लिख रहे हैं कि 50 प्रतिशत पैसे का भी यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है। इरीगेशन डिपार्टमेन्ट में एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है तो आदरणीय रामगोपाल जी का मैंने वक्तव्य सुना कि जो मंत्री काम नहीं कर पाये उनको निकाल देना चाहिए। मैं बधाई देती हूं कि वह स्वयं अपना अवलोकन कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय मुख्य मंत्री जी युवा हैं यह जो सत्ता बदली है यू0पी0 में इस बात से लोग अचम्भित नहीं थे, उत्साहित नहीं थे कि बसपा गयी, सपा आई। उत्साह था कि प्रदेश में जनरेशनल चेन्ज हो रहा है, पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, एक नवयुवक मुख्य मंत्री बन रहा है। इनकी सोच, इनका काम करने का तरीका भिन्न होगा, फर्क होगा। लेकिन माफ कीजियेगा जो धारणा थी, नौकरशाही भी आपके बड़े नेताओं के बीच बंट चुकी है, मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं होता है, मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही मंत्री की नहीं सुनता, मंत्री, मुख्य मंत्री की नहीं सुनता तो भैया चल गया प्रदेश। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि सत्ता पक्ष अपने आप को सुधारें, धन्यवाद।

*श्री अशफाक अली खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक नये निर्वाचित विधायक को यहां बोलने का मौका दिया। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जब मैं सदन में नहीं आया था तो ऐसा लगता था कि सदन में जो बातें बोली जाती हैं, तार्किक, तर्कसंगत और सुबूत के साथ बोली जाती हैं, लेकिन पहली बार मैं सदन में देख रहा हूं कि जिसके जो मन में आता है, उधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए सदस्य बात कहते हैं, न किसी सबूत की जरूरत है न किसी तर्क की जरूरत है। यह बात जब मैंने महसूस की तो हमारा भी मन हुआ कि कुछ न कुछ कहने के लिये खड़े हो जायें। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जहां तक योजनाओं का जिक्र, खूबियों का जिक्र आया, मैंने यहां पर पहले कभी नहीं देखा लेकिन अखबारों में जरूर देखा कि पिछली सरकारें क्या करती थीं, उसके नेता आज किस अंदाज में आज यहां बोलते हैं, मन करता है कि जवाब दे दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाए लेकिन पीठ का हुक्म है कि खड़े होकर अपनी बात कही जाए। कई योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, वह कहते हैं कि उनकी योजनाओं को चुरा लिया गया है, आप नकलची हैं, शायद वह अपने गिरावान में झांक कर नहीं देखते हैं, पहले उन्होंने हमारी तमाम योजनाएं चुराई होंगी। जब उन्होंने इस तरह की बात यहां पर कही तो मैं मन मसोस करके रह गया क्योंकि यहां बड़े नेता बैठे होते हैं। जहां तक योजनाओं का सवाल है, डा0 राममनोहर लोहिया ग्रामीण विकास योजना, जनेश्वर मिश्रा योजना, कन्या विद्याधन योजना, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिये, अगड़ों के लिये, बेरोजगारी भत्ता योजना, अगर सारी योजनाओं का जिक्र किया जायेगा, बात की जायेगी तो धरातल से जहां बुनियाद शुरू होती है, वहां से यह योजनाएं शुरू होती हैं। हम लोग यहां चुनकर आ जाते हैं, बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं अगर वहां की बुनियादी बातें यहां नहीं कही जायें तो हमारे यहां आने का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां पर लगभग 400 गांव हैं, सिर्फ एक टाउन एरिया है। 22 वार्ड हैं, करीब-करीब 23000-24000 वोटर हैं, उसके अलावा बाकी सारे गांव हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय वहां की कुछ समस्याओं को इसमें जुड़वाने के लिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। अगर अपने क्षेत्र, अपने विधान सभा की बात नहीं कहूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जायेगी, बड़े लोग तो बड़ी बात करेंगे। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वहां पर तहसील हेड क्वार्टर नहीं है, मेरी विधान सभा में तहसील नहीं है, ब्लाक हेड क्वार्टर नहीं है, कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, लड़कों का महाविद्यालय नहीं है, गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज नहीं हैं तो मैं गुजारिश के साथ यह जिक्र कर रहा था कि हमारी पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं जिनका मैंने जिक्र किया है, इसमें जुड़वाने की बात कर रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक लालू नगला है, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है तो उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, लालू नगला से जाते हैं तो वहां नहर की एक पटरी पड़ती है, गन्ने का जब वक्त चलता है, उधर से जब किसान गन्ना ले जाते हैं जब बुग्गी चलती है तो गन्ना दूर-दूर तक निकल जाता है, लोगों को साइकिल से निकलने का भी रास्ता नहीं रहता है तो मैं कहूंगा कि लालू नगला से लेकर नौगरवा तक की सड़क का चौड़ीकरण हो जाए इससे हमारी विधान सभा का उद्धार हो जायेगा। बड़ी योजना की जो बात है, मान्यवर, आपने इशारा कर दिया है, बात समाप्त करने के लिये इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बात रखने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री पूरन प्रकाश-

मैं माननीय अधिष्ठाता जी का आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विपक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाह रहा हूं कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ तो यह परम्परा है कि जो भी सरकार सत्ता में रहती है जो सरकार लिखकर देती है उसको राज्यपाल जी को हाउस में आकर बोलना-पढ़ना पड़ता है। राज्यपाल जी भी जानते हैं कि जो लिखा है उसकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। लेकिन यह व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। माननीय अधिष्ठाता जी हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अभी सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से नेताओं ने काफी बातें रखी हैं। लेकिन अगर देखा जाये तो राज्य सरकार केन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जिम्मेदारी डालकर और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। महाकुम्भ में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ लुभावने वायदे करके और बातें कहकर प्रदेश नहीं चल सकता। उसमें आपको धरातल में आना पड़ेगा। महाकुम्भ में अरबों-खरबों रुपये लगे, केन्द्र सरकार ने भी दिया, जरा सी बारिश हुयी सारी कलई खुलकर सामने आ गयी। आप जाकर देख सकते हैं। उनसे पूछिये कि जो आस्था के महाकुम्भ में गये और वापस लौटकर नहीं आये। यह सब सरकार की जिम्मेदारी में आता है। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आया उसमें जिक्र किया गया है कि बेरोजगारों को भत्ते दे रहे हैं। आप भत्ते देकर वास्तव में उनको कमजोर कर रहे हैं। अगर आपको देना है तो उनको रोजगार दें। जो ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करने के बाद अपने घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ बेरोजगारी भत्ते से उसका क्या होगा। जिनको उनके माता-पिता ने कर्ज लेकर पढ़ाया आज वह बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपने तमाम योजनाओं की जानकारी इस अभिभाषण में रखी है। इसमें से तमाम योजनाएं पूर्ववर्ती सरकारों में भी चल रही थीं। जो गरीब हैं उनको शादी में आप 10 हजार की आर्थिक मदद देते हैं। क्या आप 10 हजार की मदद करके उस परिवार की मदद कर सकते हैं ? आज के समय में लड़की की शादी में जो खर्च होता है वह किसी से छिपा नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन है कि उस 10 हजार के अनुदान को बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये कर दिया जाये। अधिष्ठाता महोदय, अभी पेयजल की बात आयी थी। ग्रामीण अंचल में पेयजल का साधन हैण्डपम्प है। हमारे प्रभारी मंत्री जी उठकर चले गये, मैं उनसे कहना चाह रहा था कि आपके पिछले बजट में भी यह कहा गया था कि जहां-जहां जरूरत है उन सब जगहों पर हैण्डपम्प लगेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस मथुरा जनपद में 10 ब्लाक हैं और 10 ब्लाक में आपने यहां पर 100-100 हैण्डपम्प की घोषणा की। 50-50 हैण्डपम्प तो आपने रि-बोरिंग में दे दिये और 50-50 हैण्डपम्प नये लगेंगे एक ब्लाक में और एक ब्लाक में खाली ग्राम सभाओं की संख्या 70 है और एक ग्राम सभा में 4-4 मजरे हैं। आपके हैण्डपम्पों का एक चौथाई हिस्सा भी उसमें नहीं आ रहा है। इसी प्रकार मथुरा जनपद की राया बल्देव मार्ग एवं झुड़ावई से अछनेरा मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो गये हैं। इसी प्रकार से बल्देव क्षेत्र के अन्तर्गत राया ब्लाक, बल्देव ब्लाक, फरह ब्लाक के ग्रामीण अंचल के सम्पर्क मार्ग जर्जर हो गये हैं इनकी मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के अन्दर पेयजल की टी0टी0एस0पी0 योजना पूर्ण रूप से फेल है इसका कोई पेयजल का समाधान किया जाना आवश्यक है। जहां तक ट्यूबवेलों का मामला है, आपकी बिजली नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि हम बीस घण्टे बिजली दे रहे हैं, चार घण्टे भी विद्युत आप ग्रामीण अंचल में नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथी बैठे हैं ईमानदारी से कहूंगा आप हां के पक्ष में बैठे हैं तो हां कहेंगे, हम न के पक्ष में हैं तो न कहेंगे, लेकिन वास्तव में अगर दिल पर हाथ रख कर कहेंगे तो चार घण्टे से, छः घण्टे से ज्यादा बिजली ग्रामीण अंचलों में नहीं मिल रही है। मा0 अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा अभी जो स्थिति चल रही है जो मुख्य मार्ग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे मथुरा जनपद में हैं जो कि दस जनपदों को जोड़ता है, मथुरा से चाहे आप मुरादाबाद जाएं, बरेली जाएं, अलीगढ़ जाएं, हाथरस जाएं और वह नये पुल से जाते थे, वह पुल, जर्जर होने के बाद भारी वाहन, बस आदि के लिये बन्द कर दिया गया है। अब यह वाहन

गोकुल बैराज से मथुरा-सादाबाद से होकर जाते हैं और मथुरा सादाबाद रोड की स्थिति यह है कि वहां पर खाली पांच कि0मी0 जाने के लिये ढाई घण्टा लगता है जबकि हाथरस, अलीगढ़ जाने के लिये लगता है डेढ़ घण्टा और उसकी इतनी जर्जर स्थिति हो गई कि सारे जनपदों में उसका सम्पर्क ही खत्म हो गया है। इसी के साथ ही हमारा जनपद आलू बाहुल्य है, आलू का किसान जो आलू पैदा करता है, उस आलू की स्थिति यह है मान्यवर, कोई भी सरकारी खरीद का प्रबन्ध न होने पर हमारे क्षेत्र का किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। एक तो ऊपर की दैवीय मार थी, दूसरे समय से पानी नहीं मिला, अब यह सब हुआ, इतनी सर्दी, बारिश पड़ी कि उसका आलू भी चला गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करे कि किसानों का जो आलू बचा है उसकी सरकारी खरीद हो सके। सरकार आलू की सरकारी खरीद का कार्यक्रम सुनिश्चित करे तथा आलू नुकसान की भरपाई करे। इसके साथ ही मा0 अधिष्ठाता जी, अभी पानी की बात आई, हमारे मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मा0 सिंचाई मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, मा0 मंत्री जी अगर जरा हमारी ओर मुखातिब हो जाते तो अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ को सम्बोधित करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आप ही को सम्बोधित कर रहा हूं, यह अच्छा होगा कि सरकार को भी कुछ फर्क पड़ जाय, नहीं तो मुझे भी मालूम है जितना कह रहा हूं, लिख जायेगा, छप जायेगा, बाकी यही का यही रह जायेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, हालत यह है सिंचाई की कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे मा0 सिंचाई मंत्री जी ने बड़ी अच्छी-अच्छी घोषणायें की, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उसका जिक्र है, लेकिन स्थिति यह है कि आज भी जनपद मथुरा में चाहे मांट ब्रान्च हो, चाहे लोअर आगरा कैनाल हो, अपर आगरा कैनाल हो, हमारे यहां टेल तक पानी नहीं है। हमारी मुख्य बल्देव राजबहा है, राया राजबहा है, कुरसण्डा राजबहा आदि कहीं पर भी आखिरी छोर पर पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि महामहिम मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने अपने संशोधन के माध्यम से जो जिक्र किया है, उस पर जरूर विचार कर लें। दूसरा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी आपकी मथुरा जिला योजना है, जनपद से प्रस्तावित होकर आ चुकी है, लेकिन अभी तक वर्ष 2012-2013 का बजट जिलों तक नहीं पहुंचा है, जब कि हम वर्ष 2013-2014 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यह कैसा सरकार का कार्य है। सभी मार्गों के निर्माण/मरम्मत के टेण्डर अखबारों में छप गये हैं, टेण्डर हो गये, लेकिन आज की तारीख तक आपके जिला योजनाओं का पैसा जनपदों में नहीं पहुंच रहा है। अभी स्थिति यह है कि वर्ष 2012-2013 का पैसा नहीं पहुंच रहा है और वर्ष 2013-2014 के बजट पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहां पर, तो इसका क्या औचित्य है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जहां-जहां के जो-जो बजट जिला योजना के तैयार होकर के आये हैं उन जनपदों में उनका पैसा मुहैया कराया जाये और जो मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं जिन पर निकलना दूभर हो रहा है, उनका काम सुचारू हो सके आगे के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013-2014 के बजट से पहले जो बजट आप पास करके बैठे हैं, वह पैसा तो मुहैया करा दीजिए। इसी के साथ मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम

श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं पहली बार विधान सभा में चुना गया और पहली बार ही 125वीं जयन्ती मनाने का अवसर हम लोगों को मिला। जब 125वीं वर्ष का कार्यक्रम हम लोग मना रहे थे। तो यहां पर सभी दलों के द्वारा यह एक आश्वासन दिया गया था कि हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर लोकतांत्रिक हो लेकिन जैसा कि हम सब लोग मानते हैं कि राज्यपाल जी का अभिभाषण एक परम्परा के अनुसार सरकार का दस्तावेज होता है और चूंकि वह सरकारी दस्तावेज था और उससे कुछ दिन पहले ही कुम्भ मेले में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुयी थी जिसमें तीन दर्जन से अधिक लोग मारे गये थे। वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत उहापोह की स्थिति थी कि एक तरफ हमारा वह 125वें वर्ष के उत्सव में किया हुआ वादा था, दूसरा हमको उसका विरोध भी करना था तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से एक दिन पहले ही बहिष्कार की बात कही क्योंकि सदन में हमको कोई ऐसा व्यवहार न करना पड़े जिससे लोकतांत्रिक परम्पराओं और मर्यादाओं का उल्लंघन हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसके लिये मैं अपने सभी नेताओं को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ जो कुम्भ मेले में घटना हुयी। वास्तव में हमारे कुम्भ मेले जो प्रभारी मा0 आजम खां साहब थे, उन्होंने समय-समय पर इस सदन में इस मेले के विषय में बहुत सारी बातें रखी थीं। मुझे यह पूरा विश्वास था कि उनके नेतृत्व में यह मेला सफल होगा, उनका भी ऐसा विश्वास रहा होगा और निश्चित रूप से मेला सफलता की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक ऐसी घटना हुयी और उस घटना ने पूरा परिदृष्य बदल दिया लेकिन फिर भी उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने इस्तीफा पेश किया। बाकी सारे काम होते हैं, सरकारी तरीके से होते हैं, वह काम हुए, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस सदन का एक बहुत छोटा सदस्य होने के नाते पहली बार मैं आया हूं। मुझसे अगर भूल हो तो उसे क्षमा करियेगा लेकिन जिस तरफ से कुम्भ मेले में मा0 आजम खां साहब को प्रभारी बना करके गंगा-जमुनी तहजीब का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया गया है। मेरा यह मानना है कि जब हज कमेटी बने तो उसमें निश्चित रूप से किसी न किसी हिन्दू मंत्री को भी शामिल किया जाये और हज कमेटी में जो हज जाने वाले लोग हैं, उनमें उनको भी प्रभार दे करके इस संस्कृति को मजबूत करने का काम करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब हमारे राज्यपाल जी ने अपना पहला अभिभाषण दिया था, ऐसा एक संदेश आया था कि ये सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हित में ये काम करेगी लेकिन हम लोगों ने गेहूं खरीद के समय देखा था कि गेहूं खरीद के समय किसानों को बहुत बड़ी परेशानियां हुयी थीं, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी जो धान खरीद 28 फरवरी को बन्द होने वाली है। ऐसा सरकारी आदेश है और अभी 50 प्रतिशत लक्ष्य भी उत्तर प्रदेश ने धान खरीद का प्राप्त नहीं किया है। किसान बहुत पीड़ित हैं और अभी बहुत सारे किसानों के यहां धान लगा हुआ है और धान का बाजार मूल्य 1000 रुपये से अधिक किसान को नहीं मिला है जबकि सरकारी मूल्य

1250 रुपया घोषित किया गया था। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह इन्फ्रास्ट्रक्चर में कम पैसा खर्च करने की बात है। अभी तक जो हमारा बजट है उसका केवल 46 प्रतिशत धन व्यय हुआ है और उसमें भी ज्यादातर धन बेरोजगारी भत्ता बांटने में, साड़ी-कम्बल खरीदने में या ऐसी योजनाओं में दिया गया है जो लोक लुभावन योजनायें हैं। उससे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। जब तक हम अपने विकास का बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं करेंगे तब तक हमको धन व्यय करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। अभी मैं अपने क्षेत्र में एक सभा में था। अपने क्षेत्र में मैंने कुछ लोगों से वहां पूछा, मैंने कहा कि आप लोगों को जो किसान हैं यहां पर कितने लोगों का ऋण माफ हुआ है। मेरी पूरी विधान सभा में मैंने पता लगाया है कि केवल 7 किसान हैं जिनका ऋण माफ हुआ है। ये कोई बहुत अच्छा न तो राजनैतिक रूप से फायदा देने वाला है और न उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक रूप से लाभ देने वाला है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि हम लोग बुनियादी ढांचे को बनाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। तभी हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में लागू की गयी थी। इसमें यह एक सपना था कि पंचायत स्तर से लेकर के ऊपर तक जनप्रतिनिधियों की ऐसी सहभागिता होगी, जिससे हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वह बहुत मजबूत होगा लेकिन पहले जो बसपा की सरकार थी, अभी जो वर्तमान में सरकार है और अभी जो चुनाव हुए हैं, जिला पंचायतों के, ब्लाकों में उन चुनावों से जो जनता के वोट से चुनकर डेलीगेट्स आये हैं, उनका महत्व ही समाप्त हो गया है। जब बसपा की सरकार आई थी उसने सारे चुने हुए ब्लाक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बदलने का काम किया था। अब वर्तमान सपा की सरकार यही काम कर रही है। निश्चित रूप से मेरा आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि यदि इसी तरीके से होता रहा तो यह जो ब्लाक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये केवल सरकारी मुलाजिम होकर रह जायेगे, जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। पांचवीं बात जो मैं कहना चाहता हूं वह जानवरों से सम्बन्धित है जो जानवरों की बहुत सारी हत्यायें हो रही हैं, उस पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा जिला लखीमपुर बार्डर का जिला है, वहां पर स्वाइन फ्लू होने वाला है ऐसा अंदेशा जताते हुए वहां के सी0एम0ओ0 ने अलर्ट घोषित किया है, लेकिन हमारा जिला बार्डर का जिला होते हुए भी नेपाल राष्ट्र से जुड़ा हुआ जिला होते हुए भी और दुधवा नेशनल पार्क क्योंकि हमारी विधान सभा क्षेत्र में है और पूरी दुनिया के पक्षी वहां पर आते हैं तो ऐसी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यह कहा गया है कि ऐसा अंदेशा है कि स्वाइन फ्लू यहां पक्षियों से फैल सकता है लेकिन हमारे यहां न जांच का और न इलाज का लखीमपुर जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को अगर कोई जांच करानी है तो लखनऊ ही आना पड़ेगा जो कि 135 से 210 किलोमीटर दूर हमारे जिले से पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में जरूर चिन्ता करे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे जिले का है, वह है पीने के पानी का। मेरे जिले का पीने का पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है। जिससे वह जहरीला है, इससे लोगों को पेट की व अन्यान्य बीमारियां होती हैं। अभी उसमें सरकार ने बहुत चिन्ता भी जाहिर की है ऐसा उन्होंने कहा है कि 5 हजार से ऊपर की आबादी की सभी जगहों पर हम पाइप से पेयजल की योजना चालू करेंगे, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन वह योजना लटक गई है। किन्हीं कारणों से वह योजना रुक गई

है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू करायें जिससे यह पीने के पानी का मसला हल हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

एक बात और कहना चाहता हूं जिसे हम लोग देख रहे हैं जो बार्डर के क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कों की बड़ी समस्याएं हैं। आदरणीय मा0 मंत्री जी ने बहुत सी सड़कें हमको दी है, जिला योजना में भी सड़कें हमको मिली हैं। मैं उसके लिए हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं लेकिन साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो प्रभारी मंत्री बनाये गये हैं उनको कम से कम यह दिशा-निर्देश देने का अवश्य काम करें कि वह विरोधी दल के विधायकों की बातों को भी सुनें और उनको भी सम्मिलित करें क्योंकि लोहिया ग्राम है या जनेश्वर ग्राम है, ऐसा इस सदन में कहा गया था कि आप लोग भी जो गांव देंगे वह चुने जायेंगे लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मैं बोल रहा था, उस पर बल देते हुए अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के सोरांव विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूं और अभी कुम्भ मेला चल रहा है और वहां पर जो रेलवे स्टेशन पर घटना हुई और 35 से 40 जो स्नानार्थी आये हुए थे, उनका देहान्त हुआ, उसके लिये मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं चर्चा तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन जब चर्चा उठी है तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय यह घटना हुई। हम लोग तो लगातार कुम्भ मेले पर नजर रखे हुए थे और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शानदार मुख्य मंत्री जी को उन्होंने भी आकर समीक्षा की और कुम्भ मेले के हमारे प्रभारी रहे हमारे नेता मा0 आजम साहब ने भी वहां आकर के दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर पैदल चलकर के सभी व्यवस्था को देखा और समीक्षा की। मैं कुम्भ मेले के सफल आयोजन हेतु उन्हें और अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा। श्रीमन्, हम लोग कुम्भ पर लगातार नजर रखे हुए थे और जो भी स्नान हुआ था उसमें तीन से चार करोड़ लोगों ने आकर स्नान किया था। लोग आये और बहुत अच्छे से स्नान हुआ और उसके बाद अपने-अपने गंतव्य को वे चले गये। उस दिन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और घटना हो गयी। मान्यवर, तमाम लोग आरोप लगाते हैं सरकार पर। अगर यह घटना उस दिन कुम्भ मेला स्थल पर हुई होती तो क्या-क्या बातें हो जातीं। आप लोग यह देखें कि यह घटना कहां पर हुई है, रेलवे परिसर के अन्दर हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरोप-प्रत्यारोप लगाने चाहिए। हमारे देश या प्रदेश में जहां कहीं भी घटना होती है हम लोग जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम अपना भाषण आरम्भ करते हुए उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मान्यवर, आज जो बजट पेश हुआ है वह बहुत ही शानदार है। आज यहां पर माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है वह बहुत

ही शानदार तरीके से रखा गया है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, अपने बजट भाषण में आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में 'मेट्रो रेल' चलाने की घोषणा की है यह अच्छी बात है। इसी तरह से गरीब 'रिक्शा चालकों को बैट्री चालित रिक्शा' देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने शानदार माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इलाहाबाद में एक 'राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय' स्थापित किये जाने की घोषणा की है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के बहुत ही आभारी होंगे यदि यह विश्वविद्यालय गंगा पार क्षेत्र में स्थापित हो। मान्यवर, इसी तरह से तमाम कल्याणकारी योजनायें इस सरकार ने घोषित की हैं और उनका कार्यान्वयन हो रहा है। जिनकी चर्चा हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। मान्यवर, 'घरेलू सकल उत्पाद' जिसे हम लोग जी0डी0पी0 कहते हैं उसमें शिक्षा में ढाई प्रतिशत व्यय की बात है और इसी तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में तीन प्रतिशत व्यय की बात है इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, जो बजट पर जो सामान्य चर्चा होगी उसमें भी हम लोग अपने विचार रखेंगे। मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि 'शून्य आधारित बजट की प्रणाली' प्रदेश में लाई जाये इससे बहुत लाभ होगा। इस प्रणाली में यह व्यवस्था होती है कि जो योजनायें अच्छा परफारमेन्स दे रही हैं उनको पहले लिया जाता है और उन पर ज्यादा धन आवंटित किया जाता है जो योजनायें अच्छा परफारमेन्स नहीं दे रही हैं उन पर धन आवंटन में कमी की जाती है। इसी के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री काली चरन सुमन-

श्रीमन्, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के संशोधन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी द्वारा इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधनों के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उससे ऐसा लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है इसमें सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मान्यवर, पहली बार जब मुझे सदन में बैठने का मौका मिला तो पिछली बार जो महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ था और बजट भाषण हुआ था उसमें बहुत सारे वादे किये गये थे लेकिन आज ग्यारह महीने बीत गये हैं उन वादों को धरातल स्तर पर नहीं देख जा पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि उन वादों पर अमल नहीं हो पा रहा है। मैं इसकी निन्दा करता हूं। प्रतिपक्ष के नेता जी के संशोधनों का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आगरा ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मान्यवर, वहां की समस्यायें जस की तस हैं। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी इस सदन में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर, नवम्बर, 2012 तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जायेंगी। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आगरा जनपद के अन्तर्गत आने वाली सभी सड़कें खराब पड़ी हैं। एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पायी हैं। जैसे अजीजपुर रोड से सोहला फाटक तक अजीजपुर से टपरानैनानाथ तक मैंने कई बार जिला प्रशासन से अनुरोध किया और यहां भी लिखित में अनुरोध किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी

है। मेरा अनुरोध है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। विद्युत समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरा आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र शहर की सीमा से लगा हुआ है। ताज ट्रिपोजियम के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आगरा जनपद में 24 घण्टे बिजली होनी चाहिए। वहां 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आगरा जनपद में जो मेरी विधान सभा लगती है जो शहर से लगी हुई है वहां किसानों को मात्र 5-7 घण्टे बिजली मिलती है इसलिए वहां हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम सदन की गरिमा को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए हमारी विधान सभा में 24 घण्टे बिजली मिलना बहुत अनिवार्य है। मेरी विधान सभा के अन्तर्गत खारे पानी की विकराल समस्या है। खारा पानी जैसे अकोला, गढ़ीहरदयाल, पचगाई खेड़ा, सहारा इत्यादि गांव में हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि खारे पानी से वहां बहुत परेशानी हो रही है, लोग लंगड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि खारे पानी के निदान के लिए भी समाधान होना चाहिए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नहर की पुलिया टूटी हुई है और नहर की पुलियाओं के सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी कहा था और पुनः भी कहना चाहता हूं आज तक नहर की पुलिया नहीं बनी है। सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं यह बार-बार कहते हैं कि सारे काम हो रहे हैं लेकिन हमारे यहां अभी नहर की पुलिया अभी तक 7-8 माह हो गये जैसे बाईखड़ा सिरौली मार्ग, सलैमाबाद, पचगाई खेड़ा ऐसी तमाम नहर की पुलिया है जहां लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपसे मांग करना चाहते हैं कि इन नहर की पुलियाओं को तत्काल जुड़वाया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हाल ही में आगरा जनपद में बहुत भारी बारिस हुई, ओले पड़े जिससे किसानों की खेती बरबाद हुई तो जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है उनको आपके माध्यम से अनुरोध है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। पेयजल के बारे में जैसा पिछली बार कहा था कि हर ब्लाक में 100-100 हैण्डपम्प दिये जायेंगे। 50 रि-बोर के दिये जायेंगे और 50 नये दिये जायेंगे परन्तु आज तक एक भी हैण्डपम्प किसी भी ब्लाक और किसी भी गांव में नहीं लगा। पिछली सरकार में टी0डी0एस0 की टंकी स्वीकृत हुई थी परन्तु वर्तमान सरकार बनने के बाद उन टंकियों का भी बन्दरबांट कर दिया गया है वह टंकियां आज तक नहीं लग पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टी0डी0एस0 की जो टंकियां हैं उसमें सरकारी महकमा बन्दरबांट में लगा हुआ है कमीशनखोरी में लगा हुआ है। उन टंकियों को नहीं लगने दे रहा है अपनी मनमानी की जा रही है यह भी हम कहना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में सीवर की खुदाई हो रही है और सीवर की खुदाई की वजह से जिस तरह से नगला कली से सैमरी और सैमरी से एस0एस0 पब्लिक स्कूल वाले रोड पर जो ग्वालियर रोड है, सीवर की लाइन की वजह से सीवर के ध्वस्त होने के कारण पूरी सड़क समाप्त हो गयी है। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि यह सड़क शीघ्र बनवाई जाय जिससे लोगों को परेशान न होने पड़े। माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक 33/11 विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ था परन्तु वह आज तक नहीं बन पाया है, कौलकला के नाम से स्वीकृत हुआ था। मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार बदल जाने से वह आज तक नहीं बन पाया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विद्युत समस्या के समाधान के लिए वह सब-स्टेशन बनना बहुत जरूरी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि लोहिया

ग्राम के चयन के बारे में वहां के जनप्रतिनिधियों से पूछा जायेगा परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी हमारे यहां के पता नहीं किसके कहने पर लोहिया ग्रामों का चयन हुआ आज 11 महीने हो गये मेरी विधान सभा में 2 लोहिया ग्राम स्वीकृत हुए थे कुआ खेड़ा और नगला नाथू उन गांवों में अभी तक एक रुपये का काम नहीं हुआ है, उनका विकास होना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून-व्यवस्था के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, कानून-व्यवस्था के बारे में हमारे आगरा जनपद में हाहाकार मचा हुआ है चाहे वह सुनार हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वह गन्ने का व्यापारी हो रात के समय में वह नहीं निकलता है। एक ही बात कहता है जान बचा लो इस सरकार से। मैं कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यही हमारा अनुरोध है, इसी के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

*श्री अनीसुर्ररहमान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये समय दिया, मैं इसके लिये आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बिल्कुल नया विधायक हूं और यह भी इत्तिफाक है कि मैं अपने समाज में पूरे हिन्दुस्तान में आजादी के बाद पहला विधायक चुना गया हूं। मोहतरम् अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र से मुताल्लिक और क्षेत्र में और समाज में जो चीजें महसूस करता हूं आपके माध्यम से इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। शादी अनुदान हेतु जो पैसा स्वीकृत किया जाता है, उसकी अधिकतम आय 36 हजार रखी गयी है, यह काफी कम है, इसको बढ़ाकर 54 हजार किया जाना चाहिये और शादी अनुदान की धनराशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के अन्दर जो मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी जातियां हैं, उसे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सम्बन्धित किया गया है, इसे वहां से हटाकर और मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जोड़ा जाये। इसी के साथ मुझे एक बात यह भी रखनी है कि पूरे प्रदेश के अन्दर 8 एलोपैथिक के कालेज हैं, 7 होम्योपैथिक के कालेज हैं लेकिन मात्र दो यूनानी मेडिकल कालेज हैं जिसमें एक इलाहाबाद में है और एक लखनऊ में है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूनानी मेडिकल कालेज से खाली है, यूनानी पढ़ाई से खाली है। आज ऐलोपैथी की जो दवायें हैं वह इंसानों पर उनका साइड इफेक्ट होता है। इसलिये आज लोग आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं, होम्योपैथिक की तरफ जा रहे हैं और यूनानी की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुरादाबाद मण्डल के अन्दर एक सरकारी यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना की जाये ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। इसके अलावा एक बात यह कहनी है कि दिल्ली सरकार से एक-एक लाख रुपया जितनी आयुर्वेद, होमियो, युनानी डिस्पेन्सरी प्रदेश के अन्दर हैं चाहे होम्योपैथिक की हों, चाहे एलोपैथिक की हों, चाहे यूनानी की हों या आयुर्वेदिक की हों, सबको एक-एक लाख रुपया दिया गया है। लेकिन जो यूनानी मेडिकल डिस्पेन्सरी हैं, उनको एक लाख रुपया नहीं मिल पाया। इसमें जो लोग यहां से पैसा लेने दिल्ली सरकार गये थे, इसमें कहीं न कहीं उनसे चूक हुयी है। उन्हें निर्देशित किया जाये कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समन्वय स्थापित करके पुनः वहां से पैसा मंगाये और एक-एक लाख रुपया पूरे प्रदेश में यूनानी डिस्पेन्सिरियों को दिलवाया जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जब अभिभाषण सुन रहा था, उसमें पूर्वांचल के अन्दर जो विश्वविद्यालय दिये गये हैं, उसमें मेरा यह सुझाव है कि पश्चिम के अन्दर भी एक सरकारी विश्वविद्यालय खोला जाये। लोहिया ग्रामीण आवास योजना और बैटरी चालित रिक्शा जो सरकार ने देने का काम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना के कार्ड दिलवाये थे और वह उन लोगों को दिलवाये थे जो गरीब लोग पूर्व से बी0पी0एल0 की सूची में नहीं आ पाये थे जो असली पात्र थे, लेकिन अब उनसे भी पैसे की वसूली की गयी। तब उनका नाम बी0पी0एल0 अति0 सूची में शामिल किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना में जब चयन हो तो इसमें पारदर्शिता बरती जाये और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि जो लोग बी0पी0एल0 सूची से छूट गये हैं, उनको चयनित कर यह आवास दिलाये जायें। एक अनुरोध मान्यवर, आपसे और है कि तहसील के अन्दर जो छोटे कर्मचारी जैसे पटवारी और लेखपाल होते हैं कानूनगो होते हैं इनसे काम करने के लिए कहा जाता है लेकिन यह लोग जनता की बात सुनते नहीं हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है जिस दिन डी0एम0 का तहसील दिवस होता हो, उस दिन वहां के जनप्रतिनिधि को बैठने की व्यवस्था तहसील दिवस में डी0एम0 और एस0एस0पी0 के साथ कराई जाये ताकि तहसील के जो कर्मचारी लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी आमने-सामने बात कराकर उनकी मदद की जा सके। आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

*श्री रामपाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी के धन्यवाद के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, जैसा कि अभी नेता विपक्ष ने और अन्य नेताओं ने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का एक सरकारी लेख है। दस्तावेज है तो मान्यवर, आप कई बार इस विधान सभा में रहे हैं और आप जानते हैं कि जो सरकार की नीतियां बनती हैं उन्हें सदन के पटल पर महामहिम राज्यपाल महोदय रखते हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के पास एक ही पूंजी है कि इस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है और इसी पूंजी पर आज यह पार्टी इतने बड़े दल के रूप में खड़ी है। मान्यवर, अभी बहुत से साथियों ने कहा कि इसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं करती है। पिछली बार जितना गन्ने का रेट पांच साल में बढ़ाया गया था उतना गन्ने का रेट एक साल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है यह बिल्कुल सच है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि विपक्ष के साथियों को पूछा नहीं जाता है, मान्यवर, आप भी इसी सदन के सदस्य रहे हैं क्या पिछली सरकार में किसी भी सदस्य के साथ समान व्यवहार किया गया था ? मान्यवर, यह परम्परा किसने डाली है, इस परम्परा का जिम्मेदार कौन है। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। चूंकि मौर्या जी हैं नहीं, अभी चले गये। वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और सबसे पहले भाग भी जाते हैं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि वह अभिभाषण का भी बहिष्कार किये और आज बजट भाषण का भी बहिष्कार किये। कम से कम सुनना चाहिए और सुनकर अपनी बात को रखना चाहिए। मान्यवर, वह सम्मानित नेता हैं और नेता जी के साथ भी रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं लेकिन अपनी बात कह करके भाग जाना उनकी कला है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो भी आरोप सरकार पर लगाये गये हैं वह ठीक नहीं है। अभी कानून-व्यवस्था की बात हुई, कुम्भ मेला की बात हुई। महाकुम्भ में इतना अच्छा आयोजन इससे पहले कभी नहीं किया गया, सारे टी0वी0 चैनलों ने पहले दिन ही कहा था कि सबसे अच्छा आयोजन महाकुम्भ में किया गया है। अब यह घटना एक दुर्घटना है और दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज, सारे लोग दुखी हैं, इसमें राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चार करोड़ की आबादी को संभालना, उसकी व्यवस्था देखना आसान नहीं है। हम भी उस दिन वहां गये थे, वहां इतनी व्यवस्था चाकचौबन्द थी कि कहीं कोई इस प्रकार की अनहोनी की आशंका नहीं थी लेकिन फिर भी यह दुर्घटना हुई, इस पर पूरे सदन को खेद है लेकिन बहुत से साथी उस पर राजनीति कर रहे हैं। मान्यवर, तीसरी बात हमने कन्याधन योजना दी है, बेरोजगारी योजना दी है तो हमारे साथी कहते हैं कि रोजगार दो, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में कितने रोजगार दिये हैं और कितनी उगाही हुई है। यह किसी से छिपा नहीं है। कोई माननीय मंत्री सब्जी बो करके अरबपति हो गये तो कोई माननीय मंत्री कबाड़ बेच करके अरबपति हो गये हैं। इसलिए मान्यवर, मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं कि बोले तो सूप बोले, छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद। अभी यहां माननीय सदस्या जी बोल रही थीं कि बलात्कार के इतने केस हुए हैं। मान्यवर, दिल्ली इतना बड़ा प्रदेश है जितना बड़ा लखनऊ शहर वहां पर केन्द्र सरकार रहती है, दिल्ली की भी सरकार हैं, वहां कितना बड़ा बलात्कार हुआ, कितनी जघन्य हत्या हुई उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन उत्तर प्रदेश पर आरोप है जहां इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार से मान्यवर, छोटे-छोटे मामलों को बड़ा किया जा रहा है। मान्यवर, जिस समय इनकी सरकार थी।

उस समय थाने में बलात्कार हुआ। यह आपके पड़ोस में जनपद लखीमपुर के निघासन में हुआ। इसलिए मान्यवर, विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। आपने लालबत्ती जला दिया है, मैं केवल आपसे इतना कहकर कि प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो विरोध के लिए विरोध करते हैं, उनसे मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं अभी रामपुर के मा0 सदस्य महोदय बोल रहे थे कि मेरे यहां 100 कुन्तल गन्ने पर 20 कुन्तल गन्ने की बेईमानी होती है और वह पैसा किसी मंत्री जी के यहां पहुंचाया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, इस तरह के निराधार आरोप इस सम्मानित सदन में नहीं लगने चाहिए और यदि लग रहे हैं तो संज्ञान में ले करके उसकी जांच कराईये। कोई मंत्री यदि गन्ना की घटतौली में शामिल है तो उसकी आप जांच कराईये या फिर माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कराइये। धन्यवाद।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, जैसे सरकार बदली तो ऐसा लगा कि हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। परन्तु ऐसा महसूस हुआ कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार बदलने के बाद जैसे मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने किसानों को जो एक लाख रुपये थी उसको बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिये। इतनी मंहगाई बढ़ गयी है तो मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दैवी आपदा पर आज से नहीं सदियों पुरानी धनराशि चली आ रही है, चाहे आग लग जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे ओलावृष्टि हो जाए, तमाम ऐसी दैवी आपदायें हैं जिसमें किसानों को कुछ नहीं मिलता है, नाममात्र का धन मिलता है और वह किसी काम का नहीं होता है। तो मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन प्रस्ताव में इस धनराशि को बढ़ाकर जोड़ा जाए जिससे किसानों को एक अच्छी राहत मिल सके। मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आगरा लगभग सम्पूर्ण जनपद ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत आता है। हमारा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा से 45 किमी0 की दूरी पर है और यहां के किसानों को पौने दोगुनी, दोगुनी बिजली का बिल देना पड़ता है। मा0 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसानों को चौबीसों घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। हमारे क्षेत्र से लगा हुआ बाह क्षेत्र है वहां हमारे यहां का आधा बिजली का बिल देना पडता है जबकि उतनी ही बिजली वहां के किसानों को भी मिलती है और हम लोगों को भी उतनी ही बिजली मिल रही है परन्तु हम लोग दोगुना बिजली का बिल दे रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि यह कहीं जिक्र नहीं किया गया कि किसानों को चौबीसों घण्टे बिजली मिलेगी। हमारे यहां ईंट के भट्ठे बन्द करा दिये गये, बालू का खनन बन्द करा दिया गया। आगरा में ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे किसान बेरोजगार हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, आप जांच करा लें। हम यह चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसमें प्रस्ताव रखा जाए कि ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत जो किसान आते हैं उनको अधिक सुविधाएं दी जांए जिससे कि उनको लाभ मिल सके। हम ईंट खरीदते हैं तो दूने दाम में खरीदते हैं और हमारा गल्ला बिकता है तो उसी भाव में बिकता है। आपने कोई प्राविधन नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि यह किसानों की सरकार है तो किसानों को बेहतरी को ध्यान रखते हुए इसको रखा जाए। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है कि जितनी सड़कें मंडी समिति से बनायी जाती हैं, आर0ई0एस0 से बनायी जाती हैं, पंचायती राज से बनायी जाती हैं, विधायक विधि से बनायी जाती हैं, जिन सड़कों को बने हुए दस-दस, बीस-बीस साल बीत गये उनमें गड्ढ़े हो गये, हम लोग लिखकर के प्रस्ताव भेजते हैं पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को, वह कह देते हैं कि ये मार्ग हमारे विभाग के नहीं हैं, इन्हें हम नहीं बनायेंगे। अधिकांश मार्ग उन किसानों के हैं जो किसानों की सरकार कहते हैं, वे सारे मार्ग किसानों के लिए हैं। वह शहर में नहीं बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन मार्गो पर ध्यान देना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम मेरे क्षेत्र में 20 साल पहले मण्डी समिति के द्वारा सड़कें बनायी गयी थीं। जो सड़क कस्बा फतेहाबाद से आती है और बाईपास में मिलती है, आप अगर जांच करा लीजिए तीन-तीन फुट गड्ढ़े सड़क पर हो गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन प्रस्ताव में जोड़ा जाए जहां किसानों को इन विभागों के द्वारा बजट मिलता है परन्तु बजट में मेंटीनेंस के लिए कोई प्राविधान नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन सड़कों के लिए भी मेंटीनेंस का प्राविधान किया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, आप लोगों ने विद्यालय तमाम बना दिये तमाम सरकारें बनाती चली आ रही हैं और बनाती रहेंगी मेरा निवेदन है कि आपने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया कि जो विद्यालय बन्द पड़े हैं चाहे प्राथमिक विद्यालय हों चाहें पूर्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हों जितने यमुना नदी के किनारे जंगलों में बनें हैं वहां कोई भी अध्यापक-दो-दो, चार-चार, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक नहीं जाता है आप जांच करा लें मैं आपको 10 विद्यालयों के नाम देता हूं उसमें आज तक बनने के बाद कोई नहीं

गया। आप जांच करा लें पूर्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला महावई में है पूर्व माध्यमिक विद्यालय इधौन में है पूर्व माध्यमिक विद्यालय पारवी शिकरवार में है नन्दा पुरा में है तमाम ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैं अपने क्षेत्र के बता सकता हूं कोई भी वहां पढ़ाने नहीं जाता है। बिल्डिंग टूटी जा रही है जर्जर हो गई है सरकार का पैसा लगा है वह पैसा बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है इसलिस मैं प्रस्ताव में चाहता हूं इसकी व्यवस्था सरकार करे कि चाहे आगे नए विद्यालय न बनाए परन्तु उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करें मेरा आपसे यह निवेदन है। माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आप देखें पेज नम्बर 6 पर पेयजल का उल्लेख है हमारा जनपद आगरा मेरी विधान सभा राजस्थान के बार्डर से जुड़ी है भू-गर्भ जल काफी गहरा चला गया है एक-एक दो-दो कि0मी0 तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप जांच करा लें यमुना उतंगड़ खारी नदियों के बीच का बसा हुआ क्षेत्र है राजस्थान के किनारे होने के नाते भूगर्भ जल गहरा जाने के कारण रेगिस्तान जैसी स्थिति बन गई है। आपने रिबोरिंग के लिए 41 हजार का प्राविधान किया है मेरा आपसे अनुरोध है कि नए हैण्डपम्प का कोई प्राविधान नहीं किया गया गरीब आदमी छोटे-छोटे मजरों में बसे हुए हैं चार-चार, छह-छह घर बसे हुए हैं पेयजल की कोई भी योजना उनके क्षेत्र में जा नहीं पाती हैं। वह लोग बिना पानी के रह जाते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि इन लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाय। आज मैंने यहां पर देखा हुआ है कि धरना प्रदर्शन हो रहा था सरकार का निर्णय है कि हम बिचौलिये को खत्म करेंगे ठेकेदारों जो कमीशनखोरी है उसको खत्म करेंगे आज चाहे 31/11 हो चाहे 220 हो इन सब स्टेशनों पर ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी रखे जाते हैं जिनको पांच-पांच दस-दस साल और बीस-बीस साल हो गए उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। बीच का जो कमीशन होता है वह ठेकेदार रखते है लेकिन 6-6 माह तक उन गरीब लोगों को जो काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। ठेकेदार जब मर्जी होती है तब पेमेंट करता है मेरा अनुरोध है कि उनको ठेकेदार के यहां से हटाकर सरकार चाहे संविदा पर ही रखे लेकिन रखने का काम करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री छोटेलाल वर्मा-

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में भूगर्भ जल काफी नीचे चला गया है वहां पर पेयजल की गम्भीर समस्या है इसलिए इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैंने अगला नाम पुकार लिया है। कृपया बैठ जायं।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, सरकार की कुछ बातों की तरफ जो राज्यपाल के धन्यवाद पर आई हैं उस पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, किसानों के साथ में ऐसा छल किया जा रहा है सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मेरठ की मोहद्दीपुर शुगर मिल चलेगी लेकिन आज तक वह मिल चल नहीं पाई है मान्यवर, केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि मिल चलेगी लेकिन मिल नहीं चली है।

गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है गन्ना किसानों की ठीक प्रकार से पर्ची नहीं आ रही है। गन्ना क्रय केन्द्र दूर-दूर हैं। किसानों की इच्छानुसार मिलें आवंटित नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, गन्ना किसान दर-दर भटक रहा है। वह गन्ना लेकर विभिन्न मिलों पर जा रहा है। उसके गन्ने को डालने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई हैं। यह सरकार कहती है कि किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। माफ सहकारी समितियों का कर दिया है। सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले चन्द किसान होते हैं। बैंकों से अधिकतर किसान ऋण लेते हैं उसके ऋण को माफ करने की व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, यह सरकार किसानों का दम भरती है और किसानों के जो ट्यूबवैल के कनेक्शन हैं वह किसानों को नहीं दिये जा रहे हैं। ट्यूबवैल के कनेक्शन के लिये किसान दर-दर भटक रहा है। किसान के खेत का अगर ट्रांसफार्मर फुंक गया है, उसके टाउन का ट्रांसफार्मर अगर फुंक गया है तो 250 और 400 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान सरकार पिछली सरकार के समय में रोना रोती थी कि खराब ट्रांसफार्मर मौके पर भेज दिये जाते हैं इसलिये फुंकते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के ट्रांसफार्मर तो एक दिन भी नहीं चल पा रहे हैं। एक दिन लगाया जाता है तो दूसरे दिन फुंक जाता है। यह व्यवस्था वर्तमान सरकार में है। आज बिजली विभाग बिजली देने के लिये तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। गांवों के अन्दर मात्र 4-4, 5-5 घण्टे बिजली आ रही है। किसानों की सिंचाई समुचित प्रकार से नहीं हो पा रही है। मान्यवर, मेरठ में ओलावृष्टि के कारण किसानों की आलू व सरसों आदि की प्रमुख फसलें की समस्त फसल नष्ट हो गयी है। वहां के जिलाधिकारी ने भी शायद रिपोर्ट भेजी होगी लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान इस और नहीं गया कि वहां के किसानों को इसके लिये कुछ लाभ दिया जाता। मान्यवर, वहां के जो किसान हैं वह इधर-उधर की ठोकर खा रहे हैं। मान्यवर, कानून वयवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां फफूंडा गांव की एक लड़की को पीपलीखेड़ा का एक व्यक्ति धमका करके, बहला करके, फुसला करके एक महीने पूर्व ले गया यह सरकार महिलाओं को संरक्षण देने के बजाय, उनकी इज्जत बरकरार रखने के बजाय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वहां पर एक महीने बाद भी पुलिस प्रशासन उस लड़की को बरामद नहीं कर पाया है। यह कानून-व्यवस्था का हाल है। लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं और लोगों के नाम पुलिस विभाग के द्वारा उन हत्याओं में जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसमें से निकाले जा रहे हैं। मान्यवर, हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने वायदा किया था हैण्ड पम्प देने का। मेरे विधान सभा क्षेत्र मेरठ में आधा नगरीय क्षेत्र पड़ता है और आधा देहात का क्षेत्र पड़ता है। नगरीय क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उन गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, हैण्ड पम्प के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, सरकार को वहां पर पेयजल और हैण्ड पम्प की व्यवस्था करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा वहां की सारी सड़के खोद कर रख दिया गया है। मेरठ की सारी सड़कें इस समय खुदी पड़ी हैं। एक भी सड़क ठीक नहीं है। गड्ढ़ामुक्त करने के नाम पर सरकार द्वारा केवल बयानबाजी की जा रही है। जबकि मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क भी गड्ढ़ामुक्त नहीं की गई। न सड़क बनाई गई हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कराया जाय। आज जो हालत मेरठ के अन्दर प्रदूषण के सम्बन्ध में है। मान्यवर, आदरणीय नगर विकास मंत्री जी का एक दौरा वहां का हुआ। एक नगरीय कमेले का स्थान परिवर्तन किया गया था लेकिन आज उसके बाद भी वहां पर कमेले वालों ने जगह

जगह कमेले खोल दिये हैं। एक कमेले का स्थान परिवर्तित करके दूसरी जगह किया और दूसरी जगह के कमेले का स्थान परिवर्तित करके तीसरी जगह। कटान कर रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र लगभग 30-35 कमेले खोलने का काम इन लोगों ने किया है। जिला पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 30-35 कमेले ग्राम अल्लीपुर, पीपली खेड़ा, जलालपुर, कुठला के आस-पास खोल करके वहां पर पशुओं का कटान करने का काम किया जा रहा है। गायों का कटान हो रहा है। लगातार गायों का मीट दूसरे जनपदों से आ करके वहां मीट पैकेजिंग प्लान्ट के नाम पर और मीट पैकिंग करके विदेशों को भेजा जा रहा है। मान्यवर, उन कत्लखानों से बहता हुआ खून और गंदा पानी यहां की काली नदी में भेजा जा रहा है। लगातार मेरे प्रश्नों के बाद भी सरकार उस गंदे पानी को काली नदी में बहाने से रोकने में विफल है। उस काली नदी में खून, रक्त रंजित पानी को बहने से रोका जाय और नीचे जो बैरिंग करके जो जमीन में उतारा जा रहा है, जो जल प्रदूषण किया जा रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है उसको सरकार तत्काल रोकने का काम करे। मान्यवर, जे0एन0एन0आर0यू0एम0 द्वारा जो सड़कें बनी हुई हैं, वह सड़कें खोदी गई थीं। वहां पानी के नाम पर जो पाइप डाले गये वह इतनी घटिया क्वालिटी के हैं। मेरे क्षेत्र में पाइप रोज ही फटते हैं और उनसे फव्वारे फूटते हैं लेकिन इन अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगती। मान्यवर, स्थिति ऐसी हो गई है कि अधिकारियों और सरकार को हम बार-बार बताते हैं। पाईप बदले जांये, राजनगर कालोनी गढ़ रोड के पाईप फट गए हैं। लेकिन इसके बाद भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा एक ट्यूबवैल लगाई गई थी एल ब्लाक शास्त्रीनगर के अन्दर, मैंने सदन में प्रश्न भी उठाया लेकिन उस ट्यूबवैल के स्थान पर नई ट्यूबवैल लगाने का काम आज तक नहीं हुआ। कानून व्यवस्था ध्वस्त है किसानों के साथ धोखा है, छात्रों के साथ धोखा है। एक प्रतिभावान खिलाड़ी के लिए मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि मेरठ का भुवनेश कुमार उत्तर प्रदेश की ओर से पूरे देश की टीम में 20-20 खेला तथा देश की टीम के साथ खेल रहा है। वह पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को उसे प्रोत्साहन देना चाहिए लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मान्यवर, इस तरह से देश का प्रतिभावान खिलाड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन के लिए इंतजार कर रहा है। जी0आई0सी0 गर्ल्स माधवपुरम् में फर्नीचर नहीं है। छोटे-बड़े तकनीकी शिक्षा स्कूलों द्वारा नागरिकों को लूटा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री रविन्द्र भडाना-

अनाप-सनाप पैसे वसूले जा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशसूद खां-

आपने महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हिमालय की तलहटी बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं देख रहा हूं कि विरोध में जो बोलने के लिए

खड़ा हो रहा है वह कह रहा है कि 11 महीने बीत गए, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अगर 92 पेज का महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है तो जाहिर है कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है। ज्यादा काम किया है इसलिए ज्यादा लम्बा भाषण भी है। यह भूल गए कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने किसानों के गन्ने के डिफर का पैसा भी दे दिया हमारे मुख्य मंत्री जी ने। जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बकाया छोड़ दिया था किसानों के ऊपर। कुछ लोग बोल रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त है। चली गई जोशी जी, मैं तो उनको बहुत पढ़ा-लिखा समझता था, लेकिन आज उन्होंने बहुत मिथ्या भाषण दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में जब गन्ना किसान रेट मांगने गया कांग्रेस के मुख्य मंत्री जी से, तो उन्होंने गोलियां चलवा दीं, किसानों के ऊपर लाठियां चलवा दी गई। हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बगैर कहे गन्ना किसानों का रेट बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि पिछले पांच सालों में नहीं बढ़ा था। हमारी सरकार ने कृषक बीमा योजना में एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपया कर दिया। यह नहीं दीखता है जो है वह बोले चला जा रहा है कि क्या किया 11 महीने में, फिर एक साल का वायदा बना दिया इन्होंने, जो वायदा किया है वह झूठा नहीं किया है और जो वायदा किया है वह पूरा किया है और जो रह गया है वह पूरा किया भी जाएगा। इनको नहीं दिखता है कन्या विद्या धन इनको नहीं दीखता बोरोजगारी भत्ता इनको नहीं दीखता, इनको दीखना चाहिए। विपक्ष का मतलब है कि जो सरकार की खराब नीतियां हैं उसकी आलोचना करो। अच्छी नीतियों की आलोचना करोगे तो जनता तुम्हें विपक्ष से हटा देगी। दूसरा कोई बीच वाला आ जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो सरकार ने बड़े-बड़े काम किए हैं इनको नहीं दीखता है इनको दीखना चाहिए। अभी तक जिनते लोग समर्थन में बोले हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद्।

*श्री विजय कुमार दूबे-

धन्यवाद्, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर आपने हमें बोलेने का मौका दिया। विगत एक वर्ष का कार्यकाल बीत रहा है बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ, लाखों आस्थाओं को लेकर हम लोग इस न्याय के मंदिर में आए हैं। इस देश के सबसे किनारे की विधान सभा जहां से दूसरे देश की सीमा प्रारम्भ होती है इस पिछड़े विधान सभा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विकास की कोई योजना लागू होते सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। विकास का मुद्दा चाहे सड़क को लेकर हो, विकास का मुद्दा चाहे विद्युत आपूर्ति को लेकर हो या विकास का मुद्दा लोहिया समग्र चयनित ग्रामसभा को लेकर हो, भेदभाव की नीति के चलते विद्युतीकरण की सुविधा भले सत्तापक्ष से जुड़े माननीय सदस्य के क्षेत्र में हो। लोहिया समग्र चयनित ग्राम सभा के मुद्दे पर पिछले वर्ष हमारे विधान सभा में एक भी ग्राम सभा चयनित नहीं की गई और इस वर्ष भी पूरे जनपद के 41 चयनित ग्राम सभाओं में एक भी ग्राम सभा हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिखायी दे रही है। चाहे मुद्दा सड़क निर्माण का हो, सत्ता से जुड़े क्षेत्रों में नई सड़कों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण भले ही दिखाई दे रहा हो लेकिन हमारी विधान सभा में नहीं दिखायी दे रहा है, जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का लक्ष्य बनाया था, आश्वस्त भी किए थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे। इस वर्ष के उनके बजट भाषण में भी पृष्ठ-52 पर साफ दिखाई देता है। वर्तमान आधुनिक परिवेश में जब हम सभी विकास के प्रति संकल्पित हैं तो ऐसे में इस देश के किनारे की विधान सभा में आज भी लकड़ी के पोलों के माध्यम से और लोहे के तार के माध्यम से हमारे विधान सभा के दर्जनों ग्राम सभाओं में विद्युत की सुविधा दी जाती है, जब कि सैकड़ों-सैकड़ों उपभोक्ताओं के बिजली के बिल अगर देने में विलम्ब हो जाए तो उन पर एफ0आई0आर0 करके जेल में डालने पर विवश किया जाता है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर कहीं भी कोई सुविधा नहीं दिखायी देती है। दर्जनों ऐसे गांव हैं, जहां आर0सी0सी0 के पोल नहीं, तार नहीं और दर्जनों ऐसे गांव हैं, जहां उपभोक्ता तो सैकड़ों की संख्या में हैं लेकिन उन गांवों में ट्रन्सफार्मर आज भी क्षमता से कम है। जिला योजना के बारे में कहना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री जी, आज संयोग से सदन में उपस्थित हैं, हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि बिना किसी भेदभाव की नीति के सम्पूर्ण कुशीनगर जनपद के विकास को आगे बढ़ावा जायेगा। लेकिन आज कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि चाहे समग्र गांव चयनित का मुद्दा हो, चाहे विद्युतीकरण की सुविधा हो जिसमें कि बिजनेस प्लान के माधम से उन्होंने आश्वस्त किया था, आज भी वही स्थिति है जो आज से एक वर्ष पहले के समय में थी। हमारे विधान सभा से लगी हुई मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर है। हमें याद है पिछले बजट सत्र के अपने भाषण में मैंने इस मुद्दे को रखा था कि टूटी हुई नहरों की दीवार और रेगुलटरों के खराब पड़े फाटक के साथ ही इस नहर में जमा सिल्ट को साफ कराया जाए। किसानों की हितैषी बनने वाली यह वर्तमान सरकार उस नहर की दीवार तो नहीं बना सकती, यह बात हम लोग जानते हैं लेकिन कम से कम उस नहर की सिल्ट साफ हो जाए, रेगुलेटर के खराब फाटक का सुधार कर लिया जाए तो भी हम धन्यवाद देंगे क्योंकि हम जानते हैं, किसानों का सच्चा हितैषी यदि कोई था तो वह कांग्रेस थी, जिसके वह महान विभूति पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक नहर की आधार शिला रखी थी, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। यह ऐतिहासिक नहर जो करोड़ों किसान परिवार की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। आज नहरों का जाल उनके आर्शीवाद की देन है और प्रभारी मंत्री जी आश्वस्त किए थे। जिला योजना की बैठक में 40 करोड़ से 60 करोड़ बड़े होहल्ला के बाद तीन हजार इंडिया मार्का हमारे कुशीनगर जनपद में उन्होंने आवंटन के लिए आश्वासन दिया था लेकिन इंसेफेलाइटिस प्रभावित आबादी की मौत से हुयी आबादी का आंकड़ा मिलाया जाये तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुशीनगर जनपद और उस कुशीनगर जनपद में हमारी विधान सभा खड्डा में ऐसे पचासों मौत एक साल में हुई हैं लेकिन अभी तक एक भी इण्डिया मार्का नहीं दिया गया। मान्यवर, गन्ने का रेट तो बढ़ाया गया लेकिन फायदा किसानों को मिला या बिचौलियों को ? अबकी बार का पेराई सत्र ही प्रदेश सरकार का प्रश्नचिन्ह खोल देता है। क्योंकि हमारे जनपद के प्रत्येक मिल में घटतौली की शिकायत है। आम किसानों को पर्ची के लिए दर-दर भटकना पड़ा है। उदाहरण के लिए खड्डा की शुगर मिल जिसके अन्तर्गत लगभग प्रत्येक गांव में निजी क्रय केन्द्र बिचौलियों द्वारा चलाया जा रहा है। 200 रुपये में गन्ना किसान उनको बेचने के लिए बाध्य है। जबकि 270 रुपये में उसी मिल से पाये हुए लोग बेचने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है क्योंकि

बार-बार जांच के बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और निजी क्रय केन्द्रों पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी। समस्या जस की तस है। आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय मैं आगरा से चुनकर आता हूं जहां पर ताजमहल स्थित है। मान्यवर, अभी कुछ वक्त पूर्व आगरा में एक ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मिट हुई थी। चाहते तो वह उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो सकती थी। आगरा में देश और विदेश से सभी लोग वहां पर आये थे। बिजनेस की बात हुई अच्छा लगा लेकिन वहीं दुर्भाग्य की बात यह है कि आगरा कैन्ट में जहां ताजमहल है आए दिन मुझे यह देखने को मिलता है कि वहां पर ताजमहल के पास 2-3 कि0मी0 की दूरी पर जहां पर नगला महादेव राजेश्वर मंदिर है और जहां पर नीतिबाग है वहां की सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं। देश विदेश से वहां पर पर्यटक आता है। होटल में रूकने के बाद ताजमहल को देखने के बाद जब वह इधर-उधर टहलने जाता है तो उसको यह लगता है कि ताजमहल जितना अच्छा है वहीं आगरा शहर उतना ही ज्यादा गंदा है। मान्यवर, पिछले साल मैंने संशोधन प्रस्ताव में इतने सारे नाले दिये थे वहां पर ताजमहल के दो-तीन कि0मी0 की दूरी पर एक नगला परसोती, नगला मरती, सेवला सराय, नगला प्यारे, नरीपुरा में घरों में दो-दो फिट पानी भर जाता है वहां पर पानी की कोई निकासी नहीं है। पिछले साल से मैं कलेक्टर को, जल निगम को, नगर आयुक्त को कई-कई पत्र दे चुका हूं लेकिन मान्यवर, वहां पर बड़ी-बड़ी बैठकें तो होती हैं लेकिन वहां पर जरा सा पैसा भी आगरा कैन्ट के लिए नाले के लिए स्वीकृत नहीं होता। बड़े दुःख की बात है कि जहां पर ताजमहल है, टिकट का पैसा तो आता है, अवस्थापना निधि से आता है, पथकर से आता है बहुत पैसा आता है लेकिन यहां सड़कें नहीं बनायी जाती, नालियां नहीं बनायी जातीं। वहां पर उस पैसे को बड़ी-बड़ी सड़कों में लगा दिया जाता है। जहां पर रात में एक लेयर डालकर चले गये और पैसा खत्म हो गया। टिकट का पैसा ताजमहल की सुन्दरता के लिए लगाना चाहिए। बड़े दुःख की बात है कि माननीय मंत्री श्री आजम साहब यहां पर नहीं हैं वह तो एक दिन ताजमहल को तोड़ने के लिए कह रहे थे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी वहां पर जाते हैं प्रदेश के लोग जाते हैं, देश के लोग जाते हैं और विदेशों से भी वहां पर पर्यटक आता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वहां पर विकास के लिए पैसा अलग से इस बजट भाषण में जोड़ा जाय। मान्यवर, मैं अभी पढ़ रहा था, इसमें रेलवे के पुल का जिक्र किया गया है। मान्यवर, आगरा में एक पुल का जिक्र तो किया है और बगल में छोटे-छोटे शहर हैं। वहां पर दो-दो पुल का जिक्र किया है। आगरा इतना बड़ा महानगर, विश्वविख्यात शहर वहां पर केवल एक पुल का जिक्र किया है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जहां वी0आई0पी0 रोड हैं, जहां पर लेन से हमारा पर्यटक उतरता है, जहां पर वी0आई0पी0 गुजरता है, वहां पर मान्यवर, एक शाहगंज पड़ता है तो शाहगंज में बड़ी भीड़ रहती है, वहां पर आये-दिन जाम लग जाता है, वहां पर एक पुल की अति आवश्यकता है। मान्यवर, वहां पर एक पुल जरूर बनाया जाय। मान्यवर, यही नहीं, आगरा में एक बहुत बड़ा एस0एम0 हास्पिटल है। वहां से, आगरा शहर से 40 कि0मी0 दूर, 80 कि0मी0 दूर के शहर लगे हुए हैं मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी ऐसे बहुत सारे शहर लगे हुए हैं। मान्यवर, बड़ा हास्पिटल होने के नाते वहां पर सुविधा नहीं

है, जैसे कि रेडियो थेरेपी की मशीन, सी0टी0 स्कैन की मशीन वहां पर नहीं हैं, मान्यवर, वहां पर यह मशनें होनी चाहिए जिससे अगर गरीब आदमी एस0एन0 हास्पिटल में जाय तो वहां पर उसका सी0टी0 स्कैन हो जाय, उसकी रेडियो थेरेपी भी हो जाय। मान्यवर, यह पैसा इस संशोधन में जोड़ा जाय। मान्यवर, एक और बात कहना चाहूंगा, टोरेण्ट पावर आई थी, हमारी सरकार में आई थी, कानपुर शहर दिया गया था, आगरा शहर दिया गया था, केवल शहर। मान्यवर, आगरा में जाकर देख लीजिए, हमारी सरकार में क्या नार्म्स थे, किस विधि पर दी गई थी, उस विधि का उल्लंघन कर के उन टोरेण्ट पावर वालों ने प्राइवेट गुण्डे रख लिये हैं, घरों में घुसते हैं, नए मीटर लगाये हैं, मीटर बहुत तेज दौड़ रहे हैं, जो गरीब एक कमरे में रहता था, जहां एक कमरे का बिल पांच सौ रुपये महीना आता था, वहां पर डेढ़ हजार रुपये का बिल आ रहा है और गुण्डों को जान-बुझकर बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि वहां से बसपा के ज्यादा विधायक जीत कर के आये हैं। मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए। अगर आगरा दिया गया था, अगर कानपुर दिया गया था तो आगरा के साथ-साथ कानपुर में क्यों नहीं खुदाई कर रहे हैं यह मगर अनलिमिट वहां पर गुण्डा गर्दी इनकी चल रही है। मान्यवर, इस पर भी रोक लगाई जाय। मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा कि हमारी सरकार में कुछ गरीबों के लिए मकान बने थे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें। श्री महेन्द्र कुमार सिंह जी, आप अपनी बात कहें।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

यह योजनाएं चेन्ज कर रहे हैं अच्छी बात है, चेन्ज करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन गरीबों के लिए हमारी सरकार में, मान्यवर कांशीराम शहरी समग्र योजना के तहत जो मकान बने थे उन मकानों को मान्यवर, आवंटित कर दिया जाय। उनकी खिड़कियां चोर तोड़-तोड़ कर ले जा रहे हैं, गुण्डे उसमें बसते हैं, गुण्डे वहां पर रहते है। मान्यवर, उनको भी आवंटित करने का काम कर दिया जाय, जिससे कि वहां की जनता को राहत मिले। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले महामहिम राज्यपाल जी द्वारा यहां अभिभाषण पढ़ा जा रहा था, उस समय विपक्ष के बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन कर दिया था और उसके पहले जब उत्तरशती जयन्ती मनायी जा रही थी तो इसी मण्डप के नीचे पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने एकमत होकर यह राय व्यक्त की थी कि जब कभी भी महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाय उस वक्त पूरा सदन मौजूद रहना चाहिए और उसकी गरिमा बनाये रखना हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं 1996 से लगातार इस सदन में चुनकर आ रहा हूं। मेरी विधान सभा पहले बेहटा विधान सभा के नाम से जानी जाती थी, परिसीमन के बाद उसको सेउता विधान सभा के नाम से जाना जाता है और मेरा विधान सभा क्षेत्र कई तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। शारदा, घाघरा, किवानी, चौका,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोबरइया, ककरहिइया तमाम नदियों से घिरा हुआ है। यहां तक कि हमको नदी क्रास करके जाना पड़ता है और नदी क्रास करके ही आना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जब सरकार बनी और मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने जो सबसे पहला दौरा लगाया तो उनका सबसे प्रथम दौरा बाढ़ क्षेत्र को देखने के लिये लगा था और उन्होंने अपना स्थान लखीमपुर चुना। लखीमपुर जाने पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लिया। बाढ़ और कटान से कैसे राहत मिले, इस पर योजना बनाने की चर्चा उन्होंने वहां पर अधिकारियों से की। वहां के लोगों से भेंट करके वहां की स्थिति से अवगत हुये। मा0 सिंचाई मंत्री भी साथ में थे। मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 सिंचाई मंत्री जी को कि मैं 1996 से लगातार इस विधान सभा में आ रहा हूं। मेरा क्षेत्र बाढ़ और कटान से हमेशा जूझता चला आ रहा है। इस विधान सभा में कई बार आवाज उठाने के बावजूद, याचिका दायर करने के बावजूद, विधान सभा में बार-बार अपनी आवाज बुलन्द करने के बाद भी मुझे कभी अपने क्षेत्र में नदी कटान से राहत नहीं मिली लेकिन इस बार, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही मा0 सिंचाई मंत्री जी ने 90 लाख रुपया तुरन्त मेरे कहने पर कटान रोकने के लिये दिया था। हमारा जो कटान का क्षेत्र था, जहां आबादी वाला भाग था, उस भाग को बचाने के लिये दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जब कटान क्षेत्र में 90 लाख से ठोकरें बनायी गयी तो नदी का रूख दूसरी तरफ मुड़ गया जिससे मात्र एक ही गांव नहीं, लगभग 35 गांव का कटान बच गया और आज वहां की जनता सरकार की बहुत तारीफ कर रही है। मै बताना चाहता हूं कि अभी जो बातें आ रही थीं कि बेरोजगारी भत्ता, एम्बुलेंस सेवा, कन्या विद्या धन योजना इन तमाम योजनाओं के बारे में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एम्बुलेंस सेवा का मेरे यहां एक जीता-जागता उदाहरण है। मेरी पुरानी विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानापुर में एक धनन्जय नाम का लड़का, अकेला लड़का अपने मां-बाप का था, मारूति जेन से वह जा रहा है उसका एक्सीडेण्ट हो गया। गाड़ी पलट गयीं, इत्तेफाक से हम लोग भी आ गये। हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा करके उस गाड़ी को सीधा कराया। हम लोगों ने 108 नम्बर एम्बुलेंस सेवा पर सूचना दे दी। हम लोगों को जितनी देर उस गाड़ी को सीधा करने में लगा, उतनी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आ गयी और उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुयी थी, उस धनन्जय नाम के लड़के को ऑक्सीजन लगाकर सीतापुर ले जाया गया। आज वह लड़का जीवित है और अपने मां-बाप और बच्चों के साथ में, अपने परिवार में हंसी-खुशी से रह रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि ऐसी-ऐसी योजनायें चला कर उन्होंने विपक्षियों के मुंह बन्द कर दिये हैं और उनके पास कहने के लिये कुछ रह नहीं गया है। कहते हैं कि समग्र ग्राम में हमारा कहीं नाम नहीं है, समग्र ग्राम हमसे पूछे नहीं गये, हमसे सड़क नहीं मांगी गयी, हमसे नल नहीं लिये गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। हम लोग एक भी नल लगाने को तरस गये लेकिन इन लोगों ने हमें एक नल भी नहीं दिया। जनता हम लोगों से मांग करती थी कि आप विधायक हो, सदन में जाते हो और आप एक नल भी नहीं लगवा सकते हो। मैं 5 साल से इस सदन के गुम्बद के नीचे खड़ा हूं। हमारे साथी भी बैठै हैं यहां पर, वह भी बता सकते हैं कि एक नल तक लगवाने को हमको नहीं मिला। हम तो चाहेंगे और सरकार से सिफारिश करेंगे कि ऐसी कोई बात है तो विपक्ष के साथियों को भी नल जरूर दे दिया जाये और हम लोगों को भी दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, अभी उनका समय समाप्त नहीं हुआ। झीन बाबू ने इतनी बढ़िया बात कही लेकिन इन लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। इसका मतलब इनकी इच्छा नहीं है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, अभी समग्र गांव की बात आ रही थी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, एक मिनट, बस एक मिनट। समग्र गांव की बात अभी आ रही थी कि समग्र गांव इन लोगों को, प्रभारी मंत्री जाते हैं, इनके कहने से कोई समग्र गांव नहीं दे रहा है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, चाहे भाजपा के मा0 सदस्य हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे दूसरे दलों के हों, चाहे हमारे साथी हों। क्या इन पूरे 05 सालों में एक भी समग्र गांव हम लोगों के द्वारा चयनित करके दिया गया है। अगर सहमत हों तो बताएं और न सहमत हों तो भी बताएं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप भी वहीं के हो, आप भी बाढ़ क्षेत्र से आते हो। (बसपा के एक मा0 विधायक को इंगित करते हुए।) आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि आप भी बाढ़ क्षेत्र से आते हो, इस पार मैं हूं और उस पार आप हो, आपसे कहना चाहता हूं कि क्या एक भी ठोकर बनवाने का काम किया है, आपने अपनी सरकार में किया। अपनी सरकार में एक भी ठोकर कहीं पर नदी की कटान को बचाने के लिए आप नहीं बना पाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर कहीं बनाइयेगा, प्रस्ताव दीजिएगा मैं सरकार से सिफारिश करूंगा क्योंकि वह आम जनता का काम है। मैं आपके यहां पर भी ठोकर बनवाने के लिए सरकार से सिफारिश करूंगा। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसका समर्थन करते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

झीन बाबू याद रखना ठोकर बनवाने की बात सदन में कही है।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस सदन में प्रथम बार आने के बाद पहले मैं समझता था कि सदन में जो बोला जाता है वह बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहां आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सदन में भी वही बोला जाता है जो वहां पर नेता लोग बोलते हैं, बड़ी-बड़ी बातें बोली जाती हैं और यहां तो मैं यही देखता हूं कि तू मुझको कह मैं तुझको कहूं, तुम हाथी कहो, तुम साइकिल कहो, इसके अलावा और कुछ दिखायी नहीं पड़ता। हैण्डपम्प की बात कर रहे थे अभी मेरे सदस्य भाई लेकिन एक हैण्डपम्प भी अभी तक नहीं मिला। बसपा वालों की बात क्या करूं मैं आपसे कह रहा हूं आपसे भी नहीं...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मिला है। सदन की बात है। मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूं कि हम सब सदन में आए हैं और सदन में आने के बाद जनता हमको देखती है कि सदन में जा रहे हैं, कुछ लेकर आएंगे। हम यहां बोलते हैं, हमें यहां कुछ मिलता नहीं है। हम यहां महीनों समय देते हैं और खाली हाथ जाते हैं। यहां तो यह होता है कि जो कह रहे हैं अपनी-अपनी बड़ाई कर रहे हैं। एक मायावती की बड़ाई करते हैं, तो एक कांग्रेस की बड़ाई करते हैं। आप तो अपनी बड़ाई करेंगे ही क्योंकि आप इस समय शासन में हैं, प्रशासन में हैं, सरकार में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से लुटाई चल रही है, जिस तरह से बसपा शासन में लूट थी, उसी तरह से इस शासन में भी लूट चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक विधान सभा में एक हैण्डपम्प नहीं है। पानी को लोग तरस रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो विनाश है, विकास नहीं है। एक सड़क कोई बता दे कि इस क्षेत्र की यह सड़कें बनी हैं, कुछ नहीं हो रहा है। केवल बातें हो रही हैं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सरकार काम कर रही है उसी तरह से जैसे ''बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछिन का छाया नहीं, फल लागे अति दूर'' अभी तक जनता को कुछ नहीं मिला है। आप अपने गुप्तचर भेज दीजिए आप स्वयं समझ लीजिए पीछे बैठकर देख लीजिए कि क्या आवाजें आ रही हैं। इस सरकार से उम्मीदें थीं कि सड़कें बनेंगी। इस सरकार से उम्मीदें थीं कि पानी मिलेगा। इस सरकार से उम्मीदें थीं कि शासन-प्रशासन दुरूस्थ होगा लेकिन बेईमानों की जमात लग गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़े मुश्किल में खादान खुले थे। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की थी, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि खादान नहीं खुल सकते हैं, चूंकि केन्द्र का कोई कारण ऐसा है। बड़ी मुश्किल से मान्यवर, खादान खुले। इसके बाद लूट चल रही है। एक तो सरकार रॉयल्टी देती है, रॉयल्टी के आधार पर पैसा लेती है। वहां पर स्वयं माल ज्यादा लाद देते हैं, आगे आकर उससे पचासों हजार रुपये डकार लेते हैं। सरकार ही चोर, सरकार ही सिपाही कैसे चलेगा यह काम। जब तक सरकार यह निर्णय नहीं लेगी कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, वही सही है। खादान से आप उतना ही माल दीजिए, जितने माल की आप रॉयल्टी लेते हैं। रॉयल्टी आप लेंगे, रॉयल्टी का पैसा लेंगे, माल आप स्वयं ज्यादा लादेंगे और सड़क पर ट्रक वाला लूटा जा रहा है। इस तरह से नहीं लाठी, डन्डे से लूटे जा रहे हैं। चौकी में सिपाही, सिपाहियों को छोड़ो आज कल तो होमगार्ड्स भी लूट रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देश अपने आप और प्रदेश अपने आप कहां जाएगा। आप सब समझते हैं। मैं अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी पानी बरसा है। चलने की कोई व्यवस्था नहीं है। नियम-301 में भी हमने आपको लिखकर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है, न बसपा सरकार में और न सपा सरकार में, हम क्या करें ? हम लोग परेशान हैं, रोज यहां पर अपनी बात करते हैं, प्रयास करते हैं कि कुछ काम हो सके। प्रयास करने के बाद भी सड़कें नहीं बन रही हैं। श्रीमन् प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कैसे व्यक्ति जीयेगा, कैसे कोई चलेगा। मान्यवर, बड़े-बड़े अधिकारी डी0एम0, एस0एस0पी0, कमिश्नर, विधायकों के फोन तक नहीं उठाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब पांच बज गये हैं, श्री भदौरिया जी, कल आप बोल लीजिएगा। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, ठीक है आज मैंने तीन ही मिनट बोला है कल मैं पांच मिनट और बोल लूंगा आप मुझे सर्वप्रथम मौका दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[05.01] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाएं लेता हूं। आज दिनांक 19 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें पहली सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा सूचित मौजमपुर व सादुल्लापुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, दूसरी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली अन्तर्गत श्री रामेन्द्र पुत्र श्री अमन सिंह की हत्या करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, तीसरी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, चौथी सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुये नुकसान के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, पांचवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया स्थित सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर तक जाने वाले मार्ग पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, छठी सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल की समस्या को देखते हुये गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद-वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति तथा दूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, आठवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद-आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र की खराब पड़ी टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों के मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, नौवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में सई नदी पर पथरिया रोहाड़ा घाट एवं गुलरिहा घाट (उछापुर) पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, दसवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के सीमावर्ती क्षेत्र भाण्डेर रोड से खजूरी तक के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

मा0 सदस्य का नाम

1-श्री काली चरन सुमन,

2-श्री राम चन्द्र यादव,

3-श्री विजय कुमार दुबे,

4-श्री बब्बन सिंह चौहान,

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

6-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

7-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

8-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

9-श्री प्रदीप माथुर,

10-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

11-श्री राजेश अग्रवाल,

12-श्री मनीष असीजा,

13-श्री दिलनवाज खान,

14-श्री राजकुमार रावत तथा

15-श्री धर्मपाल सिंह।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 04 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ-53 पर)

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री विजय बहादुर यादव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री बावन सिंह, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री राम चन्द्र यादव, श्री कलराज मिश्र, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री भारतेन्द्र सिंह, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा श्री रविन्द्र भड़ाना।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महाकुम्भ जैसे पुनीत पर्व, जिस पर अरबों रुपये के बजट के प्राविधान के बावजूद, यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करने के कारण कुम्भ में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावना को चोट पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य में बिगड़ी कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में, 3-अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में, 4-धान की खरीद में समस्त सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, 5-गन्ना कृषकों का मिलों द्वारा उत्पीड़न तथा बाहर के राज्यों से सस्ती दर पर गन्ना क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, 6-ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के कारण कृषकों के पास सिंचाई की कोई स्थाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 7-सरकार द्वारा राज्य में अभी तक एक भी उद्योग की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में, 8-माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्पात् हजारों छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित रहे तथा जिन को प्रवेश मिला है उनके फीस प्राप्त अवमुक्त भत्तों की प्रतिपूर्ति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश के जनपदों में 30-40 साल पुराने लम्बित चकबंदी के वाद निस्तारित न होने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध कटान तथा अवैध रूप से मांस के निर्यात के कारण घटते पशुधन के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली न दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों का मुक्त कराने के सम्बन्ध में,
		13-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		15-औद्योगिक विकास हेतु उद्योग धंधे को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,
		17-चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने, गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		18-सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं सभी को साक्षर बनाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		19-विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में तथा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में स्थिर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की धनराशि पर्याप्त बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		21-आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये किसी सार्थक कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		22-गम्भीर बीमारियों, जैसे कैंसर, गुर्दा, लीवर व हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा पूरी तरह से सरकारी खर्च पर कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की निशानदेही पर गरीब व असेवित बस्तियों में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का-2 नल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24-प्रदेश के इंटर व महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 25-प्रदेशवासियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से बचाने के लिये किसी सार्थक कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 26-नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 27-महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में, 28-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सघन जांच के लिये जिला स्तरीय प्रयोगशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में, तथा 29-थानों में पुलिसकर्मियों की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में।''
3	श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री मो0 मुस्लिम, श्री गजराज सिंह, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधे श्याम, श्री दलजीत सिंह, श्री संजय कपूर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दिलनवाज खान तथा श्री प्रदीप चौधरी।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा के विपक्षी दल के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने तथा क्षेत्र के विकास कार्य हेतु धन न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 2-बेलगाम अफसरशाही द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन न करने तथा व्यक्ति विशेष एवं जाति विशेष के व्यक्तियों का कार्य करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के संबंध में, 3-प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में, 4-प्रदेश में ठप विकास कार्य हेतु आवंटित धन योजनाओं हेतु रिलीज नहीं किये जाने के संबंध में, 5-जिला योजना के अन्तर्गत जिला बजट नहीं जारी किये जाने एवं उक्त योजना में उन्हीं जिलों को पैसा दिया जा रहा है जहां पर स0पा0 पार्टी के मंत्री एवं विधायक हैं, विपक्षी दलों के विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी किये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना एवं पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना का कार्य का पैसा जारी कराकर रूके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में,
		7-शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 8-10 घण्टे बिजली की कटौती किये जाने से औद्योगिक कार्य ठप पड़े हुए हैं के संबंध में,
		8-क्रय किये गये धान तथा गन्ना किसानों का पैसा नहीं दिये जाने एवं उनका शोषण किये जाने के संबंध में,
		9-प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है, को सुधारने के संबंध में,
		10-मथुरा-वृन्दावन को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाये जाने हेतु विशेष पैकेज देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,
		11-बौद्ध परिपथ की भांति श्री राधाकृष्ण परिपथ की घोषणा किये जाने के संबंध में,
		12-यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास मथुरा-वृन्दावन, अलीगढ़ व आगरा के बीच किसी स्थान पर डोमेस्टिक/इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने हेतु भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में,
		13-यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के संबंध में विस्तृत कार्य योजनाा बनाये जाने के संबंध में,
		14-बृज क्षेत्र की 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण एवं पड़ाव स्थानों का अधिग्रहण कर इस क्षेत्र में समस्त सुविधायुक्त करने के संबंध में,
		15-पी0पी0पी0 माडल के आधार पर मथुरा एवं वृन्दावन में धार्मिक एवं पुरातात्विक के स्थानों को रख-रखाव के संबंध में,
		16-मथुरा-वृन्दावन की लोक निर्माण विभाग की पुरानी मरम्मत योग्य सड़कों के जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में,
		17-नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं वृन्दावन को एक में जोड़कर नगर निगम बनाये जाने के संबंध में ताकि इस क्षेत्र के विकास हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		18-बृज क्षेत्र की संस्कृति एवं भाषा के विस्तार हेतु एक बृज अकादमी बनाये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19-मथुरा-वृन्दावन के हेरीटेज मंदिरों जैसे कि बरसाना मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, श्री रंगजी मंदिर, राधा-रमण मंदिर, के0सी0 घाट, पोतरा कुण्ड, एवं अन्य विविध पुरातात्विक महत्व के मंदिरों को हेरिटेज हेतु घोषित कर उनके रख-रखाव हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था के संबंध में,
		20-मथुरा के धार्मिक एवं पुरातात्विक संग्रहालयों को नेशनल हाई-वे पर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में,
		21-केन्द्र सरकार की योजनाओं और उससे मिलने वाले धन का दुरूपयोग किया जा रहा है, सरकारी विभागों से कार्य न कराकर प्राइवेट ठेकेदारों से कार्य कराकर धन का अपव्यय किये जाने के संबंध में,
		22-प्रदेश के 07 शहरों में संचालित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत रिवर साइड डेवलपमेन्ट, फ्लाई ओवर एवं सड़कों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 बनाने हेतु धनावंटन करने तथा केन्द्र सरकार के नगर विकास विभाग को धन आवंटन हेतु तत्काल डी0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में,
		23-सी0एन0जी0 आधारित उद्योग तथा लघु उद्योगों तथा साड़ी प्रिटिंग, टोटी उद्योग, सर्राफा उद्योग, कांच उद्योग आदि हेतु एक औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण कर शहर के बाहर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से स्थापित किये जाने के संबंध में,
		24-अपर गंगा कैनाल से मथुरा एवं वृन्दावन के लिए निकले शेरगढ़ व सहार राजवाहों व माइनरों की सफाई हेतु धन अवमुक्त किये जाने के संबंध में,
		25-टी0टी0जेड0 जोन में होने के बावजूद बिजली के कण्डक्टर बीस साल से न बदले जाने तथा अनुरक्षण न किये जाने के संबंध में,
		26-महाकुम्भ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जनता के जान-माल की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम न उठाये जाने के संबंध में,
		27-पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती हेतु हाहाकार मचा हुआ है, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंधाधुध बिजली कटौती की

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जा रही है। रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु बिजली नहीं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		28-प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने का जिक्र है। आये दिन अपहरण, बलात्कार, चेन स्नेचिंग आदि की घटनाएं घट रही हैं, के संबंध में,
		29-विधान सभा क्षेत्र, दुद्धी, सोनभद्र एक अति पिछड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां पर तीन ब्लाक में केवल एक ही राजकीय डिग्री कालेज है। 75 कि0मी0 की दूरी तय कर छात्र पढ़ने आते हैं, इससे असुविधा होती है । अतः इस क्षेत्र में म्योरपुर ब्लाक में एक और राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में,
		30-हथवानी, जनपद-सोनभद्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने कं संबंध में,
		31-जनपद-सोनभद्र में मुख्य विकास अधिकारी के रिक्त पड़े पद पर तैनाती किये जाने के संबंध में,
		32-राजकीय डिग्री कालेज में विभिन्न संकाय जैसे कि साइंस विषय में रसायनशास्त्र के शिक्षक, भौतिकी एवं गणित के शिक्षकों का अभाव होने, प्रयोगशाला न होने आदि से शिक्षण कार्य बाधित होने के संबंध में,
		33-सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति में यह चारों तरफ से पहाड़ों, पठारों तथा जंगलों से घिरा हुआ है। यहां एक भी नहर नहीं है न ही पीने योग्य शुद्ध पेयजल की सुविधा। आजादी के इतने दिन बाद भी यहां शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने से आज भी लोग चुहाड़ नाली एवं नदियों से पानी पीने को मजबूर हैं इसलिए दुद्धी विधान सभा, जनपद-सोनभद्र में कम से कम 200 हैण्डपम्प प्रतिवर्ष लगाये जाने के संबंध में,
		34-दुद्धी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विण्ढमगंज में धान क्रय-केन्द्र खत्म कर दिया गया है उन्हें पुनर्बहाल करने के संबंध में,
		35-विधान सभा क्षेत्र-जगदीशपुर, जनपद-सुल्तानपुर में गोमती नदी पिपरी कंकोर कोला में कटान रोकने के लिए प्रबन्ध किये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-जगदीशपुर, सुल्तानपुर के रानीगंज कस्बा, महोना कस्बा, शुकुल बाजार कस्बा में जर्जर विद्युत तार को बदले जाने के संबंध में,
		37-शुकुल बाजार वि0ख0, जनपद-सुल्तानपुर में सी0एच0सी0 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में,
		38-औद्योगिक क्षेत्र, सुल्तानपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के संबंध में,
		39-सतियन गांव में गोमती नदी पर निर्माणधीन पुल को पूर्ण कराये जाने के संबंध में,
		40-सूरतगढ़ से हरगांव सम्पर्क मार्ग का नव-निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		41-देवकली-कटेहरी नहर में पानी टेल तक पहुंचाये जाने के संबंध में,
		42-दहिनवारा ग्राम में 33/11 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में,
		43-खण्ड 28 हैदरगढ़ की 23 डाउन में पानी के लिए खण्ड 28 को पुनर्बहाल करने के संबंध में,
		44-राजकीय बलिया इण्टर कालेज, जगदीशपुर के भवन-निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		45-बांदा जनपद के वि0ख0-तिन्दवारी को डार्क जोन घोषित किये जाने के पूर्व जिन गरीव किसानों ने अपने निजी नलकूप लगवाकर विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखा था, उनको विद्युत कनेक्शन दिया जाना अति आवश्यक है के संबंध में,
		46-बांदा जनपद के विकास खण्ड-तिन्दवारी व विकास खण्ड-जसपुरा के लोगों को बांदा सदर तहसील दूर होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः जनपद बांदा के वि0ख0 तिन्दवारी के पैलानी तहसील बनाया जाना अति-आवश्यक है। पैलानी अंग्रेजी हूकुमत में तहसील थी, अतः जन समस्याओं को देखते हुए पुनः तहसील बनाये जाने के संबंध में,
		47-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों के किसान बेरोजगारी, कर्ज व आर्थिक तंगी, सूखे से परेशान होकर

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		आत्महत्याएं करते रहते हैं । अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई, बिजली व रोजगार देकर आत्महत्याएं रोके जाने के संबंध में,
		48-पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
		49-पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गन्ना व जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः बन विभाग द्वारा जंगलों में बाड़ लगाकर जंगलों के अन्दर ही जानवरों को रोके जाने के संबंध में,
		50-बांदा जनपद के सभी सरकारी नलकूपों व नहरों को ठीक से चलाये जाने के संबंध में,
		51-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र की मुस्लिम आबादी में विद्युतीकरण की योजना के संबंध में,
		52-हापुड़ की मुस्लिम आबादी में सड़कों के निर्माण की योजना के संबंध में,
		53-हापुड़ शहर में नगर पालिका परिषद् द्वारा कूड़े के पटावघर हटाने की योजना। जैसे कि कोटला सादात गूली चौराहा, कविनगर पुरानी गढ़चुंगी, रेलवे रोड, डा0 रवि भूषण आर्य के सामने, सुभाषनगर गढ़ रोड के संबंध में,
		54-हापुड़ शहर की जल निकासी की योजना जेसे स्वर्ग आश्रम रोड, गढ़ रोड, बुलन्दशहर रोड, मोती कालोनी रामपुर रोड के नाला निर्माण के संबंध में,
		55-बड़ौदा सिहानी मार्ग से मध्य गंग नहर तक सड़क निर्माण के संबंध में,
		56-बाबूगढ़-बी0बी0 नगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत किये जाने के संबंध में,
		57-मध्य गंग नहर अल्लीपुर मार्ग से धौलाना-गुलाबवटी तक नहर की पटरी का निर्माण के संबंध में,
		58-हापुड़-अयादनगर मार्ग पर सड़क का मरम्मत कार्य कराने के संबंध में,
		59-हापुड़ क्षेत्र के हापुड़ व झीलपुर मार्ग पर, हापुड़ अयादनगर मार्ग पर, बाबूगढ़-बी0बी0 नगर पर, हापुड़-भटियाना

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		सपनावत मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने की योजना या प्राइवेट बसों के परमिट जारी करने के संबंध में,
		60-हापुड़-शहर में पानी की बनायी गई टंकियों व पाइप लाईनें जो बिछाई गयी हैं, वह हल्की एवं सस्ती हैं की जांच कराने के संबंध में,
		61-मीरपुरकलां-भाटैल के मध्य काली नदी पर पुल बनवाने के संबंध में,
		62-मुरशदपुर नाले पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में,
		63-ग्राम-सिरौधन, ब्लाक-हापुड़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल कराने के संबंध में,
		64-कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर गांवों में बदले जाने के संबंध में,
		65-हापुड़ के गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
		66-नये सरकारी हास्पिटल को चालू कराये जाने के संबंध में,
		67-हापुड़ शहर को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने तथा नालों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		68-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में पं0 जनेश्वर मिश्र समग्र विकास योजना में ग्राम-शेखपुर, नली हुसैनपुर, सलाई घुंघराला, बड़ौदा, सिहानी, ददायरा, नूरपुर, भमैड आदि गांवों को चयनित कर विकास कराने के संबंध में,
		69-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु 300 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में,
		70-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में,
		71-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में पुराने हैण्डपम्पों की तत्काल मरम्मत कराये जाने के संबंध में,
		72-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र की निम्न सड़कों यथा 1-एन0एच0-24 से ततारपुर-लालपुर मार्ग, 2-मेरठ-बदायूं मार्ग से

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		सलाई, 3-मेरठ-बदायूं मार्ग से घुघराला-मीरपुर कला, 4-श्यामपुर गांव से मलकपुर, 5-मध्य गंग नहर से नली हुसैनपुर, 6-बाबूगढ़-बी0बी0 नगर मार्ग से नूरपुर गांव तक वाया सिकन्दरपुर काकोडी तक की मरम्मत कराये जाने के संबंध में,
		73-मंडी समिति की 10 वर्ष पुरानी सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में,
		74-विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जनपद बुलन्दशहर में फ्रूट प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कराये जाने तथा 100 प्रतिशत टैक्स छूट प्रदान करने के संबंध में,
		75-आमों के निर्यात के लिए विशेष व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,
		76-फ्रूट क्वालिटी को बनाये रखने के लिए पानी की उपलब्धता के लिए विद्युत आपूर्ति 18 घण्टे कराये जाने के संबंध में,
		77-फलों की फसल को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए स्याना की सड़कों को सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में,
		78-समय-समय पर इस क्षेत्र के कृषकों की फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को तैनात करने के संबंध में,
		79-विधान सभा क्षेत्र, तिलोई, अमेठी में लोधवारिया पुल जो इन्हौना मार्ग से मोहनगंज को जोड़ती है सात सालों से उसका कार्य अधूरा पड़ा है, निर्माण नहीं हो रहा है तथा आवागमन में कठिनाई होती है के संबंध में,
		80-सड़कों का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण नहीं कराया जा रहा है 1-हैदरगढ़ से शिवरतनगंज सेमरौला मार्ग 16 कि0मी0 बहुत ही खराब है के संबंध में,
		81-सेमरौल से कठौरा मार्ग 10 कि0मी0 सड़क के निर्माण के संबंध में,
		82-केरोसिन आयल विधान सभा क्षेत्र में 03 माह से नहीं बांटा जा रहा है, इससे जनता को परेशानी हो रही है के संबंध में,
		83-अल्पसंख्यक आबादी में प्रा0पा0 विद्यालय जो शासन द्वारा मंजूर है, के निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		84-प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो मार्ग मंजूर भी हो गये हैं, उन पर कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। वहां पर अधिशासी अभियन्ता तैनात किये जाने के संबंध में,
		85-जायस नगरपालिका अमेठी लोक सभा की आबादी 01.00 लाख की है, वहां पर 10 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,
		86-मोहनगंज पीढ़ी मार्ग बहुत जर्जर है, उसको बनाये जाने के संबंध में,
		87-विधान सभा क्षेत्र तिलोई में हैण्डपम्पों की आवश्यकता है। कम से कम 200 हैण्डपम्पों को स्थापित कराये जाने के संबंध में,
		88-जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		89-जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		90-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		91-जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के संबंध में,
		92-जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भवरकी के पास नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		93-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से एहरो-शीशगढ़ मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		94-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खंड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण के संबंध में,
		95-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		96-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी के निर्माण के संबंध में,
		97-जनपद रामपुर के विलासपुर विधान सभा क्षेत्र में पांच पशु चिकित्सालयों के निर्माण के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		98-जनपद रामपुर के तहसील विलासपुर के ग्राम एहरो में पी0एच0सी0 के निर्माण के संबंध में,
		99-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र विलासपुर में पांच इण्टरलाकिंग के निर्माण के संबंध में,
		100-जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में,
		101-नानपारा विधान सभा, जनपद बहराइच के लिए जाने वाले मार्ग बाराबंकी-रूपईडीह मार्ग एन0एच0-28 सी की जर्जर हालत को तत्काल ठीक कराये जाने। इससे गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जनपदों के करोड़ों लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्राप्त होने के संबंध में,
		102-मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में चौड़ी सरयू नदी, ब्लाक शिवपुर पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		103-नानपारा को जनपद का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में,
		104-नानपारा क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		105-रूपईडीह बार्डर पर एस0एस0पी0 द्वारा जनता का उत्पीड़न तत्काल रोके जाने के संबंध में,
		106-अर्द्धनिर्मित गढ़ीघाट, ब्लाक शिवपुर के पुल निर्माण कार्य को तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में,
		107-रामपुर धोबियाघर को ब्लाक का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में,
		108-मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार मधवापुरघाट पुल, ब्लाक जमुनहा, जिला श्रावस्ती को राप्ती नदी पर तत्काल पुल बनवाये जाने के संबंध में,
		109-जनपद शामली के जिला मुख्यालय के निर्माण जल्द से जल्द कराये जाने के संबंध में,
		110-शामली व कांधला के अस्पतालों का उच्चीकरण होना चाहिए, के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		111-शामली में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,
		112-विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खुलवाये जाने के संबंध में,
		113-ग्राम सल्फा व ग्राम झाल को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,
		114-पानीपत-खटीमा मार्ग का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द कराये जाने के संबंध में,
		115-दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किये जाने के संबंध में,
		116-शामली विधान सभा क्षेत्र, ग्राम भभीसा से कनियान, कनियान से भनेड़ा, भनेड़ा से एलम तक मार्ग का पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में,
		117-ग्राम झाल-मतनावली, किवाना संपर्क मार्ग का पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में,
		118-ग्राम एल्लम से नाला घसौली मार्ग के निर्माण किये जाने के संबंध में,
		119-कांधना कस्बे से घसौली मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किये जाने के संबंध में,
		120-कांधला-गंगेरू मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		121-शामली में परिवहन निगम के डिपो का निर्माण जल्द से जल्द कराये जाने के संबंध में,
		122-भौरा-भज्जू-शामली मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द कराये जाने के संबंध में,
		123-शामली में एक इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के संबंध में,
		124-शामली नगर में सीवर लाइन कार्य कराये जाने के संबंध में,
		125-शामली में जनपद के खिलाड़ियों हेतु एक स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		126-शामली में सरकारी डाक्टरों की अत्यन्त कमी है, यहां पर अतिरिक्त डाक्टरों की तैनाती के संबंध में,
		127-विधवा, विकलांग, अल्पसंख्यक एवं वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजनाओं को सुदृढ़ बनाये जाने के संबंध में,
		128-कन्या विद्या धन से वंचित रह गयी छात्राओं को भी इसका लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में,
		129-नदियों एवं राजवाहों की सफाई के संबंध में,
		130-शामली में औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में,
		131-गन्ना किसानों का भुगतान अविलम्ब किये जाने के संबंध में,
		132-किसानों को फसलों की नयी एवं उन्नत बीज आदि की जानकारी हेतु कैम्प लगाकर जागरूक बनाये जाने के संबंध में,
		133-ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी एवं कुश्ती आदि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने के संबंध में,
		134-जनपद शामली में एक शूटिंग रेंज के निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		135-विधान सभा क्षेत्र, शामली में ओवरलोड को दृष्टिगत रखते हुए सभी उपकेन्द्रों को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में,
		136-ग्रामीण क्षेत्र के सभी संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, के पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		137-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में,
		138-जनपद शामली में गिरते जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए कुओं को रिचार्ज किये जाने हेतु योजना बनाये जाने के संबंध में,
		139-शामली विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 350 हैण्डपम्पों को स्थापित कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		140-विधान सभा क्षेत्र शामली में रहने वाले बुनकरों की समस्या का समाधान कराने व उनका कर्ज माफ किये जाने के संबंध में, 141-जनपद शामली में कानून व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल एवं इंस्पेक्टरों की भर्ती किये जाने के संबंध में, तथा 142-जनपद शामली में पोस्टमार्टम हाऊस व ब्लड बैंक का निर्माण किये जाने के संबंध में।''
4	श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, त्रिलोकीराम तथा श्री भगवती प्रसाद।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लूट, डकैती, हत्या, महिलाओं की आबरू बचाने एवं अत्याचार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, 2-गन्ना किसानों को डीजल, खाद की बढ़ती महंगाई तथा उनकी मेहनत तथा उपज का उचित गन्ना मूल्य रु0 350.00 प्रति कुन्तल दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-गेहूं किसानों को डीजल, खाद की बढ़ती कीमत तथा उनकी मेहनत तथा उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय पर 300 रुपये प्रति कुन्टल अतिरिक्त बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के बड़े भू-भाग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये प्रदेश के चार भागों में विभक्त कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (हरित प्रदेश), बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य उत्तर प्रदेश (अवध प्रान्त) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) की बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में, 6-राजकीय कर्मचारियों की वर्ष 2005 से नवनियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन योजना रोकी गयी, को पूर्ववत् की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-प्रदेश की किसानों की आवश्यकतानुसार खाद एवं बीज सही समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश की किसानों की उपज का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद एवं लागत की कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर उचित मूल्य निर्धारण कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में,
		9-बढ़ती महंगाई में पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश के कम क्षमता के शुगर मिलों के क्षमता बढ़ाये जाने एवं बन्द पड़ी मिलों को चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-पूरे प्रदेश के सामान्य एवं गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-पूर्वांचल पैकेज के भांति पश्चिमांचल पैकेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में बन्द पड़ी सभी दुग्ध डेरियों को चालू करने एवं उन पर बकाया किसानों व कर्मचारियों के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-पूरे प्रदेश में सभी जातियों के बच्चें को आई0एस0, पी0सी0एस0 की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-उत्तर प्रदेश में सरकारी गेहूं/धान क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण से मुक्ति के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-उत्तर प्रदेश के बिजली संकट के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश में गन्ना के समर्थन मूल्य के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों पर तुलाई में हुई धांधली के सम्बन्ध में,
		19-उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध कटान के सम्बन्ध में,
		20-गन्ने का पुराना भुगतान तथा निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21-नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषित पेयजल आपूर्ति बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में खराब पड़े नलकूपों तथा आवश्यकतानुसार नये नलकूपों की स्थापना के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश के किसानों का सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से 50 हजार के ऋण माफी के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश में आलू का सरकारी समर्थन मूल्य व आलू की सरकारी खरीद एवं आलू भण्डारन की पर्याप्त व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण अंचल में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		28-प्रदेश में टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना विफल होने पर इसके समाधान के सम्बन्ध में,
		29-जनपद अलीगढ़ के गभाना में 132 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में,
		30-जनपद अलीगढ़ के ग्राम बरौली जवां में कन्या इण्टर और ब्लाक मुख्यालय जवां पर डिग्री कालेज व तहसील मुख्यालय गभाना में संचालित डिग्री कालेज में पी0जी0 कोर्स चालू करने के सम्बन्ध में,
		31-मध्य गंगा मांट ब्रांच फीडर अमरपुर राजवहा अलीगढ़ में पड़ने वाले अपर गंगा की पटरी पर सर्विज लेन की डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		32-जनपद अलीगढ़ में राजकीय कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		33-जनपद अलीगढ़ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		34-अलीगढ़ मण्डल में मण्डल स्तर के सभी कार्यालय व अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-जनपद अलीगढ़ रेलवे क्रासिंग पर निर्मित और प्रस्तावित पूलों पर रेम्प के निर्माण के सम्बन्ध में,
		36-जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		37- जनपद अलीगढ़ के कस्बा चण्डौस गभाना बरौली जवां तलिबनगर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		38-जनपद अलीगढ़ में अवैध कट्टी घरों को तत्काल बन्द करने के सम्बन्ध में,
		39-जनपद अलीगढ़ में बैध कट्टी घरों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		40-जनपद अलीगढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुये प्रस्तावित थाने और चौकियों की स्वीकृति प्रदान कर पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		41-जनपद अलीगढ़ में तालानगरी हरदुआगंज के चहुमुखी विकास के सम्बन्ध में,
		42-जनपद अलीगढ़ के ब्लाक मुख्यालय चण्डौस तहसील मुख्यालय गभाना ब्लाक मुख्यालय जवां बरौली विधान सभा का सेन्टर कस्बा बरौली व नगर पंचायत हरदुआगंज को विद्युत कटौती मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		43-जनपद अलीगढ़ में राजकीय कृषि फार्म कलाई व सोमना को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		44-जनपद अलीगढ़ तहसील मुख्यालय गभाना पर निरीक्षण भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		45-जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 पर स्थापित भुमियाबाबा धार्मिक स्थल की पर्यटन स्थल का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		46-जनपद अलीगढ़ तहसील मुख्यालय गभाना पर पुलिस सर्किल आफिसर (सी0ओ0 पुलिस) तथा कोषागार स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		47-प्रदेश के शहीद होने वाले सैनिकों के ग्रामों को लोहिया समग्र विकास योजना के तहत विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		48-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के ब्लाक गौण्डा में करवर नदी का रफायतपुर पर पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		49-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में कस्बा इगलास में शिवदान सिंह इण्टर कालेज से गोरई होते हुये मांट बार्डर तक रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		50-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के ब्लाक गौण्डा में करवर नदी का सेवरनपुर पर एक पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		51-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास अलीगढ़ मथुरा रोड कांडली से कल्लू पुरा तक बम्बा की पटरी का डामरीकरण (दूरी 3 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में,
		52-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के गांव सूरज, कारौली, चिन्ता का बांस, टुण्डानगला, मर्रकपुर, देवनगला, बीचपुरी आदि गांव के शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		53-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के कस्बा गौण्डा से निठावरी गांव तक रोड का मरम्मतीकरण (दूरी 7 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में,
		54-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के ब्लाक गौण्डा के ग्राम ढटौली से किनमासा होते हुये बनिया खेड़ा तक रोड का नवनिर्माण (दूरी 3.4 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में,
		55-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास ब्लाक लोधा के गांव रनिहार से बारौली भीकम होते हुये भमरौला तक रोड का नवनिर्माण (दूरी 3.6 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में,
		56-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के कस्बा गौण्डा को नगर निगम का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		57-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के पचावरी गांव से उत्तमपुर, छोटी बल्लभ होते हुये नगला बिरखू तक मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		58-ग्राम सभा हरौथा से सम्पर्क मार्ग से टमौटिया तक नवनिर्माण हेतु दूरी लगभग 1.50 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		59-ग्राम सभा शाहपुर ठटोई सम्पर्क मार्ग से कलवारी तक नवनिर्माण हेतु दूरी 3.50 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, 60-बेसमां से बहादुरपुर होते हुये दिसवार तक दूरी 3 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, 61-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के सैमला से हिरनौटी सम्पर्क मार्ग दूरी 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, 62-जनपद अलीगढ़ में टप्पल चण्डौस पिसावा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 63-उत्तर प्रदेश, हरियाणा के सीमा पर जमुना जी में पत्थरों के ठोकर लगाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 64-जनपद मथुरा में मथुरा से सादाबाद राया से बलदेव-झुड़ावई से अछनेरा मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''
5	श्री पूरन प्रकाश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मथुरा सादाबाद मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-राया से बल्देव मार्ग का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में, 3-झुडावई से अछनेरा मार्ग का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में, 4-जनपद-मथुरा के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की पुत्रियों के शादी में अनिवार्य रूप से 50-50 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में, 5-जनपद-मथुरा के बल्देव, फरह एवं राया ब्लाकों की उखड़ी (जर्जर) सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 6-जनपद-मथुरा में अवैध रूप से पुलिस की देखरेख में अवैध बालू एवं मिट्टी के खनन रोकने के सम्बन्ध में, 7-मथुरा के फरह ब्लाक के अन्दर धानाजीवना एवं गांजोली ग्रामों की मुख्य सड़क से जोड़ने एवं पूरी सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-मथुरा के अन्तर्गत ओल से चौकीपुरा, लुहारा मार्ग को आवागमन को सुचारू करने के सम्बन्ध में,
		9-अपर आगरा कैनाल मथुरा के अन्तर्गत फरह ब्लाक एवं माट ब्रांच कैनाल के अन्तर्गत आने वाले मथुरा, राया, बल्देव, ब्लाकों की जमीन में सिंचाई पानी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, एवं इनसे निकली समस्त माइनरों में टेल तक पानी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		10-मथुरा एवं महावन तहसील के ग्रामीण अंचल के विद्युत जर्जर तारों को बदलवाने एवं खम्भे आदि बदलवाने के सम्बन्ध में,
		11-अनुसूचित जाति के एवं पिछड़ी जातियों के जू0हा0 हाईस्कूल एवं इन्टर कालेज तथा डिग्री कालेजों आदि में छात्रवृत्ति शीघ्र प्रदान कराने में तथा वजीफा राशि दो गुनी करने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद मथुरा के विभिन्न विद्यालयों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति अवैध रूप से स्कूल कालेजों के खातों से निकलवाकर छात्रों को प्रदान कराने तथा फीस के नाम अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद-मथुरा के फरह, बल्देव, राया ब्लाक, के ग्रामीण अंचल एवं कस्बों में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद-मथुरा के मथुरा जनपद के फरह, राया, बल्देव ब्लाकों में पेयजल की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक ब्लाकों में 200-200 इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प ग्रामों में लगवाने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद-मथुरा के फरह बस स्टैण्ड पर पूर्व वर्षों की भांति रात्रि में बसों का ठहराव एवं कर्मचारियों की रात्रि में रहने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक एवं फरह ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सड़कों पर कई वर्ष पहले पड़े पत्थरों पर लेपन कार्य के सम्बन्ध में,
		17-मथुरा के फरह गोवर्धन एवं बल्देव ब्लाकों के गांवों में काफी समय से फुंके पड़े ट्रांसफार्मर बदलवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18-जनपद-मथुरा के बल्देव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण एरिया में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने एवं जो विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद-मथुरा के फरह एवं राया में रोडवेज बस के रात्रि में विश्राम के सम्बन्ध में,
		20-जनपद-मथुरा के बरारी ग्राम में पैठ स्थान को व्यवस्थित कर एवं पैठ के स्थान की चाहर दीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-जनपद-मथुरा के लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा द्वारा फरह ब्लाक एवं लोक निर्माण सी0डी0 वन के अन्तर्गत बल्देव ब्लाक एवं राया ब्लाक में बनायी गयी सड़कों के मानकता के अभाव में टूटने पर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद-मथुरा के नेशनल हाई-वे से भाहई, झण्डीपुर, कुरकदा गढ़ाया, सड़क मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		23-जनपद-मथुरा के नेशनल हाई-वे से जुड़े ग्राम रेपुरा जाट से कन्जौली घाट पुल तक सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण (मरम्मत) कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-जनपद-मथुरा के फरह ब्लाक में करनपुर, कोड़ मिर्जापुर ब्राह्मण, भदाया, पिपरोठ, जिरौली, करनावल, गांजोली, धानाजीवना, किरारई, शहजादपुर, विरौना, भदेरूआ, सलेमपुर, मलिकपुर आदि ग्रामों में सड़क एवं बिजली तथा पेयजल सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		25-जनपद-मथुरा के फरह ब्लाक, बल्देव ब्लाक एवं राया ब्लाकों के आलू उत्पादक किसानों को आलू की सरकारी खरीद सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		26-जनपद-मथुरा के झुड़ावई, नगला महादेव, नगला छीतर सिंह एवं बलजीत के नगला में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		27-जनपद-मथुरा के फरह ब्लाक, बल्देव ब्लाक, राया ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में किसानों को आलू की बीज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28-जनपद-मथुरा के अवैरनी पचावर मार्ग पर नगला रायसिंह से ग्राम नगला रतिया तक लगभग 1.50 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-जनपद-मथुरा के नगला लोका से नगला बीच तक लगभग 1.00 किमी0 नवनिर्माण के सम्बन्ध में,
		30-जनपद-मथुरा के पचावर से नगला रतिया होते हुए बल्देव जुगसना मार्ग तक लगभग 3.00 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-जनपद-मथुरा के पचावर जुगसना मार्ग से नगला कुजी होते नगला बाला तक लगभग 1.500 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		32-जनपद-मथुरा के पचावर से नगला चेता भडऊगड होते हुये अनौडा तक लगभग 5.00 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		33-जनपद-मथुरा के जुगसना राजवाहा से बल्टीगढ़ी खेड़ा तक 1.50 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		34-जनपद-मथुरा के बल्देव जुगसना मार्ग पर सरकण्ड से नगला विधि होते हुए दधैटा तक 2.00 किमी0 सरायदाऊद से नगला बुर्ज तक 1.50 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		35-बल्देव जुगसना मार्ग पर जुगसना से नगला मेदू तक 1.00 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		36-जनपद-मथुरा के पचावर कारब मार्ग पर स्थित माइनर की पटरी बल्देव राया मार्ग तक 1.500 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		37-जनपद-मथुरा के राया सादाबाद मार्ग पर तम्बका से नगला बीच तक लगभग 1.50 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		38-जनपद-मथुरा ब्लाक बलदेव ग्राम पंचायत नरहौली जुन्नारदार एवं ग्राम बिरौना में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		39-जनपद-मथुरा वि0ख0 राया में ग्राम पडरारी एवं ग्राम नगला थाना तथा ग्राम खांडियां के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		40-जनपद-मथुरा ब्लाक राया के गांव नगला लाल को विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 41-जनपद अन्तर्गत पचावर में नव निर्मित विद्युत उपकेन्द्र को चालू किये जाने के सम्बन्ध में, 42-जनपद मथुरा में थाना फरह, थाना रिफाइनरी, थाना हाई-वे थाना जमुनापर एवं थाना राया के अन्तर्गत अवैध काले तेल कारोबार के माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 43-जनपद मथुरा में विद्या कन्याधन के पात्र लाभार्थियों का लक्ष्य बढ़ाने के सम्बन्ध में, 44-जनपद मथुरा के वृन्दावन विकास प्राधिकरण की महायोजना वर्ष 2003 में स्वीकृत (लागू) होने के बाद अवैध रूप से 2007-08 में बिल्डरों को अवैध लाभ प्रदान कर भू-उपयोग परिवर्तन करके प्रदेश सरकार को 120 करोड़ के लगभग अहित करने की जांच कराने के सम्बन्ध में, 45-जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचल राया ब्लाक, बलदेव ब्लाक एवं फरह ब्लाक में टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना को सुचारु करने के सम्बन्ध में, तथा 46-जनपद मथुरा के किसानों को कम से कम 20 घण्टे बिजली मुहैया कराने के सम्बन्ध में।''
6	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र छौरहरा में हुये ओलावृष्टि में हुये नुकसान का मुआवजा किसानों को उनकी फसलों का दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-गन्ना किसानों को उन्हें गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान मय ब्याज कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-ग्राम सुजई कुण्डा ब्लाक रकिया बेहड़ जनपद खीरी को ग्राम भटपुरवा कला से पक्की सड़क द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-ग्राम सुजईकुण्डा के धौरहरा तहसील जाने के लिये मार्ग में दहौरा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		5-ब्लाक रकियाबेहड़ से नैनापुर तक सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-ग्राम अकठी तहसील धौरहरा को ग्राम पयैरी तह0 धौरहरा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		7-ग्राम डिहआ से महोदय अमेठी तक सड़क एवं रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-शारदानगर बैराज पर मण्डी जाने वाले बन्धे पर ग्राम सिरकी बेहननपुरवा, सोठियाना मोड़ होते हुये पक्की सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-ग्राम बिन्जहा तह0 धौरहरा को रानीपुरवा हैथना तह0 धौरहरा को सड़क द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		10-ग्राम अदलीसपुर तह0 धौरहरा को ग्राम नौरंगपुर पक्की सड़क से जोड़ा जाने के सम्बन्ध में,
		11-ग्राम अन्धपुर जेठरा को ग्राम चौरा तह0 धौरहरा को सड़क द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		12-विकास खण्डा ईसानगर के ग्राम कैरातीपुरवा ओलापुरवा बेलागढ़ी को सिसैरया-किहीपुरवा मार्ग से सड़क द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		13-ग्राम जंगल मटेरा तह0 धौरहरा को उर्रा-सुजौली मार्ग बहराइच से सड़क द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		14-ग्राम सरैया से पकरिया सिगावर शेखपुर होते हुये कटौली तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-ग्राम सिगावर, तह0 धौरहरा से ग्राम रासापुर गोड़पुरक तक पक्की सड़क तथा रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-ईसानगर-खमरिया मार्ग से सिरकी ग्राम तक पक्की सड़क बनायी जाने के सम्बन्ध में,
		17-ग्राम बेहननपुरवा (टेकीकुण्डा) मगरौली-रायपुर सोठियाना में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18-ग्राम जेठरा, तह0 धौरहरा में खराब ट्रान्सफार्मर बदले जाने के सम्बन्ध में, 19-ग्राम दुलही, ब्लाक रकियबेहड़ में दुलही सोठियाना में रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में, 20-ग्राम लखाही से लोनियनपुरवा के बीच रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में, 21-ग्राम मिलिक, टेड़िया सहैंया-मिर्जापुर चिकनाजती तथा समदहा, चहमलपुर कबिरह पलिहा, ईसापुर मन्दूरा, डाबर, रायपुर कमना में नदी से कटान प्रभावित लोगों को तथा अन्य ग्रमों जो कटान प्रभावित है उन्हें बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 22-ग्राम चन्द्रासा कला, तह0 धौरहरा में सीलिंग भूमि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में, 23-तह0 धौरहरा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों (कोटेदारों) का उत्पीड़न बंद किया जाय जिससे गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 24-शारदा तथा घाघरा नदी के किनारे तटबंधों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 25-वन विभाग की भूमि (हौकना मटेरा) खाली कराये जाने के सम्बन्ध में।''
7	श्री सतीश महाना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बढ़ रही भीषण महंगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में, 2-कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एम0एल0डी0 वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में, 3-कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट से सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-कानपुर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या के सुधार के सम्बन्ध में,
		5-घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में,
		6-कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,
		7-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचर एवं उनकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,
		8-कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के सम्बन्ध में,
		9-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,
		10-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-कानपुर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में,
		12-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में।
		13-कानपुर के बाहरी सोसाइटी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-कानपुर स्थित हंसपुरम् कालोनी में आवास विकास परिषद् द्वारा बड़ी संख्या में मकान बनाने के पश्चात भी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियां-अर्रा, बिनगवां, गंगापुर में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-कानपुर के यशोदानगर, गोपालपुर, शंकराचार्य नगर, राजीव नगर, द्विवेदी नगर, पटेल नगर, संजीव नगर, खाण्डेपुर इत्यादि क्षेत्रों का ले-आउट प्लान पास करके उक्त क्षेत्रों में विकास शुल्क जमा कराकर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-कानपुर के गोपालपुर, यशोदानगर, राजीव नगर में जल निकासी का समुचित प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-विश्व बैंक स्थित ओवरहैड टैंक बनने के पश्चात् उनको चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-खाण्डेपुर, नरायणपुरी, यशोदानगर, योगेन्द्र विहार, पटेल नगर इत्यादि क्षेत्रों में जर्जर विद्युत लाइनों को विद्युत पोल लगाकर सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 20-कानपुर स्थित मान्यवर कांशीराम अस्पताल में समुचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''
8	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-गोरखपुर स्थित बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस पर रोकथाम हेतु पुनः टीकाकरण कराये जाने तथा अभी तक अनुसंधान की सभी सुविधायें गोरखपुर में ही उपलब्ध न किये जाने के सम्बन्ध में, 3-गोरखपुर में स्वायत्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-गोरखपुर शहर विधान सभा की सीमा अन्तर्गत एक बड़े हिस्से में पाइप पेयजल आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में, 5-गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह पर लगे हुए स्थगन आदेशों को हटाये जाने तथा मुकदमों की पैरवी में विधिक अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रुचि न लिये जाने के सम्बन्ध में, 6-गोरखपुर शहर विधान सभा के सीमान्तर्गत एक बड़े हिस्से में जल निकासी हेतु नालों की कोई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में, 7-गोरखपुर महानगर के एक बड़े हिस्से के कच्ची/खड़न्जे की सड़कों को न बनवाकर पहले से बनी हुयी सड़कों को बार-बार बनवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-गोरखपुर नगर निगम में अत्यन्त घटिया पत्थर की ईंटों द्वारा इंटरलाकिंग सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई गयी बहुत सी कालोनियों के अभी तक नगर निगम को हैण्डओवर न होने के सम्बन्ध में,
		10-गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत कोलोनाईजर या लैण्ड डेवलेपर द्वारा अत्यन्त अधोमानक कालोनियों को विकसित किये जाने के बारे में प्राधिकरण व अधिकारियों द्वारा कोई दण्डात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बुद्ध व्यवसायिक काम्पलेक्स में कराये गये कार्यों से गोपलापुर में हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में,
		12-गोरखपुर में प्रस्तावित शहीद अशफाकुल्लाह खां जन्तु उद्यान के लिए धन न अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने के सम्बन्ध में,
		14-नेशनल हाई-वे-28 के फोर-वे लेन से लेकर नोषण होते हुए पैडलगंज तक के मार्ग के अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में,
		15-गोरखपुर स्थित देवरिया बाईपास के अमर उजाला के सामने से सहारा स्टेट तक के हिस्से के अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में,
		16-गोरखपुर जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सीय संसाधनों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,
		17-गोरखपुर महानगर में भगवानपुर तथा मोहरीपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में,
		18-गोरखपुर में फातिमा अस्पताल से लेकर खजान्ची बाजार तक के बाईपास को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जिला जेल बाई पास पर फातिमा अस्पताल से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक सड़क के दोनों ओर नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-गोरखपुर महानगर में बहुत से क्षेत्रों में अभी तक विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में,
		21-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तर्ज पर शहरी विद्युतीकरण की योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-गोरखपुर महानगर में शहर विधान सभा सीमान्तर्गत बहुतेरे जर्जर पोलों व तारों को बदलने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-विद्युत कर्मियों की भीषण कमी के कारण गोरखपुर महानगर में हो रहे अत्याधिक फाल्ट को ठीक करने में असफलता से मुकाबले के लिए विद्युत कर्मियों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,
		24-गोरखपुर महानगर सहित पूरे प्रदेश में नगर निगमों में हो रहे ठेके पर सफाई व्यवस्था को समाप्त करके सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		25-पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिक पिछड़ेपन के बावजूद इस क्षेत्र के विकास की कोई योजना बनाने तथा उद्योगपतियों को विशेष छूट देकर इस क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कामन एफ्लूण्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-गोरखपुर महानगर में 12 वर्षों से बन्द पड़े फर्टिलाइजर के कारखाने को पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-गोरखपुर महानगर में बहुत सारे नैसर्गिक पोखरों/तालों के सौन्दर्यीकरण तथा डि-सिल्टिंग के सम्बन्ध में कोई योजना न बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		29-गोरखपुर महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		30-गोरखपुर महानगर में नकहा नं0-1 पर लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर सेतु निगम द्वारा उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए भेजे गये प्राक्कलन के लिए धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-गोरखपुर महानगर की यातायात की समस्या के समाधान के लिए मोहद्दीपुर से इंजीनियरिंग कालेज के पहले तक, गोलघर

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		में शास्त्री चौराहे से पुलिस लाईन्स के गेट के पहले तक तथा रूस्तमपुर चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में, 32-पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थाई, प्रभावी तथा कारगर योजना के सम्बन्ध में, 33-दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में, 34-पूर्ववर्ती सरकार की गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिराक गोरखपुरी पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन करने के सम्बन्ध में, 35-गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 36-अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर रु0 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में, 37-विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1000/- न किये जाने के सम्बन्ध में, 38-पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में, 39-नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु कोई जमीनी मूलभूत योजना बनाने के सम्बन्ध में, 40-गोरखपुर महानगर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में, 41-इन्दिरा आवास योजना के तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में कोई बेहतर आवासीय योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, 42-प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को दूर करने के लिए कोई कारगर योजना बनाने के सम्बन्ध में, 43-प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण में सरकार की पूरी असफलता के सम्बन्ध में, तथा 44-प्रदेश के क्रय केन्द्रों में किसानों के भीषण आर्थिक शोषण पर रोक लगाने में प्रदेश सरकार की असफलता के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
9	श्री सुरेश कुमार खन्ना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये कोई सार्थक नीति लागू करने के सम्बन्ध में, 2-बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये प्रभावी नीति तैयार करने के सम्बन्ध में, 3-गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिये कोई व्यवहारिक उपाय के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में उद्योगों को स्थापित कराने की नीति के सम्बन्ध में, 5-पुलिस की कार्य प्रणाली को जनहित में बदलने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में गो-वंश की हत्या, पशु तस्करी को रोकने के लिये प्रभावी नीति के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये सार्थक व व्यवहारिक योजना के सम्बन्ध में, 8-बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में डीजल, कुकिंग गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रदेश सरकार द्वारा आरोपित टैक्स/अधिभार कम करने के सम्बन्ध में, 10-मा0 उच्च न्यायालय की बेंच पश्चिमी उ0 प्र0 में स्थापित कराने तथा तब तक रूहेलखण्ड मण्डल को लखनऊ बेंच से जोड़ने के लिये प्रयासों के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद भी सफाई कार्य सुचारु रूप से न होने के सम्बन्ध में, 12-खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रभावी नीति के सम्बन्ध में, 13-कृषि ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिये सार्थक प्रयासों के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मनमानी फीस लिये जाने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में,
		15-धान का रिसर्च सेन्टर खुलवाने के सम्बन्ध में,
		16-बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के सम्बन्ध में,
		17-नकली दवाओं की बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में,
		18-एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में बेडों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		19-शाहजहांपुर नगर में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने तथा चोरी गये वाहनों की रिकवरी के लिये कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		20-गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य को ब्याज सहित भुगतान करने तथा मिलों के द्वारा गन्ने की पर्ची निकालने के लिये पारदर्शी नीति के सम्बन्ध में,
		21-शाहजहांपुर में अवैधानिक तरीके से हटायी गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं की बहाली के सम्बन्ध में,
		22-शाहजहांपुर में जी0ए0एफ0 कालेज के छात्रों, जिनका वर्ष 2009-10 में बी0एड0 में प्रवेश हुआ है उनकी परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में,
		24-सभी गरीब पात्रों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के सम्बन्ध में,
		25-शाहजहांपुर नगर में रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में,
		26-शाहजहांपुर नगर के नाले की तलीझाड़ सफाई के सम्बन्ध में,
		27-सभी इच्छुक छात्रों का बी0ए0, बी0काम0, बी0एस0सी0 में प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-प्रदेश के सभी बी0एड0 बेरोजगारों को शिक्षक के रूप में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में,
		29-प्रदेश के सभी शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के सम्बन्ध में,
		31-प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 रोड बनाने के सम्बन्ध में,
		32-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में सी0सी0 रोड बनाने के सम्बन्ध में,
		33-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गरीब पात्रों को विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद् (संस्थान) को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		35-शाहजहांपुर के गांधी फैजाम महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		36-कन्याओं की शिक्षा हेतु कक्षा 9, 11 तथा स्नातक में प्रवेश हेतु विभिन्न विद्यालयों में अवसर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		37-शाहजहांपुर नगर में सघन वृक्षारोपण व उनको जीवित रखने की नीति के सम्बन्ध में,
		38-शाहजहांपुर के ग्राम बड़ावन के पूर्वी छोर से लधौली तक के कच्चे मार्ग को पक्का बनवाने के सम्बन्ध में,
		39-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की तीन न्याय पंचायतों-पैना बुजुर्ग, भावलखेड़, जमुही व ब्लाक ददरौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों व मजरों में अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराने तथा बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मरों को लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		40-शाहजहांपुर के ग्राम शहामतगंज गौटिया से दौलतपुर मार्ग की मरम्मत कराने एवं नाली बनवाने के सम्बन्ध में,
		41-शाहजहांपुर के ग्राम शहवाजनगर से कपेड़कटका तक का मार्ग पुनर्निर्माण कराने तथा घुसगवां गांव तक एप्रोच रोड के सम्बन्ध में,
		42-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु जिन्होंने आवेदन किया है (रसीद कटवाई है) विद्युत कनेक्शन दिलाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		43-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम टिकरा से तिउलक तक कृषि फसल को बरबादी से रोकने के लिये नाला खुदाई करवाने के सम्बन्ध में,
		44-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी हेतु पर्याप्त मात्रा में इण्डिया मार्का-2 नल लगवाने तथा खराब पड़े नलों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में,
		45-शाहजहांपुर में बढ़ती हुई आबादी के साथ ही राशन का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		46-शाहजहांपुर नगर की अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,
		47-शाहजहांपुर नगर में बढ़ती हुई आबादी तथा आवागमन में हो रही कठिनाई के निदान स्वरूप रेल की पटरी वाले मार्गों को डामर की सड़क बनाकर चालू करने के सम्बन्ध में,
		48-शाहजहांपुर नगर में अधिकांश मोहल्लों में बिजली के तारों के लटकते हुए गुच्छों को व्यवस्थित करके खम्भे लगवाने के सम्बन्ध में,
		49-शाहजहांपुर के ग्राम निजामपुर गौटिया को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के सम्बन्ध में,
		50-शाहजहांपुर नगर में स्ट्रीट लाइट का तार पूरे शहर में डलवाने के सम्बन्ध में,
		51-रौजा (शाहजहांपुर) से सीधा मार्ग रामापुर बरकतपुर तक बनवाने के सम्बन्ध में,
		52-भावलखेड़ा व ददरौल ब्लाक का जो हिस्सा 135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में आता है उसमें सूर्या लाइट लगवाने के सम्बन्ध में,
		53-शाहजहांपुर मोहल्ला रेती वाली रोड से विसरात घाट तक आने के लिये रास्ता पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		54-शाहजहांपुर नगर में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		55-शाहजहांपुर में आम की फसल को देखते हुए मैंगों रिसर्च सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		56-शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में शहीदों की याद में एक संग्रहालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 57-रौजा थर्मल पावर से शाहजहांपुर जनपद को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने तथा पावर यूनिट से 5 किमी0 की सीमा में अनिवार्य रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 58-मोहम्मदी रोड पर शाहजहांपुर से लगभग 5 कि0मी0 दूरी पर आबादी के बीच से प्रदूषण करने वाला हड्डी कारखाना को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।''
10	श्री मनीष असीजा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-वर्ष 2008 में फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् के सीमा विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में, 2-फिरोजाबाद नगर पालिका द्वारा गृहकर एवं जलकर के नाम पर नगर की जनता का भयदोहन कर अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में, 3-फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का वर्षों से लम्बित पड़ा रहने के सम्बन्ध में, 4-फिरोजाबाद जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं ट्रेंड/अनट्रेंड स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में, 5-नगर फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा कन्या विवाह हेतु मिलने वाली सहायता के अपर्याप्त बजट के सम्बन्ध में, 6-नगर फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं के अन्दर नारकीय परिस्थितियों यथा-सड़कों का अभाव, जल निकासी व्यवस्था का अभाव, पेयजल आपूर्ति का अभाव की अत्यन्त गम्भीर समस्या के निदान न हो पाने के सम्बन्ध में, 7-फिरोजाबाद नगर के एक मात्र स्टेडियम में एक टर्फ विकेट के निर्माण एवं स्टेडियम के उचित रख-रखाव के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-फिरोजाबाद नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान में कार्यरत लाखों की संख्या में श्रमिकों के लिए पेयजल हेतु वाटर कूलर, विश्राम हेतु रैन बसेरा एवं दैनिक क्रियाओं हेतु सुलभ शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में,
		9-फिरोजाबाद नगर की नयी आबादी के क्षेत्र में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		10-फिरोजाबाद नगर में बहुत से जर्जर पोलों, तारों व ट्रांसफारमरों के बदलवाने के सम्बन्ध में,
		11-औद्योगिक आस्थान स्थित बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,
		12-एस0एन0 हास्पिटल स्थित बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,
		13-पुरुषोत्तम विहार कालोनी स्थित बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,
		14-फिरोजाबाद स्थित आफसाबाद नाला चौराहे पर से उपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-फिरोजाबाद नगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट निवारण हेतु जेड़ा झाल (निचली गंगा नहर प्रणाली) से जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		16-फिरोजाबाद नगर में शामिल 13 ग्राम सभाओं सहित पूरे नगर का रि-आर्गनाइजेशन सर्वे जल निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-नगर फिरोजाबाद में औद्योगिक इकाइयों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु उद्योगों को मिलने वाले एक मात्र ईंधन प्राकृतिक गैस पर वसूले जाने वाले एंट्री एवं वैट टैक्स को अप्रपात्रों के सापेक्ष में सरलीकृत करने के सम्बन्ध में,
		18-नगर फिरोजाबाद में कार्यरत मेहनतकश मजदूरों के भविष्य निधि के तथा उनके वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में,
		19-फिरोजाबाद नगर स्थित निर्यात करने वाली इकाइयों पर वैट नहीं लगता है फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा एस0आई0बी0 सर्वे के नाम पर अवैध रूप से उत्पीड़न के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-फिरोजाबाद स्थित निर्यातकों को फ्रेट कम्पनसेशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि के दो वर्षों से लम्बित होने के सम्बन्ध में,
		21-नगर फिरोजाबाद में रोडवेज के स्टैण्ड की जर्जर दशा को सुधारने तथा नई नगरीय बस सेवाओं के परिचालन के सम्बन्ध में,
		22-फिरोजाबाद नगर में विद्युत कर्मियों की भारी कमी के चलते पहले से ही कम मिल रही आपूर्ति की और बदतर हालात के सम्बन्ध में,
		23-ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत आने के कारण फिरोजाबाद नगर को 24 घण्टे की अबाधित पूर्ति के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये हैं। इस अति महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-फिरोजाबाद नगर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-फिरोजाबाद की वर्षों से कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		26-फिरोजाबाद नगर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर उठाने एवं उनके आधारभूत ढांचों में सुधार के सम्बन्ध में,
		27-फिरोजाबाद नगर के यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर चंद्रवार के ऐतिहासिक जैन मंदिर, हनुमान मंदिर तथा सूफी साहब तथा यमुना के धारों का विकास कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,
		28-फिरोजाबाद नगर स्थित लेबर कालोनी रेलवे फाटक पर रेल अंडर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में,
		29-फिरोजाबाद नगर से गुजरने वाले हाथरस ब्रांच के रजवाहा में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		30-फिरोजाबाद नगर में चले आ रहे विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग के विकास हेतु एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से नगर के कांच उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-फिरोजाबाद नगर के समीप 3 सायनी में एक बड़ी क्षमता के बिजली घर निर्माण के सम्बन्ध में,
		32-फिरोजाबाद जनपद में सिरसागंज स्थित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		33-फिरोजाबाद नगर में अनुसूचित समाज के तथा व्यापारियों के साथ आये दिन होने वाले लूट, डकैती, हत्या तथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,
		34-फिरोजाबाद में राशन डीलरों द्वारा अवैध रूप से वितरित होने वाली सामग्री की कालाबाजारी पर कठोर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		35-फिरोजाबाद जनपद में गिरते हुए भू-जल स्तर को उठाये जाने के सम्बन्ध में,
		36-फिरोजाबाद नगर में पेयजल की समस्या की तत्काल राहत के लिए 500 सबमर्सिबल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में,
		37-फिरोजाबाद नगर में छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति अनुदान में घोटाले की जांच के सम्बन्ध में,
		38-बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए विधायक निधि 2.50 करोड़ करने तथा प्रत्येक विधायक को पूर्व की भांति 7-10 कि0मी0 सड़क प्रदान करने तथा हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश में मिड-डे-मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,
		41-जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में स्थित जिला महिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल में गम्भीर मरीजों को तत्काल गेट से ही बाहर रेफर करने की दशा में बहुत बड़ी जनहानि होती है। इस आपराधिक लापरवाही को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		42-प्रदेश तथा जनपद में गो-कशी की घटनाओं पर तत्काल कठोर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		43-फिरोजाबाद नगर के सबसे बड़े कन्या विद्यालय महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान जिसमें कि लगभग 14000 बच्चियां पढ़ रही हैं की भूमि से सटी जिला पंचायत की बरसों से निष्प्रयोजित भूमि विद्यालय को प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		44-फिरोजाबाद नगर की सड़कों की सीवर तथा वाटर लाइन खुदाई के कारण हुई टूट-फूट को दूर कर नयी सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में,
		45-फिरोजाबाद नगर के शमशान गृहों तथा कब्रिस्तानों के विकास के लिये कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		46-प्रदेश में खाद्य सामग्री एवं दूध में होने वाली मिलावटखोरी को रोकने हेतु कठोरतम प्रावधानों की तथा उनके क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में,
		47-फिरोजाबाद नगर पालिका का वर्तमान में चुनाव अधिसूचना के पश्चात् मतदाता संख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 4.51 लाख है, को नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		48-प्रदेश में तथा नगर फिरोजाबाद में रिक्शा, हाथ ठेला चालकों पर लाइसेन्स शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में,
		49-प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क रक्त चढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		50-गम्भीर रूप से बीमार गरीबों को सप्ताह के अन्दर चिकित्सकीय सहायता/आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		51-नगर फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की अत्यन्त विशाल भूमि पर एक मल्टी यूटिलिटी हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में,
		52-फिरोजाबाद नगर की एन0एच0-2 हाइ-वे स्थित सर्विस रोडों की दयनीय दशा सुधारे जाने के सम्बन्ध में,
		53-फिरोजाबाद नगर के कांच के कलात्मक कार्यों में लगे कुशल एवं दक्ष कारीगरों को प्रदेश स्तर पर कलाकार का दर्जा देकर पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में तथा हस्तशिल्पियों के भविष्य के लिए सुदृढ़ आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		54-फिरोजाबाद नगर में स्थापित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर में 40-40 एम0बी0 क्षमता के तीन ट्रांसफार्मर के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		स्थान पर 60-60 एम0बी0 क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित कराने के सम्बन्ध में,
		55-वित्तीय वर्ष 2011-12 में नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए स्वीकृत अनुदान राशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		56-फिरोजाबाद नगर के दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत पैमेश्वर गेट, हुण्डा वाला बाग, मोहम्मदगंज बगिया, राजपूताना, गली नोहरान, बड़ी छपैटी, कन्हैया नगर आदि मोहल्लों की पीने के पानी की अत्यन्त भीषण समस्या के निराकरण हेतु कन्हैया नगर स्थित पार्क में एक अवर जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण के सम्बन्ध में,
		57-फिरोजाबाद नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र शीतल खां, गालिब नगर, हाजीपुरा, शीशगान मोहल्ला, हुसैनी मोहल्ला आदि क्षेत्र में पेयजल की अत्यन्त भीषण समस्या के निदान हेतु इस क्षेत्र में पानी की टंकी की स्थापना के सम्बन्ध में,
		58-आने वाली वर्षा ऋतु से पहले नगर फिरोजाबाद के सभी छोटे-बड़े नाले नालियों की तली झाड़ सफाई के सम्बन्ध में,
		59-नगर फिरोजाबाद में राज्य परिवहन निगम का बस डिपो बनाने के सम्बन्ध में,
		60-जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन स्थापित कराने के सम्बन्ध में,
		61-जिला अस्पताल फिरोजाबाद में एम0आर0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में,
		62-नगर फिरोजाबाद में बहुत बड़ी संख्या में खुले में सड़क किनारे लगने वाले फुटकर चूड़ी बाजार 'गड्डा बाजार' को व्यवस्थित एवं पक्के स्थान पर लगवाने के सम्बन्ध में,
		63-फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिव एवं वी0सी0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		64-फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में टूण्डला क्षेत्र को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में,
		65-टूण्डला-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद के किनारे बहने वाली यमुना नदी के वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल स्तर से इससे सटे हुए

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		खादरों/दर्रों/रिवाइंस में जल संचय कर इन क्षेत्रों का जल स्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 66-फिरोजाबाद में 'जेनेटिक दवाओं' की बिक्री हेतु एक 'माडल शॉप' खोलने के सम्बन्ध में, तथा 67-जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हड्डी के रोगियों के सटीक इलाज हेतु 'सी आर्म' मशीन की उपलब्धता के सम्बन्ध में।''
11	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महाकुम्भ मेला, 2013 में इलाहाबाद स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच माननीय उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश से कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों में अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में, 3-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में नई सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में, 7-विद्युत विभाग में परिवर्तकों की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,
		10-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश में कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोके जाने एवं सब्सिडी के सिलेण्डरों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्य दिल्ली व हरियाणा के बराबर करने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश की मंडियों में व्यापरियों का आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में मिड-डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृहकर माफ करने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23-प्रदेश के दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		24-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गो-कशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,
		25-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मांस प्लांटों को लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		26-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में,
		27-मेरठ में नई कालोनी गंगा नहर, लोहिया नगर, पल्लव पुरम में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी थाना न खोलने के सम्बन्ध में,
		28-मेरठ के मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में,
		29-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,
		30-मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-खेल नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		33-खेल का सामान बनाने वाले कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-मेरठ में 24 घन्टे बिजली दिये जाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में,
		35-टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नयी सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		36-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		37-मेरठ नगर निगम के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		38-मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,
		39-मेरठ नगर निगम द्वारा नालों को सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		40-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		41-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का उपयोग भेदभाव से करने के सम्बन्ध में,
		42-मेरठ जिले में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के लिये हजारों की संख्या में चक्कर काट रहे व्यक्तियों को पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,
		43-मेरठ महानगर में नयी आवासीय दलित एवं मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		44-मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक जॉम व उसके कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		45-नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध पर,
		46-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से दलित एवं मलिन बस्तियों में नाली एवं सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		47-प्रदेश में सभी जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		48-मेरठ जनपद की सभी तहसीलों में जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
		49-मेरठ जनपद में बढ़ती आबादी के कारण शहर के बाहरी इलाकों में बन रही नई कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		50-मेरठ जनपद में राशन कार्ड न बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		51-मेरठ महानगर में पी0डब्ल्यू0डी0 की टूटी-फूटी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		52-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मेरठ जनपद में पानी लाइन का कार्य समय से पूरा न होने से खुदी सड़कों के कारण जाम व नागरिकों को अव्यवस्था के सम्बन्ध में, 53-मेरठ चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की पर्ची समुचित एवं समय से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, तथा 54-मेरठ महानगर में भोला रोड, मुलतान नगर पर बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा लटकते तारों को खम्भा लगाकर व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में।''
12	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महानगर काशी में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा बिछाई जा रही ट्रंक सीवर लाइनों में एक जो सिगारा से महमूरगंज आने वाली है, उसके किनारे स्थित शिवपुरवा के अत्यधिक सीवर जाम वाला हिस्सा निराला नगर से कल्याणी वाटिका वाली सड़क को नई सीवर लाइन बनाकर जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 2-कोटा के राशन वितरण व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाए, जिससे जनता को नियमित समय पर नियमित मात्रा में राशन दिये जाने के सम्बन्ध में, 3-पिछली सरकार के समय जो अप्रजातांत्रिक शासनादेश जारी कर गांधीवाद तरीके से शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करने वालों पर केस दायर किया गया था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, 4-सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था हेतु शीघ्रताशीघ्र शिक्षकों की कमी अनिवार्य रूप से दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 5-जाम की समस्या से जूझने वाली काशी की सड़क पर एक ओवर ब्रिज सिगरा से रथयात्रा और रथयात्रा से गुरुद्वारा क्रासिंग तक बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उसके फुटपाथ का भी निर्माण किया जाय जिससे जल निकासी की व्यवस्था के साथ-साथ

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बाल, वृद्ध तथा पैदल चलने वाले लोगों के सुरक्षित आवागमन के सम्बन्ध में, 7-पेय पदार्थों के जल दोहन पर रोक लगाई जाये, जिससे हमारी भूमि की बढ़ती अनुर्वरता को रोके जाने के सम्बन्ध में, 8-पेयजल की स्वच्छता का पैमाना तय कर वाराणसी की जनता को शुद्ध पेयजल की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 9-वन्य जीव संरक्षण नीति पर पुनर्विचार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाय जिससे बालू खनन पर रोक से गंगा पर पड़ने वाले परिणाम पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में, 10-रामनगर में गंगा नदी के किनारे कीड़ों के जमाव से स्थिति बहुत चिन्ताजनक हो गई हैं उसे समाप्त करने के लिये सभी आवश्यक वैज्ञानिक उपाय अपनाये जाय तथा नदी में पानी के निरन्तर बहाव की स्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में, 11-काशी व रामनगर में नगर की समस्त गन्दगी जो गंगा नदी में नाले के रूप में डाली जा रही है, उसे तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में, 12-काशी व रामनगर के बीच निर्माणाधीन पुल हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर उसे निश्चित समय से पूरा किये जाने के सम्बन्ध में, 13-सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये आदेशानुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक पोखरे को पाटने से रोके जाने के सम्बन्ध में, 14-काशी में सीवर की समस्या का हल करने में जलकल विभाग की असमर्थता के कारण इसे पुनः नगर निगम की जिम्मेदारी में दिये जाने जो अपने नियमित सफाई कर्मियों के द्वारा इस दायित्व को पूरा करने के सम्बन्ध में, 15-रामनगर और वाराणसी को जोड़ने वाली पीपा के पुल पर इसी वर्ष हो गई, कई जानलेवा दुर्घटना को देखते हुये उसके निर्माण के कर्मियों की निष्पक्षतापूर्वक जांच कर उसे तत्काल मजबूत किये जाने के सम्बन्ध में, 16-वाराणसी के नगवा स्थित घाट को पक्का किया जाय। जिससे दूर दराज से आने वाली महिलाओं को नहाने तथा तीज त्योहारों पर पूजा पाठ करने की कठिनाई को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-वाराणसी के पौराणिक पोखरे जैसे लक्ष्मीकुण्ड, देवपोखरी पोखरे की नियमित साफ सफाई तथा सौन्दर्यकरण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 18-काशी महानगर स्थिति विकास प्राधिकरण व नगर निगम के पार्कों पर होने वाले अतिक्रमण व कब्जे की रोकथाम हेतु उसकी नपाई कर घेराबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में, 19-नगर के अनेक घनी बस्तियों में जहां नगर निगम का पेयजल अभी भी नहीं पहुंचा है, जैसा बंगालीटोला का 'पातालेश्वर' बजरडीहा का शिवरतनपुर का कुछ हिस्सा वहां अनिवार्य रूप से पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 20-जिन विधान सभा क्षेत्रों में एक भी सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है जैसे वाराणसी कैण्ट विधान सभा में वहां के छात्राओं के लिये कम से कम एक सरकारी इण्टरमीडिएट खोले जाने के सम्बन्ध में।''
13	डा0 अरूण कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-बरेली में यातायात समस्या को दूर करने के लिये थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-इज्जतनगर से बहेड़ी तक राजमार्ग (नैनीताल रोड) जो हार्टमैन पुल से पूरी तरह खराब है को हाटमिक्स प्लान्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-सभी पात्र गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड बनाकर दिये जाने एवं न्यूनतम पात्रता की आय एक लाख रुपये तक बढ़ाने के सम्बन्ध में, 4-बरेली के समस्त चिकित्सालयों एवं डिस्पैन्सरियों में चिकित्सकों एवं टैक्नीशियनों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 5-गम्भीर बीमारियों जैसे कैन्सर, गुर्दा, हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा बिना बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिये भी पूरी तरह से सरकारी खर्च पर किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-जिला अस्पताल बरेली में स्पेशलिस्ट एवं सुपरस्पेशलिस्ट डाक्टरों की देख-रेख में आई0सी0यू0 एवं ट्रामा सेन्टर बनाने के सम्बन्ध में,
		7-मिलावटी दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिये जिला स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाये जाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर प्रति वर्ष 25 किमी0 गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-बढ़ती हुई अग्निकाण्ड की समस्या से निपटने के लिये बरेली शहर के उत्तर भाग में एक और फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-गिरते भू-गर्भ जलस्तर एवं बढ़ते हुये पेयजल समस्या के निदान हेतु प्रत्येक विधायक की संस्तुति 250 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-बरेली शहर के निचले क्षेत्र में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-बरेली में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ते के अतिरिक्त स्वरोजगार के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-नये रोजगार सृजित करने हेतु उद्योगों को सहयोग कर उनका विस्तारीकरण कराये जाने सम्बन्ध में,
		16- उद्योगों को दी जा रही विद्युत दरों को घटाने के सम्बन्ध में,
		17-औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा से निकल रहे नाले को पूरा बनवाने के सम्बन्ध में,
		18-बरेली में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19-बरेली में ट्रान्सफार्मर फुंकने की वजह से विद्युत आपूर्ति समस्या के त्वरित निदान हेतु मोबाइल ट्रान्सफार्मर और अधिक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-बरेली में रेल के आई0वी0आर0आई0 फाटक, फतहगंज पूर्वी, पश्चिमी मीरगंज एवं लाल फाटक पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-बरेली के मो0-संजयनगर, गोपालनगर, दुर्गानगर, गुसाई गौटिया, सैनिक कालोनी, जोगी नवादा, मिथिलापुरी, आकाशपुरम, वीरसावरकर नगर, ग्रेटर, आकाश, मठ लक्ष्मीपुर, सैदपुर हाकनस, विहामान नगला स्थित नई कालोनीज, कर्मचारीनगर, सिद्धार्थनगर, भीमनगर, आलोकनगर, डिफेन्स कालोनी, कटघर, सनौआ, विधौलिया, महेशपुरा, कटरिया, पस्तोर, खड़उवा, सरनिया, नदोसी, गोकिलपुर, मरगडया, परसाखेड़ा, टिओलिया, मथुरापुर, जौहरपुर, मन्डिया, मिलिक, कन्यादासपुर, नगरियाकलां, सुन्दरासी, कानूनगोयान, बांके की छावनी, सनसिटी, पीरबहोड़ा, कंजादासपुर, कुर्मान्चलनगर में सड़क एवं जल निकासी की समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		22-बरेली में सिवीलियन हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		23-बरेली को काउण्टर मैगनेट सिटी घोषित किये हुये काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक विकास योजनायें नहीं शुरू हुई, तत्काल विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-बरली में नितान्त आवश्यक ''सालिड बेस मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट'' सब कुछ तैयार होने के बावजूद अब तक प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथार्टी के अन्तर्गत बरेली को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-बरेली शहर की पुरानी पड़ गयी एवं ध्वस्त सीवर लाइन बदलवाने को जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत बरेली को शामिल कराने के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश में मांग के अनुरूप गन्ना मिलों एवं अन्य स्रोतों द्वार विद्युत का उत्पादन बढ़ाये जाने तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28-बरेली में आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के स्तर का एक बड़ा अस्पताल, अनुसंधान केन्द्र मानसिक चिकित्सालय परिसर बरेली में खोले जाने के सम्बन्ध में,
		29-नगरीय क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण विद्युत फीडर से विद्युत सप्लाई की जाती है और बिजली बहुत कम समय के लिये आती है वहां नगरीय क्षेत्र के विद्युत फीडर से सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-बरेली शहर के कुछ हिस्सों में जहां बिजली नहीं है, वहां पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-वृद्धावस्था, विकलांग, व विधवा पेंशन के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने एवं समस्त पात्रों को पेंशन की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-प्रदेश में समस्त रोग निरोधक टीके लगाने पर और ज्यादा ध्यान दिये जाने एवं इसके लिये निजी चिकित्सकों का सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में,
		33-बरेली के जरी, माझा एवं फर्नीचर उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-बरेली नैनीताल रोड हवाई अड्डा गेट से पीर बहोड़-पीलीभीत रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		35-आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर होते हुये मण्डी समिति के निकट से पीलीभीत रोड से मिलाने वाली सड़क को फोरलेन बनाने के सम्बन्ध में,
		36-बरेली में लघु उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-बरेली में बढ़ती हुई चोरी, चेन स्नेचिंग एवं वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, तथा
		38-बरेली में गिरती हुई कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
14	श्री प्रमोद तिवारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-अफसरशाही बेलगाम हो जाने व सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में, 2-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े होने के सम्बन्ध में, 4-अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा, किये जाने के सम्बन्ध में, 5-उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के नाम से अलग-अलग राज्यों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में, 6-विगत 5 वर्षों से बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे को देखते हुये पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार द्वारा भी बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 8-बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये तथा उन्हें रु0 360 प्रति क्विंटल की दर से मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 10-बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण अंचलों में 20 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-जनपद अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती, महराजगंज, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर, प्रबुद्धनगर, पंचशील नगर, बिजनौर, अलीगढ़ एवं मथुरा आदि जनपदों में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। केरोसिन/मिट्टी का तेल रु0 35-40/- प्रति लीटर बिक रहा है और उर्वरक रु0 500/- प्रति बोरी बिक रही है। कन्ट्रोल रेट पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेचे जाने के सम्बन्ध में,
		15-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,
		16-गेहूं खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद नहीं होने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में,
		19-बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिये। बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-शुगर मिल पडरौना, शुगर मिल रामकोला खेतान तथा छितौनी शुगर मिल एवं कटकुइंया शुगर मिल को शीघ्र चलाया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-गीडा में केन्द्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल जोन स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-25 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बेरोजगार नवजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाय, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति का होने के सम्बन्ध में, 23-किसानों के रु0 50,000 (पचास हजार रुपये) तक के कर्जे प्रदेश सरकार अथवा उसके अधीनस्थ चलने वाले विभागों द्वारा माफ किये जाने के सम्बन्ध में, 24-पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कायम किये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जायं। जनपद महराजगंज के नौतनवां क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री कौशल किशोर सिंह 'मुन्ना' तथा जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री गयादीन अनुरागी पर राजनैतिक द्वैषवश कायम किये गये झूठे मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में, 25-अल्पसंख्यकों को चुनावी वायदे के अनुसार 18% आरक्षण देने के वायदे को अमलीजामा पहनाये जाने के सम्बन्ध में, 26-जनपद रायबरेली एवं जनपद अमेठी में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 27-उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डाटैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 28-विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में, 29-पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 30-प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 31-मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये उचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवादियों के आने-जाने एवं अवैध हथियारों के आने-जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

2-बहराइच जनपद में तस्करी का उद्योग फल-फूल रहा है, मानव तस्कर, पशु तस्कर तथा नकली नोट तस्कर सक्रिय हैं, उनके संरक्षकों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है इस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3-वन की लकड़ी का अवैध व्यापार वन माफिया कर रहे हैं जंगल की कीमती लकड़ी माफिया बड़े-बड़े संरक्षकों तथा सरकारी कर्मचारियों के संरक्षण में प्रदेश तथा देश की राजधानी तक पहुंचाकर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गम्भीर चोट पहुंचा रहे हैं इस पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4-पर्यावरण की दृष्टि से बहराइच में प्रत्येक राज्य मार्गों के दोनों तरफ पीपल लगे थे जो अधिकांश प्राणवायु (आक्सीजन) के वातावरण को स्वस्थ रखते थे तथा उनके साथ लगे अन्य पेड़ बरगद, आम, जामुन, अशोक आदि भी फल तथा पर्यावरण दोनों दृष्टि से लाभकारी थे उनके स्थान पर करील तथा बबूल आदि के झाड़ लगाकर सरकारी धन के साथ पर्यावरण को चोट पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

5-शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बहराइच जनपद की घोर उपेक्षा हो रही है पिछले सत्र तक 226 प्राथमिक विद्यालय तथा 223 जूनियर विद्यालय शिक्षक विहीन थे इसके अतिरिक्त शिक्षक अन्य जनपदों से रखे गये हैं, परिणामतः वे अपना स्थानान्तरण अपने जनपद या अपने पड़ोस में कराने में व्यस्त रहते हैं। शिक्षकों पर निर्माण, भोजन, वस्त्र की ठेकेदारी सौंपकर गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में,

6-गो-हत्या बहराइच जनपद की अहम समस्या है, गो-हत्या पर विराम लगे इसके स्थान पर सत्ता संरक्षण में गो-हत्या फल-फूल रही है, कई पशु बाजार केवल पशु तस्कर

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		चला रहे हैं, थाना कैसरगंज की कसेहरी बाजार, थाना मोतीपुर की परवानी बाजार, थाना सुजौली की ढखेरवा बाजार इसके उदाहरण हैं, गो-हत्या का विरोध करने पर तीन यादवों को तस्करों के रैकेट ने सड़क पर काट-काट कर डाल दिया था अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा कैसरगंज घाघरा एवं सरयू दो नदियों के बीच में स्थित है क्षेत्रवासी हमेशा बाढ़ से जूझते हैं लेकिन बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में, 8-बहराइच जनपद में जरवल रोड से नैपालगंज रोड तक सड़क अन्तर्राष्ट्रीय होने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अत्यन्त जर्जर इस मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-विधान सभा कैसरगंज के मझारा, तौकली, गोडहिया अहाता तथा भूपानी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराकर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 10-विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में मुस्तफाबाद सी0एच0सी0 30 बेड वाले अस्पताल में डाक्टर, बिजली, पानी एवं अन्य अनुमन्य सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में दोनों चीनी मिलें प्राइवेट सेक्टर की हैं जिनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्र के किसानों के गन्ने का क्रय किये जाने की कोई व्यवस्था न किये जाने से गन्ना किसानों का गन्ना माफियाओं द्वारा शोषण करने से रोकने के सम्बन्ध में, 12-गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का तत्काल भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-धान के क्रय का समयबद्ध भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-गेहूं का समर्थन मूल्य लागत के सापेक्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 15-बहराइच में नहरों की सफाई एवं पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
16	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-बुन्देलखण्ड को अलग राज्य का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-बुन्देलखण्ड के चतुर्मुखी विकास योजनाओं के संबंध में, 3-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की घोर उपेक्षा किये जाने के संबंध में, 4-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 5-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित हो रहे बांध को शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में, 6-विराट सागर योजना महोबा के निर्माण किये जाने के संबंध में, 7-जनपद-महोबा में चल रही अर्जुन सहायक परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में, 8-बुन्देलखण्ड के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के उचित मुआवजे को शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में, 9-बुन्देलखण्ड के किसानों को उचित समय पर खाद, बीज, पानी, ऋण आदि की सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 10-बुन्देलखण्ड के बांधों, तालाबों आदि में जल संरक्षण के सम्बन्ध में, 11-बुन्देलखण्ड के पेयजल व गंभीर संकट तथा महोबा जनपद में उर्मिल बांध पेयजल परियोजना के संबंध में, 12-बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा जनपद महोबा में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के संबंध में, 13-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नलकूप चेकडैम तथा हैंडपम्पों की पर्याप्त स्थापना के संबंध में, 14-बुन्देलखण्ड को देश का प्रमुख पर्यटन केन्द्र बनायें जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-महोबा, चरखारी जो की आल्हा ऊदल की नगरी के रूप में विख्यात है तथा अनेक चन्देलकालीन धरोहरें मौजूद हैं। उनको संरक्षित करने के संबंध में,
		16-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर कोई ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		17-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लोगों का पलायन रोकने एवं वहां रोजगार देने हेतु उद्योग स्थापित करने के संबंध में,
		18-महोबा जनपद में स्थापित पत्थर उद्योग, मूर्ति उद्योग, पान व्यापारियों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में,
		19-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध किये जाने एवं नये अस्पतालों का शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में,
		20-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अधूरे पड़े पुल (बिरमा नदी, धसान, केन, बेतवा नदी पर) शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में,
		21-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की टूटी पड़ी सभी सड़कों का शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में,
		22-बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेषकर जनपद महोबा में शिक्षा हेतु नये इण्टर कालेज, डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में,
		23-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में,
		24-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद महोबा में नये ट्रांसफार्मर एवं ढीले तार ठीक किये जाने तथा एच0टी0 लाइन आवासीय क्षेत्रों से अलग किये जाने के संबंध में,
		25-निर्धन गरीब व्यक्तियों के आवास आवंटित करने एवं नये अवासों का पर्याप्त मात्रा में शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में,
		26-मान्यवर कांशीराम कालोनियों में मूलभूत सुविधायें बहाल किये जाने के संबंध में,
		27-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हुई पाला एवं भारी बारिश, ओलावृष्टि से किसानों की क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28-बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा जनपद महोबा के शहीद हुए जवानों की स्मृति में भव्य स्मारक बनाये जाने के संबंध में, 29-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स एवं आवश्यक आधुनिक संसाधन दिये जाने के संबंध में, 30-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाये जाने के संबंध में, तथा 31-महोबा जनपद में नये जिला कारागार के शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में।''
17	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश के 60 वर्ष तथा उपर के सभी वृद्धों को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में, 2-प्रदेश के सभी विकलांगों को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में, 3-प्रदेश के सभी विधवाओं को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में, 4-प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान इसी पेराई सत्र में किये जाने के संबंध में, 5-नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कारगर उपाय किये जाने के संबंध में, 6-प्रदेश के माताओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों से लेकर नवजात शिशुओं में कुपोषण को दूर करने के लिए कारगर उपाय किये जाने के संबंध में, 7-प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नदियों को गहरा किये जाने के संबंध में, 8-आम जनता के प्रयोग में आने वाले बालू को खनन प्रतिबंध से मुक्त किये जाने के संबंध में, 9-प्रदेश के सभी महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल तथा ब्रेस्ट कैन्सर की जांच निःशुल्क करने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-प्रत्येक ऐसे सरकारी अस्पतालों में जहां प्रसव कराने की सुविधा है वहां पर एच0आई0वी0 टेस्ट कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,
		11-प्रदेश के किसानों से ही गेहूं की खरीद लक्ष्य के मुताबिक सुनिश्चित करने की कारगर व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
		12-प्रदेश में खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिए सरकारी गोदामों में रखे अनाज को सुरक्षित करने की कारगर योजना बनाये जाने के संबंध में,
		13-प्रदेश के सभी लोगों को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,
		14-प्रदेश के छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर, अग्रेजी पढ़ाने वाले योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
		15-प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं यथा महामारी, बाढ़, भूकंप, सूखा आदि से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा पूर्व चेतावनी देने वाले उपकरणों/संयंत्रों को लगाये जाने के संबंध में,
		16-प्रदेश में विकास कार्यों को तय सीमा में पूरा करने की जबाबदेह व्यवस्था बनाये जाने के संबंध में,
		17-प्रदेश में सभी इलाकों का सर्वेक्षण कराकर ऐसे लोगों को जिनके पास आवास नहीं हैं। उनके लिए आवास बनाये जाने के संबंध में,
		18-प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे वायु तथा जल प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक लगाये जाने के संबंध में,
		19-प्रदेश में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किये जाने के संबंध में,
		20-प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को समय से खाद, बीज, बिजली, पानी कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,
		21-प्रदेश में वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा अपूर्ण तथा टूटे-फूटे माइनरों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण शीघ्र कराये जाने के संबंध में,
		23-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रूकनापुर खुर्द में गंदे पानी के जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		24-जनपद बहराइच के वि0ख0 विशेश्वरगंज में ग्राम बालापुर कम्युनिस्ट नगर स्थित उद्यान विभाग के अधीन राजकीय फार्म के मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग के दोनों तरफ बैरीकेटिंग/चहारदीवारी का निर्माण कराने के संबंध में,
		25-प्रदेश के किसान मित्रों को बहाल किये जाने के संबंध में,
		26-बहराइच के चीनी/डिस्टलरी मिलों द्वारा उत्प्रवाहित किये जा रहे प्रदूषित जल को कच्चे नाले द्वारा नदियों में गिराने से रोकने तथा रास्ते में आने वाले खेतों में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए मिलों द्वारा कच्चे नाले के स्थान पर पक्का नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		27-बहराइच के चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने में की जा रही घटतौली पर रोक लगाये जाने के संबंध में,
		28-बहराइच के चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण को रोकने के संबंध में,
		29-बहराइच के पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले संपर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में,
		30-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले संपर्क मार्गों पर आवश्यकतानुसार पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		31-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पाइप वाटर पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों में पेयजल हेतु कार्य कराये जाने के संबंध में,
		32-बहराइच जनपद के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में विभागीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
		33-जनपद बहराइच के लिए शासन द्वारा स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		34-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबुल शीघ्र लगाये जाने के संबंध में,
		35-जनपद बहराइच के वि0ख0 पयागपुर में स्थित बघेल तालाब के जल निकास से जलमग्न होने वाले हजारों एकड़ कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जमुआर नाले से टेढ़ी नदी तक हुए अधूरे नहर खुदाई तथा पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		36-जनपद बहराइच के वि0ख0 पयागपुर में वर्ष 1962 से बसाये गये बंगाली शरणार्थियों को दी गयी जमीन का स्वामित्व व पट्टा प्रदान किये जाने के संबंध में,
		37-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में अधिभारिता के कारण प्रस्तावित परिवर्तको (ट्रांसफार्मरों) के स्थान पर अधिक क्षमता के परिवर्तक लगाये जाने के संबंध में,
		38-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील को और अधिक पौष्टिक तथा अच्छी गुणवत्ता का बनाने के लिए मीनू में बदलाव करके किये जाने के संबंध में,
		39-प्रदेश के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण, पेयजल तथा शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किये जाने के संबंध में,
		40-प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
		41-मेरिट के आधार पर होने वाले नौकरियों तथा शिक्षा के लिये ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर मेरिट बनाने की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में,
		42-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार करके उसे उच्च व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के अनुकूल बनाने के संबंध में,
		43-प्रदेश में निरंतर घट रहे वन क्षेत्र को रोकने के लिए रिक्त पड़ी भूमि पर सघन अभियान चलाकर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने के संबंध में,
		44-प्रदेश में मौजूद हजारों झीलों के जल धारण क्षमता में वृद्धि करके उससे सिंचाई की योजना बनाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		45-प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को मिलने वाले राशन, दाल, पाम आयल तथा केरोसीन आयल की कालाबाजारी को रोकने तथा जनता को सीधा लाभ पहुंचाने की कारगर व्यवस्था बनाये जाने के संबंध में, 46-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में, तथा 47-जनपद बहराइच के पयागपुर को पुनः तहसील बनाये जाने के संबंध में।''
18	श्री राघव लखनपाल शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-सहारनपुर नगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष आर्थिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में, 2-सहारनपुर में विश्वविद्यालय स्थापित कराये जाने के संबंध में, 3-जिला सहारनपुर के गन्ना किसानों को मिलों द्वारा बकाये भुगतान अविलम्ब करवाये जाने के संबंध में, 4-सहारनपुर में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रति वार्ड आर0ओ0 सिस्टम की स्थापना के संबंध में, 5-सहारनपुर के नगर निगम में शामिल की गयी नई कालोनियों व गांवों में पीने के पानी हेतु नई टंकियों का व पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में, 6-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के संबंध में, 7-सहारनपुर नगर निगम के चुनाव कराये जाने के संबंध में, 8-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए सार्थक कार्य योजना बनाने के संबंध में, 9-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के संबंध में,
		11-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के संबंध में,
		12-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के संबंध में,
		13-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में,
		14-औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में,
		15-जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज के रुके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में,
		16-सहारनपुर नगर निगम को विकास कार्यों हेतु विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में,
		17-सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का प्रयोग बिना भेदभाव करवाये जाने के संबंध में,
		18-देवबंद बड़गांव मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के संबंध में,
		19-सहारनपुर नगर में 500 हैण्डपम्प लगवाये जाने के संबंध में,
		20-सहारनपुर नगर निगम की नई कालोनियों के विकास हेतु विशेष पैकेज बनवाये जाने के संबंध में,
		21-सहारनपुर नगर के चिलकाना रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		22-सहारनपुर नगर के बेहट रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23-आवास विकास व आसपास की नई कालोनियों में नये रूप से सीवर लाइन व सड़कों के निर्माण के संबंध में,
		24-सहारनपुर की प्रमुख धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला के सामने पवित्र पांवधोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		25-सहारनपुर नगर के एस0बी0डी0 बजौरिया सिविल हास्पिटल के आधुनिकीकरण की योजना के संबंध में,
		26-सहारनपुर नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे को स्थानान्तरित कर किसी नये स्थान को चिन्हित कर आधुनिक रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के संबंध में,
		27-सहारनपुर नगर को विद्युत कटौती मुक्त रखने के संबंध में,
		28-सहारनपुर नगर के अम्बाला रोड स्थित मुख्य पुल जोकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है जिसकी हालत बहुत खराब (जर्जर हालत) है को पूर्ण निर्माण के संबंध में,
		29-सहारनपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत कटौती मुक्त करने के संबंध में,
		30-सहारनपुर नगर निगम की कालोनियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल, पाइप लाइन व हैण्डपम्प लगवाने के संबंध में,
		31-सहारनपुर नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी नई कालोनियों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
		32-सहारनपुर नगर में बेहतर शिक्षा हेतु नये हाई स्कूल व इंटर कालेज के निर्माण के संबंध में,
		33-सहारनपुर नगर में बाल्मीकी कालोनियों व अन्य दलित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, विद्युत व्यवस्था व पक्के शौचालय बनाये जाने के संबंध में,
		34-सहारनपुर परिक्षेत्र में गो-वध रोकने हेतु कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के संबंध में,
		35-सहारनपुर नगर के आसपास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-सहारनपुर नगर में ढमोला नदी में मोहल्ला गिल कालोनी की तरफ हो रहे कटान को रोकने हेतु पक्की ढाहंगो का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 37-सहारनपुर नगर में ढमोला नदी में कई स्थानों पर पानी के कटान को रोकने हेतु पक्की ढहांगों का निर्माण कराये जाने के संबंध में, तथा 38-सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु दस नई पानी की टंकियों के निर्माण के संबंध में।''
19	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तहसील के अन्तर्गत ककोड़ में शीघ्र नया विकास खण्ड स्थापित किये जाने के संबंध में, 2-जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तहसील को ग्रेटर नोएडा फेस-2 में शामिल किये जाने के संबंध में, 3-सिकन्द्राबाद तथा बुलन्दशहर को रैपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (तीव्र रेल सेवा) द्वारा गाजियाबाद से जोड़े जाने के संबंध में, 4-सिकन्द्राबाद नगर के संयुक्त चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने के संबंध में, 5-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद ब्लाक तथा गुलावटी ब्लाक में राजकीय कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना के संबंध में, 6-जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तहसील के गांव भराना, गेसूपुर धमैड़ा नारा, बड़ौदा, बुटैना, हिरनौटी, मोहम्मदपुर कला, आढ़ा, बिल्सूरी आदि गांवों के अतिभारित ट्रान्सफारमरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के संबंध में, 7-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद तथा गुलावटी ब्लाक में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में, 8-प्रदेश में बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-जनपद बुलन्दशहर की वेव चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना क्रय किये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्देश दिये जाने के संबंध में, 10-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा सिकन्द्राबाद की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, 11-जनपद बुलन्दशहर के वैर, भौरा, रौनी, फतेहपुर, गांगरौल, खानपुर, खबरा आदि गांवों के किसानों की जमीन रेलवे द्वारा डेडीकेटिड फ्रंट कारीडोर को अधिग्रहीत की जा रही, उनको नोएडा के बराबर मुआवजा दिये जाने के संबंध में, 12-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में 20 घन्टे तथा गुलावटी नगर में 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में, 13-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद तथा गुलावटी नगरों में सार्वजनिक पार्कों का निर्माण किये जाने के संबंध में, तथा 14-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद तथा गुलावटी नगरों में सीवर की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।''
20	श्री रामहेत भारती	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के तहसील लहरपुर में शारदा केवानी चौका तथा घघरिया नदी से बरसात के दिनों में होने वाली भारी तबाही को रोकने के संबंध में, 2-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में बरसात के दिनों में होने वाली क्षति का मुआवजा देने के संबंध में, 3-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में सलारपुर तथा तकिया सुल्तानपुर के मध्य घघरिया नदी पर पुल बनवाने के संबंध में, 4-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में गांव सोनसरी रतौली, मुसियाना, कुसेधा पट्टी दहेली आदि तमाम गांवों में बाढ़ की तबाही से बचाने व शारदा नदी के किनारे बांध बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसे शामिल किये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में पेयजल की समस्या से निपटने एवं नये हैण्डपम्प लगाये जाने व खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने के संबंध में,
		6-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव बेलरांवां पनवारी मार्ग से शाह महोली के सामने से उदयपुर तक डामररोड बनाये जाने के संबंध में,
		7-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड परसेडी में मुबारकपुर उदयीपुर, कोबरी, ठोकरा पुरवा, रमुआपुर, ईटारोरा, तकिया, बहादुरपुर, भगौतीपुर, बेदौरा, करौंदीपुर बन्दरहा, मुरलीपुरवा, तोखीपुर गौरियाकला से पगरोई नहरपुलिया तक हाता उलजापुर नेवादा, प्रेम सिंह चौबा नसीरा पुर आदि गांवों के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के संबंध में,
		8-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा में रुकनापुर तथा दोनवा के मध्य नाले पर काजवे बनाये जाने के संबंध में,
		9-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड-बेहटा के उमरिया खुर्द बिचला, बरेती लोनियन पुरवा, हजारीपुरवा के कोठी पुरवा बहिया बहिरामपुर, मरसण्डा से दारापुर सलारपुर तथा ईरापुर (पसियन पुरवा) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में,
		10-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में नवीनगर से भदफर तथा लगुचा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर रोड बनाये जाने के संबंध में,
		11-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के ब्लाक हरगांव के गांव राजेपुर से लेघनिया होते हुए उमरी सादीपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के संबंध में,
		12-निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के वर्जिन गांव के विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
		13-अवध शुगर मिल हरगांव को गन्दा पानी व राख से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में, तथा
		14-गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान व गन्ना मूल्य के संबंध में।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
21	श्री सुदेश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में मोदी शुगर मिल के द्वारा किसानों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जबकि आस-पास शुगर मिलों द्वारा भुगतान कर दिया गया है, मोदी शुगर मिल से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के संबंध में, 2-विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के महीऊददीपुर से वाया चुण्डीचला सैदपुर होते हुए खरखौदे तक मार्ग अत्यन्त दयनीय स्थिति में है का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 3-विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम खिदोड़ा के बीच से होता हुआ महमदपुर मार्ग (लगभग 800 मी0) का निर्माण कराये जाने के संबंध में, तथा 4-मोदीनगर से निवाड़ी धोलडी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में।''
22	श्रीमती कृष्णा पासवान	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खागा फतेहपुर में गोपालपुर से घूरी (वुदवन) तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 2-कल्लनपुर से कीसापुर वाया दवन्नापर का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 3-अकिलपुर ऐशना से अरबपुर तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 4-हरदो से भवानीपुर तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 5-काही से शुकुरूपुर तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 6-कुसया से गोढ़यार तक डामरीकरण 2.0 किमी0 तक कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-रानीपुर से छोटा मखउआ डामरीकरण व पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		8-ईट-गांव-उकाथू रोड से छीमी तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में,
		9-चंदापुर से बरियाछे तक बाया लोहंगपुर डामरीकरण कराये जाने के संबंध में,
		10-किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर ग्राम हेतु संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		11-खागा रेलवे गेट से पाम्भीपुर तक संपर्क मार्ग व नाले में पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		12-हरदासपुर गढा रोड से बरियाछे होकर संभोलीपुर संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		13-बरइनपुर छीम ग्राम से उकाथू संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		14-किशनपुर एकडला के मध्य यमुना नाले में जर्जर एवं खतरनाक पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		15-ग्राम पुरइन 25 से 63 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में,
		16-ग्राम छीमी 25 से 63 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में,
		17-उकाथू 25 से 63 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में,
		18-केवटमई 25 से 63 (पावर हाऊस कनपुरवा खखरेरू) कराये जाने के संबंध में,
		19-धात दीप नरायन चौरा 100 से 250 के0बी0ए0 कराये जाने के संबंध में,
		20-धाता सूर्य कुंड 63 से 100 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में,
		21-रामसागर तालाब धाता 25 से 63 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धाता 100 से 250 के0बी0ए0 क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में, 23-सिलमी 63 के0बी0ए0 नया, क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में, 24-चंदापुर गढा 33/11 के0बी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना कराये जाने के संबंध में, 25-खरसेंड़वा 33/11 के0बी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना कराये जाने के संबंध में, 26-विछियांवा 33/11 के0बी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना कराये जाने के संबंध में, 27-किशनपुर-एकडला के मध्य दमहा नाले में पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में, 28-ससुर खदेड़ी नदी मेठेठा के मध्य ससुर खदेरी नदी में पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में, तथा 29-गढवा रारी के मध्य ससुर खदेरी नदी में पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में।''
23	श्री धर्मपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आंवला-बरेली कैलाश गिरि मढ़ी के पास राम गंगा नदी जो ग्राम शिवपुरी व ग्राम हाजीपुर के निकट बहती है पर पान्टून पुल बना है, पान्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-ग्राम धन्नावाली गौटिया (मुतलकपुर) के पास आरिल नदी पर आवागमन की दृष्टि से काजवे (रपटापुल) बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-ग्राम चकरपुर और ग्राम महमूदपुर के बीच आरिल नदी पर आवामगन की समस्या के निदान हेतु एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-ग्राम झाउनगला वाली सड़क से ग्राम भरावाली गौंटिया होते हुए खड़न्जे वाली सड़क पर नवीन झालों तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-ग्राम गुरुगांवा से ग्राम ढाये वाली गौंटिया में खड़न्जा निर्माण पर पक्की सड़क लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		6-ग्राम ढायेवाली गौंटिया से ग्राम झाउनगला-भरागौंटिया के काजवे तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-ग्राम मोहरसिंह गौंटिया से ग्राम बसन्तपुर वाली सड़क तक खड़न्जे पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-ग्राम अनिरुद्धपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-ग्राम ढकिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-ग्राम कुडरिया फैजुल्लापुर में पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,
		11-ग्राम मझगवा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय का गांव है और सेन्टर प्लेस है इस गांव में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,
		12-जनपद बरेली के ग्राम गैनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,
		13-ग्राम गैनी के मजरे ग्राम भीकमपुर गौटिया तालाब पर सुरक्षा दीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-ग्राम बेनीपुर में अलीगंज-रम्पुरा मार्ग से ग्राम बेनीपुर तक मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-ग्राम गुलडिया उपराला में बिजली सप्लाई की दृष्टि से विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-नगर सिरौली नगर पंचायत है और बड़ा नगर है, यह आंवला और शाहबाद के बीच में स्थित है, इसे तहसील केन्द्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-ग्राम लीलौर में महाभारत कालीन झील है इसे पक्षी विहार घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-तहसील आंवला के ग्राम रामनगर के पास पांचाल प्रदेश की राजधानी रही है, यहां पर द्रोपदी का स्वयंवर रचा गया

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		है। द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में, 19-ग्राम जगन्नाथपुर के पास सैकड़ों एकड़ भूमि में सूखा तालाब है, अज्ञातवास के समय कुन्ती माता की प्यास बुझाने हेतु पानी छूते समय युद्धिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किये थे इस अस्तित्वहीन तालाब को अस्तित्व में लाये जाने के सम्बन्ध में, 20-महाभारत कालीन किला जो रामनगर गांव के पास हजारों एकड़ भूमि में फैला है, पर्यटन के मानचित्र पर लाये जाने के सम्बन्ध में, 21-आंवला में महत्वपूर्ण किले व मजार हैं इनका संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में, 22-आंवला नगर में रोडवेज का डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में, 23-आवंला राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 24-ग्राम शाहबाद से ग्राम उरला तक खड़न्जे पर पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में, 25-आंवला में सभी तेल कम्पनियों के डिपो बने हैं जिनकी गिनती एशिया के स्तर पर की जाती है। वह टैंकर चला-चलाकर सड़कें तोड़ रहे हैं और विकास के नाम पर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, विकास हेतु धनराशि आवंटित कराने के सम्बन्ध में, 26-आंवला गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है कोई भी चीनी मिल नहीं है, इसलिये सरकारी अथवा सहकारी चीनी मिल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 27-बरेली जनपद में ग्राम करगैना स्थित पराग चीनी मिल जो कतिपय कारणों से बन्द है को चालू कराने के सम्बन्ध में।''
24	कुंवर मानवेन्द्र सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-बिजनौर में हजारों एकड़ उत्तम कृषि भूमि गंगा नदी के कटान से बह जाने से होने वाली राजस्व की हानि को रोकने एवं

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		भूमि संरक्षण हेतु बालावाली से रावली तक स्टड निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-बिजनौर में अनेकों गरीब व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड दिलवाने की समयबद्ध योजना के सम्बन्ध में, 3-बिजनौर में प्राथमिकता के आधार पर जिला मुख्यालय पर किसानों की सुविधा हेतु मंडी समिति स्थल व भवन/कार्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-बिजनौर के अध्यक्ष जिला पंचायत चुनाव में मतदाताओं के अपहरण के खिलाफ 18-01-2013 को थाने में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लोकतंत्र की इस विकृति को सुधारने के लिये स्पष्ट नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 5-सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित छात्रों को समय से अनुदान की नीति का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में, 6-गन्ना किसानों के बकाये पैसे का अतिशीघ्र भुगतान हेतु तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में, 7-बिजनौर के सरकारी जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर में एवं सभी जिला अस्पतालों में उचित डाक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में तथा 8-पेयजल समस्या के निदान हेतु प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में हैण्डपम्प लगाने का कोटा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।''
25	श्री रोशन लाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-लोक निर्माण द्वारा निर्मित पुवायां निगोही, हमजापुर चौराहे होते हुये तिलहर तक जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण एवं बिरसिंहपुर के आगे कटी सड़क पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत हमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत चकबरैचा के पास कैमुआ नाला पर पैन्टून पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 4-लिपोलिक भिण्ड मार्ग निगोही के पास कैमुआ नाला पर जर्जर पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत बरौरा अखतियारपुर मार्ग से नथुआपुर होते हुये बचुइया तक डामरीकरण एवं बड़ी पुलिया का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 6-विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत महाऊ दुर्ग से महमूदापुर तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 7-विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत सिंधौली से कटैया खुर्द तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत विलहरी से हरववानपुर निजामपुर होते हुये धरमपुर कन्जा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत हरभानपुर से नरसा नगला होते हुये राजूपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-निगोही तिलहर रोड तक से रटा के पश्चिम नहर के पटरी से मोहनपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत डेलखेड़ा के पश्चिम से खेड़ासडा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-निगोही बिलसण्डा रोड से बहादुरिया होते हुये बहादुरपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-डालमिया चीनी मिल गिरगिचा की चिमनी के पानी से निकलने वाले गन्दे पानी एवं राख से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में, 14-विधान सभा तिलहर के अन्तर्गत हमजापुर निगोही के चौराहे पर शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 15-विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत परसौना खलीलपुर से बेल गौटिया तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-लिपोलिक भिन्ड मार्ग से पराझरसा रामपुर नया गांव बिरहना होते हुये बरैचा तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत चकौरा से बरौरा तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-लिपोलिक भिण्ड मार्ग से खेरासण्डा गंगा जमुनी अन्डखेडा होते हुये निगोही खुदागंज मार्ग जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		19-गन्ना माफियाओं द्वारा बड़े-बड़े छः टायरा ट्राला बनवाकर निर्धारित मानक से अधिक गन्ना भरकर डालमिया चीनीमिल निगोही में सप्लाई कर राजस्व विभाग की हानि को रोकने एवं ओवर लोडिंग होने के कारण क्षतिग्रस्त डामर रोड की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-विधान सभा तिलहर के विभिन्न ग्रामों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-विधान सभा तिलहर के विभिन्न ग्रामों में निष्क्रिय इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-विधान सभा तिलहर के अन्तर्गत लगभग 30000 आबादी वाली ग्राम पंचायत निगोही हमजापुर को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-विधान सभा तिलहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निगोही में पानी सप्लाई हेतु पक्के रोड काट कर बिछाई गई भूमिगत पाइप लाइनों के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में,
		24-जनपद उन्नाव की पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा एवं ग्राम कोदइया खेड़ा को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग को खड़न्जा/आर0सी0सी0/डामर युक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-जनपद उन्नाव की पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा की गलियों को आर0सी0सी0 एवं जल निकासी की नालियों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-जनपद उन्नाव की पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा में एक बारातघर/सामुदायिक केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 27-जनपद उन्नाव के पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में एक स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 28-जनपद उन्नाव के बीघापुर से लखनऊ एवं लखनऊ से बीघापुर वाया मौरावां रोडवेज बस का संचालन नियमित कराये जाने एवं बसों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 29-जनपद उन्नाव के पुरवा-पाटन मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 30-जनपद उन्नाव के पुरवा ब्रांच नहर के चमियान मार्ग पुल से लेकर पाटन मार्ग पुल तक नहर की पटरी पर पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 31-जनपद उन्नाव की पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में आदर्श तालाब के निर्माण के नाम पर धन आहरण के बावजूद आदर्श तालाब का निर्माण न करवाये जाने की जांच करवाकर आदर्श तालाब बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 32-जनपद उन्नाव के पुरवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ नियुक्त कर चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-कार्यालय नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के पत्रांक 24/पेंशन वि0/09-10/87, दिनांक 13-4-2009 में उल्लिखित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 34-लखनऊ के तेलीबाग के बल्देव विहार मोहल्ले में सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में।''
26	श्री राजेश अग्रवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-प्रदेश में विद्युत वितरण की पारदर्शी व्यवस्था अपनाने तथा सभी महानगरों को लखनऊ की तरह 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-बरेली महानगर के जर्जर विद्युत पोलों व तारों को तत्काल बदले जाने तथा दलित व मलीन बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		3-बरेली में अघोषित बिजली कटौती के फलस्वरूप आबादी व व्यापार पर पड़ने वाले असर के दृष्टिगत लखनऊ की भांति 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		4-बरेली में सीएनजी गैस डिपो की कमी से होने वाली समस्या के दृष्टिगत तीन नये सीएनजी गैस डिपो खोले जाने हेतु प्रयास करने के सम्बन्ध में,
		5-बरेली के पुराना शहर में जगतपुर पुलिस चौकी के निकट स्थित रिक्त भूमि पर सरकारी चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-बरेली के वंशीनगला में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-महिला कैदियों की भारी संख्या के दृष्टिगत बरेली जिला जेल को महिला जिला जेल में परिवर्तित करने तथा बरेली जिला जेल को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में,
		8-बरेली में लगने वाले सड़क जाम से निपटने के लिए शाहदाना से बरेली कालेज तक, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 से सिटी श्मशान भूमि तक व अन्य स्थानों पर उपरगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-बरेली-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली के किला से लीची बाग तक बने वर्षों पुराने क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले उपरगामी सेतु के स्थान पर नई उपरगामी सेतु अविलम्ब बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		10-बरेली महानगर सहित प्रदेश में निरन्तर घटित हो रही अपराधिक घटनाओं से भयग्रस्त जनता को निजात दिलाने के लिए पुलिस व प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबन्द करने के सम्बन्ध में,
		11-बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नये पुलिस थाने और चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		12-बरेली की तकरीबन 40 वर्ष पुरानी सीवर लाइन की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था के दृष्टिगत नई सीवर लाईन डलवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-बरेली में जाम की समस्या के निराकरण व दुर्घटनाओं पर रोक के लिए पुराना रोडवेज बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-बरेली के अति पिछड़े क्षेत्र सुभाष नगर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कन्या महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,
		15-बरेली महानगर बनते समय शामिल नये इलाकों में जहां लोग गड्ढे व कींचड़युक्त सड़कों व गन्दगी के बीच रहने को मजबूर हैं, उन इलाकों में सड़क-सीवर-विद्युत-सफाई आदि समस्त नगरीय सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-बरेली में चूहों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के फलस्वरूप श्यामगंज, फाल्तूनगंज, गंगापुर, बरेली कालेज, मानसिक चिकित्सालय, पुराना शहर कालीबाड़ी आदि क्षेत्रों में आसन्न समस्या यथा सीवर लाइन चोक हो जाना, जमीन में बड़े-बड़े गड्ढे होने से बिल्डिंगों के गिरने का खतरा होना तथा कभी भी प्लेग जैसी संक्रामक बीमारी फैलने का अंदेशा आदि से निपटने हेतु विशेष प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-बरेली महानगर के सुभाष नगर पुलिया से नेकपुर गौटिया होते हुए बदायूं रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		18-बरेली महानगर के सुभाष नगर भगवान दास की चक्की से नाले के किनारे राजीव कालोनी होते हुए वीर भट्टी (वाल्मिकी बस्ती) तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		19-बरेली महानगर के बदायूं रोड से करगैना बी0डी0ए0 कालोनी होते हुए वीर भट्टी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		20-बरेली महानगर के मढ़ीनाथ वंशी नगला मठिया से श्मशान भूमि वासे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		21-बरेली महानगर के मढ़ीनाथ वंशी नगला मठिया से सिठौरा तिराहे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		22-बरेली महानगर के गणेश नगर में बदायूं रोड से मढ़ीनाथ शिव मन्दिर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		23-बरेली महानगर के बेनीपुर से सिठौरा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24-बरेली महानगर के विश्वनाथपुरम में आलोक प्रधान के घर से सिठौरा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		25-बरेली महानगर के मढ़ीनाथ मन्दिर से बेनीपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		26-बरेली महानगर के होली चौक से सिठौरा आश्रम तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		27-बरेली महानगर की शान्ति विहार आर्यव्रत कालोनी में पूर्व सैनिक आर0पी0 सिंह के मकान से सिठौरा रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		28-बरेली महानगर के विश्वनाथपुरम में मुन्ना पाठक के मकान से धोबी बस्ती होते हुए सिठौरा रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		29-बरेली महानगर के फहम लॉन से हरु नगला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		30-बरेली महानगर के रेलवे फाटक-सिटी श्मशान भूमि से गौशाला सराय तल्फी-सिठौरा-सनैया होते हुए बदायूं रोड पर करगना चौकी के पास तक उपमार्ग (बाईपास) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-बरेली में साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थापना, असामाजिक व अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा दंगे जैसे हालात उत्पन्न नहीं होने देने के लिए विशेष प्रयास करने के सम्बन्ध में,
		32-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल उत्तरशती रजत जयन्ती वर्ष के अन्तर्गत बरेली में, जहां आजादी से पूर्व विधान मण्डल की बैठक हुई थी, विशेष समारोह आयोजित करने के सम्बन्ध में,
		33-बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित करने की ठोस व प्रभावी व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		34-प्रकृति के अन्धाधुंध दोहन व भारी मात्रा में हो रहे ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन से उत्पन्न पर्यावरणीय असन्तुलन के दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर चलाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-गंगा प्रेमी आम जनता एवं सन्तों की मांग के अनुसार करोड़ों जनों की आस्था की प्रतीक पतितपावनी मां गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		36-नक्सल प्रभावित जनपदों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाये जाने एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ठोस व प्रभावी व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		38-बन्द उद्योगों को चलाने एवं व्यापारी व उद्यमी वर्ग को सम्मान सहित कार्य करने की परिस्थिति बनाने के सम्बन्ध में,
		39-बाराबंकी जनपद के कुर्सी रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की खस्ताहाल सड़कों का जीर्णोद्धार तथा औद्योगिक आस्थान के बीच से निकल रही पतली नदी के ऊपर तीन-चार स्थानों पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश में उद्योगों हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा इस हेतु प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट/विद्युत घर की शीघ्र स्थापना के सम्बन्ध में,
		41-मेला, त्यौहार, पर्व व अन्य अवसरों पर एकत्र होने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा/अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने हेतु जनपदवार जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 'क्राउड मैनेजमेन्ट सेल' की स्थापना के सम्बन्ध में,
		42-प्रदेश में गो-तस्करी, गो-हत्या रोकने, गौशालाओं के विकास एवं पंचगव्य आधारित जनोपयोगी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु गो-आधारित ग्राम्य विकास की ठोस योजना बनाने व उन्हें क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव दूर करने, रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने तथा व्यवस्थाओं को चाक चौबन्द बनाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		44-नहरों की सफाई तथा टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की ओर अधिक सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में,
		45-किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने एवं सरकारी क्रय केन्द्रों पर व्याप्त विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		46-प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली जन-धन की हानि के दृष्टिगत समय पूर्व राहत व बचाव की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		47-रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं जगह-जगह ट्रक आदि वाहनों को रोककर की जा रही अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
		48-प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में बच्चों के खेलने हेतु आधुनिक खेल पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		49-पत्रकारों का उत्पीड़न रोकने, प्रेस की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने एवं पत्रकारों को आवास, बीमा, चिकित्सा आदि सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		50-बुजुर्ग/वरिष्ठ साहित्यकारों एवं पत्रकारों को मासिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		51-राज्य में रिक्त सरकारी पदों को अविलम्ब भरे जाने के सम्बन्ध में,
		52-सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देने तथा युवकों को स्वरोजगार हेतु सहयोग/प्रोत्साहन देने की नीति को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में,
		53-विभिन्न निगम, संस्थान, उपक्रम, आयोग आदि में रिक्त पड़े अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य पदों पर अविलम्ब मनोनयन किये जाने के सम्बन्ध में,
		54-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में रिक्त पड़े अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य पदों पर अविलम्ब मनोनयन कर पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने सम्बन्धी समस्त लम्बित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में,
		55-प्रदेश के प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		56-बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नये राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में, 57-प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की लम्बित अनुदान सूची के प्रकाशन एवं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, 58-सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता दूर कर वास्तविक व पात्र लोगों को खाद्यान्न व अन्य उपयोगी वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 59-प्रदेश के नगर निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 60-प्रदेश की नगर पंचायत व नगर पालिकाओं के निर्वाचित समस्त अध्यक्षों, सभासदों/पार्षदों को मासिक मानदेय व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।''
27	श्री तसलीम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-निर्वाचन क्षेत्र, नजीबाबाद जिला बिजनौर के निम्न ग्रामों सुंगरपुर बैहड़ा, लालपुर सोजीमल, सलैमपुर भट्टा, नयागांव कोटद्वारा रोड, नगर के मोहल्ला वाहिद नगर, नई बस्ती जाब्तागंज, पालोमल में कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद, बिजनौर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु समुचित मात्रा में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, 3-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम फैजलपुर से ग्राम बड़ी ज्वाली तक 300 मी0 पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 4-ग्राम हुसैनपुर से ग्राम ताहरपुर इश्हाक होते हुए फजलपुर हबीब रेलवे स्टेशन से हुमायूंपुर तक 3.50 कि0मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-ग्राम सुंगरपुर बेहड़ा से ग्राम सलेमपुर भट्टा तक 1.00 कि0मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-नेशनल हाई-वे 74 ग्राम मोहनपुर से ग्राम काशीरामपुर तक 1.650 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-नेशनल हाई-वे 74 से ग्राम औरंगपुर भिक्कू के पंचायत

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		घर तक 1.50 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-ग्राम करौली से ग्राम नारायणपुर रतन तक 1.20 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-बाईपास हरिद्वार स्टोन क्रेशन से ग्राम नारायणपुर रतन तक 1.50 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-ग्राम पूरनपुर नरोत्तम के माध्यम से प्राइमरी विद्यालय के पीछे नाले की पुलिया व तालाब की दीवार निकट देवता मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-ग्राम हीमपुर पछातपुर से ग्राम रानीकोटा तक 2.50 कि0मी0 तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-ग्राम भागूवाला की नहर से ग्राम कामगारपुर तक 1.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-जमालदी से ताहपुर इश्हाक तक 200 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-नजीबाबाद से बुन्दकी रोड पर ग्राम खेड़ा में मजार से लेकर गागन नदी तक दोनों तरफ नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-ग्राम बिजौरी की 14.00 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में 19 ग्राम यथा ग्राम-हर्सवाड़ा, हरेवली रसूलपुर सैद उर्फ सैदपुरी, दिगौड़ा, बखारपुर, रामनगर, हसनपुर, राहतपुर, जख्खाकी, हरेवली, सिरोड़ा, राजपुर नेवादा, औरनपुर भिख्खू, अकबरपुर चौगावां, जलालाबाद मोहल्ला प्रेमनगर नई बस्ती कान्हा वाले बाग मुख्तारपुर, इस्सेपुर सौफतपुर, ग्राम भागूवाला गुजाहिवा पट्टी, में खम्भे स्थापित कर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 17-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम फजलपुर हबीब, जलालाबाद टाउन एरिया, बोरेकी श्यामीवाला, औरनपुर भिक्कू, राहतपुर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइनें स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 18-निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जनौड़ा में स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन निर्मित है लेकिन स्टाफ की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में, 19-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद ग्राम पुण्डरी खुर्द में पशु सेवा केन्द्र की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में सबलपुर बीतरा से रायपुर होता हुआ मौजमपुर पुल का निर्माण, पूण्डरीकला से ब्रह्मपुर तक पुल का निर्माण, जलालाबाद से साहनपुर हरिद्वार बाईपास पर मालन नदी का पुल (ग्राम कल्हेड़ी-मुख्तारपुर के बीच पुल निर्माण), बोरेकी से रानीपुर नगला मार्ग पर पुल निर्माण, नजीबाबाद कोटद्वारा मुख्य मार्ग, समीपुर नहर से हरिद्वार बाईपास, ग्राम मलूकवाली के रास्ते पर मालन नदी का पुल निर्माण, रामनगर-गौजमपुर-मण्डावली मार्ग पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 21-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में कन्या इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 22-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में जी0आई0सी0 इण्टर कालेज की जमीन स्टेप ग्राउन्ड पर एक स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 23-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रा साउण्ड मशीन, एक्सरे मशीन, ई0सी0जी0 मशीन, पैथोलोजी लैब, टी0एम0टी0 आदि मशीनों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 24-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में नगर पालिका के सामने नवाब नजीबुद्दौला का द्वार के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 10,00,000 (दस लाख रु0) की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 25-निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद में मोरध्वज का किला की लगभग 50 बीघा जमीन को पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल बनाने हेतु बजट में प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।''
28	श्री गुटियारी लाल दुवेश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-सम्पूर्ण अभिभाषण में जनपद आगरा की मेरे निर्वाचन क्षेत्र आगरा कैण्ट विकास से सम्बन्धित किसी भी बिन्दु को शामिल नहीं किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र आगरा कैण्ट की पूरी तरह से उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-मेरे निर्वाचन क्षेत्र आगरा कैण्ट के नगला परसोती, नगला मरती, नगला प्यारे, नरीपुरा, सेवला सराय में पानी की निकासी न होने के कारण वहां की जनता के घरों में गन्दा पानी भर जाता है। वहां की जनता आये दिन सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करती रहती है तथा जल भराव के कारण यहां पर कई जानों के भी चले जाने के सम्बन्ध में,
		3-जनपद आगरा जो पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है तथा विश्व का प्रमुख पर्यटन स्थल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है जिसके रख-रखाव एवं सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,
		4-मेरे निर्वाचन क्षेत्र आगरा कैण्ट में ताजमहल के चार कि0मी0 की दूरी पर जगजीत नगर, बसंत बिहार, नगला महादेव राजेश्वर मन्दिर के पास मलिन बस्ती है वहां का विकास पिछले बीस वर्षों से नहीं हुआ है वहां पर तीन-तीन फिट गहरे गड्ढ़े घरों के सामने हैं वहां पर आये दिन ताजमहल को देखने विदेशों से पर्यटक आते हैं और वहां की दुर्दशा देखकर विश्वप्रसिद्ध इमारत का मजाक उड़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		5-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जल निगम का एक पुराना टैंक रकाबगंज थाने के पास जर्जर अवस्था में पड़ा है। उसी टैंक के द्वारा आगरा की जनता को पानी की सप्लाई की जाती है किसी भी समय उस टैंक से बड़ा हादसा होने के सम्बन्ध में,
		6-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वी0आई0पी0 रोड मुगल होटल के सामने एक पुलिया बहुत ही सकरी है जिसका उल्लेख न होने के सम्बन्ध में,
		7-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से रविदास नगर के व्यक्ति जुग्गी झोपड़ी डाल कर रह रहे थे। जिसे आगरा कैण्ट के अधिकारियों द्वारा उजाड़ दिया गया, वे लोग रामलीला मैदान में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनके मकान हेतु प्रस्ताव किये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		8-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ताजमहल के 2 कि0मी0 पर शहीद नगर बिल्लोचपुरा की गलियों के टूटी होने के सम्बन्ध में।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
29	श्री जगन प्रसाद गर्ग	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-आगरा नगर पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

2-आगरा नगर में पास के जिलों के लिये सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में,

3-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा नगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में,

4-आगरा नगर स्थित ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु आगरा, मथुरा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,

5-आगरा नगर में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

6-आगरा नगर में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में,

7-आगरा नगर में बिना लाइसेन्स के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,

8-आगरा नगर में वी0पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्माद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड व आलमगंज पानी की टंकी के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में,

9-आगरा नगर के तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड के बगल नाले, महाराणा प्रतापनगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बाल्मीकी बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की क्रमवार सफाई के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-आगरा नगर में 89 उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े लगभग 550 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि-बोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		11-आगरा नगर के मस्ता बगीची बल्केश्वर, जौन्समिल, जीवनी मण्डी व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण गिरासू विद्युत पोलों तथा खराब ट्रांसफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों पर सेल टैक्स को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,
		13-आगरा नगर के मदिया कटरा, लोहामण्डी, राजा मण्डी व कमला नगर तथा बल्केश्वर आदि प्रमुख क्षेत्रों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,
		14-आगरा नगर के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन जो कि शहर के मध्य है का नाम जो कि हास्यास्पद है को बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में,
		15-आगरा नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सिकन्दरा, खन्दारी चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानें व वधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में,
		18-आगरा नगर में आगरा किला से एत्माद्दौला तक रोपवे एवं ताजमहल से बल्केश्वर महादेव मन्दिर तक हाथ चलित एवं पेट्रोल चलित नाव चलाने के सम्बन्ध में,
		19-उत्तर प्रदेश में गो-रक्षा कानून का सख्ती से पालन के सम्बन्ध में,
		20-उत्तर प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बढ़ोत्तरी मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि को रोकने के सम्बन्ध में,
		21-आगरा नगर में धोबियों को कपड़े धोने हेतु शहर के बाहर नजदीक पर्याप्त नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		22-उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-आगरा नगर में अतिक्रमण के कारण नाले व नालियों की सफाई नहीं होती है इस कारण जलभराव की समस्या ज्यादा है उसके निदान के लिये रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में,
		24-आगरा नगर की यातायात व्यवस्था जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ध्वस्त है उसके निवारण के लिये सेंट जौन्स कालेज रेलवे व मदिया कटरा, रेलवे पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,
		25-आगरा नगर के शहरी क्षेत्रों से टेनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैंस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर बाहरी इलाकों में स्थानान्तरित कर सम्बन्धित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		26-आगरा नगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को, सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,
		27-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक व धर्मस्थलों को मेट्रो रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		28-उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा उनसे नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में,
		29-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का बीमा कराकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		30-उत्तर प्रदेश किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में व अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-उत्तर प्रदेश में वृद्धों के लिये ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-उत्तर प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,
		33-आगरा नगर की मलिन बस्तियों में आवश्यक रूप से सुलभ शौचालय व पेशाबघर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		34-आगरा नगर में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निरन्तर 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के सम्बन्ध में,
		35-आगरा नगर में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की जर्जर दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		36-आगरा नगर में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,
		37-आगरा नगर में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में (एस0एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरी) में विस्तार व सुधार के सम्बन्ध में,
		38-आगरा नगर में जल निकासी के लिये नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,
		39-उत्तर प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,
		40-आगरा नगर में ताजमहल के आस-पास विशेष सफाई कर्मचारी लगाकर दो समय विशेष सफाई कराने के सम्बन्ध में,
		41-उत्तर प्रदेश के गिरते हुए भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,
		42-उत्तर प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों व इण्टर कालेजों के शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,
		43-आगरा नगर में पोइयाघाट दयालबाग से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		44-आगरा नगर में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में तथा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		45-आगरा नगर में फाउन्ड्री उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		46-आगरा नगर में टी0बी0 अस्पताल, एस0एन0 अस्पताल व सरोजनी नायडू महिला अस्पताल व जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		47-आगरा नगर को ताजमहल, सिकन्दरा, लालकिला व एत्माद्दौला जैसे स्मारकों के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		48-आगरा नगर में आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा व कमला नगर, बल्केश्वर व ट्रान्सपोर्ट नगर में बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,
		49-आगरा नगर में पर्याप्त मात्रा में लोड के अनुसार सीवर लाइन एवं पानी हेतु पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,
		50-आगरा नगर जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		51-आगरा नगर जल संस्थान को सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		52-आगरा नगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		53-आगरा नगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये समरसेबिल पम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,
		54-आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण व उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		55-आगरा नगर में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		56-आगरा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, रिक्शा, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		57-आगरा नगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु व बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		58-उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने एवं फण्ड व बोनस आदि समय से देने के सम्बन्ध में,
		59-आगरा नगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		60-आगरा नगर में नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व डूडा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		61-सम्पूर्ण आगरा को अतिक्रमणों से मुक्त करने हेतु अतिक्रमण हटाओ दस्ता मय मजिस्ट्रेट के बनाने के सम्बन्ध में,
		62-हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वाहन परिवहन शुल्क एवं सालाना टैक्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स करने के सम्बन्ध में,
		63-आगरा नगर में सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		64-आगरा नगर में लोहामण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0वि0प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		65-आगरा नगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,
		66-आगरा नगर में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		67-आगरा नगर के देहली गेट पर रेलवे पुल का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व बीच में विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		68-गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेवड़ी, गजक व पेठा सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में,
		69-आगरा नगर की जनसंख्या अत्यधिक हो जाने के कारण पानी सप्लाई हेतु एक नया संस्थान का निर्माण ट्रान्स यमुना कालोनी में करने के सम्बन्ध में,
		70-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृति पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृति से शस्त्र लाइसेन्स कम बनाये जाने के कारण पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		71-आगरा नगर के बाल्मीकी बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर, मलिन बस्ती कच्छपुरा, वाटर वर्क्स के पास शास्त्रीनगर के पूर्ण रूप से गिरासू शौचालयों को दोबारा बनाने के सम्बन्ध में,
		72-आगरा नगर के ट्रान्सपोर्ट नगर, ग्रीन पार्क कालोनी, तोता का ताल व न्यू राजामण्डी कलोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		73-आगरा नगर में जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक घाटों का निर्माण व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व लाइटिंग करके बम्बई की तरह चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,
		74-आगरा नगर में ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) बनाकर पानी को रोकने के सम्बन्ध में,
		75-आगरा नगर की मालवीय कुंज शरणार्थी कालोनी है। उससे नगर निगम आगरा द्वारा विगत 60 वर्षों से किराया लिया जा रहा है। उस कालोनी को उचित धन लेकर उन्हें मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में,
		76-आगरा नगर में सुल्तानगंज की पुलिया के निकट कालोनियों की जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,
		77-आगरा नगर में ताजमहल, लालकिला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला स्मारकों तथा बल्केश्वर महादेव मन्दिर व कैलाश महादेव मन्दिर को जमुना में नाव (बोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		78-आगरा नगर में गाय व भैंसों के मालिकों को शहर के बाहर चारों ओर नजदीक में तबेला हेतु सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,
		79-आगरा नगर के मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरुद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग, भगवान टाकीज पुल के नीचे, रामबाग पुल के नीचे, आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, धूलियागंज सहित सम्पूर्ण नाजायज खोखों को हटाने के सम्बन्ध में,
		80-आगरा नगर में नुनिहाई से रेल पटरी पार कर प्रकाश नगर व सुशील नगर जमुना पार जाने के लिये रेलवे पुल अथवा रेलवे फाटक बनाने के सम्बन्ध में,
		81-आगरा नगर में बगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास गधापाडा तिराहे के पास, किदवई पार्क से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवैध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में,
		82-उत्तर प्रदेश में छावनी परिषदों द्वारा कस्बों तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फण्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में,
		83-आगरा नगर की मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालोनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में,
		84-उ0 प्र0 में वर्ष 2006-07 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी। उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,
		85-उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है उन्हें सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में,
		86-उत्तर प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुरानेपन के आधार पर नम्बर बाई नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		87-आगरा नगर में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में मिड-डे-मील खाने में हो रही धांधली रोकने व बासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में,
		88-आगरा नगर में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में,
		89-आगरा नगर के गन्दे लेट्रिन युक्त नाले जो जमुना जी में जाकर मिल रहे जिसके कारण जमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गई हैं उन गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में,
		90-उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं उ0 प्र0 आवास विकास परिषदों द्वारा बनाई जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क, अस्पताल, कम्युनिटी हाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भू-खण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		91-आगरा नगर के ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से नहीं बनी हैं। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जलभराव से साक्षात नरक बन गया है उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में,
		92-आगरा नगर में मदरसे वाली गली, वजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदबू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में,
		93-आगरा नगर में शरीर का व धन का नुकसान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में,
		94-उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,
		95-उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के टैक्सों को कम कर एक या दो स्थानों पर ही टैक्स लगाकर ईमानदारी व कड़ाई से वसूल करने के सम्बन्ध में,
		96-आगरा नगर के नुनिहाई के बहुत पुराने शमशान घाट का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		97-आगरा नगर स्थित अनुराग नगर बल्केश्वर से मनोहरपुर तक की जर्जर सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,
		98-आगरा नगर में गरीबों के लिए पेठा मिठाई बनाने वाले पेठा व्यवसाइयों को शहर से बाहर कम कीमत पर डेवलप कर प्लाट उपलब्ध कराने व कंट्रोल रेट पर गैस की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,
		99-आगरा नगर की पानी की कमी की विकट समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित वैराज को जल्दी से जल्दी बनवाने के सम्बन्ध में,
		100-आगरा नगर में बनने वाले ताज कारीडोर को पुनः सुधार अथवा संशोधन करके बनाने के सम्बन्ध में,
		101-उत्तर प्रदेश में स्कूटर व मोटर साइकिल के चालानों का मौका स्थल पर ही जुर्माना कर छोड़ने के सम्बन्ध में,
		102-आगरा नगर के आगरा कैन्ट स्टेशन, ताजमहल, किला, सिकन्दरा व एत्माद्दौला स्मारकों पर देश-विदेश के पर्यटकों की लूटपाट रोकने हेतु विशेष पुलिस लगाने के सम्बन्ध में,
		103-प्रदेश में परिसीमन होने के कारण व विधायक क्षेत्र बढ़ जाने तथा वोटरों की संख्या बढ़ जाने व मंहगाई बढ़ जाने के कारण विधायक निधि कम से कम 2 करोड़ करने के सम्बन्ध में,
		104-आगरा नगर की जर्जर सड़क व नाली जो कि तोता का ताल से नगर निगम स्कूल तक ऊषा देवी मन्दिर मोती कुंज तक तथा सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लोचपुरा तक बनवाने के सम्बन्ध में,
		105-ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि व नगरों में पड़ी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों किसानों व भूमिहीन नगरवासियों को देने के सम्बन्ध में,
		106-उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने लम्बित विवादों को निपटाने हेतु न्यायालयों की डबल शिफ्ट लगाने अथवा नये न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में,
		107-उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरह पत्थरों द्वारा बनायी गयी मूर्तियों को वैट कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		108-जिला योजना समिति के सदस्य हेतु नगर निगम व नगरपालिका स्तर से चुनाव कर प्रत्येक से एक सदस्य चुनकर भेजने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		109-उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न को रोकने हेतु गलत तरीके से लगाये जा रहे दहेज ऐक्ट एवं हरिजन ऐक्ट को हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		110-आगरा नगर में रामबाग पुल के नीचे एवं भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे बहुत गन्दगी रहती है। गन्दगी एवं अवैध कब्जों को रोककर उसके नीचे अन्दर स्कूटर, आटो, कार एवं बस पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में,
		111-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं पुत्रियों की शादी हेतु सहायता गरीबी के आधार पर बगैर किसी जाति धर्म के दी जा रही है। अतः जाति धर्म की प्रमाण-पत्र की बाध्यता को हटाने के सम्बन्ध में,
		112-आगरा नगर में आगरा फोर्ट के पास 40 साल से बन्द पड़े हुए पुराने बिजली घर को हटाकर उसके स्थान पर मार्केट या पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		113-आगरा नगर में वेदान्त मन्दिर के निकट स्थित यमुना किनारे, कैलाश मन्दिर नगर के सबसे प्राचीन घाटों के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,
		114-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं खेतों को बिजली, पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		115-उत्तर प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने व कृषि विकास के लिये प्रदेश की नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में,
		116-आगरा नगर में छोटे-छोटे झगड़े तथा प्रदर्शनों को दबाने के लिये गलत तरीके से रासुका लगाने को रोकने के सम्बन्ध में,
		117-आगरा नगर में ताजमहल व एत्माद्दौला के पीछे जमुना जी में विगत पांच वर्षों से पड़ी भारी गन्दगी व कूड़े के ढेरों को साफ करने के सम्बन्ध में,
		118-आगरा नगर में बहुत से स्थानों पर शौचालय व पेशाबघर नहीं हैं तथा नगर निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश शौचालय एवं पेशाबघर गिरासू एवं जर्जर हो गये हैं उनकी मरम्मत तथा नये शौचालय एवं पेशाबघर बनाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		119-आगरा नगर के मनोहर पुर से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		120-उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी हैं वर्तमान में प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण, चोरी, डकैती की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक लाख की आबादी पर एक हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		121-आगरा नगर के मोतीगंज (जमुना किनारे के पास) की सड़क विगत 5 वर्षों से गड्ढायुक्त एवं जर्जर हैं। सड़कें व नाली के मरम्मत के सम्बन्ध में,
		122-आगरा नगर की सेंट्रल बैंक रोड कमला नगर की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त है तथा कमला नगर की जनसंख्या को देखते हुए उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाइडर डालकर मय लाइट व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,
		123-उत्तर प्रदेश में बहुत से पुत्र अपनी आर्थिक परेशानी के कारण अपनी विधवा व वृद्ध माता का भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं ऐसी विधवा व वृद्ध माताओं को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह रु0 1000.00 की सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,
		124-उत्तर प्रदेश में मनमाने तरीके से सर्किल दर बहुत बढ़ा दी है उसे कम करने के सम्बन्ध में,
		125-उत्तर प्रदेश में विधायकों को कूपन के कारण होने वाली परेशानी से बचाने हेतु कूपन के स्थान पर नगद धनराशि देने के सम्बन्ध में,
		126-उ0 प्र0 के सभी विधायकों को विगत वर्ष तक 225 हैण्डपम्पों का कोटा लगवाने हेतु अधिकार दिया गया था उसे पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,
		127-आगरा नगर के आर्थिक विकास व देश-विदेश के पर्यटकों के मनोरंजन हेतु वेदान्त मन्दिर जमुना किनारे से एत्माद्दौला होते हुए लाल किला से ताजमहल तक रोप-वे चलाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		128-आगरा नगर में छावनी परिषद् द्वारा लगाये गये नाजायज प्रवेश शुल्क को हटाने के सम्बन्ध में,
		129-आगरा नगर में सम्पूर्ण नगर में सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं उनका पैच वर्क (मरम्मत) कराने के सम्बन्ध में,
		130-आगरा नगर जीवन ज्योति हास्पिटल के पास बैनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे तथा सामने 10 फुट चौड़ाई 10 फुट गहराई 5 कि0मी0 लम्बे नाले की तलीझाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में,
		131-आगरा नगर में कमला नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाने के कारण अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नये थाने के निर्माण के सम्बन्ध में,
		132-उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल में हो रही मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये मिट्टी के तेल में दी जाने वाली सब्सिडी (छूट) को बन्द करने व कन्ट्रोल की दुकान से हटाने के सम्बन्ध में,
		133-आगरा नगर में आलू की अधिकतम पैदा को देखते हुए आलू पर आधारित चिप्स, पापड़, आलू, पाउडर व शराब आदि की इन्डस्ट्रीज आगरा में लगाने के सम्बन्ध में,
		134-आगरा नगर में कैलाश महादेव मन्दिर से बल्देव जाने हेतु जमुना पर बड़ा पुल बनाने के सम्बन्ध में,
		135-आगरा नगर के विभिन्न मार्केटों के बाहर खुले में बिक रहे मीट को रोकने के लिये आगरा महानगर की चारों दिशाओं में मीट मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,
		136-आगरा नगर की सफाई व्यवस्था दो पारी में प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं सायंकालीन 1 बजे से 7 बजे तक कराने के सम्बन्ध में,
		137-उ0 प्र0 में सड़कों पर घूम रहे भिखारियों को पकड़ कर भिक्षुक गृह में रख कर उन्हें काम सिखा कर स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में,
		138-आगरा नगर में परिषदीय प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है जो शिक्षा मित्रों की भर्ती

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2007 में हुई थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		139-आगरा नगर क्षेत्र के 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय नहीं हैं। उन 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में,
		140-आगरा नगर में नहर पुलिया लंगड़े की चौकी से मोतिया की बगीची में मान सिंह कुशवाहा के मकान से वाटर वर्क्स रोड तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,
		141-उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स बनाने के लिए पुलिस चौकी से लेकर डी0आई0जी0 तक की स्वीकृति ली जाती है उसके बाद विधायक व सांसद की स्वीकृति से शस्त्र लाइसेन्स बनते हैं उसकी अनिवार्यता खत्म करने के सम्बन्ध में,
		142-आगरा नगर में मण्टोला क्षेत्र में आये दिन जातीय व साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उसे रोकने के लिये काजीपाड़े में स्थाई पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में,
		143-आगरा नगर की सिकन्दरा कालोनी की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		144-आगरा नगर की महर्षिपुरम् कालोनी की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		145-आगरा नगर में रोशन बिहार गुरुद्वारे के पीछे सिकन्दरा की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		146-आगरा नगर में सी0एन0जी0 गैस पर आधारित विद्युत स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में,
		147-आगरा नगर के ट्रान्सपोर्ट नगर में सेक्टर-1 के पार्क से अवैध कब्जे हटाकर बाउन्ड्रीवाल बनवाने के सम्बन्ध में,
		148-आगरा नगर में सिकन्दरा स्मारक के बराबर से बाईपास रोड के निर्माण के सम्बन्ध में,
		149-उत्तर प्रदेश के विधायक निधि के कार्यों को टैक्स से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		150-आगरा में हरी पर्वत की इन्कम टैक्स कालोनी के बगल से बाग फरजाना की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 151-आगरा के दयालबाग में टैगोर नगर की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में, 152-आगरा में कमला नगर, मेन मार्केट के पास दुर्गा पार्क की जर्जर बाउण्ड्री के निर्माण के सम्बन्ध में, 153-आगरा में नाली के बाहर सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को स्थाई रूप से हटाने के सम्बन्ध में, 154-आगरा में खण्दारी आर0वी0एस0 कालेज के चौराहे से लेकर दिल्ली गेट रेलवे पुल तक जर्जर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 155-आगरा में संजय प्लेस में शहीद स्मारक के सामने विगत 15 वर्ष पूर्व ए0डी0ए0 द्वारा रंगीन फुव्वारे लगाये गये थे, वो तभी से खराब हैं। उनको हटाकर उस स्थान पर चौड़ी सड़क बनाने के सम्बन्ध में, तथा 156-आगरा नगर की ए ब्लाक, कमला नगर कालोनी के पार्क की बाउण्ड्री के निर्माण के सम्बन्ध में।''
30	श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख व्यस्ततम जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-धार्मिक तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में किये जा रहे 10-12 घण्टे की विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में, 4-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में जर्जर सीवर लाइनों के कारण प्रदूषित जलापूर्ति एवं ओवरफ्लो से उत्पन्न नारकीय स्थिति के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल कष्ट को दूर किये जाने हेतु बड़े नलकूप तथा मिनी नलकूपों के रि-बोरिंग तथा नये नलकूप के निर्माण हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,
		6-वाराणसी की बढ़ती हुई आबादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए नया जलकल स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		7-कोनिया-कज्जाकपुरा क्षेत्र में स्थित वरुणा नदी पर एक मिनी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-सर्वविद्या की राजधानी वाराणसी नगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		9-वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में प्रस्तावित 220/33 के0वी0 नये सब-स्टेशन को अभी तक चालू न किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-प्रत्येक मा0 नगरीय विधायकों को उनके क्षेत्र में पेयजल कष्ट को दूर करने हेतु आवश्यक संख्या में नये हैण्डपम्प हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,
		11-वाराणसी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
		12-वाराणसी में प्रत्येक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार सम्भावनाओं के बावजूद पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नयी योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में,
		13-विद्युत के क्षेत्र में वाराणसी को रोल मॉडल बनाये जाने की घोषणा के बावजूद भी लगातार हो रही दिन रात की कटौती से आम जनता को हो रही परेशानी और उद्योग धन्धों में आ रही परेशानी को दूरे करने के सम्बन्ध में,
		14-बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर पुष्टाहार आदि के सुचारु वितरण के सम्बन्ध में,
		15-आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों को पदोन्नति प्रदान करने एवं उनके मानदेय का प्रतिमाह भुगतान करने, किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के वर्तमान किराये में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने तथा हाटकुक भोजन पकाने हेतु गैस आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शनार्थियों को सम्मानपूर्वक दर्शन पूजन हेतु व्यवस्था के परिवर्तन के सम्बन्ध में, 17-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत कार्यक्रम को पारदर्शी बनाये जाने एवं जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों का अनुश्रवण कमेटी गठित करने के सम्बन्ध में, 18-पतित पावनी गंगा नदी में लगभग 22 नालों द्वारा जल-मल युक्त गन्दा पानी गिरने पर अविलम्ब रोक लगाने एवं नदी को प्रदूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में, 19-प्रसिद्ध गंगा तट के घाटों को गन्दगी से बचाने एवं उन्हें साफ-सुथरा बनाये रखने की दृष्टि से कोई कार्यक्रम का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में, 20-गो-वंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा गो-वंश के तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में, 21-श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के पुजारी एवं अन्य सेवादारों हेतु सेवा नियमावली बनाये जाने तथा चढ़ावे के रूप में प्राप्त नकद तथा अन्य स्रोतों के आय से सामाजिक हित के कार्यों में भागीदारी के सम्बन्ध में, 22-बनारसी साड़ियों के लिये प्रसिद्ध हस्तशिल्प में लगे हुए लाखों बुनकरों के समक्ष उत्पन्न बेरोजगारी एवं बेकारी को दूर करने हेतु कोई कार्यक्रम अपनाये जाने के सम्बन्ध में, 23-वाराणसी स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में गरीब व असहाय मरीजों हेतु डायलसिस यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में, 24-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता व मानक की घोर अनदेखी तथा सार्वजनिक धन की लूट-खसोट पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 25-बेरोजगारी भत्ता प्राप्त लाभार्थियों को स्थाई रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 26-प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु नीति बनाकर लागू किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 27-वर्तमान मंहगाई को देखते हुए घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
31	श्रीमती रजनी तिवारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में जनपद हरदोई एवम् फर्रुखाबाद को जोड़ने के लिए अर्जुनपुर-बड़ागांव के मध्य रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के संबंध में, 2-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भरखनी से रूपापुर रजबहा एवम् बरवन रजबहा की सफाई एवम् पानी छोड़ने के संबंध में, 3-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के पांच नदियों से घिरे होने के कारण विद्युत समस्या के निराकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 पावर सब-स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-तहसील मुख्यालय सवायजपुर में फायर स्टेशन एवं कोतवाली की स्थापना के सम्बन्ध में, 5-कस्बा हरपालपुर को नगर पंचायत बनाने एवं नगर पंचायत पाली को नगरपालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में, 6-बाढ़ग्रस्त पांच नदियों से घिरे हुए विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में प्रत्येक वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ से होने वाली भारी जन-धन हानि के स्थायी समाधान के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में श्रीमऊ, किरतियापुर एवं रहेलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु विकास खण्ड-भरखनी एवम् हरपालपुर, विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-साण्डी की 39 ग्राम पंचायतों एवम् बावन की 2 न्याय पंचायतों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की स्थापना तथा सैकड़ों खराब हैण्डपम्पों के री-बोर के संबंध में, 9-चौसार-श्रीमऊ मार्ग पर करनपुर के पास बाढ़ से बह गये 100 मीटर मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के संबंध में, 10-नोनखरा-मंसूरपुर मार्ग पर गम्भीरी नदी पर छोटे पुल के निर्माण के संबंध में, 11-भदार-श्रीमऊ के मध्य गम्भीरी नदी पर बने पुल पर श्रीमऊ से पुल तक एप्रोच मार्ग के निर्माण के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-बाढ़ प्रभावित सवायजपुर क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षतिग्रस्त मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवम् निर्माण के संबंध में, 13-सवायजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पत्र सं0-1505/सी0एम0यू0(डी0)/विस्तारित बिजनेस प्लान दिनांक अगस्त 11, 2011 के द्वारा स्वीकृत रु0 152 लाख द्वारा विद्युतीकरण कराने के संबंध में, 14-बेड़ीजोर में रामगंगा नदी पर पैण्टून पुल बनवाने के संबंध में, 15-हथौड़ा से सेढ़ार पुल तक मार्ग निर्माण के संबंध में, 16-सवायजपुर बौराहे से खरगपुर तिराहे तक, बाबरपुर से वीरमपुर मार्ग, कन्हारी से गौहाना, निजामपुर से सेढ़ा पुल तक, मनभावनगंज से मैकपुर, गिरिधरपुर से विवियापुर तक, खसौरा से सवायजपुर वाया मिरगांवा, मार्गों के निर्माण के संबंध में, 17-रामापुर छैया से रामापुर अधैकन तक मुख्य मार्ग पर मात्र 1000 मीटर छूटे मार्ग के निर्माण के संबंध में, तथा 18-बाजपुर नकटौरा गर्रा नदी पुल से सवायजपुर तक अधूरे मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में।''
32	श्री राम चन्द्र यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रमुख जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में हो रही कटौती से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुदौली नगर सहित प्रमुख बाजारों व ग्रामीण बस्तियों के जर्जर विद्युत तार व पोल बदलने के सम्बन्ध में, 4-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के रुदौली नगर के विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने व प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में, 5-रुदौली विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों की बोरिंग कराये जाने हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पौराणिक मान्यताओं वाले धार्मिक स्थलों 1-अमौनीमठ, 2-मां कामाख्या भवानी स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,
		7-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक अग्निशमन केन्द्र स्थापना हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अग्निपीड़ित परिवारों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में,
		9-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 को महिला चिकित्सालय के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के मवई सी0एच0सी0 क्षेत्र के रानीमऊ में 100 बेड के अस्पताल हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,
		11-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मवई विकास खण्ड में बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में,
		12-रुदौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मवई विकास खण्ड में बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,
		13-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनी कोडर विकास खण्ड के आंशिक हिस्से में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कछिया ओहरामऊ सिपहिया कोटवा मार्ग का निर्माण व गोमती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनी कोडर ब्लाक के आंशिक हिस्से में सरोहा ग्राम पंचायत में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा हेतु बालिका इण्टर कालेज एवं बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणी नदी के अनारपट्टी घाट पर पुल निर्माण,
		16-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के कसारी बरवारी गांव के समीप गोमती नदी पर किशनी घाट पर पुल निर्माण,
		17-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे बसे गांवों में किसानों की सिंचाई समस्या को दूरे करने के लिए कसारी सिंघागढ़ (रामपुरजनक), पूरे सिकदारी, रेछ, सुनबा,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		विछरा, सैदपुर, सैमसी, गनेशपुर, उमापुर में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित मजरों व ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रुदौली नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 20-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वि0 ख0 रुदौली में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 21-रुदौली वि0स0 के रसूलपुर खुर्द व बेतौली स0मा0 पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 22-रुदौली वि0क्षे0अ0 अशरफपुर, गंगरौला सुल्तानपुर मार्ग पर भंवरी नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 23-रुदौली वि0स0क्षे0 अन्तर्गत ग्राम नैपुरा में बाढ़ पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए धन आवंटन के सम्बन्ध में, 24-रुदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता व मानक के घोर अनदेखी तथा सार्वजनिक धन की लूट खसोट पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 25-गो-वंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में, 26-रुदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत रुदौली के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में, 27-रुदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत फैजाबाद नहर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व बची हुई पटरी को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में, 28-सुल्तानपुर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व पेन्टिंग का शेष कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 29-भेलसर रुदौली मार्ग पर रुदौली क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,
		31-जनपद फैजाबाद की रूदौली तहसील को जनपद का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-रूदौली तहसील को जनपद का दर्जा मिलने पर नये जनपद का नामकरण राम सेवक नगर किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थाई, प्रभावी तथा कारगर योजना के सम्बन्ध में,
		34-अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर रु0 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में,
		35-विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1000/- न किये जाने के सम्बन्ध में,
		36-पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु कोई जमीनी मूलभूत योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		38-इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में कोई बेहतर आवासीय योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को दूर करने के लिये कोई कारगर योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण में सरकार की पूरी असफलता के सम्बन्ध में, तथा
		41-प्रदेश के क्रय केन्द्रों में किसानों के भीषण आर्थिक शोषण पर रोक लगाने में प्रदेश सरकार की असफलता के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
33	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-कुम्भ मेले की हृदय विदारक घटना व सरकार की असफलता के सम्बन्ध में, 2-उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती दुराचार की घटनायें व खराब कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, 3-धान की खरीद करने व किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने में असफलता के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश बनता मांस की मंडी, घटती दुधारू पशुओं की संख्या के सम्बन्ध में, 5-महंगा होता दूध व उसकी आड़ में बढ़ते नकली दूध व जनस्वास्थ्य के गम्भीर खतरे के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में गो-हत्या रोकने का कानून होने के बावजूद गोवंश की हत्या में रोक लगाने में असफल रहने के सम्बन्ध में, 7-गन्ना किसानों के गन्ना खरीद न होने, खरीदे गन्ने का भुगतान न होने के सम्बन्ध में, 8-घरेलू गैस की साल में 12 सिलेन्डर आपूर्ति करने व घरेलू गैस की काला बाजारी रोकने के सम्बन्ध में, 9-विधवा, वृद्धावस्था, विकलांगता पेंशन व छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति करने, समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 10-सत्र 2012-13 के स्वीकृत बजट को सरकार द्वारा न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, 11-मंडलीय मुख्यालय पर एम्स जैसे चिकित्सालयों की स्थापना के सम्बन्ध में, 12-आपातकाल के मीसा बन्दियों की पुनः घोषित व लागू भत्ते की योजनाओं में 11 माह में एक भी पैसा न दिये जाने के सम्बन्ध में, 13-टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों की भर्ती में हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-प्रदेश में खाद्य पदार्थों की लखनऊ स्थिति प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश में किसानों की उपज गेहूं, गन्ना, धान, आलू, दलहन, तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये स्थायी वैधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		16-हमारी बेटी उसका कल योजना के नाम पर केवल अल्पसंख्यक बेटियों को भत्ता दिये जाने व दलित, पिछड़ी व सवर्ण बेटियों को न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		17-मेरठ नगर के मोहल्ला बागड़ियान में रह रहे लोगों के नारकीय जीवन के सुधार के सम्बन्ध में,
		18-मेरठ नगर की अजन्ता कालोनी व जल चुंगी क्षेत्र की सड़कों के सुधार के सम्बन्ध में,
		19-मेरठ महानगर की जनता को जाम से मुक्ति दिलाने की योजना के सम्बन्ध में,
		20-मेरठ नगर के मोहल्ले आनन्दपुरी, जैन नगर, रौनकपुरी, ब्रहमपुरी, हरिनगर, भगवतपुरा, इन्द्रानगर, मास्टर कालोनी आदि की जल निकासी के सम्बन्ध में,
		21-मेरठ नगर के मोहल्ला रौनकपुरा के खस्ताहाल वाल्मीकि क्वाटरों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,
		22-मेरठ नगर के घंटाघर अहमद रोड स्थित सरकारी अस्पताल की एक शाखा शहर से बाहर दिल्ली रोड पर 18000 वर्ग गज स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		23-मेरठ के देववती देवी राजकीय कन्या इण्टर कालेज में छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-मेरठ में मंगल पाण्डे राजकीय महिला डिग्री कालेज की आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में,
		25-मेरठ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में आवश्यक पदों के सृजन व उन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-मुख्य मंत्री जी घोषणा के बावजूद जनपद मेरठ की मुहीउद्दीनपुर शुगर मिल न चालू होने के सम्बन्ध में, 27-प्रदेश स्थानीय निकायों में विशेषतः मेरठ नगर निगम में स्वीकृत रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में, 28-जनपद-मेरठ के नगली तीर्थ स्थल को विकसित करने व सुदृढ़ सड़क मार्ग की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में, 29-मेरठ के ओडियन नाले की तली झाड़, सफाई के सम्बन्ध में, 30-प्रदेश में खराब बिजली व्यवस्था के सम्बन्ध में, 31-प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ध्वस्त व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में, 32-प्रदेश की गंगा यमुना आदि नदियों का प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में, 33-निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवैधानिक तरीके से हटाने व समाजवादी पार्टी के लोगों को जबरदस्ती बैठाने के सम्बन्ध में, 34-महंगाई नियंत्रित करने में असफल रहने के सम्बन्ध में, 35-प्रदेश के विधायकों को हैण्डपम्प/सड़कें न देने के सम्बन्ध में, 36-प्रदेश के बजट को अनुत्पादक मदों में खर्च करने के सम्बन्ध में, 37-प्रदेश के व्यय किये बजट से अवस्थापना सुविधाओं के सृजित न करने के सम्बन्ध में, 38-बेरोजगारी भत्ते को घोषणा के बावजूद दे पाने में असफल रहने के सम्बन्ध में, तथा 39-किसानों के साथ कर्ज माफी में धोखा करने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
34	श्री जाकिर अली	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-लोनी विधान सभा में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 2-लोनी विधान सभा के लोनी में मिनी स्टेडियम खोले जाने के सम्बन्ध में, 3-लोनी विधान सभा के लोनी कस्बे के पास डी0एल0एफ0 कालोनी मेन खजूरी पुस्ते पर से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में, 4-लोनी इण्टर कालेज में उर्दू विषय पढ़ाये जाने तथा उर्दू शिक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में, 5-लोनी के ट्रानिका सिटी से जल निकासी के सम्बन्ध में, 6-लोनी में रा0 महिला महाविद्यालय खोले जाने विषयक, 7-लोनी में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन कराने विषयक, 8-लोनी कस्बे में अनाधिकृत रूप से गैस रिफिलिंग के कारोबार को रोके जाने के सम्बन्ध में, 9-लोनी के अवैध रूप से संचालित आइस फैक्ट्रियों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, 10-लोनी में अवैध रूप से जीन्सों की रंगाई करने वाली फैक्ट्रियों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, 11-खजूरी-पुस्ता दिल्ली रोड को डबल रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में, 12-लोनी में स्थित सी0एच0सी0 को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, 13-लोनी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 300 बेड के चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में, 14-लोनी विधान सभा के नौरसपुर ग्राम में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-लोनी विधान सभा में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-लोनी में अल्वीनगर कालोनी में अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में, 17-लोनी के अल्वीनगर में एक अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में, 18-लोनी के विधान सभा के लोनी नगरपालिका परिषद् में एक पुस्तकालय के निर्माण के सम्बन्ध में, 19-लोनी विधान सभा के नगरपालिका क्षेत्र में हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में, 20-लोनी विधान सभा के लोनी तिराहे से रूपनगर पुलिस चौकी के पास से गाजियाबाद बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, 21-जनपद गाजियाबाद में लोनी विधान सभा अन्तर्गत पैरामेक्स प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा घटिया किस्म के किये जा रहे ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति को रोके जाने तथा मानक के अनुरूप ट्रांसफार्मर किसी अन्य कम्पनी से आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 22-लोनी नाम से नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।''
35	श्री सुनील कुमार सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद सोनभद्र के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-किसानों के धान एवं गन्ने खरीद में हुई लूट के सम्बन्ध में, 3-जनपद सोनभद्र में नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में, 4-ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-ओबरा विधान सभा के अन्तर्गत अनपरा को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-विधान सभा ओबरा के भाट एरिया में लड़कियों के शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		8-विधान सभा ओबरा के भाट एरिया में लड़कियों के उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,
		9-विधान सभा ओबरा के भाट एरिया में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल, शिक्षा, सम्पर्क मार्ग, पुल-पुलियों का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-जनपद सोनभद्र में हो रहे खनन में माइन्स एक्ट 1948 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-विधान सभा ओबरा में लाल टावर डब्लू आई कालोनी, बजरंगनगर, औराडाड़ एच0एस0सी0एल0 कालोनी के निवासी जो पिछले 30 वर्षों से रहते आ रहे हैं लोगों को न उजाड़े जाने के सम्बन्ध में,
		12-ओबरा विधान सभा के आदिवासियों को वन विभाग की जमीन का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में, जिस पर आदिवासियों द्वारा मकान का निर्माण करा लिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद सोनभद्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एक 500 बेड का अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,
		14-बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,
		15-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का हो रहे उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,
		16-दलित महापुरुषों की याद में बने पार्कों, उद्यानों तथा स्मारकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में,
		17-दलित महापुरुषों के जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस पर होने वाले आयोजनों में खर्च होने वाली धनराशि को कारपस फण्ड से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18-जनपद सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में स्थित चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों के जन-प्रतिनिधियों को अनुमन्य सुरक्षा कर्मी के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-ओबरा विधान सभा में कुलडोमरी ग्राम पंचायत में स्थित अमावा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-ओबरा विधान सभा में करैया में स्थित नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-ओबरा विधान सभा में डिबुलूगढ़-बीना मार्ग पर डम्परों से ढोये जा रहे कोयले से उड़ रही धूलों से हो रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		24-विधान सभा क्षेत्र ओबरा के ननहरी घाट के विजुल नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		25-ओबरा विधान सभा क्षेत्र के कनहरा मझौली घाट के गोतान नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		26-ओबरा विधान सभा के सागरदह में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		27-ओबरा विधान सभा के निम्नलिखित ग्रामों निम्नवत् हैं-(1) मुलाइनसोत (2) बडहरा (3) रणोर (4) कुलडोमरी (5) बियाडाड़ (6) सागरदह (7) ननहरी (8) धुर्वा (9) बैरपुर (10) लोझरा (11) खजूरा (12) बीरनबहरा (13) पाटी (14) अछनहर (15) सगनरा (16) हरीपुर (17) मेडरदह (18) बेनादह में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-ओबरा विधान सभा के कनहरा-नदहरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-कनहरा-मझौली-बेलगढ़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30-ओबरा विधान सभा के ग्राम पंचायत पनारी में कोइलरिया नाला पर आर0सी0सी0 स्लैब कलवर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 31-रेलवे स्टेशन मिरचाधुरी से धुर्वाह होते हुए कसिहवा नदिहरा नदहरी सम्पर्क मार्ग का एवं मल्टी स्पान आर0सी0सी0 स्लैब कलवर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, (ओबरा विधान सभा) 32-ओबरा विधान सभा के ग्राम पंचायत परसोई में रोहिनहवा टोला से कनहर विजुल नदी सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं मल्टी स्पान आर0सी0सी0 स्लैब कलवर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-ओबरा विधान सभा के ग्राम परसोई में मुडौली टोला से खटिहवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं मल्टी स्पान आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 34-ओबरा विधान सभा क्षेत्र के माट एरिया में कुलडोमरी नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।''
36	श्री छोटे लाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-निर्वाचन क्षेत्र आगरा ग्रामीण में हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के पीने के पानी का संकट दूर करने के लिए कम से कम नये 500 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में, 3-विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में रूपपुर ग्राम में विवोनी, यांकुरी, खुर्द की ऊबड़-खाबड़ बिना उपजाऊ भूमि में बरसात का पानी रोककर एक बड़ा जलाशय, जिससे आस-पास का भू-गर्भ जल स्तर गहरा जाने से रोका जा सके, बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा के क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में फतेहाबाद बाईपास हेतु लगभग 30 वर्ष पूर्व अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।''
37	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-निर्वाचन क्षेत्र 222 बबीना के विद्युतीकरण में निम्नलिखित ग्रामों में देश की आजादी के समय से आज तक नहीं हुआ है। जहां लोग आज भी दीपक की रोशनी में जीवन-यापन कर रहे हैं। चन्द्र नगर, पनहारी, दयानगर, पथरवारा, टौरिया (खजराहा बुजुर्ग), चौका मखरऊ, बादली, कौड़रा डुबकी (सिमरावारी), मातनपुरा (खजराहा खुर्द) सिमरइयन का डेरा, जनकपुर पुरतनया बाध, भरतेलेका डेरा (रक्सा), पट्ठापुरा (पुनावली कला), भड़रा आदिवासी मजरा (मथुरापुरा) खैराग्राम में पड़ती, पाल, परिहार मुहल्ला, कोलवा ग्राम में दीवान खिरक, हनुमान खिरक, ग्राम घुघुवा में मजरा गदरयाना, खाड़ी ग्राम में बैरागढ़, खुशीपुरा, खिरक, बैदोरा ग्राम में छोटी एवं बड़ी डुबकी, कबूतरन का डेरा, छर्रा, कसावरी, बुड़पुरा ग्राम पंचायत में हरपालपुरा, डेरा आदिवासी बस्ती, बबीना रूरल ग्राम पंचायत में शास्त्रीनगर, गोंचीखेड़ा, मुखिया मुहल्ला रसीना ग्राम पंचायत में मटियारी, तेंदोल में पुरतनया, खिरक, चिपलौटा में धमनाई, खिरक, फुटेर बरूआसागर में गोमटा, फेजना, गुराट, खदरी, कलारी खिरक तथा गोरामछिया में आदिवासी डेरा, हीरापुरा, मुहल्ला छंगा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-झांसी के बबीना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत खजुराहा बुजुर्ग, चिरगांव, हंसारी तथा ग्वालियर रोड, बुड़पुरा तथा गड़मउ रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-निर्वाचन क्षेत्र बबीना जनपद-झांसी के मध्य प्रवाहित बेतवा नदी पर बड़ा गांव से पच्चरगढ़ के बीच तथा मुडेयी से बिठरी के मध्य पहूज नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में महेशगढ़ सम्पर्क मार्ग, रतनपुर सम्पर्क मार्ग, राजगढ़ सम्पर्क मार्ग, सिमरधा से प्रजापति का डेरा सम्पर्क मार्ग किल्चवारा खुर्द रोड से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग, घिसौली पाइप लाइन से सूजरपुरा तक, गुढ़ा से ढिमरपुरा तक, तेंदोल से पुरैनियां खिरक तक, मथुरापुरा से टपरियन तक, खैरा गजगांव रोड से रमैयापुरा नहर पुलिया से रमैयापुरा होते हुए घरमपुरा तक सुकुवां ढुकुवां रोड से चंदौली तक सम्पर्क मार्गों के बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		5-विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ईसागढ़ से रनगुवा रोड तक, पारीछा रेलवे क्रासिंग से धरमपुरा-पचार सम्पर्क मार्ग, 4 लाइन डायमण्ड फैक्ट्री रोड से भूपनगर, दोन, दुनारा होते हुए फोरलेन बड़ा गांव थाने के पास तक, बल्लमपुर नहर से रक्सा रोड सीपरी बाजार तक, सुकुवां ढुकुवां बांध से गनेशपुरा तक नहर पटरी मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		6-निर्वाचन क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत बबीना तालाब से रसोई मानपुर सरवां, भडरा छर्रा, वडैरा, खजराहाखुर्द, खजराहाबुजुर्ग, किल्चवाराखुर्द, मथुरापुरा सफा तक एक माइनर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		7-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में माताटीला से झांसी के लिए पाइप लाइन जिससे ग्राम सिमरावारी से चौका, सिमरावारी, किल्चवाराखुर्द, चन्द्रनगर, पनहारी, खजराहाबुजुर्ग, रामपुर, रामगढ़, मातनपुरा में नई पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में,
		8-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में गम्भीर पेयजल संकट दूर करने के लिये 1000 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,
		9-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में मोंठ, भाण्डेर रोड से ग्राम भरोसा, छपार, पुलगहना, शाहजहांपुर, बझेरा, खजुरी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में ग्राम सभा सिमरावारी एवं बी0एच0ई0एल0 की आबादी को देखते हुए इन्हें नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		11-निर्वाचन क्षेत्र बबीना में क्रेशर उद्योग से सम्बद्ध हजारों मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार योजना के अन्तर्गत विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
38	श्री बावन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-करनैलगंज से कौड़िया बाजार-आर्यनगर वाया कटरा बाजार रामापुर मार्ग जो पूर्णतया ध्वस्त एवं गड्ढे में परिवर्तित है, का निर्माण उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-दुमबहा बाजार से कटवा नाला मार्ग का निर्माण उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग से वाया सेल्हरी मण्डप देउवा पसिया धरमपुर चैनापुर मोड़ तक सम्पर्क मार्ग डामर एवं पी0सी0 के साथ हाटमिक्स से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-कौड़िया अशोकपुर मार्ग का निर्माण उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-दुबहा से कटवा नाला मार्ग के मध्य में एक 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में, 6-कटरा बाजार विधान सभा के अन्तर्गत लगभग लाख हेक्टेयर जल प्लावित क्षेत्र विकास खण्ड कटरा बाजार, विकास खण्ड हलधरमऊ एवं विकास खण्ड रूपईडीह जनपद गोण्डा के किसानों को उबारने के लिए टेढ़ी नदी चंदहा नाला तथा बिसुही नाला की सफाई एवं खुदाई के सम्बन्ध में, 7-गोण्डा लखनऊ मार्ग पर कोंचा कासिमपुर से वाया कमालपुर पहड़ापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक हाटमिक्स से कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-फरेंदा जरवल मार्ग जो गोण्डा जनपद को उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ को सीधे जोड़ती है, का फोरलेन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 9-गिरते भू-जल स्तर एवं पेयजल में आरसेनिक की अधिक मात्रा पाये जाने के कारण भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए पहले की भांति विधायकों को क्षेत्र हेतु कम से कम 500 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-टेढ़ी नदी पर ग्राम मथुरा एवं जयराम जोत के मध्य सेतु निगम से पक्का पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर एक हजार रुपया प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने एवं उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-गो-वंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं धड़ल्ले से हो रही पशु तस्करी को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		14-कौड़िया बाजार, कटरा बाजार, बालपुर, आर्यनगर (कुकुरभुकवा) तथा दुबहा बाजार जैसे मुख्य कस्बों में उच्च क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-महिलाओं की आबरू बचाने एवं अत्याचार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,
		16-सभी जाति धर्म की कन्याओं की पढ़ाई एवं विवाह के लिए सहायता राशि अल्पसंख्यक समुदाय की कन्याओं की भांति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-पर्यावरण को बचाने हेतु गोण्डा जनपद में धड़ल्ले से हो रहे हरे पेड़ों की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद गोण्डा के तहसील कर्नैलगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार के बांकी ताल एवं भरथौली ताल विकास खण्ड हलधरमऊ में ग्राम गद्दौपुर के अरथानी ताल को पक्षी विहार के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को दूर करने के लिए कोई कारगर योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के सम्बन्ध में,
		21-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व बढ़े दर पर बिक्री समाप्त करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने एवं खरीद में बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, 23-वित्तविहीन जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टर कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में, 24-दुबहा बाजार से नरायनपुर कलां-रायपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग जो पी0डब्लू0डी0 से निर्मित है एवं गड्ढे में परिवर्तित हो गयी है, को हाटमिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में, 25-आर्यनगर से असिधा खरगूपुर मार्ग जो उखड़कर गड्ढे में तब्दील है, को उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 26-बालपुर कटरा मार्ग को उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 27-तिलका चन्दवतपुर मार्ग का उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कराने के सम्बन्ध में, 28-गोण्डा जनपद में कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में, 29-कर्नैलगंज हुजूरपूर मार्ग जो खनन माफियाओं द्वारा बालू खनन कर ओवरलोडेड ट्रकों से ध्वस्त कर बड़े-बड़े गड्ढे में बदल गयी है, का उच्चीकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 30-आर्यनगर गोकरन शिवाला मार्ग पर गोपाल बाग से वाया भुड़कुड़ी, भुलईडीह-कमड़ावां प्रधानमंत्री सड़क तक सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 31-आर्यनगर गोकरन शिवाला मार्ग पर गोपालबाग से ईंटियाथोक मार्ग वाया दुलहापुर पहाड़ी, बलहीजोत मार्ग को उच्चीकरण योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कराने के सम्बन्ध में।''
39	श्री संजय प्रताप जायसवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-विधान सभा क्षेत्र-रुधौली, जनपद-बस्ती के भानपुर तथा रुधौली तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-रुधौली, बस्ती के प्रत्येक ब्लाकों में मॉडल स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में, 3-क्षेत्र के निम्न मुख्य बाजारों एवं बड़ी जनसंख्या वाले गांवों में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-रुधौली, बस्ती के रामनगर ब्लाक के भानपुर बाजार एवं कस्बा, करमहिया बाजार, पिरैला महन्त बाजार एवं नरखोरिया बाजार में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-बस्ती के रुधौली ब्लाक में रुधौली बाजार एवं कस्बा, केशवापुर बाजार, महुआ बाजार, बासखोर कला बाजार में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-बस्ती के साऊघाट ब्लाक के मझौवा मीर एवं परसा चौराहा में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-रुधौली, जनपद बस्ती में आवागमन के दृष्टिकोण से अतिआवश्यक पगारे घाट, बाढ़ू घाट, धोबहा घाट तथा इटहिया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-रुधौली क्षेत्र जनपद बस्ती के महत्वपूर्ण मार्गों पिरैला महन्त बाजार से तिन्हौना मार्ग (रामनगर ब्लाक), रामनगर से कलन्दर नगर मार्ग (रामनगर ब्लाक), परसाखाल सम्पर्क मार्ग से रुद्रपुर तक (सल्टौआ ब्लाक), बरगदवा से बैरिहवा-करमा होते हुए सिसवा बरुआर तक (सल्टौआ ब्लाक), जसोवर से रेंगी होते हुए छनवतिया तक (सल्टौआ ब्लाक), बिसुनपुरवा से हनुमानगंज मार्ग (रुधौली ब्लाक), सिसवारी मुगल से हनुमानगंज मार्ग (रुधौली ब्लाक) तथा रसनी रसना चौराहे से मथुरा होते हुए बढ़या सरदहा मार्ग तक (साऊ घाट ब्लाक) को बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 9-क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था हेतु सब्सिडी युक्त 2000 सोलर लाइटों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु 1500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ सभी विधान सभा क्षेत्रों को समान रूप से दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-ग्रामीण क्षेत्रों में बी0आर0जी0एफ0 तथा अन्य निधियों से प्रकाश व्यवस्था हेतु लगाये गये उपकरण, अल्प अवधि में खराब हो चुके हाईमास्क लाइटों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-क्षेत्र की समस्त गड्ढ़ायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 14-क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों तथा मुख्य बाजारों में लगाये गये जर्जर एवं ढ़ीले विद्युत तारों को दुरुस्त कराने तथा विद्युत आपूर्ति को देखते हुए ट्रान्सफार्मरों को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।''
40	श्री काली चरन सुमन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, आगरा ग्रामीण, भोले बाबा डेयरी शमशाबाद रोड से रजरई नोवरी, सैमरी इरादत नगर रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, आगरा ग्रामीण के कलाल खेड़िया रोड से बगदा बरौली अहीर शमशाबाद रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 3-फतेहाबाद रोड बमरौली कटारा से हिगोट खेरिया नगला सवला महल बादशाही बत्तीसा समौर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 4-कौलक्खा पुलिया से पचगाई खेड़ा नहर की माइनर रोहता नहर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 5-नगला परमाल नहर की पटरी नगला कारे तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 6-कहरई रोड से कौलक्खा देवरी रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 7-शमशाबाद रोड से अकबरपुर बुढ़ेरा तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-नौमील जगनेर रोड से खालखलौआ बरारा तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 9-नेशनल हाइ-वे रोड से अरतौनी तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में, 10-रोहता, रजवा नहर पर ग्राम-नगला वसुवा के समीप नव निर्माण पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, तथा 11-रोहता रजवा नहर पर ठाकुर दास पुलिया का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में।''
41	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवाँ के अन्तर्गत सहिजना गांव रोड से वरौरा गांव होते हुये नया गांव जाट तक लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में, 2-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवाँ के अन्तर्गत बरबर औरंगाबाद रोड से पिपरी अजीज गांव तक लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में, 3-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत पसगवां रोड से कन्धरापुर गांव प्रदीप वर्मा के मकान से होते हुए यज्ञशाला तक ल0 800 मी0 लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में, 4-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत गलौली रोड से बौद्धीकलाँ देवेन्द्र वर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक ल0 600 मी0 लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में, 5-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत हरनाजाट से मुडिया चूरामणि गांव की पुलिया तक ल0 600 कि0मी0 लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत अखमराजपुर से पिपरी तक ल0 1.5 कि0मी0 लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,
		7-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सहजना से बाया खन्देवरा होते हुये लगभग ल0 3.0 कि0मी0 सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,
		8-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां के अन्तर्गत पिपरोला में ट्रालीटोकेन सड़क से ग्राम बसारा की हद तक लगभग ल0 2.0 कि0मी0 सड़क एवं एक छोटी पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में,
		9-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत पाल चक से एनुवा तक ल0 2.2 कि0मी0 एक कोट पत्थर व पेटिंग लेपन स्तर नव निर्माण सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,
		10-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनकागांव का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में नलकूप बने हुये परन्तु अभी तक चालू नहीं हो सके हैं, के सम्बन्ध में,
		12-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-पसगवां के अन्तर्गत माडल स्कूल एवं डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जिला-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मुख्यालय में 300 बेड के अस्पताल के बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जिला-लखीमपुर खीरी में धैरहरा के पौराणिक स्थल राम बट्टी में तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण प्रति रखी है, उक्त स्थल के सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जिला-लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क स्थिति है, जिसका सौन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में बाढ़ के समय पर सैकड़ों गावं व घर नदी में समा जाने से क्षेत्रवासियों को बाढ़ से बचाये जाने जाने के सम्बन्ध में।''
42	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-
		1-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,
		2-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		3-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में,
		4-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
		5-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में,
		6-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम-काज के सम्बन्ध में,
		7-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
		10-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,
		11-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में,
		12-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,
		13-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर करने के सम्बन्ध में,
		14-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गरीब लोगों की पुत्रियों की शादियों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,
		16-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी रोकने के सम्बन्ध में,
		17-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में वित्तीय, कानून-व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में,
		20-जिला-मिर्जापुर मझवां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पहाड़ी जमतुवा का बंधी का निर्माण एवं बेलवन पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डाफाल नहर का नये सिरे से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत 500 नये नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		23-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में,
		24-जिला-मिर्जापुर में अवैध रूप से किये जा रहे खनन को रोकने के सम्बन्ध में,
		25-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के लिये अनुदान की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,
		27-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
		28-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		29-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,
		31-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		32-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गरीबों की भूमि एवं घरों पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में,
		33-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में, तथा
		34-जिला-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने एवं सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने तथा पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

पी0एस0यू0पी0-एल0 26 विधान सभा (58)-31-05-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।